त्रयोदश माला, खंड 18, अंक 12

मंगलवार, 7 अगस्त, 2001

16 श्रावण, 1923 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

FOR REFERNCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D...52
Date 12/6/2002

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 12, सोमवार, 7 अगस्त, 2001/16 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221, 222, 224 और 225	4–64
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 223 और 226 से 240	64–98
अतारांकित प्रश्न संख्या 2317 से 2518	98–421
सभा पटल पर रखे पए पत्र .	421–424
राज्य सभा से संदेश .	424–426
गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति	
उनासीवां प्रतिवेदन	426
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	426
नियम 193 के अधीन चर्चा	
आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखर वार्ता	426–437
श्री· माधव राव सिंधिया	427
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	430
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जबलपुर में केन्द्रीय आयुध डिपो के गोला-बारूद भंडार में दुर्घटना	446
श्री जसवन्त सिंह	446
नियम 377 के अधीन मामले .	446–456
(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की मोबाइल फोन सेवा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	446

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

(दो) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी 447

(तीन) राजस्थान के अलवर जिले में श्रम न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंतसिंह यादव 450

(चार) राजस्थान में रामेश्वर घाट में इंदिरा नहर परियोजना के निर्माण के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जस कौर मीणा 450

(पांच) आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र में फल अनुसंधान केन्द्रों का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

डा. एन. वेंकटस्वामी 451

(छह) देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक 451

(सात) तटीय विनिमय जोन कोड विशेष रूप से कर्नाटक के उदुपी जिले में इस कोड की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 452

(आठ) आंध्र प्रदेश में कृष्णा बेसिन में अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए राज्य की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 453

(नौ) पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज की गाद निकाले जाने की आवश्यकता

श्री अबुल हसनत खां 453

(दस) आंध्र प्रदेश में आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 454

(ग्यारह) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु में पेयजल योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन 454

(बारह) तमिलनाडु में तेनकासी और मदुरै के बीच राजमार्ग पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. मुरूगेसन 455

(तेरह) देश के विभिन्न भागों में कतिपय अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी संगठनों द्वारा दिए जा रहे कथित शस्त्र प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला 455

विषय	कॉलम
खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	469–527
विचार करने के लिए प्रस्ताव	469
श्री बसुदेव आचार्य	469
श्री शान्ता कुमार	473, 518
श्री चिन्मयानंद स्वामी	477
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	481
श्री बाजूबन रियान	483
श्री टी.एन. सेल्वागनपति	485
श्री अनादि साहू	488
श्री राजो सिंह	491
श्री रतनलाल कटारिया	494
कुंवर अखिलेश सिंह	496
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	499
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	502
श्री भान सिंह भौरा	509
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	510
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	515
खंड 2, 3 और 1	527
पारित करने के लिए प्रस्ताव	527

लोक सभा

मंगलवार, 7 अगस्त, 2001/16 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 221, श्री अनंत नायक।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगाइयों से मिली है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद ''शून्य काल'' है। उस समय जो महत्वपूर्ण मुद्दे आप उठाना चाहें उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप जीरो आवर में बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, सईदुज्जमा जी मुजफ्फरनगर में लोकल एम.पी. हैं, इनको तो बोलने का मौका दें।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जीरो ऑवर में बोलें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, आप जीरो आवर में बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप जीरो आवर में बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रामजी लाल सुमन जी, आप बैठ जाएं। आपको जीरो आवर में मौका देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रोज ऐसा करना ठीक नहीं है। आप क्वश्चन आवर में क्यों डिसटर्ब करते हैं? क्वश्चन आवर के बाद जीरो आवर हैं, उसमें अपनी बात कीजिए। यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर में आपकी बात सुनेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं। हमें भी एलाऊ किया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह और श्री रघुनाथ झा आप अपने मुद्दे ''शून्य काल'' में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज जीरो आवर है। आप जीरो आवर में अपनी बात कहें। जीरो आवर में आपको समय मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, रघुवंश प्रसाद सिंह जी को समझा लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर. ये बिहार में गोली चलवाते हैं और...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आप क्या कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत नायक के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री राम दास आठवले, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बस, बहुत हो चुका।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

फर्जी विश्वविद्यालय

*221. **श्री अनन्त नायक:**
श्री सुबोध राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय चल रहे ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और ये कब से चल रहे हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पता लगाया है कि देश में 19 जाली विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके देश में चलाई जा रही ऐसी स्व-घोषित यूनिवर्सिटीज/ विश्वविद्यालयों की सूची संलग्नक विवरण में दी गई है। जिन तारीखों से ये विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, उनकी सही-सही

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि यह पता चला है कि ये विश्वविद्यालय पिछले काफी समय से अस्तित्व में हैं।

(ग) जैसी ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किसी जाली विश्वविद्यालय/संस्था के बारे में पता चला है तो उसके प्रवर्तकों को अपने कार्यकलाप तत्काल बन्द करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ-साथ जिस राज्य में यह संस्था स्थित होती है उस राज्य की सरकार को स्थिति से अवगत कराकर यह अनुरोध किया जाता है कि वह कानून के अनुसार उस संस्था के खिलाफ कार्यवाही करे। कामर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली; भारतीय शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा वाराणसेया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी/जगतपुरी, दिल्ली जैसी कुछेक फर्जी संस्थाओं के मामले न्यायालय में दर्ज हैं।

विवरण

फर्जी यूनिवर्सिटीज/संस्थाओं की सूची

1. मिथिला यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार।
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (विमेन्स यूनिवर्सिटी) प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
3. वाराणसेया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)/जगतपुरी, दिल्ली
4. कामर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
5. इंडियन एजुकेशन काउंसिल आफ यू.पी., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
6. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
7. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो काम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
8. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
9. डी.डी.बी. संस्कृत यूनिवर्सिटी, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु
10. सेन्ट जोन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल
11. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली
12. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
13. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकलां, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
14. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)
15. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र
16. केसरवाणी विद्यापीठ, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
17. दिल्ली विश्वविद्यापीठ, 233, टैगोर पार्क, माडल टाऊन, दिल्ली-110009
18. बदागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)
19. भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

[हिन्दी]

श्री अनन्त नायक: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने देश में अभी भी 19 नकली विश्वविद्यालयों के चलने के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले 3.3.2001 में 15 और 28.7.2000 में 18 नकली विश्वविद्यालय चलने की जानकारी मंत्रालय द्वारा दी गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज तक नकली विश्वविद्यालयों कितने बंद हैं जो बंद नहीं हुआ है उसके लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है और उनसे देश को कितना नुकसान हो रहा है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी समय इन विश्वविद्यालयों की संख्या 31 थी। अब 19 की जानकारी मिली है। जो कार्रवाई की गई है वह मैं बताता हूं। मैथिली यूनिवर्सिटी, दरंभगा में काम करती थी। उसको बन्द करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय दिया। उसके बाद उन्होंने नए सिरे से मुंसिफ कोर्ट में अपील कर दी है और अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (विमेन्स यूनिवर्सिटी) प्रयाग, इलाहाबाद (उ.प्र.) बन्द हो गई है।

वाराणसेया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (यू.पी.)/जगतपुरी, दिल्ली को कहा गया था कि वह इसे बंद करें उसके बाद उन्होंने ऐफीडैविट भी दिया है कि हम इसे बंद कर रहे हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है लेकिन फिर से शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ भी कोर्ट की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कामर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली ने बंद कर दिया है और लिख कर दे रहे हैं लेकिन उनसे कहा गया है कि वे एक शपथ पत्र भी दाखिल करें कि आगे भी नहीं चलाएंगे। इंडियन एजूकेशन काउंसिल आफ यू.पी. लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - उसके बारे में अभी चल रहा है लेकिन मामला यह है कि इंडियन एजूकेशन काउंसिल आफ यू.पी. और भारतीय शिक्षा परिषद् लखनऊ जो

दोनों एक ही हैं, अंग्रेजी, हिन्दी के नाम से चलाते हैं। उन्होंने एक केस चलाया और उसके बाद उन्होंने एक स्टे लिया। वह स्टे अभी 27 फरवरी, 2001 को कोर्ट ने वेकेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी अपील कर दी। हम कदम उठा रहे हैं और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसी तरह से गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (यू.पी.) बंद हो गई है। नैशनल यूनिवर्सिटी आफ इलैक्ट्रो काम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर उत्तर प्रदेश, इसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए बार-बार कोशिश की गई है लेकिन अभी पूरे तौर पर इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई क्योंकि कई बार ये लोग अपना पता बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं तो हमारे लिए पता लगाना कठिन है। राज्य सरकारों को लिख दिया है, उनसे मदद लेते हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - यह भी बंद करवा दी गई है। डी.डी.बी. संस्कृति यूनिवर्सिटी, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु - इसमें तमिलनाडु की सरकार ने हमको सूचना दी है कि 1995 के बाद इस विश्वविद्यालय ने कुछ काम नहीं किया, कोई एडमिशन नहीं लिया। यह सूचना उन्होंने हमें सन् 2000 में लेकिन खुद यू.जी.सी. को यह पता लगा है कि यह कहीं न कहीं से काम कर रही है। तमिलनाडु सरकार को सूचना दी गई है और उनसे कहा गया है कि इसका पता लगा कर बताएं कि यह किस स्थिति में है। सैंट जान्स यूनिवर्सिटी, किशनात्तम, केरल - इसमें केरल की सरकार को सूचित किया गया है। अभी उनसे जानकारी नहीं मिली है कि इसकी क्या स्थिति है। युनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली और वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली का पता नहीं चलता है। हमने अधिकारियों को पता लगाने के लिए भेजा है। लेकिन यह कहां काम कर रहे हैं, विजिबल कोई उनका ऑफिस दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि कहीं गुपचुप काम कर रहे हों या इंटरनेट के जरिए काम कर रहे हों। लेकिन धरती पर उनका कोई दफ्तर नहीं है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकलां, मथुरा, उत्तर प्रदेश, इसकी भी पता नहीं चलता। हमारे अधिकारियों ने सब जगह जाकर ढूंढा। कोसीकलां में भी पता लगाया लेकिन कोई साइन बोर्ड या कोई चीज नहीं मिलती। कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कहां से काम कर रहे हैं। हम पूरे तौर पर उसकी कार्यवाही कर रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - इनको चलाने वालों को गिरफ्तार किया गया और यह संस्था बंद कर दी गई। राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर (महाराष्ट्र) - महाराष्ट्र सरकार को भी बताया। उन्होंने अपना नाम बदल दिया और अलजमिया पोर दारूल उलूम अमजदिया, मदरसा नाम रख लिया लेकिन अलजमिया नाम यूनिवर्सिटी का ही ट्रांसलेशन है। फिर से महाराष्ट्र सरकार को कहा गया है कि वह पता लगाए और उनका नाम अलजमिया इसमें से हटाएं। केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म.प्र.) - श्री केसरवानी पकड़े गए थे और बाद में बेल पर छोड़ दिए गए। उनके बारे में कहां कोर्ट में मामला है, यह अभी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली विश्व-विद्यापीठ, 233, टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली - इनका भी कुछ पता नहीं चलता कि ये कहां हैं, कहां नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं चलता। बदागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक) - यह बंद करवा दी गई है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप उत्तर को ले कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: माननीय सदस्य ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि सरकार ने इन उन्नीस विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? मैं क्या कर सकता हूं। क्या आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं? मैं हैरान हूं। मुझे माननीय सदस्य को सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताना है।

[हिन्दी]

इसके अलावा जब भी कोई सूचना आती है, हम छात्रों को सूचित करते हैं, हर साल सूचना देते हैं, जून-जुलाई के महीने में अखबारों में देते हैं, यू.जी.सी. सर्कुलर भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं, चीफ सैक्रेटरीज को लिखते हैं कि फेक यूनिवर्सिटी को बंद करायें और हमारी मदद करें।

श्री अनन्त नायक: अध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. एक रैगुलेटरी बाडी होते हुए भी इतने नकली विश्वविद्यालय कब से शुरू हुए, इनको मालूम नहीं पड़ता। मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि क्या यू.जी.सी. की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने के लिए, एक्ट में परिवर्तन करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं और यदि किए गए हैं तो वे क्या हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, जैसी ही इन बातों का पता लगा, उसके बाद से एक तो हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की समीक्षा की और इसके लिए दो कमेटियां बिठाईं। एक तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें थी और दूसरे हमने अमरीक सिंह कमेटी बिठाई, जो इस बारे में बताये। न केवल इतना ही, बल्कि यू.जी.सी. के समस्त क्रियाकलापों के बारे में वह हमें सुझाव दें कि हम किस प्रकार से उसको सुधारें, उसकी सिफारिशें आई हैं और उस पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है, क्योंकि उसमें हमें कुलपतियों से भी बात करनी पड़ती है, अनेक शिक्षाविदों से बात करनी पड़ी है। अब वह प्रक्रिया करीब-करीब पूरी हो गई है और खासतौर से इसके लिए जो प्रश्न आपने बनाया है कि नकली विश्वविद्यालयों को बन्द करने के लिए आप क्या कर रहे हैं तो अभी तक जो यू.सी.जी. के एक्ट में पावर्स हैं, जो शक्तियां

हैं, वे भी कम है और जो सजा है, वही भी कम है। इसमें सिर्फ एक हजार रुपये जुर्माना देने की सजा थी, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, वे एक हजार रुपये जुर्माना देकर कल से फिर शुरू कर सकते हैं, इसलिए हमने एक सुझाव रखा है और वह यह है कि:

[अनुवाद]

> "जो कोई भी धारा 22 और 23 के उपबंधों का उल्लंघन करता है उसे दंड दिया जायेगा और इस संबंध में कारावास की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी किया जा सकता है जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु इसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।"

[हिन्दी]

इस प्रकार से यह एक व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक व्यवस्था दूसरी अगर कोई एसोसिएशन या बाडीज इसको चलाती हैं...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: ये सवाल कहते हैं तो फिर तो हम लोग भी भाषण देंगे, आप इसको ले कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: नहीं, वे जो सवाल पूछ रहे हैं, उस सप्लीमेंटरी का मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: जवाब यह होता है क्या? आप सीनियर मिनिस्टर हैं, यह जवाब है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: और क्या जवाब हो सकता है, वे पूछ रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: ये तो हमें भाषण दे रहे हैं। आप इतने योग्य हैं, एजुकेशनिष्ट माने जाते हैं, बहुत बढ़िया हैं। अध्यक्ष महोदय, आप एलाऊ कर रहे हैं, ये एजुकेशन को खराब कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: नियमों का उल्लंघन,

> "दंड दिया जायेगा और इस संबंध में कारावास की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी किया जा सकता है जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पयास लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।"

[हिन्दी]

तो इस प्रकार से हम कड़ी सजा देने का प्रावधान इसमें कर रहे हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: शिक्षा का भगवाकरण बन्द होना चाहिए।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये अवैध यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है, ये जाली या फर्जी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और उन अवैध विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं, वे लोग देश और विदेश में नौकरियां कर रहे हैं जाली और फर्जी डिग्रियों के आधार पर। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन जाली डिग्रियों को जब्त करने के बारे में सरकार ने कोई भी योजना बनाई है और अगर योजना बनाई है तो उसके बारे में क्या काम हो रहा है? साथ ही इस यूनिवर्सिटी के बन्द करने के बारे में ये प्रमोटर्स को कहते हैं कि हम एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीटर्स हैं, इन्होंने फोर्जरी की है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, जिसकी कि चर्चा है कि दिल्ली में है, लेकिन इनका रियल कहना है कि वह टोकियो में चलती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस मामले में सरकार इतनी अगम्भीर क्यों बनी हुई है और कार्रवाई क्यों नहीं की गई है और कार्रवाई करना चाहते हैं तो फर्जी डिग्रियों को रद्द करने के बारे में और जिन लोगों ने ये फर्जी डिग्रियां दी हैं, उनको जेल में बन्द करने के बारे में क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मि. रघुनाथ झा, आप हाउस में क्या कर रहे हैं? आप हाउस में कैस बिहेव कर रहे हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि इस बारे में सरकार पूरी कार्रवाई करती है और इन विश्वविद्यालयों की डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। हम बराबर समाचार-पत्रों को, विश्वविद्यालयों को यह सूचित करते जा रहे हैं कि वे छात्रों को बता दें कि इस प्रकार का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ये विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त नहीं हैं और इनकी डिग्री को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। सरकारी अधिकारियों को भी और साथ ही साथ अखबारों को भी हम बराबर सूचना देना चाहते हैं कि इस प्रकार से वे सारी व्यवस्थाएं करें। यह जो टोकियो का सवाल है, यह यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी अंडर यूनेस्को टोकियो में काम करती है।

टोक्यो में काम करती है, वह इससे जुड़ी हुई नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूं। वे कहना चाहते हैं, तो कह लें, लेकिन उन्हें मान्यता लेनी पड़ेगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से बिना मान्यता लिए अगर वह कोई डिग्री देती हैं तो वह डिग्री अवैध

है। उसके आधार पर अगर कोई नौकरी देता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है। हम उसके लिए कतई समर्थन नहीं करेंगे। सरकारी नौकरियों में वह मान्य नहीं है। हम सब विश्वविद्यालयों को सूचना दे चुके हैं कि यह डिग्री मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया कि इन तमाम लोगों को दंड देने के लिए हम एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। जैसे ही वह एक्ट आपके सामने आएगा, मैं आशा करता हूं कि आप उसे जल्दी से पास करेंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष जी, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने बताया है कि बहुत सारे प्रावधान और कानून बनाने जा रहे हैं। जो लोग नकली विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उनको दंडित करने का और सजा का भी प्रावधान किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिन लोगों को सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, वे अपने शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का प्रयोग न कर सकें? अगर ऐसा प्रावधान नहीं है तो क्यों नहीं अभी तक यह प्रावधान किया गया और भविष्य में कोई इस तरह का प्रावधान किया जाएगा कि कोई भी निजी शिक्षण संस्था अपनी संस्था के नाम के आगे विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग न कर सके?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रावधान है। उसी के तहत हम कार्यवाही करते हैं। हम पहले उनको बताते हैं कि आप गैर-कानूनी काम कर रहे हैं। आप विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का नाम तब तक नहीं लगा सकते, जब तक आपको राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृति न दी जाए। इस सम्बन्ध में काफी मुकदमें भी चल रहे हैं, क्योंकि यही मुख्य विषय होता है कि उन्होंने गलत ढंग से नाम दिया है और वह मान्यता प्राप्त नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: यह वास्तव में दयनीय स्थिति है कि समान्तर शिक्षा संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण युवाओं का बहुमूल्य भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन फर्जी विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा पूरी करने और डिग्री लेने के बाद ही वे जान पाते हैं कि उन्होंने फर्जी विश्वविद्यालय से डिग्री ली है। उनका संपूर्ण बहुमूल्य जीवन बर्बाद हो जाता है।

यहां माननीय मंत्री जी स्वीकार करते रहे हैं कि कतिपय साइन बोर्ड हैं। उन्होंने इन संस्थानों को ढूंढने में जहां वे कार्य कर रहे हैं अपनी असमर्थता दिखाई है। हम समझ सकते हैं कि समान्तर रूप से जो काला धन मौजूद है उसे छुपाया जा सकता है। किन्तु समान्तर फर्जी संस्थानों की मौजूदगी को छुपाया नहीं जा सकता है। यदि सरकार ऐसे संस्थानों का पता लगाने में खुद ही अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही है तो मैं नहीं जानता कि इस प्रणाली को कौन बचा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वेंकटेस्वरलु कृपया मुद्दे पर आइए, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: सरकार ने 19 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है। इन सभी अधिनियमों में कुछ दंड का प्रावधान है। 19 फर्जी विश्वविद्यालयों के संचालकों में से कितने प्रोमोटरों को अभी तक दंडित किया गया है?...*(व्यवधान)* यदि सरकार वास्तव में इस मामले में गंभीर है तो कितने प्रोमोटरों को अब तक विभिन्न न्यायालयों में सजा दी गई है?

श्री संतोष मोहन देव: किसी को भी सजा नहीं दी गई है...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब कम से कम उनसे धन वसूल करने का विचार कर रही है, ताकि उन छात्रों को धन वापिस किया जा सके जो अपना कीमती भविष्य गवां चुके हैं और ऐसे छात्रों की क्षतिपूर्ति की जा सके ताकि उसके बाद कम से कम वे अपना स्वयं का रोजगार तो चला सकें।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, केन्द्र सरकार और यू.जी.सी. की ओर से बराबर इस बात की सूचना दी जाती है कि ये विश्वविद्यालय जाली हैं, नकली हैं, इनकी डिग्री की मान्यता नहीं है। हम दूरदर्शन के माध्यम से भी यह जानकारी देते हैं और अखबारों के माध्यम से भी देते हैं तथा विश्वविद्यालयों को भी सूचित करते हैं। इसको और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं कि और अधिक जोर से लोगों को इस बात को बताया जाए। मुझे आज ही कोशिश करने पर यह भी पता लगा है कि एक 'यूनिवर्सिटी डाट काम' बन गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या इन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनमें से कइयों को बंद किया गया है, उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया है और अन्य के मामले न्यायालय में चल रहे हैं। इस संबंध में हमने कार्यवाही की है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कितनों को गिरफ्तार किया गया है?...*(व्यवधान)*

आदिवासियों का कल्याण

*222. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को विभिन्न राज्यों से आदिवासियों के कल्याण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, योजनावार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है और वर्ष 2001-2002 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों, विचार किए गए प्रस्तावों और वर्ष के अंत में लम्बित प्रस्तावों की राज्यवार तथा योजनावार संख्या को दर्शाने वाले विवरण, विवरण-I से XII संलग्न हैं।

(घ) लम्बित होने के मुख्य कारण हैं-- (1) वित्तीय वर्ष के अंत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की देर से प्राप्ति (2) अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, जिनके लिए अतिरिक्त सूचना और आंकड़े तथा उपयोग प्रमाणपत्रों के भेजने की आवश्यकता होती है।

(ङ) लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति तब की जाएगी जब पूरी सूचना, जहां, कहीं अपेक्षित हो, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विगत में निर्मुक्त राशि के उपयोग प्रमाणपत्रों के साथ प्राप्त हो जाएगी।

विवरण-I

योजना का नाम: संविधान के अनुच्छेद 275(1) की पहली परन्तुक के अधीन अनुदान

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	3	3	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	5	5	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—	4	4	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	7	अनुमोदित नहीं	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	3	3	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	4	4	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	5	5	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	4	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	1	1	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	7	7	—
11.	केरल	—	—	—	—	—	—	1	स्वीकार्य नहीं	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	4	4	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	7	7	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	1	1	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	3	3	—
	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	2	2	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	7	7	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	5	5	—
19.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	1	1	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	2	2	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	1	1	—
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	1	—
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	1	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	1	1	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	1	1	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	—	—	—	—	—	—	81	73	—

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-II

योजना का नाम: जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	—	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	1	—	1	1	—	1	—	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	—	—	—	1	—	1
8.	जम्मू व कश्मीर	1	1	—	—	—	—	1	1	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11.	केरल	1	1	—	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	1	1	—	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मणिपुर	1	1	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	1	1	—	1	1	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	1	—
19.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	1	1	—	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	9	9	—	3	3	—	8	4	4

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-III

योजना का नाम: लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को अनुदान

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	1	1	—	1	1	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4.	बिहार	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	1	1	—	1	1	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11.	केरल	1	1	—	1	1	—	1	—	1
12.	मध्य प्रदेश	1	1	—	—	—	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	—	—	—	2	2	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
19.	राजस्थान	—	—	—	1	1	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	—	—	—	1	1	—	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	1	1	—	1	—	1
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	5	5	—	7	7	—	11	5	6

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-IV

योजना का नाम: आदिम जनजाति समूहों का विकास

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	1	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	1	1	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	1	1	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11	केरल	—	—	—	—	—	—	1	1	—
12.	मध्य प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	1	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	1	1	—	1	1	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	1	1	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	2	2	—	1	1	—
19.	राजस्थान	1	1	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	1	1	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	1	1	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	5	5	—	7	7	—	11	11	—

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-V

योजना का नाम: अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	1	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	1	1	—	—	—	—
3.	असम	1	1	—	1	1	—	1	1	—
4.	बिहार	1	1	—	1	1	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	1	—
8.	जम्मू व कश्मीर	1	1	—	1	1	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	1	1	—	1	1	—
11.	केरल	—	—	—	1	1	—	1	1	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	—	—	—	1	1	—
14.	मणिपुर	1	1	—	1	1	—	1	1	—
15.	मेघालय	1	1	—	1	1	—	1	1	—
16.	मिजोरम	1	1	—	1	1	—	1	1	—
17.	नागालैंड	1	1	—	1	1	—	1	1	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	1	1	—	1	1	—
19.	राजस्थान	1	1	—	1	1	—	1	—	1
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	1	1	—
22.	त्रिपुरा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	1	1	—	1	1	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	12	12	—	17	17	—	15	14	1

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-VI

योजना का नाम: अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	—	1
19.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	—	—	—	—	—	—	2	—	2

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-VII

योजना का नाम: अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के छात्रावास

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	—	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	1	1	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	1	—	1	1	—	1	—	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	—	1
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11.	केरल	1	1	—	1	1	—	1	—	1
12.	मध्य प्रदेश	1	1	—	—	—	—	2	1	1
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	1	—	1	1	—	1
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	1	1	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	1	1	—
18.	उड़ीसा	1	1	—	1	1	—	1	1	—
19	राजस्थान	1	1	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	1	1	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	1	1	—	—	—	—	1	1	—
23.	उत्तर प्रदेश	1	1	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दादर व नागर हवेली	1	1	—	—	—	—	—	—	—
29.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	कुल	13	13	—	7	6	1	13	6	7

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-VIII

योजना का नाम: अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	—	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	1	—	1	1	—	1	—	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	—	1
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	1	1	—	—	—	—	1	1	—
11.	केरल	1	1	—	1	1	—	1	—	1
12.	मध्य प्रदेश	1	1	—	—	—	—	1	—	1
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	1	—	1	1	—	1
14.	मणिपुर	1	1	—	1	1	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	1	1	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	1	1	—
18.	उड़ीसा	1	1	—	—	—	—	1	1	—
19.	राजस्थान	1	1	—	1	1	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	1	1	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	1	1	—	1	1	—	1	—	1
23.	उत्तर प्रदेश	1	1	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दादर व नागर हवेली	1	1	—	—	—	—	—	—	—
29.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	कुल	15	15	—	9	8	1	12	5	7

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-IX

योजना का नाम: जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	—	1	1	—	1	—	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	1	—	1	1	—	1	—	1
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11.	केरल	1	1	—	1	1	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मध्य प्रदेश	1	1	—	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	1	1	—	—	—	—	1	—	1
14.	मणिपुर	—	—	—	1	1	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	1	1	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	1	1	—	1	1	—	1	—	1
23.	उत्तर प्रदेश	1	1	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	9	9	—	6	6	—	6	—	6

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-X

योजना का नाम: अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	—	1
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	—	1
19.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	1	—	1
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	1	—	1
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	—	—	—	—	—	—	11	—	11

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-XI

योजना का नाम: अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	—	1
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	—	1
19.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	—	—	—	—	—	—	8	—	8

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

विवरण-XII

योजना का नाम: ग्राम अन्य बैंक योजना

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.	पी.आर.	पी.डी.	पी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	1	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	1	—	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	—	1
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	1	—
19.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	1	—
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	1	1	—	—	—	—	5	3	2

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां:

1. पी.आर. : प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
2. पी.डी. : निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या
3. पी.पी. : लंबित प्रस्तावों की संख्या

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार के पास ऐसा कौन सा तंत्र है जो राज्य सरकारों को दिये गए धन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के संबंध में निगरानी कर सके। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि उड़ीसा के अ.जा./अ.ज.जा. वित्तीय निगम को निधियां जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है।

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: आज तक हमारे मंत्रालय में 309 प्रपोजल तीन साल में प्राप्त हुए हैं। उनमें से 245 हम लोगों ने डिस्पोज-आफ किये हैं। 56 प्रपोजल ठीक नहीं थे, इसलिए वे डिस्पोज-आफ नहीं हुए। एससीएसटी फाइनेंस कारपोरेशन की री-स्ट्रक्चरिंग हुई है और एसटी फाइनेंस डैवलपमेंट कारपोरेशन बना है। इसलिए उड़ीसा सरकार से जो प्रस्ताव आया है, उसमें से सभी पर विचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उनमें से आधे से ज्यादा प्रपोजलों पर विचार हुआ है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि दस प्रतिशत कांट्रिब्यूशन शेयर कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए, वह नहीं कर पाये। इसलिए बाकी राशि नहीं दे पाये, यह स्थित है।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? कुल राष्ट्रीय परिव्यय के अनुपात में उड़ीसा में खर्च किए गए कुल राष्ट्रीय परिव्यय का कितना प्रतिशत है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या उड़ीसा के बोलांगीर जिले को निधियां जारी की गई हैं और यदि हां, तो उन परियोजनाओं का नाम बताएं, जिनके लिए निधियां जारी की गई हैं?

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: एससीएसटी फाइनेंस कारपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के कंट्रोल में था। इस बार पहले नेशनल एसटी फाइनेंस डैवलपमेंट कारपोरेशन बना है जिसका बजट ऑथोराइज्ड कैपिटल 500 करोड़ रुपये का है। इस साल का बजट 36 करोड़ रुपये का है। अभी तक इस साल उड़ीसा के लिए कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से नया प्रपोजल आ रहा है। यह पहला क्वार्टरली है और यह सरकार के विचाराधीन है। आगे आने के बाद होगा, इसलिए आगे जो रिलीज हुआ था, सोशल जस्टिस में था। मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या बोलांगीर जिले को कोई निधियां प्राप्त हुई हैं? मेरे जिले की 38 प्रतिशत आबादी आदिवासी लोगों की हैं। मैं जानना चाहती हूं कि बोलांगीर जिले को कितनी राशि जारी की गई हैं?

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: बोलांगीर जिले में रिलीज हुआ है लेकिन एग्जेक्ट फिगर्स कि एससी को कितना और एस टी के लिए कितना हुआ है, उसमें हाई कास्ट और लो कास्ट कितनी है तथा ट्रैक्टर, बस या बम्पर्स या बाकी कुछ ग्रासरी वगैरह के डिटेल मेरे पास अभी तुरंत नहीं है। इसलिए इन्हें मैं लिखकर आपको दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: मैं समझती हूं कि बोलांगीर के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से एक वायदा चाहती हूं कि यह निकट भविष्य में किया जाएगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: ऐसा नहीं है। बोलांगीर के लिए फंड रिलीज हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं जनसंख्या का 38 प्रतिशत आदिवासी हैं। माननीय मंत्री जी इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: यह बात समाचार-पत्रों में छायी रही है। केरल के बहुत से स्थानों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों से भुखमरी की खबरें मिली हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, यदि आप अपनी सीट पर बैठें तो मैं आपको एक अवसर दूंगा। यदि आप किसी अन्य सदस्य की सीट पर बैठते हैं तो आपको अवसर नहीं मिलेगा। कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। तभी आपको अवसर मिल सकता है।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: अभी हाल ही में सभी समाचार-पत्रों में वायनाड, अट्टापट्टी और परम्बीकुलम के आदिवासी क्षेत्रों में भूख में हुई मौतों के समाचार प्रकाशित हुए हैं...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इस संबंध में कार्यवाही की है...*(व्यवधान)* मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। यह क्या है? कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: महोदय, केरल के वायनाड जिले के दृश्य को मैंने स्वयं जाकर देखा है। सरकार के कार्यक्रम के अनुसार पैसा हम राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार उसको इम्पलीमेंट करती है। वहां काडमियम प्रोजैक्ट को मैंने स्वयं देखा है। वहां भुखमरी है या लोग मरे हैं, ऐसी रिपोर्ट नहीं है, यदि माननीय सदस्य कोई स्पैसिफिक बात लिख कर देंगे, तो मैं सरकार से रिपोर्ट मंगवा दूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, क्या जनजातीय कार्य मंत्री स्वीकार करते हैं कि 1996 में संसद द्वारा पारित अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम हेतु पंचायत विस्तार के प्रावधान को लागू करने में पूरी तरह असफलता मिली है वह जनजातीय कल्याण परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन का मूल कारण है। वे इस संसदीय विधान के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के बारे में क्या प्रस्ताव करते हैं जो संविधान के भाग नौ के संवैधानिक प्रावधानों का परिणाम है?

[हिन्दी]

श्री जुएल उराम: महोदय, ट्राइबल एरियाज में पंचायती राज एक्ट, 1996 के हिसाब से पंचायत का सरपंच ट्राइबल होंगे और हर ब्लाक के चेयरमैन ट्राइबल होंगे। सरकार केवल पंचायत एरिया या रूरल एरियाज तक ही सीमित नहीं है। अपनी सरकार अर्बन बाडी में एक-तिहाई सैड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट अर्बन बाडी, म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन में भी कम से कम एक-तिहाई आदिवासियों के रिजर्वेशन हो, इसके लिए डायरैक्शन दी जा चुकी है। राज्य सरकारें इसको अमल करने के लिए कार्यवाही शुरू कर चुकी हैं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: चूंकि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, मैं इस अत्यन्त ज्वलंत मामले पर आधे घंटे की चर्चा की मांग करता हूं। क्या मंत्री जी आधे घंटे की चर्चा की मांग स्वीकार करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री जुएल उराम: मैं आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हूं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: क्या हम आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री जुएल उराम: मैं आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत इस पर चर्चा के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: हम इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेरा अनुपूरक प्रश्न आधे घंटे की चर्चा से संबंधित नहीं है। यह संवैधानिक मामला है। मेरा विशिष्ट प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आधे घंटे की चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह उससे संबंधित नहीं है। यह तो वक्तव्य से जो बात उठी है उसके संवैधानिक पहलू से संबंधित है।..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आपके सदस्य ने आधे घंटे की चर्चा का सुझाव दिया है और मंत्री जी इसके लिए सहमत हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता

***224. श्री कांतिलाल भूरिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छता सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं;

(ग) क्या पूरी ग्रामीण जनसंख्या तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में, ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को स्वच्छता सुविधाएं अभी नहीं मिली हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कोई राज्यवार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग (जुलाई, 1999 में प्रकाशित) के द्वारा 15 राज्यों में कराए गए 54वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार 82.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जैसा कि अनबुंध-I के ब्यौरे में दिया गया है।

(ग) और (घ) विगत में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को मुख्य रूप से गरीबी मानदंड पर आधारित राज्य वार आबंटनों के सिद्धांत की बजाय ''एक मांग आधारित'' कार्य नीति में बदला गया है। राज्यों को पहचान किए गए प्रायोगिक जिलों के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं तैयार करने की जरूरत है। कार्यक्रम को समुदाय आधारित तथा जनकेन्द्रीय कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। एक मांग आधारित कार्यनीति अपनाई जाती है जिसके तहत वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र के जरिए मांग को पूरा करने तथा जागरूकता निर्माण पर अधिक बल दिया जाता है। ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता को एक प्रमुख घटक तथा प्रवेश बिंदु के रूप में शुरू किया गया है, ताकि ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। आबंटन आधारित कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक समाप्त कर दिया जाएगा।

(ङ) और (च) योजना आयोग ने नौवीं योजना अवधि के अंत तक 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस प्रयोजन हेतु, नौवीं योजना अवधि के दौरान 549 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 150 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिसमें से लगभग 135 करोड़ रु. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए निर्धारित किए गए हैं तथा इस राशि के लिए कोई राज्य विशेष आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटन आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ रु. मुहैया कराए गए हैं और राज्यवार आबंटित निधियां अनुबंध-2 में दर्शाई गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर, सिहोर, रायसेन, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिलों में 39.01 करोड़ रु. की 5 संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केन्द्रीय सहायता की 7.73 करोड़ रु. की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी गई है।

अनुबंध-I

शौचालयों का इस्तेमाल न कर रहे ग्रामीण परिवारों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	शौचालयों का इस्तेमाल न कर रहे परिवारों का %
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	88.5
2.	असम	24.7
3.	बिहार	89.4
4.	गुजरात	79.9
5.	हरियाणा	84.5
6.	कर्नाटक	88.9
7.	केरल	23.1
8.	मध्य प्रदेश	94.5
9.	महाराष्ट्र	85.8
10.	उड़ीसा	96.1
11.	पंजाब	67.9
12.	राजस्थान	87.0
13.	तमिलनाडु	88.5
14.	उत्तर प्रदेश	90.6
15.	प. बंगाल	76.1
	भारत	82.5

अनुबंध-II

2001-2002 के दौरान आबंटन आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए राज्यवार आबंटनों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	77.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.11
3.	असम	108.55
4.	बिहार	150.40
5.	छत्तीसगढ़	35.51
6.	गोवा	0.87
7.	गुजरात	47.93

1	2	3
8.	हरियाणा	24.15
9.	हिमाचल प्रदेश	9.52
10.	जम्मू व कश्मीर	11.85
11.	झारखंड	63.44
12.	कर्नाटक	62.19
13.	केरल	40.23
14.	मध्य प्रदेश	82.65
15.	महाराष्ट्र	108.55
16.	मणिपुर	7.26
17.	मेघालय	7.87
18.	मिजोरम	2.03
19.	नागालैंड	5.45
20.	उड़ीसा	71.19
21.	पंजाब	20.93
22.	राजस्थान	64.50
23.	सिक्किम	2.01
24.	तमिलनाडु	76.49
25.	त्रिपुरा	12.72
26.	उत्तर प्रदेश	252.36
27.	उत्तरांचल	12.26
28.	प. बंगाल	114.98
29.	अंडमान निकोबार	4.88
30.	दादर व नागर हवेली	3.88
31.	दमन व दीव	0.76
32.	दिल्ली	2.31
33.	लक्षद्वीप	0.48
34.	पांडिचेरी	2.69
	कुल	1492.00

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न राज्यों से अलग-अलग तरीके से शासन के द्वारा डिमान्ड मंगवाई जाती है। इस देश में 80 प्रतिशत से ज्यादा गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। मेरे क्षेत्र में 97 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं। सरकार की योजना शहर तक ही जाकर रुक जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ पक्षपात करती है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: महोदय, जहां पर पैसा देना है, वहां पर नहीं दिया जाता है। सरकार को पूरी तरह से सभी क्षेत्रों के लिए एक साथ योजना बनानी चाहिए। ये गरीब मातायें-बहनें बरसों से पीड़ित हैं। जंगल साफ हो गए हैं। सरकार को कम से कम यह करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए योजनायें बनाकर व्यवस्था करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार जो योजनाएं बना कर देती है, उसे उस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। मंत्री जी इस बात को गंभीरता से लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग निवास करते हैं, उनके यहां शौचालय का ठीक से प्रबंध नहीं है। सरकार योजना बनाती है, पैसा देती है और देने के बाद कहती है कि आप खुद बना लो। अगर वे इतने जानकार हैं और इंजीनियर होते तो खुद बना लेते। जितनी राशि लगती है, उस राशि में सरकार उसे कम्पलीट बना कर शौचालय उपलब्ध कराएगी। क्या भविष्य में सरकार इस तरह की योजना बना कर गरीबों को राहत पहुंचाएगी, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय: आपको इसका सीरियस रिप्लाई देना।

प्रो. रीता वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस प्रश्न है, इसलिए मैं इसका सीरियस रिप्लाई दूंगी। सबसे पहले मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि स्वच्छता, सेनीटेशन का कार्यक्रम राज्यों का विषय है, हम उसे सप्लीमेंट करते हैं। हमें अपना उत्तरदायित्व निभाने से कोई परहेज एवं संकोच नहीं है। हमने उसमें बहुत ज्यादा अलाटमेंट बढ़ाया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 1986 में, जब से यह कार्यक्रम बना है, हमारी सरकार के बनने तक उसमें 490 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 40 लाख ग्रामीण लेट्रीन्स बनी थीं। हमारा ग्रामीण विकास का मंत्रालय है तो जाहिर है कि हम जो भी पैसा देते हैं वह ग्राम के विकास के लिए ही देते हैं। अभी तक 490 करोड़ रुपए खर्च करके महज 40 लाख लेट्रीन्स बनी थीं। हमारी सरकार ने आने के बाद उस अलाटमेंट को बढ़ा दिया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमने उसमें 549 करोड़ रुपए दिए हैं। आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार स्वयं जाकर लेट्रीन्स बनाए। क्या यह संभव है और क्या यह उचित होगा? यह विषय राज्यों का है इसलिए यह संभव भी नहीं है और संविधान की दृष्टि से उचित भी नहीं। इसलिए हम राज्य सरकार को पैसा देते हैं और राज्य सरकार के ऊपर इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि गांव की अशिक्षित जनता जानती नहीं है कि सेनिट्री लेट्रीन का निर्माण कैसे किया जाए। वह इंजीनियर नहीं है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेनिट्री मार्ट के कंसेप्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट आथोरिटी चाहेगी तो वहां सेनिट्री मार्ट बनाएगी और उन्हें बनी-बनाई लेट्रीन दी जाएगी। उस पर उन्हें सिर्फ एक ढांचा खड़ा करना होगा, इससे ज्यादा तो राज्य सरकार के हाथ में है। जहां तक इन्होंने स्थानों के बारे में भेदभाव की शिकायत की है तो ज्यादा उचित यह होगा कि यह शिकायत वह राज्य सरकार से करे, क्योंकि हमें तो जो राज्य सरकार लिस्ट भेजती है, उसके लिए उन्हीं को पैसा देते हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया: महोदय, इस बात से तो ऐसा लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसके लिए गंभीर हैं, वह घुमा-फिरा कर बोल रही है।...*(व्यवधान)* सरकार का कहना है कि हम पैसा देते हैं, क्या उसके बाद इन्हें उसकी मोनिटरिंग नहीं करनी चाहिए कि किस तरह योजना होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। केन्द्र सरकार की जो योजना होती है...*(व्यवधान)* महोदय, जब इस सरकार की कलई खुलती है तो उधर के माननीय सदस्यों को तकलीफ होती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि आप सवाल पूछिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: महोदय, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री कांतिलाल भूरिया: यह योजना गरीबों से जुड़ी हुई है और सरकार में बैठे हुए माननीय सदस्य हल्ला करके हमारी आवाज को बंद करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और केन्द्र की योजना को पूरी तरह से सफल करने की कोशिश करती है। केन्द्र सरकार कभी देर से पैसा देती है कभी देती नहीं है।...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश के ग्वालियर, सिहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद में 95 प्रतिशत लोग इस योजना से वंचित हैं केवल पांच प्रतिशत लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल पा रहा है।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब, आदिवासी, जनजाति एरियाज हैं उन एरियाज के शत-प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या आप पूरी राशि देंगे? आज गरीब लोग बड़ी तकलीफ में हैं। ...*(व्यवधान)* आप अगर गरीब लोगों की तकलीफ को समझती हैं तो घोषणा करें कि...*(व्यवधान)* पूरे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों के एरियाज हैं, वहां पर शत-प्रतिशत शौचालयों का निर्माण करने के लिए आप पूरी धनराशि उपलब्ध कराएंगी।...*(व्यवधान)* यही मैं आपसे जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: मुझे माननीय सदस्य की व्यथा से बहुत कष्ट हो रहा है। उनकी व्यथा में मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूं। केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को सैनीटेशन के लिए सात पायलट प्रौजेक्ट्स दिये हैं। जिनमें से अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ 5 जिलों का चयन किया है।...*(व्यवधान)* मेरा माननीय सदस्य से यह अनुरोध है कि वे अपने मुख्य मंत्री से मिलकर अपना चुनाव क्षेत्र भी उसमें शामिल करा लें। हमने तो सात जगहों का चयन किया हुआ है। इसलिए हमें पेरशानी की कोई बात नहीं है। जहां तक उनके कमिटमेंट की बात है तो मैं आपकी नजर में और सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि यह एक डिमांड ड्रिवन प्रौजेक्ट है। जितनी डिमांड होगी और जितना पैसा वे इस्तेमाल कर सकेंगे, उसी के हिसाब से राशि वितरित की जाती है। इसलिए पूरे राज्य को पैसा तभी मिलेगा जब हम देखेंगे कि वह पैसा सही-सही इस्तेमाल हो रहा है।

जहां तक मानिटरिंग की बात है तो हर महीने हम राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगाते हैं और उसकी सतत मानिटरिंग हम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक खुद सारी बस्तियों में शौचालय बनाने की बात है तो मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं और यह काम संविधान के दसवीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार कैसे पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देखने के बाद पूरे सदन को चिन्ता व्यक्त करनी चाहिये। हमारे बहुत से मित्रों ने इस प्रश्न का जवाब नहीं देखा, इसलिये हम राजनीति के आधार पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विश्व स्तर पर आज आंकड़ों से प्रमाणित हो जाता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले 90 प्रतिशत लोग शौचालयों का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे शर्मनाक स्थिति इस देश के लिए और क्या हो सकती है? ये किसको और क्यों शेम कह रहे हैं? यह विषय उन लोगों के बारे में है जो शहरों में बसने वाले हैं क्योंकि वहां 100 प्रतिशत शौचालय हैं। इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले 90 प्रतिशत लोगों के लिये शौचालय नहीं हैं, इसलिये आरोप-प्रत्यारोप का यह विषय बनता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपके राज्य आन्ध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 90 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं है। अगर विश्व पैमाने पर कहीं ऐसा प्रतिवेदन जाता है तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की छवि क्या बनेगी, यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है। देश में ऐसे दो राज्यों का अनुपात है कि केरल और असम में 24 प्रतिशत लोग शौचालयों का प्रयोग नहीं करते हैं, यह एक विश्लेषण का विषय है। यह विषय अपने आप में इसलिये महत्वपूर्ण है कि यह सब लोगों से जुड़ा हुआ है। जो शहरों में बस गये हैं और बड़े सदन में बैठते हैं, उनके लिये यह प्रश्न नहीं है। इस नीतिगत और मूल प्रश्न पर सरकार की संवेदना प्रकट होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह अनुभव का विषय है कि जब सरकार द्वारा शौचालयों का निर्माण किया जाता है और बाद में उन्हें गन्दा किया जाता है तो उनकी कोई सफाई नहीं करता है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो शौचालय बनाये गये हैं, उनमें भूसा रखा जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीम क्षेत्रों में जो लोग शौचालय बनाकर उपयोग करना चाहते हैं, उन लोगों को सरकार द्वारा 90 या 100 प्रतिशत ग्रांट देकर इस योजना को प्रोत्साहित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जहां स्वयंसेवी संस्थायें कम्युनिटी लैटरीन्स बनाकर मेनटेन करने के लिये तैयार हैं या जहां पंचायत स्तर पर कम्युनिटी लैटरीन्स को मेनटेन करना चाहती है, क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर चयन करके ऐसे शौचालयों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो सरकार क्या नीति तैयार करेगी?

प्रो. रीता वर्मा: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझ रही हूं और उनकी व्यथा से अपने आपको एसोसिएट करती हूं। यह हमारे लिये कलंक की बात है कि देश को आजाद हुये 54 साल हो गये लेकिन अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता लैटरीन 82.5 प्रतिशत है लेकिन लोग इन शौचालयों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिये मैं इनको जिम्मेदार मानती हूं। इसलिये कि जिस तरह से लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये, अभी तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। हम लोगों ने पिछले दो सालों से इस स्वच्छता योजना को नया रूप दिया है। इसके अंतर्गत हमने शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया है। इसलिये जब टायलेट बन जायें, उसे मेनटेन करने के लिए उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी होती है। उसके लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, यह काम इतना बड़ा है कि पिछले 50 साल में नहीं हुआ। हम जादू की छड़ी घुमाते ही यह काम पूरा नहीं कर सकते। जहां तक सबसिडी की बात कही गई है, शत-प्रतिशत की बात छोड़ दीजिये। आज के स्तर पर जो सबसिडी हम दे रहे हैं, पूरे देश को कवर करने के लिये हमें 5625 करोड़ रुपया चाहिये। यह कोई छोटी राशि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि यह कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ, तब से लेकर पिछले दो साल तक इस योजना पर 490 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाकर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 549 करोड़ रुपया कर दिया है लेकिन इस साल में हमने इस कार्यक्रम के लिये 150 करोड़ रखे हैं।

लेकिन अब बजट में हमें कितना पैसा मिल सकता है, इसके बारे में सोचकर ही हम कोई कमिटमैन्ट कर सकते हैं। सिर्फ स्वच्छता ही एक कार्यक्रम नहीं है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिनमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। लेकिन जितनी हमारी चादर है उसी में हम मैक्सीमम कर रहे हैं। हमने एलोकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया है और हम इसे करने में पूरी प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। अभी हम कोई तारीख नहीं दे सकते कि सैनीटेशन कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में 82.5 परसेन्ट लोग लैटरिन का उपयोग नहीं करते हैं और इस वर्ष सरकार ने केवल 14 करोड़ 92 लाख रुपये बजट में रखे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि आपके सवा तीन साल सत्ता में रहने के और बाकी हैं, सवा तीन साल के बाद यहां रहने का विचार करना आपके लिए ठीक नहीं है। मगर सवा तीन साल के अंदर 82.5 में से कम से कम 50 परसेन्ट लोग इसका उपयोग कर सकें, क्या इसके लिए आपके पास कोई योजना है। आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आप मैडम हैं, इसलिए हम आपका आदर करते हैं। इसके लिए 5600 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो कि भारत सरकार के बजट के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। हमारा निवेदन है

कि आप इसे इस वर्ष में और बढ़ाने की मंजूरी दें। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप यू.टी.आई. से पैसा ले सकती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केवल अनुरोध है और अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि योजना दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता को प्राथमिकता देने वाला मामला राजनैतिक मुद्दा नह है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में हमारी स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के समय रजत जयंती समारोह पर एक घोषणा की थी कि प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी दलगत भावनओं से ऊपर उठकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिर पर मैला नहीं ढोया जाएगा और कि राज्य योजना कार्यक्रम में ग्रामीण स्वच्छता को प्राथमिकता देनी चाहिए और तदनुसार कार्यक्रम के अनुसार धन निवेश किया जाना चाहिए।

अत: क्या माननीय मंत्री महोदय, निधियों के निर्णायक आबंटन के साथ दसवीं योजना तक पहुंचने के लिए हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के बाद नीतिगत निर्णय लेगी? जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस सरकार द्वारा दसवीं योजना में एक प्राथमिक आबंटन होगा। क्या कम से कम एक दशक के भीतर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

प्रो. रीता वर्मा: महोदय, मैं इस सदन को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहती हूं कि यह केवल धन का मामला नहीं है। जब तक लोगों को इन शौचालयों का रख-रखाव करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है यह धन बेकार जायेगा।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह बड़ी शर्मनाक बात है कि अभी भी कुछ लोगों को अपने सिर पर मौला ढोना पड़ता है। यह वास्तव में भारत के माथे पर कलंक है। माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि उनके अपने ही राज्य के मिदनापुर जैसे जिले में सरकार के धन से एक पैसा नहीं लिया किन्तु रामकृष्ण मिशन ने वहां ऐसा अद्भुत कार्य किया कि न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार से कोई सहायता लिए बिना उसने आधुनिक शौचालयों का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में ग्रामीणों को शिक्षित किया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने एक विशिष्ट प्रश्न किया कि क्या माननीय मंत्री जी दसवीं योजना में पूरे कार्यक्रम के लिए निधियों के आबंटन का प्रस्ताव करती हैं अथवा नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से 'हां'' अथवा 'ना' चाहता हूं।

प्रो. रीता वर्मा: हम निश्चित रूप से दसवीं योजना में कदम रखेंगे और धन के लिए कहेंगे किन्तु मैं कहूंगी कि यह केवल धन का मामला नहीं है, यह प्रशिक्षण और साथ ही लोगों की मानसिकता बदलने का प्रश्न है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

***225. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और राजद्रोह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में निर्णायक बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और राजद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख तत्व निसन्देह अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं और विद्रोह हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूलभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं:-

(1) परिवहन, संचार और विद्युत विकास के निवेश में बढ़ोत्तरी;

(2) पूर्वोत्तर परिषद् को निवेश के लिए अधिक अधिकार देना;

(3) पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए विशेष स्कीमों और वित्तीय पैकेजों का कार्यान्वयन जैसा कि प्रधानमंत्रियों द्वारा समय-समय पर घोषित किया गया;

(4) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एजेन्डे का कार्यान्वयन जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2000 में शिलांग में घोषित किया गया;

(5) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में घोषित किया गया है और केन्द्र सरकार की निधियों का 90% केन्द्र सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाता है;

(6) कुछेक छूट प्राप्त मंत्रालयों को छोड़कर सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के वार्षिक बजट का 10% भाग अनिवार्य रूप से पूर्वोत्तर में खर्च करने के लिए निर्धारित करना और व्यय न की गई किसी बजट निधि में से केवल पूर्वोत्तर में ही खर्च किए जाने हेतु व्यपगत न होने वाले पूल का सृजन;

(7) पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों के लिए हैलीकाप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना, जिसके लिए 75% सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

पूर्वोत्तर में विद्रोह के खिलाफ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) प्रमुख उग्रवादी संगठनों को "विधि विरुद्ध संगठन" घोषित करना।

(2) गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना।

(3) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और सेना की तैनाती।

(4) इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति।

(5) सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान।

(6) विद्रोही संगठनों को शांति वार्ता के लिए समझौते के लिए राजी करने के प्रयास।

(7) सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति।

(8) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष स्कीमें।

(9) आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों के पुर्नवास के लिए स्कीमें।

श्री के.पी. सिंह देव: इस प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख तत्व निसन्देह अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं और विद्रोह हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 19 प्रमुख कदम उठाए गए हैं जिनमें माननीय प्रधानमंत्री की यह घोषणा भी शामिल है कि विशेष श्रेणी के इन राज्यों को केन्द्रीय निधि का 90% अनुदान के रूप में दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धन वास्तव में प्रभावी ढंग से खर्च किया जाए, कोई प्रभावी कानूनी आवधिक निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, इस संबंध में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि निगरानी की जाती है। पूर्वोत्तर परिषद् है जो केवल सलाहकार निकाय नहीं है बल्कि इन सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देख-भाल भी करती है। दिया गया धन राज्य सरकारों को खर्च करना होता है तथा राज्य सरकारें ही इस धन को खर्च कर रही हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि सब कुछ ठीक है। निगरानी का यही तरीका है। कानूनी निगरानी संभव नहीं है क्योंकि कानूनी निगरानी के प्रयोजनार्थ कोई कानून नहीं है।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, 19 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इतने अधिक धन का आबंटन होता है और मंत्री जी का उत्तर इतना निराशाजनक है कि वह कह रहे हैं कि कोई प्रभावी निगरानी नहीं है। वह राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ये अनुसूची-VI राज्य हैं इसलिए यह केन्द्रीय सरकार का संवैधानिक कर्त्तव्य है। आपने इसमें सिक्किम को जोड़ दिया है। केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग कर इसे राज्य सरकारों पर नहीं डाल सकती।

अब मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछता हूं। यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो मेरा कोई पूरक प्रश्न नहीं है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं कि आपने ये सब जो कदम उठाए हैं उनका संतोषजनक ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है- आपने पहले एक भाग में स्वीकार किया है कि अपर्याप्त अवसंरचना के कारण विद्रोह हो रहा है- तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी विशेष या नए कदम उठाने वाले हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जहां तक निगरानी का संबंध है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी निगरानी कर रहा है। इसके निगरानी के पक्ष को इतना महत्व दिया जा रहा है। जहां तक अवसंरचना विकास का संबंध है, मैं आपको पर्याप्त उदाहरण दे सकता हूं कि इन पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ परियोजनाओं, सड़कों, पुलों और विश्वविद्यालयों इत्यादि की स्थापना पहले ही हो चुकी है।

श्री के.पी. सिंह देव: आप क्या समझते हैं यह सफलता है या असफलता? मैं यही जानना चाहता था...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: पहले जो हो रहा था उसे देखते हुए यह बहुत बड़ी सफलता है। जब तक पूर्वोत्तर परिषद् नहीं बना था...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंह देव: यह अच्छी तुलना नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: तुलना तो कभी भी अच्छी नहीं होती। मुझे पता है। फिर भी तुलना करने से ही आपको पता चलेगा कि यह सफलता है या असफलता, इससे पहले नहीं।

श्री संतोष मोहन देव: अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो बहुत अच्छा है किंतु वास्तव में कार्रवाई उल्टी हो रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी शिलांग गए और 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर आए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी-अभी श्री आई.डी. स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी निगरानी की जा रही है। हम इस संबंध में गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखते रहे हैं। संसद सदस्य के रूप में हम जानना चाहते हैं कि यह पैसा आपने कहां खर्च किया। आज तक हमें किसी ने विवरण नहीं दिया है। मुझे विश्वास है कि आपने कुछ किया होगा। आप माननीय संसद सदस्यों को फीडबैक क्यों नहीं देते। हमने इसे योजना आयोग में उठाया था और कहा था कि एक पृथक पैराग्राफ होना चाहिए, प्रत्येक मंत्रालय में 10 प्रतिशत बचत करके प्रधानमंत्री जी के पैकेज के साथ इन पूर्वोत्तर राज्यों को दी जानी चाहिए ताकि यह वास्तविकता में बदल सके। मैं ऐसे जिले से हूं जहां मेरे शहर की जनसंख्या एक लाख है। सभी घरों को पानी नहीं मिल रहा। अपने हवाई पट्टी के विकास के लिए 32 करोड़ रुपए दिए। आजतक कुछ नहीं हुआ...*(व्यवधान)* आप लोग कहते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की अवहेलना की जा रही है। जब भी हम कुछ कहना चाहते हैं आप लोग बाधा डाल देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

मैं कहता हूं कि यह पैकेज बहुत अच्छा है किंतु निगरानी नियमित रूप से की जानी चाहिए और पूर्वोत्तर राज्यों के संसद सदस्यों को इससे जोड़ना चाहिए। हम आपकी मदद कर सकते हैं और आपको सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

किंतु इसका कार्यान्वय उचित नहीं हो रहा है। हम इससे जुड़ना चाहते हैं। अब आपने पूर्वोत्तर विधेयक पुर:स्थापित किया है। किंतु संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में भागीदार नहीं हो सकते तो हमें क्यों चुना जाता है? मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि संसद सदस्यों की बैठक बुलाएं और हमें बताएं कि आपने क्या किया है ताकि हम किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन का सुझाव दे सकें और आपकी ओर से हम इन योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी भी कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: यह भी अनुरोध ही है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): जैसा कि राज्य मंत्री महोदय ने बताया है, पूर्वोत्तर के विकास के संबंध में किए गए निर्णयों की निगरानी नियमित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में की जाती है। किंतु माननीय सदस्य के इस सुझाव के बारे में कि पूर्वोत्तर के संसद सदस्यों की बैठक बुलाई जाए ताकि वे बातचीत कर सकें, मैं उनको बताऊं कि वहां अब तक क्या विकास किया गया है और उनके सुझाव मांगू कि और प्रगति कैसे की जा सकती है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंचायती राज प्रणाली संबंधी सम्मेलन

***223. श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में दिल्ली में पंचायती राज के संबंध में राज्यों के मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन की कार्य-सूची क्या थी;

(ग) उक्त सम्मेलन के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इस सम्मेलन में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के विस्तार का मुद्दा भी उठाया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) इन निर्णयों से देश में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है; और

(छ) इन निर्णयों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (छ) राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों का एक सम्मेलन 11 जुलाई 2001 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें चर्चा किए गए विषय और सम्मेलन में हुई आम सहमति संलग्न विवरण में दे दिए गए हैं।

सम्मेलन में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि सभी राज्य 31 मार्च, 2002 से पहले पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पी.ई.एस.ए.)

1996 के प्रावधानों के अनुरूप अपने नए कानून बनाने अथवा संबंधित अधिनियमों/नियमों का संशोधन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के विभिन्न प्रावधानों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) के प्रावधानों पर व्यापक रूप से चर्चा करने के बाद सम्मेलन में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विशेष समय-सीमा को अपनाया गया। यह निर्णय लिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कर्मचारियों संबंधी शक्तियों के अन्तरण का कार्य 31 मार्च 2002 तक, जिला आयोजना समितियों के गठन का कार्य 31 दिसम्बर, 2001 तक और पी.ई.एस.ए. के अनुरूप राज्य के कानूनों/अधिनियमों को बनाकर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 का 40 (पी.ई.एस.ए.) के प्रावधानों का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2002 के पहले पूरा कर लिया जाएगा।

इन निर्णयों के कार्यान्वयन से देश में पंचायती राज संस्थाएं मजबूत और सशक्त होंगी।

विवरण

राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के 11.7.2001 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशें

सम्मेलन में राज्यों के उपस्थित पंचायती राज मंत्रियों द्वारा एकमत से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव/सिफारिशें स्वीकार की गई।

(1) चुनाव

* यह सहमति हुई कि चूंकि हर 5 वर्ष में पंचायत का चुनाव कराना अनिर्वाय है इसलिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि ये चुनाव संसद और विधान सभा चुनावों की ही भांति नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। हालांकि पंचायत चुनावों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच की जा सकती है लेकिन राज्य सरकारों को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव नियमित रूप से होते रहें।

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चुनाव को स्थगित करने के लिए न्यायालयों में जाने से बचना चाहिए।

* पंचायत के चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराये जाने चाहिए।

* निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया को काफी पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि यदि इन मुद्दों पर कोई विवाद हो तो उन्हें हल करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

* यदि पंचायत के चुनाव समय पर नहीं कराए जाते हैं तो योजना आयोग/भारत सरकार, केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों को रोक लेने के लिए निर्देश जारी कर सकती हैं।

(2) पंचायती राज संस्थाओं को निधियां, कार्य और कर्मचारी दिया जाना

* यह सहमति हुई कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 10वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंप देंगे और पंचायतों के तीनों स्तरों को 31.3.2002 तक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां सौंपने के लिए विस्तृत कार्यात्मक अनुदेश जारी करेंगे।

* ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके यथाशीघ्र एक कार्य बल गठित किया जाएगा जिससे संविधान में दिए गए विषयों से संबंधित निधियों, कार्यों और कर्मचारियों के प्रशासनिक तौर पर विकेन्द्रीकरण का कार्य संपन्न हो सके और 31 मार्च, 2002 तक कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के अंतरण को पूरा किया जा सके।

* पंचायतों को उनके बेहतर निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्रोत्साहन दिए जाएंगे जो उनके निजी संसाधनों में वृद्धि करने से संबंधित हो।

* पंचायतों को अनटाइड (अबंधित) निधियां भी दी जाएं ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य का चयन करे सकें।

(3) जिला आयोजना समिति का गठन

* अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला आयोजना समितियों के गठन की कम प्रगति के मद्देनजर सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि इन्हें 2001 की समाप्ति तक गठित किया जाए।

* यह समहति हुई कि जिला के प्रभारी मंत्री की जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने की प्रणाली को बन्द किया जाना चाहिए और जिला पंचायत के अध्यक्ष को ही जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाए।

(4) ग्राम सभा को सशक्त बनाना

* एक निकाय के रूप में ग्राम सभा को उभारने के लिए, जिसके प्रति पंचायती राज संस्थाएं जवाबदेह हैं, ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को विस्तृत तौर पर स्पष्ट किया जाना चाहिए जिसमें योजना निर्माता, निर्णायक और लेखा परीक्षक के रूप में उसकी भूमिका को बताया जाना चाहिए।

* यह भी सहमति हुई कि ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होनी चाहिए। किसी एक निश्चित दिन पर ग्राम सभा की बैठक करने की बजाय यह सुझाव दिया गया कि पूर्व निर्धारित तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए ताकि संबंधित अधिकारी उस दिन प्रश्नों और संबंधित जानकारी का उत्तर देने के लिए उपस्थित रहें।

(5) पारदर्शिता एवं जवाबदेही

यह संकल्प लिया गया था कि ग्राम सभा को सुदृढ़ बनाने और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित 4-सूत्री कार्यनीति को कार्यान्वित किया जाएगा:

* प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, नुक्कड़ नाटकों तथा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के माध्यम से जन जागरूकता।

* आवश्यकता आधारित कार्य योजना तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा निगरानी करने में समुदाय की भागीदारी।

* पंचायतों द्वारा शुरू किये गये कार्यों के आकलनों, निधियों की उपलब्धता और खर्च से संबंधित सूचना नोटिस बोर्ड पर देकर आम लोगों द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी संबंधित रिकार्डों को उपलब्ध कराके, मांगे जाने पर साधारण फीस लेकर दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने तथा लाभार्थियों के चयन हेतु सुपरिभाषित तरीके निर्धारित करके पारदर्शिता लाना।

* सामाजिक लेखा परीक्षा को कानूनी समर्थन मिलना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और निधियों के दुरूपयोग पर रोग लग सके। ग्राम सभा को सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए।

(6) पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण

* पंचायीत राज संस्थाओं के कामकाज में राज्य सरकार के हस्तक्षेप और नियंत्रण की गुंजाइश को न्यूनतम किया जाना चाहिए। यदि किसी पंचायत के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत है तो इसे केरल के लोकपाल जैसी संस्था को भेजा जाना चाहिए।

(7) राज्यों द्वारा गठित समानांतर निकाय

* सम्मेलन में समानांतर निकाय गठित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई। यदि कहीं ऐसे निकायों का गठन करना पड़ता है तो इन्हें पंचायतों और ग्राम सभाओं की देखरेख में कार्य करना चाहिए।

* सम्मेलन में सिफारिश की गई कि समानांतर निकायों के गठन की बजाय राज्यों को विभिन्न विषयों पर उप-समितियों हेतु पंचायत में विद्यमान प्रावधान को लागू करना चाहिए तथा इस प्रयोजन हेतु पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

* पंचायतों/ग्राम सभाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कह रहे गैर-सरकारी संगठनों के काम-काज की देखरेख और निगरानी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(8) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान (पी.ई.एस.ए. 1996)

* इस बात पर सहमति हुई कि कानून बनाने अथवा संबंधित अधिनियम/नियम में संशोधन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ताकि ये 31.3.2002 तक पी.ई.एस.ए. 1996 के प्रावधानों के अनुरूप बनाए जा सकें।

अवैध रूप से प्रकाशित एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का जब्त किया जाना

*226. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में भारी संख्या में अवैध रूप से प्रकाशित एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें बरामद की हैं और कई लोगों को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली पुलिस ने एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य-पुस्तकों के अवैध प्रकाशन के संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए। एक मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों ने, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित "सामान्य विज्ञान" के भाग 1,

2 और 3 में निहित चित्रों और सोदहारण सहित, सामान्य मूल-पाठ विषयक पुस्तक का अवैध प्रकाशन किया और इन्हें अपने प्रकाशन के रूप में बेचा। इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामले में, अभियुक्त एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों की अनुलिपि प्रतियां मुद्रित करता था और इसे असली बनाकर फुटकर विक्रताओं को बिक्री के लिए भेजता था। इस मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

(ग) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अनधिकृत प्रकाशन को रोकने और इसकी पुस्तकों की बिक्री के लिए उठाए गए कदमों में, एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कागज में एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क का प्रयोग करना; एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क लगाए जाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना, नकली एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों की बिक्री के खिलाफ समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए चेतावनी जारी करना और थोक विक्रेता एजेन्टों के स्टाक की आकस्मिक जांच करना, सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से कापीराइट कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अपने पुलिस मुख्यालयों में विशेष एककों का सृजन करने और उद्योग एसोसिएशनों और प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु कृतिक बल का गठन

*227. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए किसी कृतिक बल या समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या प्रभावित परिवारों के सदस्यों को ठेका आधार पर रोजगार दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पीड़ितों/पीड़ितों के आश्रितों को दिए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए किसी टास्क फोर्स या समिति का गठन नहीं किया है। 1991 में भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मामलों जिसमें अधिनियम और स्कीम के अन्तर्गत मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा तथा निधि के रख-रखाव भी शामिल हैं, उनके समन्वय और निगरानी के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल गठित किया गया था।

सरकार ने विगत में भोपाल गैस पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए चिकित्सा, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण संबंधी पुनर्वास के लिए 163.50 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से एक पंचवर्षीय कार्य योजना अनुमोदित की थी। तत्पश्चात्, इस परिव्यय को बढ़ाकर 258 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यह व्यय केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाना था।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों पर कार्यवाही) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कल्याण आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया है। इस स्थापना में समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों की स्थानीय रूप से भर्ती की गई है। गैस प्रभावित क्षेत्रों से कार्मिकों के नियोजन के सभी प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में कल्याण आयुक्त कार्यालय में मुख्यत: ठेका आधार पर लगभग 514 समूह 'ग' और 232 समूह 'घ' कर्मचारी काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

*228. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-99 के दौरान नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा किए गए समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के एक मूल्यांकन में यह बताया गया है कि योजना के अंतर्गत शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वे तथ्य और आंकड़ें क्या हैं जिनके कारण नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने ऐसी टिप्पणी की और नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने योजना के कार्यान्वयन में किन-किन खामियों का उल्लेख किया है; और

(ग) नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों के दृष्टिगत मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने और कार्यान्वयन तंत्र में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वर्ष 2000 की रिपोर्ट सं. 3) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के प्रभाव और वर्ष 1990 से 1999 तक की अवधि में इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं के निष्पादन का मूल्यांकन है। रिपोर्ट में स्कीम के उद्देश्यों, इसके कार्यान्वयन और प्रभाव प्रक्रियाओं, लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियों, पूरक पोषाहार के वितरण और सेवाएं प्रदान करने में त्रुटियों पर टिप्पणी की गई है।

(ख) रिपोर्ट में जहां एक ओर आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को 75 प्रतिशत तक प्राप्त कर लेने और स्कीम के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग व सहायता दिए जाने की बात का उल्लेख किया गया है, वहीं दूसरी ओर इसमें देश के 25 प्रतिशत विकास खंडों को अभी तक आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत शामिल न किए जाने, शिशु मृत्यु दर में कमी की धीमी गति होने, जोकि 1996 में प्रति हजार 72 थी, आई.सीडी.एस. परियोजनाओं से प्रबोधन रिपोर्टें प्राप्त होने में कुछ विलम्ब होने, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषाहार के वितरण में त्रुटियां होने, कुछ राज्यों में आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के पद रिक्त होने, कुछ राज्यों में अभिनिर्धारित लाभार्थियों में से 23 प्रतिशत लाभार्थियों को लाभ न मिल पाने, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषाहार हेतु कम प्रावधान करने, कुछ राज्यों में आरोग्यकर आहार उपलब्ध न कराने तथा स्वास्थ्य संबंधी समुचित सुविधाएं जैसे, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, मुहैया कराने में कमी होने जैसी बातों का उल्लेख किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने और इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) मई, 1997 में आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के विस्तार पर लगाई गई रोक को हटा लिया गया है एवं 971 अतिरिक्त परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। इन्हें मिलाकर कुल 5171 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ii) प्रबोधन तंत्र के स्थान पर समेकित राज्य रिपोर्टें शुरू की गई हैं, जिनमें अधिक स्पष्ट जानकारी होती है, ताकि सुगमता से पुनर्निवेश प्राप्त हो सकें। एक नया वित्तीय प्रबोधन साफ्टवेयर तैयार किया गया है।

(iii) स्कीम को सुदृढ़ बनाने के लिए स्कीम के अंतर्गत वित्तीय मानकों में बढ़ोत्तरी की गई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे पूरक-पोषण हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान रखें।

(iv) पूरक-पोषण के अंतर्गत पोषाहार में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का पोषाहार घटक शुरू किया गया है।

(v) स्कूल-पूर्व शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु शैक्षणिक किट का प्रावधान किया गया है।

(vi) राज्य सरकारों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए। दवा-किटों की खरीद को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

(vii) आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के लिए ''उदिशा'' नामक विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(viii) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना की नवीन पहल की गयी है।

उर्वरकों की मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें

***229. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरकों की मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में राज्य सरकारों ने क्या मुख्य विचार व्यक्त किए हैं; और

(ङ) नई मूल्य निर्धारण नीति को घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ङ) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने ''रेशनेलाइजिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज'' शीर्षक से सरकार को एक रिपोर्ट सितम्बर 2000 में प्रस्तुत की है। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने ई आर सी की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों, उर्वरक उद्योग और राज्य

सरकारों के मत प्राप्त किए हैं। राज्य सरकारों ने ई.आर.सी. की कुछ सिफारिशों विशेषकर यूरिया के फार्म गेट में 7% वार्षिक वृद्धि मौजूदा प्रतिधारण मूल्य सह-सब्सिडी योजना की जगह प्रतिधारण मूल्यों के औसतीकरण और दोहरी मूल्य योजना के आधार पर समूह आधारित रियायत योजना लागू करने के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए हैं।

सरकार ई.आर.सी. की सिफारिशों की जांच कर रही है ताकि यूरिया एककों के लिए एक ऐसी नई मूल्य निर्धारण नीति तैयार की जा सके जिसमें सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थानों का वैचारिक शोषण

*230. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ समय में एक विशेष विचाराधारा के विद्वानों ने एन.सी.ई.आर.टी., आई.सी.एच.आर., आई.सी.एस.एस.आर. और अन्य शिक्षण संस्थाओं में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संस्थाओं का बौद्धिक शोषण रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) परिषदें शिक्षा के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्वायत्त शीर्षस्थ संगठन होती है। इन परिषदों की संरचनाओं का उल्लेख उनके संबंधित संगम-ज्ञापन में होता है। सरकार द्वारा इन परिषदों में उनके संगम ज्ञापनों की विशिष्ट शर्तों के अनुसार लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद् नामित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

प्रबंधन शिक्षा का स्तर

*231. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की अधिकांश प्रबंधन संस्थाएं घटिया शिक्षा प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रबंधन शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और अच्छी गुणवत्ता की प्रबंधन शिक्षा प्रदान नहीं करती हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, को जो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, देश में प्रबंधन शिक्षा सहित तकनीकी शिक्षा के योजनाबद्ध तथा समन्वित विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थानों के लिए मानदण्डों तथा मानकों का निर्धारण करती है, संस्थाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की जानकारी में यह बात आई थी कि कतपिय प्रबंधन संस्थान यथानिर्धारित मानदण्डों तथा स्तरों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिन संस्थानों ने वांछित मानदण्डों तथा स्तरों को बनाए नहीं रखा था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने उनके खिलाफ 'दाखिला क्षमता में कमी'', कोई दाखिला नहीं', 'अनुमोदन वापिस लेने' जैसे दण्डात्मक उपाय किए हैं। प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने उन संस्थाओं को तब तक के लिए अनुमोदन प्रदान करना बंद कर दिया है जब तक वे विश्वविद्यालय से संबद्धन प्राप्त नहीं कर लेते।

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण

*232. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य महिला सरपंचों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर और उनकी जगह पुरुष सरपंच नियुक्त कर पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्य सरकारें पंचायतों को भंग करके या उनका अधिक्रमण कर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित न हों?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) इस संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्र सरकार को ज्योंही पंचायतों में महिला अध्यक्षों के हटाने से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होती है, संबंधित राज्य प्राधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया जाता है।

(ख) से (ङ) उत्तर प्रदेश में महिला अध्यक्षों को हटाने (और उनका स्थान पुरुषों द्वारा लिए जाने) संबंधी रिपोर्ट कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी। पंचायत अध्यक्षों के विरुद्ध ''अविश्वास प्रस्ताव'' के प्रावधान के दुरूपयोग को रोकने और निर्वाचित सदस्यों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पंचायती राज अधिनियम में इस आशय के साथ संशोधन किया कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव से दो वर्ष की अवधि के भीतर आयोजित नहीं की जानी चाहिए, इस उद्देश्य हेतु ऐसी बैठक कम से कम 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर आयोजित की जानी चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

13 जून, 2001 के ट्रिब्यून में यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश में लागू ''वापस बुलाने का अधिकार अधिनियम'' ग्राम पंचायत की एक महिला अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया। हालांकि उसके विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव गिर गया।

चूंकि भारत सरकार ने पंचायतों को भंग करने अथवा निलंबित करने संबंधी शक्तियों के दुरूपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं इसलिए पंचायतों पर राज्य सरकार के नियंत्रण के मुद्दे पर 11 जुलाई, 2001 को नई दिल्ली में हुए पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में व्यापक रूप से चर्चा हुई। यह संकल्प लिया गया था कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप और पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण को न्यूनतम किया जाए और किसी भी पंचायत के खिलाफ यदि कोई विशेष शिकायत आती है तो उसे केरल में ''ऑम्बड्समैन'' की तरह के निकाय के पास भेजना चाहिए।

सी.पी.डब्ल्यू.डी., एम.सी.डी और एन.डी.एम.सी. में स्ट्रक्चरल इंजीनियर

*233. **श्री नरेश पुगलिया: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में ऐसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं हैं, जिनके पास राजधानी की ऊंची-ऊंची इमारतों में भूकंप रोधी मानकों को लागू कराने की विशेषज्ञता हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में विदेशों/विदेशी इंजीनियरों से सहायता लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास भवनों के डिजाइन के लिए संरचना इंजीनियर हैं। संगठन अपने भवनों का डिजाइन और निर्माण करते समय संगत भूकपंरोधी कोडगत प्रावधान अपनाता है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने सूचित किया है कि उनके पास ऊंची इमारतों के लिए भूकंपरोधी मानकों के प्रवर्त्तन की विशेषज्ञता प्राप्त संरचना इंजीनियर नहीं हैं। लेकिन, नई दिल्ली नगर पालिका और परिषद् क्षेत्र में ऊंची इमारतों के मामले में भूकंप की दृष्टि से भवनों के सर्वेक्षण के लिए और उनकी विशेषज्ञ सलाह हेतु तथा सुधार के उपाय सुझाने के लिए आई.आई.टी. की सहायता ली जाती है।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि यद्यपि उनके पास संरचना इंजीनियर के नाम से कोई पद नहीं है लेकिन उनके सिविल इंजीनियरों को दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में ऊंजी इमारतों के लिए भूकंपरोधी मानकों के प्रवर्त्तन की विशेषज्ञता हासिल है।

भूकंपरोधी भवनों की जांच के लिए विदेशों/विदेशी इंजीनियरों से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिक्षा के लिए रणनीतिक पहल

*234. **श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय शिक्षा के बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीयकरण के लिए रणनीतिक पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी छात्रों सहित देश के छात्रों को कैरियर आधारित दीर्घावधि शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) बाहर के देशों में भारतीय शिक्षा पर सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए तथा भारतीय संस्थाओं में विदेशी/अनिवासी भारतीयों के दाखिले को सुलभ बनाने हेतु एक स्थान सेवा उपलब्ध कराने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एडसिल नामक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संबंधित भारतीय मिशनों के साथ मिलकर चिन्हित संभावना पूर्ण देशों में शैक्षिक मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है/उनमें भाग ले रहा है। इसके अलावा, 19 जून 2001 को एक शैक्षिक पोर्टल आरंभ किया गया है जो भारतीय शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत सूचना प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटें तथा अन्य केन्द्रीय इंजीनियरी संस्थाओं में 15 प्रतिशत सीटें विदेशी/अनिवासी भारतीय छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं। 15 प्रतिशत सीटों का ऐसा ही प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों/विभागों के लिए भी किया गया है। ये अति संख्यात्मक सीटें हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी/रांची और मनिपाल उच्च अध्ययन एकेडमी जैसी संस्थाओं के केन्द्र दुबई, बहरीन और मलेशिया जैसे देशों में खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए 23 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। विदेशों में शिक्षकों की मांग है तथा इस मांग को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निकट से मानीटरिंग तथा कार्यान्वयन के लिए यह निणय लिया गया है कि सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के समावेशन के बजाय अलग से विदेशी राष्ट्रों के साथ शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम हस्ताक्षरित किए जाएं।

(ग) औपचारिक स्कूल प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने के अतिरिक्त सरकार स्कूल बीच में छोड़ने वालों तथा लाभवंचित वर्गों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए सामुदायिक पालिटेक्निक योजना के माध्यम से, प्रौढ़ साक्षरों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के तहत 'जन शिक्षण संस्थान' योजना के माध्यम से तथा कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से योजनाएं चला रही है।

[हिन्दी]

जल-मल व्ययन प्रणाली में सुधार के लिए योजनाएं

*235. **श्री रामदास आठवले:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार को विभिन्न नगरों/उपनगरों की जल-मल व्ययन प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ योजनाएं अनुमोदन और वित्तीय हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषत: आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुत क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं का अनुमोदन कब तक कर दिए जाने की संभावना है और इनके अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य के विषय होने के नाते, जल आपूर्ति और सफाई स्कीमों के लिए राज्य योजना संसाधनों से आयोजना करना, कार्यान्वित करना, चलाना और रख-रखाव करना मुख्यत: राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, 20 लाख से कम आबादी (1991 की जनगणना अनुसार) वाले छोटे कस्बों में पेय जल मुहैया कराने में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) नामक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम चला रहा है, जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर राशि मुहैया करायी जाती है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अनुमोदित स्कीमों का ब्यौरा विवरण-I में है। त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 48 स्कीमों की तकनीकी जांच की जा रही है। इन 48 स्कीमों का ब्यौरा विवरण-II में है। इन स्कीमों का अनुमोदन राज्य सरकारों से तकनीकी स्पष्टीकरण मिलने पर निर्भर करता है।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जलापूर्ति स्कीमों पर विचार करते समय समग्र कस्बे को आधार माना जाता है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों सहित कस्बे की समूची आबादी को जल आपूर्ति सुविधाएं सुलभ की जा सकें। तकनीकी अनुमोदन देते समय राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों में कम से कम एक स्रोत मुहैया कराना अवश्य सुनिश्चित करें। जहां तक सीवेज निपटान प्रणाली का संबंध है तो शहरी जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी कोई केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित स्कीम नहीं है जिसमें शहरी क्षेत्रों में सीवरेज स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती हो।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय संसाधनों के नॉन-लैप्सेबल पूल कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग/शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय से संभावित केन्द्रीय सहायता हेतु शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में योजना आयोग से स्कीमें तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन के लिए प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन और केन्द्रीय संसाधनों के नॉन-लैप्सेबल पूल के जरिए वित्त पोषण के लिए प्राप्त जलापूर्ति और सीवरेज स्कीमें विवरण-III में हैं।

हाल ही में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जलापूर्ति, सफाई स्कीमों के अनुमोदन के लिए एक कार्य दल का गठन किया है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस मंत्रालय के बजट प्रावधान और केन्द्रीय संसाधनों के नॉन-लैप्सेबल पूल के तहत केन्द्रीय राशियां मुहैया कराई जा सकें। सिक्किम और मेघालय के संबंध में कार्य दल द्वारा विचारित स्कीमें विवरण-IV में हैं।

विवरण-I

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित स्कीमें व अनुमानित लागत						कुल	
		1998-99		1999-2000		2000-2001			
		अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	2	323.78	4	1257.31	—	—	6	1581.09
4.	बिहार	3	376.41	2	161.89	—	—	5	538.30
5.	छत्तीसगढ़	3	280.91	6	396.79	—	—	9	677.70
6.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	—	—	7	1395.28	4	846.78	11	2242.06
8.	हरियाणा	4	523.10	4	512.82	8	1897.28	16	2933.20
9.	हिमाचल प्रदेश	1	117.90	2	626.00	1	188.00	4	931.90
10.	जम्मू व कश्मीर	—	—	1	305.70	—	—	1	305.70
11.	झारखंड	1	119.86	6	1139.55	1	148.55	8	1407.96
12.	कर्नाटक	2	689.00	7	1371.45	4	1088.70	13	3149.15
13.	केरल	—	—	—	—	2	510.70	2	510.70
14.	मध्य प्रदेश	6	523.96	22	2162.56	9	1280.50	37	3697.42
15.	महाराष्ट्र	3	1006.66	2	465.58	5	2063.18	10	3535.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	2	276.89	3	340.88	3	653.54	8	1271.31
17.	मेघालय	—	—	—	—	1	386.10	1	386.10
18.	मिजोरम	1	154.94	3	320.78	1	322.88	5	798.60
19.	नागालैंड	—	—	1	683.00	—	—	1	683.00
20.	उड़ीसा	3	507.09	3	520.48	6	722.79	12	1750.36
21.	पंजाब	2	113.40	1	102.61	—	—	3	216.01
22.	राजस्थान	6	807.54	—	—	9	1226.68	15	2034.22
23.	सिक्किम	—	—	1	115.68	—	—	1	115.68
24.	तमिलनाडु	4	703.65	6	1396.10	8	1444.12	18	3543.87
25.	त्रिपुरा	1	133.35	1	288.14	3	800.97	5	1222.46
26.	उत्तर प्रदेश	26	2204.21	25	1913.01	62	5015.46	113	9132.73
27.	उत्तरांचल	—	—	2	476.53	5	1179.46	7	1655.99
28.	पश्चिम बंगाल	1	87.40	—	—	4	994.01	5	1081.41
	कुल	71	8950.05	109	15952.14	136	20769.75	316	45671.94

विवरण-II

31.7.2001 को स्थिति

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 31.7.2001 के अनुसार विचाराधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.7.2001 के अनुसार विचाराधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	—	—
4.	बिहार	7	1167.36
5.	छत्तीसगढ़	13	1656.95
6.	गोवा	—	—

1	2	3	4
7.	गुजरात	—	—
8.	हरियाणा	4	1200.30
9.	हिमाचल प्रदेश	2	944.17
10.	जम्मू व कश्मीर	—	—
11.	झारखंड	—	—
12.	कर्नाटक	—	—
13.	केरल	1	550.80
14.	मध्य प्रदेश	11	1649.90
15.	महाराष्ट्र	—	—
16.	मणिपुर	—	—
17.	मेघालय	—	—
18	मिजोरम	—	—
19.	नागालैंड	—	—
20.	उड़ीसा	2	434.71
21.	पंजाब	2	153.75
22.	राजस्थान	—	—
23.	सिक्किम	—	—
24.	तमिलनाडु	—	—
25.	त्रिपुरा	2	821.00
26.	उत्तर प्रदेश	3	845.81
27.	उत्तरांचल	1	704.30
28.	पश्चिम बंगाल	—	—
	कुल	48	10129.05

विवरण-III

केन्द्रीय संसाधनों के नॉन-लैप्सेबल पूल के जरिये कार्यान्वित की जाने और वित्तपोषित होने वाली स्कीमें

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित लागत
1.	अरुणाचल प्रदेश प्रदेश	ईटानगर में सीवरेज, जलनिकासी और शहरी अवस्थापना की परियोजना रिपोर्ट	2600.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3 कस्बों के लिए जल आपूर्ति आवर्द्धन स्कीमें:-	
		1. रोइंग	518.00
		2. अलॉग	610.00
		3. पासीघाट	580.00
3.	असम	बोरोलैंड स्वायत्त परिषद् क्षेत्र में 3 कस्बों के लिए जल आपूर्ति आवर्द्धन स्कीमें:	
		1. गोंसाईगांव	363.00
		2. कोकराझार	1793.00
		3. सुबनखटन	–
4.	असम	महूर और उपररोमसों नामक 2 कस्बों के लिए जल आपूर्ति आवर्द्धन स्कीमें	804.43
5.	नागालैंड	दीमापुर कस्बे की विस्तारित कालोनियों में पेयजल आपूर्ति स्कीम	1611.00
6.	नागालैंड	दीमापुर कस्बे के लिए नगरपालिका कचरे का वाई आर्गेनिक सायल इन-रिचर में वाये कवनर्जन के लिए प्रस्ताव	464.16
7.	मेघालय	वृहत्तर शिलांग जलापूर्ति स्कीम	9965.20
8.	सिक्किम	गंगटोक, सिक्किम में कंपोस्ट मेन्योर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए परियोजना प्रस्ताव	255.00
9.	सिक्किम	पाकेयों बाजार, सेलेप और चेमछे की जलापूर्ति आवर्द्धन स्कीमें जिसमें एन्छे और नाम-नाम आदि क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाना शामिल है	998.76
10.	सिक्किम	गंगटोक में बरसाती पानी निकासी प्रणाली की वैज्ञानिक जांच और डिजाइन के लिए परियोजना प्रस्ताव	59.50
11.	मिजोरम	ग्रेट ममिट पम्पिंग स्कीम की जलापूर्ति आवर्द्धन स्कीम	930.00
12.	मिजोरम	वृहत्तर वीयात कम्पोजिट वॉटर सप्लाई स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1189.00
13.	मिजोरम	जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंध, पानी गुणता निगरानी और लोक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आईजोल कस्बे हेतु एकीकृत परियोजना (आईपीए)	21968.035
14.	मिजोरम	वृहत्तर चम्फाई जलापूर्ति स्कीम	3000.00
15.	मिजोरम	उ. कॉनपुई कस्बे के लिए कम्पोजिट जलापूर्ति स्कीम	1844.00
16.	त्रिपुरा	दो कस्बों के लिए पेयजल आपूर्ति आवर्द्धन स्कीम:-	
		1. धर्म नगर	830.74
		2. तेलियामुरा	724.31

विवरण-IV

सिक्किम और मेघालय के संबंध में कार्यदल द्वारा विचारित स्कीमें

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित लागत
1.	सिक्किम	अधिसूचित शहरी सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए के साथ-साथ बरसाती पानी आपूर्ति स्कीम का डिजाइन जल निकासी प्रणाली।	757.00
2.	सिक्किम	गंगटोक शहर के लिए कम्पोस्ट आधारित आर्गेनिक फर्टिलाइजर के उत्पादन के जरिए शहरी कचरे का इको-फ्रेंडली ट्रीटमेंट	393.05
3.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम में गंगटोक जल आपूर्ति आवर्द्धन स्कीम	828.77
4.	सिक्किम	चेमछे, दक्षिण सिक्किम में पर्यटक केन्द्र में जल आपूर्ति स्कीम	419.84
5.	मेघालय	तूरा में वाणिज्यिक क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली	40.00
6.	मेघालय	शिलांग में जल आपूर्ति के लिए नगर साधनों के एकीकरण के लिए कार्य योजना	477.34

[अनुवाद]

भारत-पाक शिखर वार्ता के बाद आतंकवादी गतिविधियां

*236. **श्री रामानन्द सिंह:***
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा शिखर वार्ता के दौरान भी जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद और आतंकवादियों की गतिविधियां लगातार जारी रही थीं और शिखर वार्ता के बाद आतंकवादियों ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याएं कर उनके विरुद्ध गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ आतंकवादी समूहों ने देश के अन्य भागों में हिंसा फैलाने की धमकी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) (क) और (ख) जी हां।

उग्रवादी गुटों और विशेषकर पाकिस्तान आधारित और पाकिस्तान समर्थित ग्रुपों जैसे एल.ई.टी., जी.ई.एम. आदि ने शांति पहल और जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को बेकार करने के लिए आगरा शिखर वार्ता से पूर्व, दौरान और बाद में अपनी हिंसक गतिविधि जारी रखी है।

उग्रवादी गुटों ने 21 जुलाई, 2001 को अनंतनाग जिले में शेषनाग अमरनाथ यात्री कैम्प पर और दोबारा, 22 जुलाई, 2001 को किश्तवार में दो अलग-अलग हमले किए जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति मारे गए। हताहतों की संख्या नीचे दी गई हैं:-

क्र.सं.	घटना	मारे गए		घायल	
		सुरक्षाकर्मी	सिविलियन	सुरक्षाकर्मी	सिविलियन
1.	शेषनाग अमरनाथ यात्री कैंप 21 जुलाई, 2001	2	10	5	10
2.	लहाना, ढोके जिला धार (पी एस-चतरू) 20 जुलाई, 2001	0	4	0	0
3.	किश्तवार के पेड्डार क्षेत्र में चीरजी 21/22 जुलाई, 2001	0	8	0	1

(ग) से (ङ) आसूचना जानकारियों से संकेत मिलता हैं कि आतंकवादी गुटों ने देश के अन्य भागों में हिंसा बढ़ाने की धमकी दी है। सरकार, सम्बन्धित राज्य एजेंसियों के साथ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आसूचनाओं का आदान-प्रदान कर रही है ताकि उनके द्वारा समुचित उपाय किए जा सके। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के सम्भावित खतरों के बारे में भी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती रही है। आसूचना जानकारियों पर आधारित इस प्रकार के सम्भावित खतरों को देखते हुए राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार चौकन्ना किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, भीतरी प्रदेश में उग्रवादियों के विरुद्ध प्रतिकारात्मक-कार्रवाई, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालय के आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के फ्रेमवर्क के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर, शामिल है। राज्य और निम्नस्तरों पर एकीकृत मुख्यालय में रणनितियों, रणकौशलों और परिवर्तनात्मक तैनाती की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि उग्रवादियों का सामना किया जा सके।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन

*237. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों की ओर से जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने और सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए संगठनों ने क्या-क्या कारण बताएं हैं; और

(घ) इन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

जल-संचयन हेतु निधियां

*238. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2001 को ''दि हिन्दू'' में ''यूज फंड्स फार वाटर हारवैस्टिंग'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जल-संचयन हेतु निधियों के उपयोग के संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने ग्रामीण लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) अन्य मुद्दों के अलावा ''यूज फंड्स फार वाटर हारवैस्टिंग'' नामक समाचार में कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में पेयजल सुविधाओं के प्रावधान की स्थिति संबंधी सूचना दे दी गई है। समाचार में 63 प्रायोगिक जिलों में साफ पेयजल मुहैया कराने, जल संचयन की जरूरत, पंचायतों की भूमिका और क्षेत्र सुधार के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों का भी उल्लेख है। जहां तक कवरेज की स्थिति का संबंध है, राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अद्यतन स्थिति विवरण में दी गयी है। इसके अलावा समाचार में यह कहा गया है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संबंधी नौवीं योजना में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है जो कि तथ्यात्मक तौर पर गलत है। केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में पहली योजना से लेकर अब तक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संबंधी निवेश 32,000 करोड़ रुपए रहा है।

(ग) और (घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाएं/परियोजनाएं अपने निजी संसाधनों से कार्यान्वित करती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण पेयजल घटक के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में मदद करती है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं अथवा परियोजनाओं को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायित्व संबंधी उपमिशन के तहत शुरू किया जा सकता हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल का संचयन की शामिल है। राज्य सरकारों को उप मिशन परियोजनाओं के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों के 20 प्रतिशत तक का इस्तेमाल करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। पिछले वर्ष (2000-2001) राज्य सरकारों से स्त्रोतों के स्थायित्व संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के उप मिशन के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत निधियों को 25 प्रतिशत निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना - ग्रामीण पेयजल घटक के अन्तर्गत निधियों का कम से कम 25 प्रतिशत मरूभूमि विकास कार्यक्रम/ सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों, सहित दोहित, डार्क/ग्रे ब्लाकों और अन्य जल संकट/सूखा प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित जल संरक्षण, जल संचयन जल पुनर्भरण तथा पेयजल स्रोतों के स्थायित्व से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण पेयजल घटक के अन्तर्गत स्थायित्व संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माननीय संसद सदस्यों से भी अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में से पेयजल आपूर्ति वर्षा जल संचयन जैसे भू-जल पुनर्भरण आदि का संवर्धन करने हेतु परियोजनाएं शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में पांच वर्षों में सभी बसावटों में पेयजल मुहैया कराने की बचनबद्धता के अनुरूप भारत सरकार ने पेयजल आपूर्ति नामक एक अलग विभाग बनाया है। इसके अतिरिक्त त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए बजटीय आबंटन 1999-2000 के 1800.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000-2001 में 1960.00 करोड़ रुपए और आगे 2001-2002 में 2010.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2000-2001 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल शुरू की गई है जो चालू वर्ष के दौरान भी चल रही है तथा जिसके अन्तर्गत ग्रामीण जल पेयजल उसके घटकों में से एक है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) के अन्तर्गत योजनाएं/परियोजनाएं तैयार करने, उन्हें स्वीकृत करने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2001 को स्थिति (अनंतिम)			
		कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	पूर्णत: कवर की गई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	18583	51149	69732
2.	अरुणाचल प्रदेश	403	995	2900	4298
3.	असम	801	22314	47554	70669
4.	बिहार	2	2	105336	105340

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	402	817	49160	50379
6.	गोवा	11	46	339	396
7.	गुजरात	225	2685	27329	30269
8.	हरियाणा	0	193	6552	6745
9.	हिमाचल प्रदेश	1593	11658	32116	45367
10.	जम्मू व कश्मीर	2348	3726	5110	11184
11.	झारखंड	497	119	99480	100096
12.	कर्नाटक	35	21479	35168	56682
13.	केरल	805	6956	2002	9763
14.	मध्य प्रदेश	127	0	109362	109489
15	महाराष्ट्र	2256	26120	57554	85930
16.	मणिपुर	28	364	2399	2791
17	मेघालय	549	920	7170	8639
18.	मिजोरम	0	525	386	911
19.	नागालैंड	393	596	536	1525
20.	उड़ीसा	34	119	113946	114099
21.	पंजाब	1792	3123	8534	13449
22.	राजस्थान	6908	19545	67493	93946
23.	सिक्किम	0	472	1207	1679
24.	तमिलनाडु	0	4934	61697	66631
25.	त्रिपुरा	287	711	6414	7412
26.	उत्तर प्रदेश	32	126	243475	243633
27.	उत्तरांचल	325	1175	29508	31008
28.	पश्चिम बंगाल	0	17809	61227	79036
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0	141	363	504
30.	दादर व नागर हवेली	46	243	227	516

1	2	3	4	5	6
31.	दमन व दीव	0	1	31	32
32.	दिल्ली	0	0	219	219
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10
34.	पांडिचेरी	40	84	143	267
35.	चण्डीगढ़	0	0	18	18
	कुल	19969	166591	1236104	1422664

वर्ष 2001-2002 को पुस्तक वर्ष के रूप में घोषित किया जाना

*239. **श्री पी. कुमारासामी:**
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 को ''पुस्तक वर्ष'' घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो किसी वर्ष को पुस्तकों को समर्पित वर्ष घोषित करने का क्या महत्व है;

(ग) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजधानी और राजधानी के बाहर आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुस्तकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष बल देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) भारत सरकार ने 2001-2002 को पुस्तक वर्ष के रूप में घोषित किया है और यह वर्ष 23 अप्रैल, 2001 से प्राम्भ हो गया है। 23 अप्रैल से इसकी शुरूआत इसलिए की गयी क्योंकि यूनेस्कों की पहल पर यह दिन विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कापीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि पुस्तकों की उपलब्धता तथा पुस्तक-पढ़ने के आदत का संवर्द्धन करना लोगों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। देश को पुस्तक पढ़ने वाले समाज के रूप में विकसित करने के प्रयास में और युवकों के मन में पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के लिए इस वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प किया गया है।

इस वर्ष का नारा है ''सभी के लिए पुस्तकें तथा पुस्तकों के लिए सभी'' और इससे इस वर्ष के महत्व का बोध होता है। इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे इस वर्ष को सार्थक ढंग से मनाएं। चूंकि गैर-सरकारी पहलें पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं अत: प्रकाशकों तथा संचार माध्यमों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इसमें पूरा-पूरा सहयोग करें। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को इस सम्बन्ध में नोडल एजेंसी बनाया गया है और उसे पुस्तक वर्ष के सम्बन्ध में किये जाने वाले सभी कार्यकलापों की मानीटरिंग करने तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग-समर्थन देने का कार्य सौंपा गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तक वर्ष के दौरान पहले किये जा चुके कार्यकलाप:

* एक द्विभाषी पुस्तिका प्रकाशित की गई है जिसमें पुस्तक-वर्ष की संकल्पना के साथ-साथ उन कार्यकलापों का उल्लेख है जिन्हें विभिन्न संगठनों द्वारा पुस्तक वर्ष के दौरान किया जा सकता है। पुस्तक वर्ष के लिए विशेष रूप से एक 'लोगो' तैयार किया गया है।

* पुस्तकें पढ़ने की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में विशेष विज्ञापन दिए गए हैं। स्कूली बच्चों के लिए पुस्तक वर्ष के संदेश वाले

कार्ड कैलेण्डर, पुस्तक चिह्न/टाइमटेबल और नाम पत्र तैयार करके विभिन्न स्कूलों में वितरित किये गये हैं।

* पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने तथा पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न आकारों और रंगों में 6 विशेष पोस्टर तैयार करके विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में वितरित किये गये हैं।

पुस्तक वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा जिन अन्य कार्यकलापों की योजना बनाई गई है उनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

* अपने नए भवन में राष्ट्रीय पुस्तक दीर्घा एवं संग्रहालय की स्थापना। इस संग्रहालय में स्थाई पुस्तक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें ताड़ पत्र पांडुलिपि युग से ई-पुस्तक तक पुस्तकों की यात्रा का उल्लेख होगा। इस दीर्घा में दुर्लभ पुस्तकें, प्रथम संस्करणों और पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

* नए भवन में ''लेखक गृह'' के नाम से कुछ कमरों का निर्माण किया जाएगा जिनका उद्देश्य दिल्ली आने वाले लेखकों के लिए साफ-सुथरे आवास की व्यवस्था करना है।

* कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकों को पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों की मदद से चल प्रदर्शनी वैनों के एक काफिले के द्वारा ''बुक्स ऑन व्हील'' नामक अभियान आरंभ करना।

* पुस्तकें पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने तथा विभिन्न अवसरों पर उपहार स्वरूप पुस्तक भेंट करने की अवधारणा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुद्रण एवं श्रव्य-दृश्य अभियान आरंभ करना।

* दृष्टिहीनों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकों की विशेष श्रृंखला का प्रकाशन करना।

* बच्चों के लिए कोटिपरक पुस्तकों का प्रकाशन करने पर विशेष बल देना।

* देश के विभिन्न भागों में पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2002 के दौरान पुस्तक वर्ष पर विशेष महत्व देना।

* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उचित कीमतों पर कई कोटिपरक पुस्तकों का प्रकाशन करता है। उचित कीमतों पर अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह एक पुस्तक क्लब भी चलाता है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस वर्ष के दौरान अपनी सभी पुस्तकों की कीमतों में कमी लाते हुए उन पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट देता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने गैर-सरकारी प्रकाशनों से भी विशेष छूट देने का अनुरोध किया है।

केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण

***240. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण का कार्य अधर में लटक गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों पर राज्यों द्वारा रोजमर्राह की कानून और व्यवस्था की समस्या के प्रबन्धन के लिए अधिक निर्भरता निधियों के अधिक व्यय का मुख्य कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय की की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट में भी इस संबंध में कुछ सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान्। भारत सरकार द्वारा अर्द्धसैनिक बलों का निरन्तर आधुनिकीकरण किया जा रहा है और अर्द्ध-सैनिक बलों पर राज्यों की अधिक निर्भरता कभी इसके आड़े नहीं आई। राज्यों की इस प्रकार की निर्भरता को घटाने में मदद करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं जिनमें राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत करना, सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति और राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वार्षिक निधियां प्रदान करना शामिल है।

एन.डी.एम.सी. के गैर-सरकारी सदस्यों को सुविधाएं

2317. श्री अशोक अर्गल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.डी.एम.सी. ने गैर-सरकारी सदस्यों को कारें और आवास प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.डी.एम.सी. अधिनियम में गैर-सरकारी सदस्यों को ये सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सदस्यों को ये सुविधाएं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार एन.डी.एम.सी. के संसाधनों पर बोझ डालने वाली इन अनधिकृत सेवाओं को वापिस लेने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। परिषद् द्वारा पारित संकल्प के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 में ऐसा कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है जो परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रोक लगाता है।

(ङ) सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

आई.टी. कालेज

2318. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने सूचना प्रौद्योगिक कालेज हैं और इन्हें कौन-कौन सी तारीख को स्थापित किया गया था और ये कालेज कौन-कौन सी डिग्री/डिप्लोमा देते हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के फर्जी और निम्न-स्तर वाले कालेजों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) मानक सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर केन्द्र शुरू करने के लिए प्रक्रिया और आवश्यकताएं क्या-क्या हैं और ऐसी संस्थाओं की गुणवत्ता की निगरानी में सरकार की क्या भूमिका है; और

(ङ) नई संस्थाओं को विकसित करने में मदद करने वाले उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा अनुमोदित उन संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध पाठ्यक्रम चलाते हैं। अन्य सूक्ष्म ब्यौरे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एआईसीटीई.ओआरजी. पर उपलब्ध है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन अपेक्षित है जिस पर यथानिर्धारित विनियमों और वित्तीय व्यवहार्यता तथा निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुसार भवन, शिक्षण-कक्षों, संकाय आदि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के ध्यान में आया है कि कतिपय विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना ही चला रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने आवश्यक सुधारात्मक उपाय हेतु इस मामले को विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ उठाया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों ने ऐसे उल्लंघनों पर नियंत्रण रखने के लिए कदाचार निवारण सैल स्थापित किए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे ऐसे गैर-अनुमोदित विश्वविद्यालयों के अस्तित्व/कार्यकरण के संबंध में जांच करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान तथा संबद्ध विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले उत्कृष्ट केन्द्र हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	आई.टी./आई.टी. से संबद्ध पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित संस्थानों की संख्या		
	डिग्री	डिप्लोमा	एम.सी.ए.
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	156	81	215
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	00	02	00

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	01	01	00
असम	03	06	03
बिहार*	22	23	02
चंडीगढ़	01	00	00
दिल्ली	09	00	07
गोवा	03	04	01
गुजरात	23	40	20
हरियाणा	31	00	10
हिमाचल प्रदेश	02	00	00
जम्मू एवं कश्मीर	09	00	00
कर्नाटक	103	173	75
केरल	41	44	18
मध्य प्रदेश$	51	34	44
महाराष्ट्र	137	126	40
मणिपुर	01	01	00
मेघालय	01	02	00
मिजोरम	01	01	00
नागालैंड	00	00	00
उड़ीसा	31	19	31
पांडिचेरी	05	05	05
पंजाब	20	00	04
राजस्थान	23	00	02
सिक्किम	01	01	00
तमिलनाडु	218	167	177
त्रिपुरा	01	01	00
उत्तर प्रदेश#	79	20	87
पश्चिम बंगाल	31	19	12
कुल	1004^	770	753@

* झारखण्ड राज्य सहित
$ छत्तीसगढ़ राज्य सहित
उत्तरांचल राज्य सहित
^ कुछ डिग्री स्तर के संस्थान डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम भी चलाते हैं।
@ उन डिग्री स्तर के संस्थानों सहित जो एमसीए पाठ्यक्रम भी चलाते हैं।

सफदरजंग अस्पताल में दर्ज एम.एल.सी. मामले

2319. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान सफदरजंग अस्पताल में कुल कितने एम.एल.सी. मामले दर्ज किए गए;

(ख) दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की है;

(ग) ऐसे एम.एल.सी. मामलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभियोग में बदला गया;

(घ) दिल्ली पुलिस के पास पड़े अनसुलझे एम.एल.सी. मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) पिछले एक वर्ष के दौरान सफदरजंग अस्पताल में दर्ज एम.एल.सी. मामलों की कुल संख्या 2410 हैं। इन एम.एल.सी. रिपोर्टों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 456 मामले दर्ज किए जिनमें से 325 मामले हल कर लिए गए और 131 मामले अभी हल किए जाने बाकी हैं। हल किए गए मामलों में से 9 मामले दोष सिद्धि में परिणित हुए और शेष मामले विचारण के लिए लम्बित पड़े हैं।

(ङ) शेष मामलों को हल करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, अपराध को अपराधियों से जोड़ने के लिए मामलों की जांच पड़ताल में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, अपराध रिकार्ड को एकत्र करने, तुलना करने और मिलान करने में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना; वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल का नियमित प्रबोधन और मामलों की तेजी से जांच-पड़ताल करना शामिल है।

बलात्कार पीड़ितों को राहत

2320. **डा. वी. सरोजा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों को राहत राशि की अदायगी के लिए सरकार को क्रिमिनल इन्जरीज कम्पनसेशन बोर्ड के गठन का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

राज्य विद्युत बोर्डों पर सी.आई.एल. की बकाया देयराशि

2321. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों पर कोल इंडिया लिमिटेड की वसूली योग्य बकाया देय राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बकाया राशि की वसूली कार्यक्रम के अनुसार हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया राशि के पूर्ण भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा बिक्री किए गए कोयले के संबंध में 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की ओर बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों ने अपनी वित्तीय स्थिति के कारण, वर्ष 2000-2001 के दौरान भुगतान-कार्यक्रम का पालन नहीं किया।

(घ) बकाया राशियों की वसूली करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:-

(i) सम्बन्धित राज्य की केन्द्रीय योजना सहायता से कोयले की बिक्री की बाकया राशि की वसूली।

(ii) सरकार द्वारा नियुक्त निर्णायकों के माध्यम से विवादित बकाया राशियों का निपटारा।

(iii) डा. एम.एस. अहलूवालिया के अधीन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर कोयला बिक्री की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रत्याभूतिकरण प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है।

(iv) सी.आई.एल./अनुषंगी कम्पनियों ने राज्य विद्युत बोर्डों के साथ ईंधन आपूर्ति करार निष्पादित करने के कदम उठाए हैं जिनमें भुगतान आदि के सम्बन्ध में प्रावधान रहेंगे।

विवरण

(आंकड़े करोड़ रु. में)

राज्य विद्युत बोर्डों के नाम	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		
	विवादित	अविवादित	जोड़
1	2	3	4
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	22.10	271.03	293.13
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	—	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड	8.83	396.20	405.03
पंजाब विद्युत बोर्ड	188.13	60.20	248.33
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	249.70	200.36	450.06
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	0.48	51.40	51.88
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	10.73	73.91	84.64
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	330.78	434.24	765.20
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	133.21	871.93	1005.14
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	—	14.85	14.85
गुजरात विद्युत बोर्ड	0.51	669.28	669.79
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	19.11	282.11	301.22
पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	39.18	651.43	690.61
आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	4.44	29.08	33.52
असम राज्य विद्युत बोर्ड	—	-1.25	-1.25
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	—	2.86	2.86
दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1.92	187.02	188.94
दामोदर घाटी निगम	88.85	55.34	144.19
दिल्ली विद्युत बोर्ड	13.88	7.10	20.98
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	263.65	277.42	541.07
नेशनल थर्मल पावर स्टेशन	126.30	69.98	196.28
कलकत्ता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन (सी.ई.एस.सी.)	1.20	13.31	14.51
अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कारपोरेशन (ए.ई.सी.)	10.92	6.83	17.75

1	2	3	4
बोम्बे सबरबन इलैक्ट्रिक कंपनी (बी.एस.ई.एस.)	—	2.31	2.31
दुर्गापुर पावर सप्लाई (डी.पी.एस.)	—	1.32	1.32
तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन	—	11.09	11.09
हीराकुंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	—	-0.53	-0.53
उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन	—	-0.74	-0.74
रेनु सागर पावर कारपोरेशन	—	0.00	0.00
टाटा हाइड्रो	—	-0.02	-0.02
जोड़	1513.92	4638.06	6151.98

[हिन्दी]

बिहार में राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत निर्माण कार्य

2322. **श्री राजो सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या उक्त निर्माण कार्य में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, इसलिए ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया करने के लिए योजनाओं और कार्यों का चयन, उनकी स्वीकृति और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी संसाधनों से कराया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल घटक के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। इसके अलावा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल घटक के अन्तर्गत भी निधियां प्रदान की जाती हैं। चूंकि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्य/योजनाएं बनाने, उन्हें स्वीकृत करने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं इसलिए उनको पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र सुधार के अन्तर्गत 4000.00 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति वाली एक प्रायोगिक परियोजना वैशाली जिले के लिए स्वीकृत की गई है और 1122.00 लाख रुपए दो किस्तों में 27.3.2001 को 28.4.2001 को जारी कर दिए गए हैं। इस परियोजना की योजना के कार्यान्वयन का चक्र 3 वर्ष का है।

बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुविधाओं से ग्रामीण बसाटवों के कवरेज की स्थिति से पता चलता है कि 105336 बसावटें पूर्णत: कवर हैं, 2 आंशिक रूप से कवर हैं और 2 बसावटें कवर नहीं हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत राज्य को धनराशि

2323. **श्री रूप चन्द मुर्मू:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अच्छा काम-काज नहीं करने वाले राज्यों द्वारा केन्द्र से दी जाने वाली सहायता के बराबर अनुदान न दिए जाने के बावजूद उन्हें बड़ी मात्रा में केन्द्रीय निधियां मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गरीबी दर्शाने वाले संकेतकों ने इन राज्यों की हालत और खराब होने के संकेत दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम.वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) यदि राज्य अपना अंशदान देने में असफल होते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अगली किस्त की रिलीज के समय केन्द्रीय निधियों में से उतनी राशि की कटौती कर ली जाती है।

(ग) से (ङ) देश में ग्रामीण गरीबों के प्रतिशत में 1993-94 में 37.27% की तुलना में घटकर 1999-2000 में 27.07% रह जाने का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

2324. **श्री जय प्रकाश:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना पुन: शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पब्लिक स्कूलों में छात्रवृत्ति के माध्यम से 20 से 30 प्रतिशत मेधावी छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक विधान बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1961-92 से कार्यान्वित की जा रही है। इसे दसवीं योजना में भी जारी रखने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सबके लिए प्राथमिक शिक्षा

2325. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सबसे लिए प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अपनी रुचि दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य में 7,351 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने 4,000 प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन कर अपर प्राथमिक विद्यालय और कुछ अपर प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन कर उच्च विद्यालय का दर्जा देने का भी निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने भी इस कार्य के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य को इस कार्य के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 4352 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्तरोन्नत किया गया। नए स्कूलों की स्थापना तथा प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन; वर्ष 2005 तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार के एक प्रयास के रूप में समझा गया है।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान नामक योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चार जिलों अर्थात् पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तथा हैदराबाद के लिए सर्व शिक्षा अभियान संबंधी योजनाएं अनुमोदित करने के लिए प्रस्तुत किए हैं जिनमें नए प्राथमिक स्कूल खोलने तथा मौजूदा प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्तरोन्नत करने संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी मंत्रालय में जांच की जा रही है। योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत यथा अनुमत्य आवश्यक निधियां राज्य को जारी की जाएंगी।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में संस्वीकृत नए प्राथमिक स्कूलों का जिलावार ब्यौरा (आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	स्कूलों की संख्या
1.	श्रीकाकुलम	110
2.	विजयानगरम	136
3.	विशाखापट्टनम	213
4.	पूर्वी गोदावरी	213
5.	पश्चिमी गोदावरी	196
6.	कृष्णा	213
7.	गुंटूर	186
8.	प्रकाशम	127
9.	नैल्लोर	106
10.	चित्तूर	175
11.	कुड्प्पा	182
12.	अनन्तपुर	255
13.	कुरनूल	339
14.	महवूब नगर	481
15.	रंगारेड्डी	643
16.	हैदराबाद	491
17.	मेडक	481
18.	निजामाबाद	598
19.	अदिलाबाद	383
20.	करीमनगर	558
21.	वारंगल	472
22.	खम्माम	377
23.	नालगोंडा	416
	कुल	7351

[हिन्दी]

अध्यापकों के लिए तीस-सूत्री आचार संहिता कार्यक्रम

2326. श्री. पी.आर. खूंटे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने स्कूली अध्यापकों के लिए पहली बार तीस सूत्री आचार संहिता तैयार की है जिसमें उनसे छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनसे पारिश्रमिक न वसूलने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघों के अखिल भारतीय परिसंघ और शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित अनेक कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों के लिए तीस-सूत्री व्यावसायिक आचार-संहिता तैयार की थी। बाद में, इसे 1997 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित किया गया था।

शिक्षकों के लिए इस व्यावसायिक आचार संहिता का एक सूत्र यह है कि शिक्षक अनुमोदित योजना के तहत उपचारी शिक्षण के सिवाए अपने छात्रों को कोचिंग अथवा शिक्षण देने के लिए पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करेंगे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में 5-6 फरवरी, 2001 के दौरान शिक्षक संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें यह सिफारशि की गई थी कि राज्य स्तर पर शिक्षक संगठन इस संहिता और उसके अनुपालन की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी सिफारिश की गई थी कि शिक्षक संगठनों को शिक्षकों द्वारा इस संहिता के अनुपालन की मानीटरी की जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

भवन निर्माताओं और भूमि विकास के लिए रेटिंग सिस्टम

2327. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भवन निर्माताओं और भूमि विकास के लिए रेटिंग सिस्टम अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउन्सिल ने इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव-उर्वरक परियोजनाएं

2328. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जैव-उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसी योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय नौवीं योजना के दौरान "जैव उर्वरकों के विकास एवं प्रयोग पर राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार एग्रो उद्योग/सहकारी समितियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों, एन.जी.ओ. एवं निजी उद्यमियों द्वारा 150 मी. टन क्षमता के जैव उर्वरक उत्पादन एकक की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए 20 लाख रुपए तक की अनावर्ती अनुदान प्रदान करती है बशर्ते उनके प्रस्ताव राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हों। अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जैव उर्वरक एककों की स्थापना के लिए प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जैव-उर्वरकों के विकास एवं प्रयोग पर राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए जारी किए गए राज्यवार अनुदान

(रुपये लाख में)

राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
अरुणाचल प्रदेश	–	5.00	–
असम	–	–	10.00
गुजरात	–	15.00	–
मध्य प्रदेश	–	–	5.00
महाराष्ट्र	30.00	75.00	90.00
मेघालय	10.00	–	–
तमिलनाडु	10.00	–	10.00
कर्नाटक	–	57.50	–
केरल	–	5.00	–
पश्चिम बंगाल	–	–	5.00
कुल	50.00	157.50	120.00

तुगलकाबाद किले में भूमि का अतिक्रमण

2329. **श्री विलास मुत्तमेवार:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुगलकाबाद किले के आसपास अतिक्रमित की गई सारी भूमि खाली करवा ली गई है;

(ख) क्या हां, तो कितने अनधिकृत ढांचे गिराए गए हैं और इसके फलस्वरूप विकास के लिए कुल कितनी भूमि उपलब्ध हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है और उन अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की गई है जिनकी मिलीभगत से ऐसे अनधिकृत ढांचों का निर्माण हुआ था;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) दिल्ली में अन्यत्र ऐसे अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमण की पुरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया है कि तुगलकाबाद जिले के आस-पास अतिक्रमित समस्त भूमि खाली नहीं करवा ली गई है। गोदाम, शेड, वर्कशाप, बाड़े आदि जैसे करीब 300 ढांचे गिराए और गरीब 300 बीघा जमीन विकास के लिए पुन: वापस ली गई।

(ग) और (घ) मामले की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) सरकार ने डीडीए सहित सभी स्थानीय निकायों से अपने क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण की अनुमति न देने का आग्रह किया है। इसी प्रकार भू-स्वामी एजेंसियों से भी समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे अपनी भूमि पर अतिक्रमण न होने दें।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास सुविधा

2330. **श्री भालचन्द्र यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और कितने केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है और ये विद्यालय कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार के पास नए छात्रावास खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में 86 केन्द्रीय विद्यालय स्थित हैं। केवल गाजियाबाद में स्थित एक केन्द्रीय विद्यालय में छात्रावास हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सामान्यत: केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास नहीं होते हैं। गाजियावाद में छात्रावास उन दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले छात्रों के लिये स्थापित किया गया था जहां पर उस समय केन्द्रीय विद्यालय नहीं थे।

[अनुवाद]

रैन बसेरा योजना

2331. **श्री अनन्त गंगाराम गीते:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रैन बसेरा योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों की कब तक समीक्षा/कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) रैन बसेरा स्कीम के दिशा-निर्देशों के संशोधन का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। इसलिए इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए समय-सीमा का उल्लेख करना इस समय संभव नहीं है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा ट्रकों को किराये पर लेना

2332. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि न.दि. नगरपालिका परिषद् ने गत तीन वर्षों के दौरान कचरा हटाने के लिए ट्रकों को किराये पर लेने के लिए 2.14 करोड़ रुपए नष्ट किए;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य के दृष्टिगत कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति के पास कचरा हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रकों का बेड़ा था, ट्रकों को किराये पर लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका समिति के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नई दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद् पर मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि परिषद् ने कूड़ा-कचरा हटाने

के लिए निजी ट्रकों को किराये पर लेने के लिए 2.14 करोड़ रुपए व्यय किए जिससे बचा जा सकता था। तथापि, परिषद् ने लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर में इस टिप्पणी पर ट्रकों के विभागीय बेड़े की घटती संख्या और ट्रकों की खरीब हालत, कूड़ा-कचरे के इकट्ठा करने में वृद्धि और छुट्टियों और रविवारों को कूड़ा-कचरा उठाने की आवश्यकता सहित अनेक कारणों से अपनी असहमति जताई है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

2333. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम पर 2,400 करोड़ रुपए का व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए दमन और दीव में आरंभ की गई प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान दमन और दीव के लिए निर्गत की गई और उपयोग की गई और शेष बची निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार देश भर में पी.एम.जी.वाई.-ग्रामीण पेयजल घटक और एन.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत वित्तपोषित भारत सरकार और राज्यों के संसाधनों से प्राप्त निधियों से शुरू की गई कार्रवाईयों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम पर अनंतिम रूप से 3823 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

(ख) पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा दमन और दीव के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए किसी भी विशेष प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

2334. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 के दौरान आज की तिथि तक जम्मू और कश्मीर में कितने असैनिक नागरिक/सुरक्षाकर्मी/उग्रवादी मारे गए हैं;

(ख) आज की तिथि तक वहां कितनी गिरफ्तारियों की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजा गया है या भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जनवरी, 2001 से 15 जुलाई, 2001 तक जम्मू और कश्मीर में मारे गए सिविलियनों/सुरक्षाकर्मियों/उग्रवादियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

सिविलियन	-	466
सुरक्षाकर्मी	-	273
उग्रवादी	-	865

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जनवरी, 2001 से 15 जुलाई, 2001 तक जम्मू और कश्मीर में की गई गिरफ्तारियों की संख्या 56 है।

(ग) और (घ) भारत सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का नियमित आधार पर आकलन तथा समीक्षा करती है।

फार्म हाउस

2335. **श्री रामजी मांझी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 27 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सूचना को कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 2001 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "फार्म हाउसेस नेक्स्ट ऑन जगमोहन लिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(च) क्या दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फार्म हाउसों में अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने के लिए लगभग 2600 फार्म हाउसों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन फार्म हाउसों में पाए गए अनधिकृत निर्माणों का ब्यौरा क्या है;

(ज) इन फार्म हाउसों में पाये गए अनधिकृत निर्माणों को नहीं गिराये जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक गिराये जाने की संभावना है; और

(झ) दिनांक 7.8.2000 की अधिसूचना के मद्देनजर दिल्ली में फार्म हाउसों के लिए निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देश/मानदंड क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सभी फार्म हाउसों का सर्वेक्षण अभी पूरा होना है। सर्वेक्षण दल के समक्ष आयी कुछेक समस्यायें थी—कुछ मामलों में भूस्वामियों का असहयोग व प्रतिरोध सम्पत्ति संख्याओं तथा भवन नक्शों में विसंगति पुलिस सहायता आवश्यकतानुसार ली जाती है और सर्वेक्षण को यथाशीघ्र पूरा करने के गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी मानीटरिंग भी नियमित रूप से की जा रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) रिपोर्ट में सर्वेक्षण की धीमी प्रगति तथा सर्वेक्षण दलों के समक्ष आई समस्याओं का उल्लेख है, जिनका उपर्युक्त (क) से (ग) में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

(च) और (छ) सर्वेक्षण कार्य अभी भी जारी है।

(ज) पूर्वज्ञात अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(झ) दिशानिर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	फार्म का आकार	रिहायशी यूनिटों का अधिकतम फर्शी क्षेत्र	रिहायशी यूनिटों की अधिकतम ऊंचाई
(क)	1.0 है. और अधिक किन्तु 2.0 है. से कम	100 वर्ग मी. (मैजनीन तल सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर
(ख)	2.0 है. और अधिक	150 वर्ग मी. (मैजनीन तल सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर

अन्य नियंत्रण:-

(i) रिहायशी मकान में पिछवाड़ा (सैटबैक) सम्पत्ति की किसी भी चारदीवारी से 15 मी. दूर होना चाहिए।

(ii) जहां सम्पत्ति शहरी सड़क से सटी हुई है, वहां रिहायशी मकान की इमारत, उस सड़क की मध्य रेखा से 60 मी. पीछे हटकर होनी चाहिये। जहां सम्पत्ति किसी ग्राम की सड़क से सटी हुई है वहां पर मकान की इमारत उस सड़क की मध्य रेखा से 30 मी. पीछे हटकर होगी।

(iii) कोई भी रिहायशी मकान किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार के 400 मीटर के दायरे में नहीं बनाया जाना चाहिये।

असम में परती भूमि के विकास हेतु परियोजनाएं

2336. श्री पवन सिंह घाटोवार: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं हैं और 1995-96 से 2000-2001 के दौरान कितनी बंजरभूमि मंजूर की गई है; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार परियोजना-वार निधियों के उपयोग की क्या स्थिति है।?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान असम में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने हेतु समेकित

बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत पन्द्रह परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं 4-5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती हैं और निधियां परियोजना-दर-परियोजना आधार पर सात किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के समय जारी की जाती है तथा बाद की प्रत्येक किस्त, जारी की गई अंतिम किस्त के 50% से अधिक निधियों के उपयोग किए जाने के पश्चात् जारी की जाती है। निधियां जारी करने की उक्त प्रक्रिया परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई है। असम के लिए स्वीकृत की गई पन्द्रह परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयन की विभिन्न आवस्थाओं में हैं। अब तक (परियोजना-वार) जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत (लाख रुपये में)	जारी निधियां (लाख रुपये में)
1.	कार्बी आंगलौंग-I	1997-98 से 2000-01	6130	245.20	110.10
2.	हैलाकांडी-I	1999-2000 से 2003-04	6649	265.96	65.94
3.	लखीमपुर	1999-2000 से 2003-04	9000	360.00	90.00
4.	नागांव	1999-2000 से 2003-04	12500	500.00	125.00
5.	गोलाघाट	2000-01 से 2004-05	12000	480.00	72.00
6.	तिनसुखिया	2000-01 से 2004-05	5500	220.00	33.00
7.	कोकराझार	2000-01 से 2004-05	11559	462.36	69.35
8.	डिबरूगढ़	2000-01 से 2004-05	11261	450.44	67.56
9.	मोरीगांव	2000-01 से 2004-05	12500	500.00	75.00
10.	करीमगंज	2000-01 से 2004-05	9000	360.00	54.00
11.	कछार	2000-01 से 2004-05	11875	475.00	71.25
12.	धेमाजी	2000-01 से 2004-05	9300	372.00	55.80
13.	जोरहट	2000-01 से 2004-05	5375	215.00	32.25
14.	कर्बी आंगलौंग-II	2000-01 से 2004-05	12000	480.00	72.00
15.	सोनितपुर	2000-01 से 2004-05	6386	255.40	38.31

इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलाजी

2337. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलाजी, नई दिल्ली के कार्यकलाप जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलाजी, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा कितने अनुसंधान संबंधी लेख भेजे गये और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ कितने अनुसंधान वर्ष-वार श्रेणी-वार प्राप्त किये गये; और

(ग) इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलाजी नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार एवं श्रेणी-वार कितने पेटेंट भेजे गए एवं कितने पेटेंट स्वीकृत किए गए?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आई.सी.जी.ई.बी.) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक स्वायत्त केन्द्र है जिसे विदेश मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा भारत में अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठनों की तरह सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत सरकार एवं आई.सी.जी.ई.बी. के बीच एक मुख्यालय करार भी है जिसके तहत नई दिल्ली में केन्द्र की सीट से संबंधित विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। बायोटेक्नोलाजी विभाग एक नोडल अभिकरण है जो केन्द्र को मेजबान देश के योगदान एवं सरकार के साथ अन्य संपर्कों के लिए जिम्मेदार है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं संचारित अनुसंधान लेखों की संख्या निम्न है:

वर्ष	प्रकाशित	संचारित
1998	33	25
1999	57	17
2000	37	25

(ग) केन्द्र मूलत: उच्च कोटि का मूलभूत अनुसंधान कर रहा है तथापि कुछ उत्पाद और पेटेंट सामने आए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान भेजे गये एवं स्वीकृत पेटेंटों की संख्या निम्न है:-

वर्ष	प्रेषित	स्वीकृत
1998	2	1
1999	2	1
2000	4	0

चालू वित्तीय वर्ष में दो पेटेंट दाखिल भी किए गए हैं।

इस्पात क्षेत्र में ऋण की आवश्यकता

2338. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में इस्पात क्षेत्र को कितने ऋण की आवश्यकता है;

(ख) ऐसी आवश्यकताएं किन स्रोतों से पूरी की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस्पात क्षेत्र के लिए संस्थागत वित्त की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सरकार निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की ऋण आवश्यकताओं का प्रबोधन नहीं करती। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) इस समय बांड के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

नवोदय विद्यालय समिति में आयुक्त की भर्ती हेतु नियम

2339. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के पदों से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन करने वाले कौन-कौन से प्रावधान हैं;

(ख) क्या इन भर्ती नियमों का हाल में संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) नवोदय विद्यालय समिति में आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) का कोई पद नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयातित और स्वदेशी उर्वरकों पर रियायत

2340. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लाइसेंसमुक्त आयातित स्वदेशी तथा उर्वरकों पर रियायतों के क्रियान्वयन के संबंध में तथा भुगतान रोकने के संबंध में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों के लिए रियायत स्कीम से संबंधित समस्याओं/शिकायतों के समाधान के लिए रियायत स्कीम के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरक की बिक्री के संबंध में भुगतान/वसूली के लिए बिलों के पेश करने की संशोधित प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी दिशा-निर्देश उर्वरक विभाग द्वारा 17.5.2001 को जारी किए गए हैं। दावों पर शीघ्र कार्रवाई करने, बिक्री और रियायत देने के बीच समय अन्तराल को कम करने के लिए बिक्री के प्रमाणन की प्रक्रिया का यौक्तिकरण किया गया है। संशोधित प्रक्रिया नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री पर 1.4.2001 से लागू है। इसके अतिरिक्त, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उद्योग में अनाचार रोकने के लिए एक तकनीकी ऑडिट एवं इन्सपेक्शन सेल (टीएसी) का गठन एसएसपी एककों के प्रथमत: एवं छमाही निरीक्षण करने के लिए किया गया है। प्रक्रिया एसएसपी की बिक्री पर 1.6.2001 से लागू है इसमें टीएसी द्वारा निरीक्षण का प्रावधान। संशोधित दिशा निर्देशों का पूर्ण मूल पाठ इन्टरनेट (http://fert.nic.in) पर उपलब्ध है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2341. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री मानसिंह पटेल:
श्री रघुनाथ झा:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री अधीर चौधरी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री अखिलेश यादव:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री रामपाल सिंह:
डा. अशोक पटेल:
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" (एच.टी. बिजनेस) में "एण्टी-पोवर्टी स्कीम्स रन डाऊन द ड्रेन्स विद फंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जहां तक गरीबी उपशमन कार्यक्रम बनाने और इनका क्रियान्वयन किये जाने का संबंध है इन्हें अप्रभावी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे कार्यक्रमों के अप्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(च) इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कौन सी ठोस कार्य योजना की संकल्पना की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के स्रोत के रूप में हवाला देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में समाचार में उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं;

(i) ऐसा लगता है कि केन्द्र के पास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को नया रूप देने हेतु कोई कार्य योजना नहीं है।

(ii) इस योजना के अंतर्गत निधियों के एक बहुत बड़े हिस्से का दुरूपयोग होता है और यह गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

(iii) निधियों का अत्यधिक दुरुपयोग और अन्यत्र उपयोग हो रहा है तथा राज्यों और केन्द्र द्वारा निगरानी का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावहीन हो रहे हैं।

(iv) योजनाओं के प्रति राज्यों के उदासीन रवैये, केन्द्र की निधियां रिलीज करने तक भूमिका सीमित होने तथा अधिक आबंटन के लिए प्रचार करना तथा योजनाओं पर दोहरा नियंत्रण होना योजना के कार्यान्वयन में बाधक हैं।

इस संदर्भ में संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय के विचार निम्नलिखित हैं:

(i) प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना को इनके पहले वाले कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके अप्रैल 1999 से आरंभ किया गया है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा), गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुओं की योजना के बदले शुरू किया गया है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पहले वाले कार्यक्रमों की अपेक्षा मुख्य परिवर्तन यह है कि इसके तहत समन्वित नीति और स्व-सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण गरीबों को सामाजिक रूप से संगठित करने पर बल दिया जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना के बदले शुरू की गई है तथा अब यह ग्राम स्तर पर आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु विशिष्ट रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना को अब मांग की बजाय आबंटन आधारित बनाया गया है। पुनर्गठित कार्यक्रम अभी दो साल से कुछ ही ज्यादा पुराने हैं तथा फिलहाल इन कार्यक्रमों में किसी परिवर्तन पर विचार करना शीघ्रता होगी।

(ii) और (iii) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों तक निधियां पहुंचाने और निधियों के दुरूपयोग और अन्यत्र उपयोग की संभावना पर अंकुश लगाने को सुनिश्चित करने की मंत्रालय की विद्यमान प्रणाली में जिलों द्वारा राज्यों/केन्द्र को भेजी जाने वाली आवधिक रिपोर्ट, मंत्रालय और राज्य के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड दौरे, दूसरी किस्त का दावा भेजते समय जिलों द्वारा लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण भेजना, कार्यक्रम के अंतर्गत अगली किस्त की रिलीज से पूर्व यदि आडिट रिपोर्ट में अपवर्तन का मामला ध्यान में आता है तो संबंधित कार्यक्रम हेतु निधियां बहाल करना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों की वार्षिक कार्यशालाओं में तथा राज्य सचिवों वाली निष्पादन समीक्षा समिति में कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करना शामिल है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए नियमित मूल्यांकन कराया जाता है तथा मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर उपचारी उपाय किये जाते हैं।

(iv) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की संयुक्त जिम्मेदारी केन्द्र और राज्यों की है। कार्यक्रम संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करने के अलावा राज्यों से सलाह-मशविरा करने के पश्चात् तैयार किये गये थे। दोनों ही देश में गरीबी उन्मूलन एजेंडा के लिए बराबर जवाबदेह हैं। राज्य भी सभी कार्यक्रमों के लिए निधियां वहन करते हैं अर्थात केन्द्र द्वारा 75 प्रतिशत निधियां वहन की जाती हैं तथा राज्यों द्वारा 25 प्रतिशत निधियां वहन की जाती हैं। इसलिए राज्य कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के प्रति उतने ही चिंतित हैं जितना कि केन्द्र और राज्य इसके प्रति उदासीन नहीं हैं जैसा कि समाचार में उल्लेख किया गया है। यह कहना सही नहीं होगा कि दोहरे नियंत्रण की वजह से कार्यक्रमों को कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है। उपर्युक्त को देखते हुए और चूंकि देश में संघीय प्रणाली है इसलिए कार्यक्रमों पर दोहरा नियंत्रण अपरिहार्य है।

(ग) से (च) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) और (घ) के उत्तर में बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अभी दो वर्ष से कुछ ही ज्यादा पुराने हैं। इसलिए इस समय इनकी सफलता अथवा विफलता के बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण अदालतें

2342. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** ग्रामीण अदालतों के बारे में 24 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5506 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) चूंकि लोक सभा में 24.4.2001 को उत्तर दिये जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 5506 ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम पर स्वीकार किया गया था इसलिए इस मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया था। विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय, न्याय विभाग, जिनसे संबंधित यह विषय है, को इस आश्वासन के हस्तातंरण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। न्याय विभाग ने सूचित किया है कि उनके द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखा जा रही है।

[अनुवाद]

सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देश

2343. श्री प्रबोध पण्डा:
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं कॉलेजों/विश्वविद्यालयों आदि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित करने हेतु सुरक्षा व्यवस्था की मंजूरी देने के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने मंत्रालयों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है और तत्संबंधी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए पुनरीक्षित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ शिक्षाविदों और विधि समुदाय ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के उद्देश्य से इस मामले को शासित करने वाले दिशा-निर्देश 1 सितम्बर, 2000 को संशोधित किए गए हैं।

(ग) संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला इत्यादि के आयोजक को संबंधित नोडल/प्रशासनिक मंत्रालय से क्लीयरेंस लेनी अपेक्षित होती है।

(घ) दिशा-निर्देशों में वे मामले, जिनमें नोडल/प्रशासनिक मंत्रालय क्लीयरेंस दे सकता है तथा वे जिनके संबंध में इस प्रकार की क्लीयरेंस देने से पूर्व गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की सलाह की आवश्यकता होती है, विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान्। सरकार का ध्यान कुछ मीडिया रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है।

(छ) जबकि मौजूदा दिशा-निर्देशों को सरलीकृत किया गया है, सरकार का यह मत रहा है कि दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

2344. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक घटनाओं में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों का ब्यौरा विवरण-I, II और III संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक-व्यवस्था'' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध का पंजीकरण, जांच-पड़ताल, पता लगाना और इसकी रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए निवारक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपाय करने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को लिखती रहती है। राज्य सरकारों को दी गई सलाह में, अन्य बातों के साथ-साथ, केवल महिला कर्मियों वाले ही पुलिस स्टेशन स्थापित करना, पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठ स्थापित करना, जिन जिलों में महिला के प्रति अपराध प्रकोष्ठ नहीं है उनमें ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित करना, बलात्कार के मामलों की सुनवाई केवल ऐसे न्यायालय द्वारा करना जिसकी अध्यक्षता मजिस्ट्रेट करती है, 18 वर्ष से कम आयु की बलात्कार की शिकार महिला के मामलों की महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा और माता-पिता और/या संबंधियों की उपस्थिति में जांच-पड़ताल करना, पुलिस बलों में महिलाओं की व्यापक भर्ती, प्रत्येक जिले में विशेष महिला न्यायालय स्थापित करना, दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

विवरण-I

1998 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज संबंधी मृत्यु	पति और उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़-छाड़	लड़कियों का आयात (21 वर्ष तक)	सती-निवारक अधिनियम	आई टी पी अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेद्ध अधिनियम)	दहेज निषेद्ध अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	869	738	500	4310	2967	1050	8	0	507	40	212	11201
2.	अरुणाचल प्रदेश	32	38	0	8	46	1	0	0	0	0	0	125
3.	असम	744	1117	32	739	648	12	0	00	34	0	62	3388
4.	बिहार	1421	1043	039	1507	432	89	1	0	37	48	1488	7105
5.	गोवा	16	14	3	16	22	8	0	0	30	0	0	109
6.	गुजरात	368	1182	90	3602	1210	139	57	0	8	2	0	6658
7.	हरियाणा	364	318	309	977	611	385	25	0	4	1	8	3002
8.	हिमाचल प्रदेश	128	115	7	228	283	15	0	0	1	0	1	778
9.	जम्मू और कश्मीर	178	629	9	18	516	361	0	0	1	0	3	1715
10.	कर्नाटक	233	312	200	1501	1340	139	0	0	1403	4	384	5516
11.	केरल	589	130	21	2125	1773	96	0	0	27	30	8	4799
12.	मध्य प्रदेश	3354	925	598	2765	7310	741	26	0	16	2	128	15865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	महाराष्ट्र	1154	772	420	7728	2923	765	0	0	444	36	24	14266
14.	मणिपुर	13	60	0	0	13	0	0	0	0	0	0	86
15.	मेघालय	42	16	1	0	12	0	0	0	0	0	0	71
16.	मिजोरम	84	4	0	0	53	0	0	0	0	0	0	141
17.	नागालैंड	13	14	0	0	4	0	0	0	0	1	0	32
18.	उड़ीसा	799	484	298	993	1499	165	0	0	11	0	338	4587
19.	पंजाब	219	222	219	397	150	10	7	0	5	7	2	1238
20.	राजस्थान	1266	2499	433	4947	2908	54	3	0	47	1	1	12159
21.	सिक्किम	7	4	0	2	22	2	0	0	0	0	0	37
22.	तमिलनाडु	362	993	176	440	1779	1230	5	0	5937	10	269	11201
23.	त्रिपुरा	73	39	10	115	73	0	9	0	0	0	0	319
24.	उत्तर प्रदेश	1605	2882	2229	5113	2423	2571	3	0	31	7	633	17497
25.	पश्चिम बंगाल	757	783	249	3704	1243	27	2	0	43	0	3	6811
	कुल (राज्य)	14690	15333	6843	41235	30260	7860	146	0	8586	189	3564	128706
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	2	0	3	15	2	0	0	0	0	0	26
27.	चंडीगढ़	11	31	5	25	10	10	0	0	5	0	0	97
28.	दादर और नगर हवेली	1	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0	17
29.	दमन और दीव	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
30.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	438	978	126	103	653	172	0	0	75	1	10	2556
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
32.	पांडिचेरी	1	5	1	1	19	9	0	0	29	0	4	69
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	461	1018	132	141	699	194	0	0	109	1	14	2769
	कुल (अखिल भारत)	15151	16351	6975	41376	30959	8054	146	0	8695	190	3578	131475

स्रोत: भारत में अपराध (उड़ीसा संशोधन पश्चात्)

विवरण-II

1998 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज संबंधी मृत्यु	पति और उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़-छाड़	लड़कियों का आयात (21 वर्ष तक)	सती-निवारक अधिनियम	आई टी पी अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषिद्ध अधिनियम)	दहेज निषेद्ध अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	895	708	452	4666	3228	1763	0	0	737	15	282	12756
2.	अरुणाचल प्रदेश	39	40	0	5	65	1	0	0	1	0	0	151
3.	असम	703	1149	40	843	720	21	0	0	5	0	23	3504
4.	बिहार	1447	939	1021	1423	547	55	0	0	38	25	1211	6706
5.	गोवा	18	7	2	15	26	7	0	0	28	0	0	103
6.	गुजरात	331	1074	94	3886	1083	172	0	0	40	1	13	6694
7.	हरियाणा	372	350	288	1369	553	300	0	0	14	0	2	3246
8.	हिमाचल प्रदेश	109	89	5	258	297	23	0	0	0	0	3	784
9.	जम्मू और कश्मीर	170	473	6	39	507	341	0	0	4	0	2	1542
10.	कर्नाटक	301	320	217	1560	1501	147	0	0	1225	1	361	5633
11.	केरल	423	123	31	2488	1643	50	0	0	62	9	9	4838
12.	मध्य प्रदेश	3561	942	584	3012	8054	693	0	0	33	0	197	17076
13.	महाराष्ट्र	1320	727	395	7026	2766	825	0	0	390	147	14	13611
14.	मणिपुर	12	38	0	2	13	0	0	0	0	0	0	65
15.	मेघालय	27	10	0	0	17	0	0	0	0	0	0	54
16.	मिजोरम	71	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	145
17.	नागालैंड	11	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	19
18.	उड़ीसा	820	431	234	1208	1494	158	0	0	22	0	349	4716
19.	पंजाब	282	280	193	562	198	2	0	0	14	0	7	1538
20.	राजस्थान	1198	2652	443	5425	3109	51	0	0	85	8	3	12974
21.	सिक्किम	7	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	28
22.	तमिलनाडु	430	1000	197	620	1959	1776	0	0	6462	0	226	12670
23.	त्रिपुरा	72	27	17	113	71	0	0	0	0	0	0	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	उत्तर प्रदेश	1593	2746	2088	5372	2481	2255	0	0	24	6	347	16912
25.	पश्चिम बंगाल	819	804	257	3777	1200	33	1	0	39	0	1	6931
	कुल (राज्य)	15031	14934	6564	43669	31640	8673	1	0	9223	212	3050	132997
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	2	0	8	13	2	0	0	5	0	0	36
27.	चंडीगढ़	16	36	7	42	26	18	0	0	7	0	0	152
28.	दादर और नगर हवेली	3	0	2	5	8	0	0	0	0	0	0	18
29.	दमन और दीव	4	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	11
30.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	402	986	122	88	588	146	0	0	78	10	8	2428
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	6	2	4	6	36	19	0	0	50	0	6	129
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	437	1028	135	154	671	185	0	0	140	10	14	2774
	कुल (अखिल भारत)	15468	15962	6699	43823	32311	8858	1	0	9363	222	3064	135771

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण-III

1998 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज संबंधी मृत्यु	पति और उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	उत्पीड़न	छेड़-छाड़	लड़कियों का आयात (21 वर्ष तक)	सती-निवारक अधिनियम	आई टी पी अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषिद्ध अधिनियम)	दहेज निषेद्ध अधिनियम	कुल	अभियुक्त (आंकड़े नीचे दिए गए माह तक हैं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	914	676	556	4465	3029	4022	17	0	317	2274	114	16438	दिसम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	19	0	5	35	1	0	0	0	0	0	96	दिसम्बर
3.	असम	653	1395	51	431	204	3	1	0	5	115	1	2859	दिसम्बर
4.	बिहार	1312	783	893	1370	485	6	2	0	11	3	791	5656	दिसम्बर
5.	गोवा	21	7	1	13	18	10	0	0	25	4	0	99	दिसम्बर
6.	गुजरात	204	504	79	2441	642	72	17	1	26	45	2	4033	दिसम्बर
7	हरियाणा	375	339	250	1166	508	452	36	0	11	1	1	3138	दिसम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	117	104	6	291	289	13	3	0	0	0	2	835	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	जम्मू और कश्मीर	183	494	0	47	480	337	7	0	2	0	0	1550	दिसम्बर
10.	कर्नाटक	281	336	262	1688	1568	76	0	0	1337	0	392	5940	दिसम्बर
11.	केरल	536	100	15	2397	1830	75	0	0	79	36	3	5071	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	3504	904	578	2219	8251	1729	5	0	14	48	83	17335	दिसम्बर
13.	महाराष्ट्र	1237	961	397	6091	2799	1222	20	0	149	27	31	12934	दिसम्बर
14.	मणिपुर	10	43	0	4	27	0	0	0	0	0	0	84	दिसम्बर
15.	मेघालय	36	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	45	दिसम्बर
16.	मिजोरम	57	1	0	0	66	0	0	0	2	0	0	126	दिसम्बर
17.	नागालैंड	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	दिसम्बर
18.	उड़ीसा	363	175	136	277	699	55	6	0	2	0	164	1877	दिसम्बर
19.	पंजाब	313	390	189	721	310	54	4	0	18	7	3	2009	दिसम्बर
20.	राजस्थान	1242	2682	486	5358	3084	37	0	0	47	6	0	12943	दिसम्बर
21.	सिक्किम	3	2	0	2	13	0	0	0	0	0	0	20	दिसम्बर
22.	तमिलनाडु	498	849	135	775	1819	2457	2	0	5915	0	134	12584	दिसम्बर
23.	त्रिपुरा	86	41	15	129	59	0	0	0	0	1	1	332	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	1664	2690	2196	4825	2303	2346	11	0	12	1	49	16097	दिसम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	812	746	293	3715	1057	55	0	0	49	5	5	6737	दिसम्बर
	कुल (राज्य)	14472	14242	6539	38430	29583	13032	130	1	8075	2573	1777	128854	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह5		3	0	12	21	0	0	0	0	0	1	42	दिसम्बर
27.	चंडीगढ़	23	51	3	36	34	90	0	0	7	0	0	244	दिसम्बर
28.	दादरा और नगर हवेली	2	7	0	0	2	1	0	0	0	0	0	12	दिसम्बर
29.	दमन और दीव	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	दिसम्बर
30.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	358	1045	131	169	555	111	0	0	98	0	3	2470	दिसम्बर
31.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	दिसम्बर
32.	पांडिचेरी	4	10	6	3	32	27	0	0	48	1	5	136	दिसम्बर
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	394	1118	140	222	644	229	0	0	153	1	9	2910	
	कुल (अखिल भारत)	14866	15360	6679	38652	30227	13261	130	1	8228	2574	1786	131764	

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष को अधिकार

2345. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय में विशेष नामांकन करने और शिक्षकों का स्थानांतरण तथा नियुक्ति करने के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष को संपूर्ण अधिकार दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अध्यक्ष और संगठन के अन्य अधिकारियों द्वारा अधिकार का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विशेष छूट पर दाखिला देने के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मत व्यक्त किया कि माननीय मंत्री देश में कहीं भी दाखिला देने के लिए सिफारिश कर सकते हैं क्योंकि वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसे समुचित रूप से राज्यवार वितरित किया जाना चाहिए। इस समय मानव संसाधन विकास मंत्री के पास दाखिला हेतु 1000 सीटों का कोटा है जो विभिन्न राज्यों में बांटा हुआ है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में स्थानांतरण मार्ग-निर्देशों के खण्ड 18(बी) के अधीन केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को अधिकार प्रदान किए हैं। इसके अधीन मानवीय करुणा के आधार पर कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले स्थानांतरण के अनुरोधों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं, के पूर्व-अनुमोदन से आयुक्त, जितना वे आवश्यक समझें, मार्ग-निर्देशों से अलग हटकर विचार कर सकते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अध्यक्ष को ऐसे कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

पाकिस्तानियों को वीजा

2346. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल, बस और यातायात के अन्य साधनों से प्रतिमाह पाकिस्तान से कितने लोग आते हैं और उनमें पाकिस्तान लौट जाने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वीजा देने का आधार क्या है;

(ग) क्या सरकार उनको वीजा देने से पूर्व उनकी गतिविधियों, व्यवहार आदि के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन लोगों की समय पर वापसी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिनकी वीजा अवधि समाप्त हो गई है और तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जनवरी, 2000 से मार्च, 2001 तक माहवार आगमन और प्रस्थान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पाक राष्ट्रिकों को बीजा प्रदान करना, समय-समय पर यथा संशोधित भारत-पाक वीजा समझौता 1974 और इस विषय में जारी कार्यकारी निर्देशों के द्वारा शासित होता है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट होती है उन्हें वीजा प्रदान नहीं किया जाता है।

(ङ) अवैध रूप से भारत में रह रहे पाक राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापिस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को दी गई हैं। इसके अलावा, उन्हें वीजा अवधि समाप्त होने के बाद रह रहे पाक राष्ट्रिकों का पता लगाकर उन्हें तत्काल वापिस भेजने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाने के प्रशासनिक निर्देश जारी किए जाते हैं। 1997 से ढूंढे गए और वापिस भेजे गए पाक राष्ट्रिकों की संख्या नीचे दी गई है।

1997	–	267
1998	–	283
1999	–	195
2000	–	108

विवरण

जनवरी, 2000 से मार्च, 2001 तक पाक राष्ट्रिकों का आगमन और प्रस्थान दर्शाने वाला ब्यौरा

	आगमन	प्रस्थान
जनवरी 2000	4363	4527
फरवरी 2000	3461	3996
मार्च 2000	3779	3588
अप्रैल 2000	5514	4601
मई 2000	4239	4102
जून 2000	5850	3872
जुलाई 2000	5059	5376
अगस्त 2000	4088	6413
सितम्बर 2000	4885	4207
अक्तूबर 2000	6216	4751
नवम्बर 2000	4397	6646
दिसम्बर 2000	2981	1128
कुल	54832	53207
जनवरी 2001	4532	4095
फरवरी 2001	3538	3813
मार्च 2001	3836	3082
कुल	11906	10990

जम्मू और उधमपुर में बच्चों का धर्म परिवर्तन

2347. **श्री रामपाल सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 2001 के 'दैनिक जागरण' में जम्मू और उधमपुर में बच्चों के धर्म-परिवर्तन से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे धर्म परिवर्तनों को रोकने हेतु सख्त कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। ब्यौरों और की-गई-कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

फेरी वालों के लिए नीति

2348. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले फेरी वालों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में फेरी वालों का विनियमन करने वाला प्राधिकरण क्या है;

(ग) क्या फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार फेरी वालों के हितों की रक्षा के लिए फेरी गतिविधि को विनियमित करने हेतु कानून लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) गली के फेरी वाले और विक्रेता नगर पालिका कानूनों के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्यों के नगर निकायों द्वारा विनियमित होते हैं, चूंकि प्रत्येक राज्य में नगर पालिका कानून अलग-अलग हैं इसलिए गली के फेरी वालों और विक्रेताओं के विनियमन के लिए एक समान कानून नहीं है। नगर पालिका प्रशासन राज्य का विषय है और स्थानीय जरूरतों के अनुसार कानून बनाने के लिए राज्य स्वतंत्र है। गली के फेरी वालों और विक्रेताओं के लिए इस समय कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गली के फेरी वालों और विक्रेताओं की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

दवाओं की मनमानी कीमत वसूलना

2349. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दवाओं की मनमानी कीमत वसूलने के संबंध में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में एम.आर.टी.पी. आयोग द्वारा ऐसे कितने मामले पंजीकृत किए गए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) सूत्रयोगों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर नजर रखता है तथा जनहित में, जहां भी आवश्यक होता है, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप करता है।

(ख) जैसा कि एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार प्रचलन आयोग (एम.आर.टी.पी.सी.) द्वारा सूचित किया गया है, विगत 3 वर्षों में (1999 से आगे) सात भेषज कंपनियों के खिलाफ आयोग में प्रतिबंधित व्यापार प्रचलन (आर.टी.पी.ई.) के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से दो मामलों में जांच को जारी रखने योग्य नहीं पाया गया और जांच के नोटिस खारिज कर दिए गए थे। अन्य मामलों का निपटान लंबित है।

[अनुवाद]

प्रतिलिप्यधिकार चोरी के संबंध में नई दिल्ली में आयोजित बैठक

2350. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में प्रतिलिप्यधिकार चोरी और अतिक्रमण के अपराध में वृद्धि को रोकने के संबंध में राज्य अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया था कि वे कापीराईट कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए पुलिस मुख्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करें। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रशासन में नोडल अधिकारी विनिर्धारित करें ताकि उद्योग संगठनों और प्रवर्तन अभिकरणों के बीच उचित तालमेल बनाया जा सके। इन अधिकारियों का एक सम्मेलन 12 जून, 2001 को आयोजित किया था। इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य कापीराईट अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना था और साथ ही कापीराईट उद्योग संठनों, जिनके प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था,. के साथ तालमेल हेतु एक मंच प्रदान करना था। कापीराईट कानून के सम्बन्ध में और कापीराईट उद्योग संगठनों की ओर से विशेषज्ञों द्वारा विचार व्यक्त किए गए थे। कापीराईट प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के संबंध में आमतौर पर सहमति थी।

समेकित होजेनक्कल पेयजल योजना

2351. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के धरमपुरी और सलेम जिलों के लोगों के लाभ के लिए समेकित होजेनक्कल पेयजल योजना हेतु एक वैकल्पिक पेयजल योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) समेकित होजेनक्कल पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) होजेनक्कल जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना को 1997-98 और 1998-99 के पैकेजों के भाग के रूप में ओवरसीज इकानामिक को-आपरेशन फंड ऋण के लिए दो बार जापान सरकार के समक्ष रख गया था। जापान सरकार द्वारा दोनों अवसरों पर इसे वित्त पोषण हेतु स्वीकार नहीं किया गया। भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार से ''होजेनक्कल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना'' नाम से एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसे संभावित सहायता हेतु आर्थिक कार्य विभाग के जरिए विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग ने विश्व बैंक को भेजे गये 1.12.1998 के ''ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

तमिलनाडु जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना'' के पहले के प्रस्ताव के भाग के रूप में 1.6.1999 को इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी तथा राज्य सरकार को इस बात की पुष्टि करने के लिए लिखा था कि क्या वे परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना में पर्याप्त प्रावधान करेंगे।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में स्थानांतरण नीति

2352. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड में कोई स्थानांतरण नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्थानांतरण नीति के अभाव में खानों में काम करने के लिए नियुक्त अभियंता बड़े शहरों में विपणन और प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड की एक सुस्पष्ट स्थानांतरण नीति है। इस नीति के अनुसार एम.-1 तथा उससे ऊपर के ग्रेड में कार्यरत अधिकारीगण जो कि एक ही कंपनी में 10 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हों तथा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो, वे स्थानान्तरण के योग्य हैं। स्थानान्तरण नीति में आगे शर्त यह है कि अधिक मात्रा में स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए लेकिन मानकों के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों में से कम से कम 10 प्रतिशत अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। इस स्थानान्तरण नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 1998 में स्थान की वरिष्ठता के आधार पर प्रति वर्ष 20 प्रतिशत अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नीति के अनुसार, एम-1 के और उनसे ऊपर के ग्रेड के संवेदनशील पदों में कार्यरत अधिकारियों को 5 वर्ष के अवधि के पूरे होने पर वर्तमान कम्पनी से स्थानान्तरित किया जा सकता है। ई-1 से ई-5 के ग्रेडों के संवेदनशील पदों में कार्यरत अधिकारियों को 3 वर्ष की अवधि के पूरी होने पर कम्पनी में ही रोटेशन से अदला-बदला जाता है।

इस वर्ष एम.-1, एम.-2 तथा एम.-3 सभी ग्रेडों के अधिकारियों को, जो एक ही कम्पनी/तैनाती के स्थान पर 20 वर्षों तथा उससे अधिक की अवधि तक रह चुके हैं स्थानान्तरित करने का एक नीति-गत निर्णय किया गया है। तथापि चिकित्सा क्षेत्र में विश्व बैंक परियोजना में लॉगवाल तथा नई तकनीकी और 100 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना में तथा उससे ऊपर वाली परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारियों को इससे अलग रखा गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जैसा कि सी.आई.एल. द्वारा सूचित किया गया है विपणन/प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति भी स्थानान्तरण नीति द्वारा शासित होते हैं तथा उनको तैनाती स्थान से स्थानान्तरित किया जाता है। बड़े शहरों में स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोग

2353. प्रो. दुखा भगत: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या में आई गिरावट के सरकारी आंकड़े क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आई गिरावट के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आंकड़ों को संग्रहित और संकलित करने वाले प्राधिकारियों का ब्यौरा है;

(घ) क्या सरकार के पास इन आंकड़ों की शुद्धता को पता लगाने का तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा नमूना सर्वेक्षणों के जरिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बेरोजगारी का आकलन किया जाता है। अपने 55वें दौर में एन.एस.एस.ओ. द्वारा करार गए अंतिम नमूना सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि मजदूर दल में बेरोजगार ग्रामीण व्यक्तियों की सं. 43.35 लाख है। संपूर्ण देश अथवा प्रत्येक

राज्यों के लिए वर्ष-वार आकलन नहीं होने की वजह से विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में बेरोजगारी की स्थिति की तुलना करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) एन.एस.एस.ओ. ने आंकड़ा एकत्रीकरण कार्य के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया है। उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र पर्यवेक्षण किया जाता है। भरी गई अनुसूचियों की तकनीकी जांच आंकड़ों की वैद्यता से पहले उनकी जांच-पड़ताल की नीति भी अपनाई जाती है।

हडको द्वारा धनराशि का आवंटन

2354. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आवास और शहरी विकास विभाग (हडको) द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) निजी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु हड़को द्वारा कितनी ऋण राशि उपलब्ध कराई गई और इस ऋण पर ऐसा कितना ब्याज प्रभार लगाया गया; और

(ग) देश में राज्य-वार विशेषकर बिहार में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें उक्त अवधि के दौरान हडको से ऐसा ऋण प्राप्त हुआ?

• **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने पूरे देश में शहरी आवास के लिए कुल 13514.12 करोड़ रु. का ऋण और विभिन्न शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए 10249.30 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत किया है। इन स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) निजी क्षेत्र/प्राइवेट बिल्डरों को आवास निर्माण हेतु स्वीकृत ऋणों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में है।

वर्तमान में निजी क्षेत्र से 10 वर्षों की ऋण वापसी अवधि के लिए 14.50% ब्याज दर और 15 वर्षों की ऋण वापसी अवधि के लिए 14.75% ब्याज दर ली जाती है।

(ग) निजी क्षेत्र में हडको व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं देता है। हडको अपने रिटेल फाइनेन्सिंग आउटलेट अर्थात् "हडको निवास" के जरिए व्यक्तियों को आवास ऋण देता है।

हडको द्वारा हडको निवास के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-IV में है। इस स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य में संचयी रूप से 1.12 करोड़ रु. के 48 ऋण दिए गए हैं।

विवरण-I

शहरी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा राज्यवार स्वीकृत आवास ऋण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.50	2.45	0.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	339.40	356.11	193.28
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4.	असम	197.56	123.37	8.94
5.	बिहार	35.17	12.23	25.00
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	10.83
8.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
9.	दिल्ली	9.50	14.55	0.05
10.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
11.	गोवा	0.00	49.49	0.00
12.	गुजरात	309.72	328.26	14.65
13.	हरियाणा	70.22	191.45	22.74
14.	हिमाचल प्रदेश	137.33	29.10	3.45
15.	जम्मू व कश्मीर	35.44	37.83	17.96
16.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
17.	कर्नाटक	936.02	915.85	397.74
18.	केरल	421.90	671.60	255.54
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	367.13	215.78	49.15
21.	महाराष्ट्र	1066.96	812.41	40.52
22.	मणिपुर	56.59	1.00	0.00
23.	मेघालय	55.32	5.00	0.00
24.	मिजोरम	2.00	0.00	3.00
25.	नागालैंड	27.84	33.82	24.41
26.	उड़ीसा	30.00	22.38	47.07
27.	पाण्डिचेरी	5.74	0.00	0.00
28.	पंजाब	223.55	100.00	117.60
29.	राजस्थान	149.97	307.97	18.51
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
31.	तमिलनाडु	833.28	890.76	294.61
32.	त्रिपुरा	0.02	0.09	0.71
33.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
34.	उत्तर प्रदेश	248.53	208.33	84.60
35.	पश्चिम बंगाल	12108.82	823.68	33.00
	कुल	5688.18	6162.51	1663.43

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए हडको द्वारा राज्यवार स्वीकृत ऋण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	123.00	121.35	340.06
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4.	असम	25.03	67.07	29.90
5.	बिहार	12.00	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	10.30
8.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
9.	दिल्ली	1.53	12.32	8.00
10.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
11.	गोवा	0.00	49.49	0.00
12.	गुजरात	224.44	230.17	646.66
13.	हरियाणा	4.46	179.94	502.82
14.	हिमाचल प्रदेश	101.10	0.00	0.66
15.	जम्मू व कश्मीर	0.00	2.30	20.00
16.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
17.	कर्नाटक	475.66	568.53	595.44
18.	केरल	118.21	251.35	67.01
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	106.94	118.30	21.61
21.	महाराष्ट्र	428.86	613.09	282.03
22.	मणिपुर	37.80	0.00	0.00
23.	मेघालय	2.59	0.00	0.00
24.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
25.	नागालैंड	8.29	0.00	0.00
26.	उड़ीसा	0.00	0.00	10.19
27.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	82.66	0.00	109.97
29.	राजस्थान	76.04	204.70	100.00
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
31.	तमिलनाडु	414.79	578.31	640.30
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	73.00
33.	उत्तरांचल	0.00	1.53	6.50
34.	उत्तर प्रदेश	36.85	56.46	88.00
35.	पश्चिम बंगाल	110.83	763.66	487.00
	कुल	2391.28	3818.56	4039.46

विवरण-III

निजी क्षेत्र को स्वीकृत की गई आवास स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

30.6.2001 के अनुसार संचयी

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण	आवासीय इकाईयां
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	39.13	14.10	1322
2.	असम	7	49.10	25.29	705
3.	दिल्ली	2	10.96	4.66	0
4.	गोवा	1	8.24	3.30	0
5.	गुजरात	3	17.14	11.03	2241
6.	हरियाणा	3	5.53	2.86	124
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1.72	1.40	28
8.	जम्मू और कश्मीर	1	0.14	0.10	0
9.	झारखण्ड	2	2.68	1.85	528
10.	कर्नाटक	17	700.36	498.71	29853
11.	केरल	12	65.44	22.40	426

1	2	3	4	5	6
12.	महाराष्ट्र	6	9.86	4.11	227
13.	मध्य प्रदेश	4	30.63	10.04	762
14.	मेघालय	2	15.37	7.34	106
15.	उड़ीसा	1	4.75	3.00	60
16.	पंजाब	3	1.56	1.04	178
17.	राजस्थान	2	0.88	0.53	158
18.	तमिलनाडु	10	58.81	30.39	189
19.	उत्तर प्रदेश	10	46.56	25.79	1145
20.	पश्चिम बंगाल	1	0.44	0.22	0
	योग	99	1069.30	668.16	38052

विवरण-IV

हडको निवास के अंतर्गत हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

30.6.2001 के अनुसार संचयी
(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिये गये ऋणों की संख्या	ऋण राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1483	46.63
2.	असम	8794	132.87
3.	बिहार	48	1.12
4.	दिल्ली*	1190	35.38
5.	गुजरात	192	4.64
6.	जयपुर	50062	101.20
7.	जम्मू और कश्मीर	6	0.17
8.	कर्नाटक	6938	64.69
9.	केरल	1143	24.77
10.	मध्य प्रदेश	323	5.65
11.	महाराष्ट्र	720	14.67
12.	उड़ीसा	140162	603.06
13.	चण्डीगढ़**	14627	303.49
14.	तमिलनाडु	8756	250.90
15.	उत्तर प्रदेश	107	2.42
16.	पश्चिम बंगाल	622	13.28
	योग	235174	1604.94

*हडको के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वीकृत ऋण शामिल है।
**हडको के चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चण्डीगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में स्वीकृत ऋण दर्शाते हैं।

महासागर विकास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समझौते

2355. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत महासागर विकास के संबंध में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मान रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय संचार को सुविधाजनक बनाने, सागरों और महासागरों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग किए जाने को बढ़ावा देने, उनके संसाधनों का समान रूप से सदुपयोग करने के लिए, इनमें रहने वाले सजीव संसाधनों के परिरक्षण तथा समुद्री पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए सागरों और महासागरों का विधिक तंत्र-संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि कन्वेंशन हैं। भारत ने इस कन्वेंशन पर 1982 में हस्ताक्षर किए और बाद में जून, 1995 में इसका अनुसमर्थन किया। भारत समुद्र संस्तर उत्खनन तथा महाद्वीपीय शेल्फ की बाह्यसीमा के सीमांकन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि कन्वेंशन के अंतर्गत उपबंधों की मांग कर रहा है।

भारत-पाकिस्तान शिखर वार्ता

2356. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्रीमती कैलाशो देवी:
डा. एस. वेणुगोपाल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में पाकिस्तानी राष्ट्रपति के सम्मुख सीमापार के आतंकवाद और दाऊद इब्राहीम का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तानी जवाब से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में आगे कौन से कदम उठाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अपनी चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू और कश्मीर तथा भारत में अन्यत्र पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के पास इसके समाप्त होने तक आतंकवाद और हिंसा का मुकाबला करने के लिए संकल्प, शक्ति और दम-खम है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने उन अपराधियों के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया, जोकि 1993 में बंबई बम विस्फोटों और आई सी-814 के अपहरण समेत जघन्य अपराधों के दोषी हैं तथा इस समय पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात के दौरान, गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी ने सीमा पार के आतंकवाद और दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों जिन्होंने पाकिस्तान में शरण ले रखी है, के प्रत्यर्पण के मुद्दे को उठाया।

पाकिस्तान का भारत-पाकिस्तान संबंधों की दिशा में नकारात्मक और शत्रुतापूर्ण रवैया जग जाहिर है। वह आतंकवादियों द्वारा ''जेहाद'' या ''स्वतंत्रता संघर्ष'' के नाम पर, प्रतिदिन निर्दोष पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की हत्या का गुणगान करना जारी रखे हुए है। इसके विपरीत साक्ष्य होने के बावजूद, पाकिस्तानी नेता लगातार पाकिस्तान में अपराधियों की मौजूदगी को लगातार नकारते रहे हैं। पाकिस्तान का हमेशा से यह मत रहा है कि प्रत्यर्पण संधि जैसे प्रबन्धों में तब तक मुश्किल होगी जब तक कि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं होती है।

(ङ) सरकार देश की सुरक्षा और राज्यक्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए दृढ़संकल्प है।

कोयला उद्योग

2357. **श्रीमती रेनु कुमारी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 2001 के ''दैनिक हिन्दुस्तान'' में ''कोयला उद्योग, झारखंड और भविष्य की चिंताएं'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा देश के कोयला उद्योग में भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कोयले का आयात कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सी.आई.एल. द्वारा लगातार निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(i) संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का रोटेशनल स्थानान्तरण करना।

(ii) संवेदनशील क्षेत्रों में, नियमित तथा आकस्मिक दोनों प्रकार के आवधिक निरीक्षण करना।

(iii) फाईलों, आदि की पश्च (पोस्ट) संवीक्षा करना।

(iv) सम्पत्ति के विवरणियों की संवीक्षा करना।

(घ) कोयले का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आता है। उपभोक्ता कोयले, विशेषकर कोकिंग कोयले तथा बढ़िया श्रेणी के नॉन-कोकिंग कोयले का आयात, घरेलू स्त्रोतों से ऐसे कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण करते हैं। कोयले के आयात का सहारा इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि सीमा शुल्क तथा रेलवे भाड़े का वर्तमान स्तर कुछ स्थानों पर आयातित कोयला प्रति यूनिट कैलोरिफिक मान में लागत प्रतियोगी होता है।

विवरण

क्र.सं.	समाचार में उल्लिखित मामले	सरकार की प्रतिक्रिया
1	2	3
1.	विदेशों से प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख टन कोयले का आयात होता है परिणामत: हमारे देश की आयात पर निर्भरता बढ़ रही थी।	2000-2001 के दौरान 21.56 मिलियन टन (अनंतिम) कोयला (12.25 मि.ट. कोकिंग कोयला तथा 9.31 मि.ट. नॉन-कोकिंग कोयला) आयात हुआ था। उच्च गुणवत्ता वाले कोककर कोयले तथा उच्च ग्रेड गुणवत्ता वाले नॉन-कोकिंग कोयले को देशीय स्त्रोत से अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता के कारण आयात किया जा रहा है।
2.	यह एक खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा करता है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश लगातार उन देशों से आयात पर निर्भर हो रहा है जिनसे हमारा मैत्री संबंध भी नहीं है इससे सामान्य रूप में कोयला उद्योग तथा विशेष रूप में बीसीसीएल बंद हो जाएगी।	जहां तक ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में कोयले का संबंध है देश इसमें काफी हद तक आत्मनिर्भर है। वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में कोयले का कुल उत्पादन 309.63 मिलियन टन (अनंतिम) था। जिसके एवज में कुल आयात केवल 21.56 मिलियन टन था। अत: उच्च गुणवत्ता के कोयले के लिए कुछ क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु देशीय उत्पादन में आयात केवल पूरक है।
3.	कोयला खानों का स्वामित्व तथाकथित नेताओं, कोयला माफिया तथा अधिकारियों की बजाय झारखंड के लोगों के हाथ में होना चाहिए।	विद्यमान कानूनी ढांचे के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार की सरकारी कंपनियां अथवा उपक्रम भी कोयला खनन में भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार के कुछ निगमों को कोयला खनन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। झारखंड सरकार भी इस मार्ग का अनुपालन कर सकती है।

1	2	3
4.	श्रमिकों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जिस प्रकार वे अपनी व्यक्तिगत मांगों के लिए आंदोलन करते हैं उसी प्रकार के आंदोलन उन्हें भ्रष्ट तत्वों तथा माफिया के खिलाफ भी चलाने चाहिए।	राष्ट्रीयकरण के बाद से कोयला उद्योग द्वारा की गई तीव्र वृद्धि में श्रमिकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने भी विभिन्न कदम उठाए हैं। अधिक प्रतियोगात्मक व्यवस्था में प्रबंधन तथा श्रमिकों को अधिक सहयोग के साथ कार्य करना होगा।
5.	स्थिति में सुधार किया जा सकता है पुरानी रेलवे लाइने, साइडिंग इत्यादि, जो कि अब उपयोग में नहीं लायी जा रही हैं, को हटाया जा सकता है तथा नदियों, जोहड़ों और नालों को अपवर्तित किया जा सकता है और नीचे दबे लगभग 60 करोड़ टन के कोयले को निकाला जा सकता है।	बीसीसीएल में, सुलुंगा जोहड़ के अपवर्तन का पहला चरण पूरा किया जा चुका है तथा बीसीसीएल के कोयला धारी क्षेत्रों के ऊपर से जा रही नदियों और नालों को मोड़ने की संभावना की जांच किए जाने हेतु विस्तृत अध्ययन सीएमपीडीआईएल तथा बीसीसीएल द्वारा संयुक्त रूप में किया जा रहा है। इस प्रकार के मार्ग बदलने से प्राप्त हुए कोयला भंडारों की मात्रा का मूल्यांकन अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। गैर-कोयला धारी क्षेत्रों के ऊपर धनबाद-पाथरडीह रेलवे लाइन के पुनः संरेखन का मामला रेलवे प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।
6.	यदि बीसीसीएल को अपनी स्थितियों को सुधारना है तो इसे अगले पांच वर्षों के लिए अपनी उत्पादन योजना बनानी चाहिए तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि निर्धारित की जानी चाहिए।	बीसीसीएल द्वारा आगामी पांच वर्षों के लिए उत्पादन योजना बना ली गई है।
7.	कोयला खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाये।	खनन संकार्यों से प्रभावित व्यक्तियों को गैर-कोयला धारी क्षेत्रों में निर्मित की गई कालोनियों/कस्बों में स्थानांतरित किया जा रहा है जहां सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। आग तथा धंसाव से प्रभावित कुछ संकटग्रस्त क्षेत्रों के पुर्नवास को तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा, उक्त उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा पहले अनुमोदित कर दिया गया था।
8.	बीसीसीएल को भूमि से वंचित होने वालों के साथ इस आशय का समझौता करना चाहिए कि कोयला खनन के लिए पट्टे पर ली गयी जमीन उन्हें 30 वर्ष पश्चात् बेहतर अवस्था में वापस की जाएगी।	वर्तमान में बीसीसीएल द्वारा भूमि पट्टे पर नहीं ली जा रही है। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि का निपटान उन सांविधियों के प्रावधानों द्वारा प्रशासित होगा।
9.	कोयला उद्योग को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख समस्या कोयले की चोरी है। यदि इच्छाशक्ति हो तो न केवल चोरी रोकी जा सकती है, बल्कि इससे बहुत सारे युवकों को उन्हें सरकारी समितियां गठित करने के लिए प्रेरित करके रोजगार भी दिया जा सका है।	कोयला कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों तथा सीआईएसएफ द्वारा गहन गश्त से सुरक्षा को मजबूत करके कंपनियों ने कोयले की चोरी/उठाईगीरी रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। मामले पर राज्य प्रशासन के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है। वर्तमान में उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण ''लिंकेज प्रणाली'' द्वारा किया जा रहा है। सहकारी समितियों को कोयले की आपूर्ति करने पर, बेरोजगार युवकों द्वारा ऐसी सहकारी समितियों का गठन करने तथा राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिश के बाद ही विचार किया जाएगा।

1	2	3
10.	उपर्युक्त उपायों के प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राजनैतिक दल अपने राजनैतिक संबंधों को भुलाकर कोयला उद्योग की समस्याओं को सुलझाने का मिलकर प्रयास करें।	सरकार सदा ही सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने का प्रयास करती है। कोयला क्षेत्र की समस्याओं पर राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से विभिन्न संसदीय समितियों जैसे परामर्शदात्री समिति, ऊर्जा पर स्थायी समिति आदि में भी विचार-विमर्श किया जाता है।

संस्थानों पर कोयले की बकाया राशि

2358. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार किन-किन संस्थानों पर कोयले की आपूर्ति के कारण धनराशि बकाया है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या कोई बकाया धनराशि विवादित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त राशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) बकाया राशियों तथा विवादित राशियों के विवरण संलग्न हैं।

(ग) विवादित बकाया राशियों के संबंध में प्रमुख कारण हैं— गुणवत्ता, परिमाण, तौल, दंडात्मक अतिभार/न्यून लदान तथा सांविधिक प्रभार।

(घ) बकाया राशियों की वसूली करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है-

(i) सम्बन्धित राज्य की केन्द्रीय योजना सहायता से कोयले की बिक्री की बकाया राशि की वसूली।

(ii) सरकार द्वारा नियुक्त निर्णायकों के माध्यम से विवादित बकाया राशियों का निपटारा।

(iii) डा. एम.एस. अहलूवालिया के अधीन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर कोयला बिक्री की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रत्याभूतिकरण प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है।

(iv) सी.आई.एल./अनुषंगी कंपनियों ने राज्य विद्युत बोर्डों के साथ ईंधन आपूर्ति करार निष्पादित करने के कदम उठाए हैं जिनमें भुगतान आदि के सम्बन्ध में प्रावधान रहेंगे।

विवरण

दिनांक 20.7.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि (अनंतिम)

(करोड़ रुपए में)

राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत प्रतिष्ठान	विवादित	अविवादित	जोड़
1	2	3	4
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	30.34	270.74	301.08
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	—	1.51	1.51
उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड	5.84	381.36	387.20

1		2	3	4
पंजाब विद्युत बोर्ड		189.51	96.41	285.92
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड		252.66	114.29	366.95
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड		0.48	27.12	27.60
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड		12.05	85.37	97.42
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड		545.60	229.28	774.88
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड		194.85	884.05	1078.90
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड		—	20.15	20.15
गुजरात विद्युत बोर्ड		8.82	676.48	685.30
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड		8.30	336.80	345.10
पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.		45.89	731.05	776.94
आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड		4.44	48.17	52.61
असम राज्य विद्युत बोर्ड		—	-0.97	-0.97
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.		—	-0.42	-0.42
दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड		1.92	216.84	218.76
दामोदर घाटी निगम		91.02	105.10	196.12
दिल्ली विद्युत बोर्ड		14.03	5.40	19.43
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन		263.65	289.70	553.35
नेशनल थर्मल पावर स्टेशन		137.18	123.91	261.09
कलकत्ता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन (सी.ई.एस.सी.)		1.20	15.81	17.01
अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कारपोरेशन (ए.ई.सी.)		10.92	13.12	24.04
बोम्बे सबरबन इलैक्ट्रिक कंपनी (बी.एस.ई.एस.)		0.21	-0.64	-0.43
दुर्गापुर पावर सप्लाई (डी.पी.एस.)		—	4.37	4.37
तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन		—	15.53	15.53
हीराकुंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड		—	-0.90	-0.90
उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन		—	-2.89	-2.89
रेनु सागर पावर कारपोरेशन		—	—	—
टाटा हाइड्रो		—	-0.02	-0.02
	विद्युत	1818.91	4686.72	6505.63
जोड़	इस्पात	412.02	118.44	530.46
	अन्य	91.93	24.53	116.46
	कुल जोड़	2322.86	4829.69	7152.55

[अनुवाद]

केन्द्रीय/नवोदय विद्यालयों के सी.बी.एस.ई. परीक्षा के परिणाम

2359. **श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्यत: केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के और विशेषकर दो-तीन क्षेत्रों के सी.बी.एस.ई. परीक्षा के परिणाम निराशाजनक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, नहीं। सामान्यत: सभी क्षेत्रों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-10 तथा 12 के परीक्षाफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के परीक्षाफल के औसत से काफी अच्छे हैं। वर्ष 2000-2001 में नवोदय विद्यलयों और केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के परीक्षाफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के औसत परीक्षाफल की तुलना में निम्न प्रकार से रहे हैं:-

	केन्द्रीय विद्यालयों का परीक्षाफल (प्रतिशत में)	नवोदय विद्यालयों का परीक्षाफल (प्रतिशत में)	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का औसत परीक्षाफल (प्रतिशत में)
कक्षा 10	81.00	87.00	66.60
कक्षा 12	83.70	84.20	75.20

एक क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों के 8वीं कक्षा के परीक्षाफल 70 प्रतिशत से कम हैं लेकिन फिर भी ये परीक्षाफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के औसत परीक्षाफल से अधिक है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति अपने छात्रों के परीक्षाफलों में निरन्तर सुधार के प्रति जागरूक है और किए गए उपायों में शिक्षकों का प्रशिक्षण, अतिरिक्त कक्षाएं, गहन निरीक्षण आदि शामिल हैं।

कचरा एकत्रित करने के काम में निजी क्षेत्र की सहभागिता

2360. **श्री के. येरननायडू:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक केन्द्रीय योजना के तहत देश के महानगरों में कचरा एकत्रित करने के तहत देश में महानगरों में कचरा एकत्रित करने हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन बड़े शहरों में इस योजना को पहली बार शुरू किया जा रहा है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सी.आर.पी.एफ. का भर्ती केन्द्र

2361. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कन्नौर जिले के पेरिंगोन में स्थित सी.आर.पी.एफ. भर्ती केन्द्र में सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों की भर्ती शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र में भर्ती प्रयोजनार्थ सभी सुविधाएं मौजूद हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह केन्द्र भर्ती कार्य शुरू करने हेतु कब तक तैयार हो जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कोई स्थाई भर्ती केन्द्र नहीं है। तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए भर्ती देश के भिन्न-भिन्न भागों में आयोजित की जाती है जो कि किसी राज्य विशेष को आवंटित रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ उस राज्य में चयन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. मानदंड

2362. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में एन.सी.टी.ई. मानदण्डों को नहीं अपनाया गया है;

(ख) अन्य किन राज्यों ने इन मानदण्डों को नहीं अपनाया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 1 (2) में प्रावधान है कि यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में लागू होगा। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंड महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण भारत में लागू होते हैं। तथापि, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. की गतिविधियां

2363. **श्री अनंत गुढे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने हेतु की गई पहलों/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों पर एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक प्रकाशित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को समर्थन, सहायता और बढ़ावा देने में पाकिस्तान की आई.एस.आई. का हाथ है।

स्थिति से निपटने और आई.एस.आई. की गतिविधियों का सामना करने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुसमन्वित और आसूचना आधारित कार्रवाई के द्वारा आई.एस.आई. की योजनाओं को निष्क्रिय करना सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना और आधुनिकतम हथियारों और संचार प्रणाली आदि के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल हैं।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को देश में आई.एस.आई. से खतरे एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में सुग्राही बनाती रही है। इस प्रकार की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां तैयार करने और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का आदान-प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सावधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती है। संघ एवं राज्यों से सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां, आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पाकिस्तान समर्थित माडयूल्स निष्क्रिय किए जा चुके हैं।

आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक कदम भी उठाए गए हैं।

(ख) से (घ) भारत में आई.एस.आई. की गतिविधियों पर श्वेत-पत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वक्फ परिषद् को धनराशि का आबंटन

2364. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मदरसा बोर्ड या वक्फ परिषद् को धनराशि का आबंटन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन्हें राज्यों की मांग के अनुसार धन का आबंटन करती है;

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांग और उन्हें आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों को कोई आबंटन नहीं किया जा सका और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, मंत्रालय निर्धारित मानदण्डों के अनुसरण में शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए वक्फ बोर्ड/वक्फ संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए योजनेतर योजना के तहत केन्द्रीय वक्फ परिषद् को सहायता अनुदान प्रदान करता है। किसी भी मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ परिषद् को इस मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निधियां आवंटित नहीं की जाती। फिर भी इस मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् अरबी/फारसी भाषा के संवर्धन की अपनी स्वीकृत योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध मदरसा बोर्ड/वक्फ परिषद्/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठनों (जिनमें मदरसे भी शामिल हैं) को निधियां प्रदान करती हैं।

(ग) और (घ) सम्बद्ध सूचना, संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

जिन राज्यों को निधियां प्रदान नहीं की गई हैं उन्होंने योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसरण में विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजे थे।

विवरण-I

योजनेतर योजना के अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदान

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1999-2000		2000-2001	
1	2		3	
कर्नाटक	1. हाफिजबाडी दरगाह बेलहोन्गल विकास परियोजना बेलगांव	10.00	1. हजरत मदरशाह मकान विकास परियोजना तुमकुर	34.00
	2. मुस्लिम अनाथालय विकास परियोजना, बंगलौर	20.00	2. जामा मस्जिद भंडीवाड बेस विकास परियोजना, हुबली	10.00
	3. एच.एम.एस. शिक्षा सोसायटी विकास परियोजना तुमकुर	25.00	3. मुस्लिम अनाथालय विकास परियोजना बंगलौर	20.00
	4. मस्जिद-ए-सिद्धिकी गुलबाग विकास परियोजना	7.00		
	5. दत्तारी मस्जिद विकास परियोजना, बीजापुर	6.00		
	6. ताहा शिक्षा न्यास, बंगलौर की विकास परियोजना	5.00		

1	2		3	
	7. अंजुमन-ए-इस्लाम, हुबली की विकास परियोजना	26.00		
केरल	8. जमिया सादिया अरबिया विकास परियोजना कासेरगोडा	20.00	4. जामिया सादिया अरबिया विकास परियोजना कासेरगोडा	30.00
महाराष्ट्र	–		5. शाद आदम शेख न्यास विकास परियोजना, मुम्बई	25.00
पंजाब	–		6. अस्पताल निर्माण विकास परियोजना, मालेरकोटा	20.00
राजस्थान	9. दरगाह ख्वाजा सब. विकास परियोजना, अजमेर	25.00		
उत्तर प्रदेश	10. रोजा हाफिज अब्बास अली विकास परियोजना, अमरोहा	25.00	7. रोजा हाफिज अब्बास अली विकास परियोजना, अमरोहा	41.00

विवरण-II

अरबी/फारसी संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद् द्वारा जारी राशि

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1999-2000			2000-2001			के माध्यम से जारी अनुदान
		शिक्षकों की संख्या	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि	शिक्षकों की संख्या	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	34	16	1.78	99	49	5.34	राज्य उर्दू अकदामी
2.	*बिहार*	*104*	*88*	*5.62*	*104*	*52*	*5.62*	राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	चंडीगढ़	3	1	0.16	3	1	0.16	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
4.	दिल्ली	4	2	0.22	8	3	0.43	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
5.	गोवा	4	2	0.22	—	—	—	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
6.	हिमाचल प्रदेश	4	2	0.22	6	2	0.32	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
7.	जम्मू और कश्मीर	4	2	0.22	8	3	0.48	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
8.	कर्नाटक	12	6	0.65	10	5	0.54	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
9.	मध्य प्रदेश	2	1	0.11	2	1	0.11	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
10.	महाराष्ट्र	25	16	1.35	16	11	0.86	राज्य उर्दू अकादमी
11.	मणिपुर	50	50	2.70	50	50	2.70	निदेशक शिक्षा (एस)
12.	राजस्थान	3	1	0.16	3	1	0.16	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
13.	तमिलनाडु	5	1	0.27	5	1	0.27	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही
14.	त्रिपुरा	17	9	0.92	17	9	0.92	वक्फ बोर्ड
15.	उत्तर प्रदेश	17	7	0.92	32	14	1.73	स्वैच्छिक संगठन को सीधे ही

[अनुवाद]

कर्नाटक में आंगनवाड़ी केन्द्र

2365. **श्री आर.एस. पाटिल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों को वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या वर्ष 2000-2001 के लिए इन केन्द्रों को आबंटित धनराशि अब तक जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को निर्मुक्त राशि निम्नानुसार है:

(रुपये लाखों में)

1998-99	1999-2000	2000-2001
5709.83	5111.35	7466.18

(ख) राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा

2366. **चौधरी तेजवीर सिंह:**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को पहली बार प्रकाशित करने के पश्चात् कभी उनकी समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विद्वानों ने इनकी समीक्षा की है;

(ग) समीक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आज की तिथि तक किस पाठ्यपुस्तक की समीक्षा कराई गई और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की समय-समय पर समीक्षा की गई है। वर्ष 1975-76, 1984-85 और 1989-92 में पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार करते समय इनकी समीक्षा की गई थी। सम्पादकीय समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। कई विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों को समीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ये समीक्षाएं शिक्षकों से प्राप्त फीडबैक तथा विशेषज्ञों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के ध्यान में लाई गई विसंगतियों के आधार पर की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध

2367. **श्री अबुल हसनत खां:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में अपनी गतिविधियां चलाने वाले कुछ उग्रवादी, अलगाववादी और साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने हेतु केन्द्रीय सहायता की भी मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार को विधिविरुद्ध कार्यकलाप, (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ संगठनों को "विधिविरुद्ध संगठन" घोषित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। मामले में कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व, संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्तावों की उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में, राज्य-सरकारों तथा सम्बन्धित एजेन्सियों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके ध्यानपूर्वक जांच की जाती है।

(ग) जी, हां, श्रीमान।

(घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को निधियां, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों के उपयोग संबंधी पूर्ण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान की जाएंगी।

आवासीय कालोनियों में विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली भूमि उपयोग हेतु अनुमति शुल्क

2368. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि आवासीय कालोनियों में विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली भूमि के उपयोग के लिए अनुमति शुल्क जो कि वार्षिक आधार पर वर्तमान वाणिज्यिक और आवासीय दरों के बीच का अन्तर है, का 2.5 प्रतिशत कम किया गया है, ताकि नर्सिंग होम, बैंक और अतिथि-गृहों को विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली भूमि का उपयोग करने की अनुमति मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावी तिथि से अनुमति शुल्क वसूलने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली भूमि के उपयोग हेतु अनुमति शुल्क को कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने 7 मई, 1999 की अधिसूचना द्वारा न्यूनतम 209 वर्ग मीटर के आकार और सामने से न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी रोड (खास क्षेत्रों में 9 मीटर और पुनर्वास कालोनियों में 1.35 मीटर चौड़ी रोड) वाले आवासीय भूखण्डों पर नर्सिंग होम, अतिथिगृह बोर्डिंग हाउस, लाजिंग हाउस की रोड फ्रंटेज, पड़ोस सुविधाओं की पूर्ति पार्किंग जरूरतों इत्यादि की शर्तों पर अनुमति दी है। इन गतिविधियों के लिये ली जाने वाली परमीशन फीस, सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रचलित वाणिज्यिक दर और प्रचलित रिहायशी दर के बीच अंतर 10% वार्षिक रखी गयी है। पुनर्विचार पर अतिथिगृहों के लिये परमीशन फीस घटाकर 13/20-11-2000 को प्रचलित वाणिज्यिक दर और प्रचलित रिहायशी दर के बीच अंतर के 2.5% कर दी गई। जिन अतिथिगृहों पर 15 कमरों से अधिक कमरे होंगे, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त कमरे के लिये 5% की दर से परमीशन फीस देनी होगी। ये फीस ऐसे गैर-रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयुक्त वास्तविक फर्शीक्षेत्र पर आधारित होगी और इस फीस से वसूली गई राशि स्थानीय निकाय द्वारा एस्क्रो एकाउंट में रखी जाएगी और वह उस क्षेत्र में और उसके आस-पास अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी।

जहां तक नर्सिंग होमों का सवाल है दिल्ली मेडिकल एसोशिएशन नर्सिंग होम एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट फोरम ने रिट याचिका नं. 6240/1999 द्वारा संशोधित परमीशन फीस के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 1 जून, 2001 के फैसले में नर्सिंग होम बावत परमीशन फीस की लेवी को समाप्त कर दिया और इस मामले पर दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 57(1)(एफ) के तहत प्रोसेस करने की अनुमति दी। रिहायशी कालोनियों में नर्सिंग होम की अनुमति उनसे ली जाने वाली परमीशन फीस/प्रयोक्ता प्रभार राशि का मामला विचाराधीन है।

बी.सी.सी.एल. के पास कोयले के भंडार

2369. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.सी.सी.एल. के पास अधिग्रहण के समय क्षेत्र-वार, श्रेणी-वार और विभाग-वार 1, जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार अलग-अलग कितने कोयले भंडार थे; और

(ख) नौवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान बी.सी.सी.एल. की वर्षवार क्या उत्पादन योजना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी.एस.आई. द्वारा दिनांक 11.1.1973 की स्थिति के अनुसार बिहार के लिए कोयले का भण्डार 17365.35 मिलियन टन आकलित किया गया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(मिलियन टन में)

श्रेणी	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	योग
प्राइम कोकिंग	3653.21	1537.26	460.73	5651.20
मध्यम कोकिंग	3393.76	3820.01	1071.33	8285.10
अर्द्ध कोकिंग	939.58	2112.19	377.28	3429.05
योग	7986.55	7469.46	1909.34	17365.35

बी.सी.सी.एल. का भण्डार दिनांक 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार 19430 मिलियन टन आकलित किया गया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन टन में)

श्रेणी	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	योग
प्राइम कोकिंग	4614.35	698.71	–	5313.06
मध्यम कोकिंग	4360.48	1803.52	–	6164.00
नॉन-कोकिंग	6102.74	1850.26	–	7953.00
योग	15077.57	4352.49	–	19430.06

(ख) नौवीं और दसवीं योजनाओं हेतु बी.सी.सी.एल. के उत्पादन कार्यक्रम का वर्ष-वार विवरण निम्नवित है:-

(मिलियन टन में)

	नौवीं योजना ए.ए.पी. के अनुसार		दसवीं योजना (अनंतिम)	
वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	वर्ष	प्रक्षेपण
1997-98	30.70	30.92	2002-03	31.00
1998-99	32.30	27.17	2003-04	31.50
1999-2000	27.50	27.90	2004-05	32.00
2000-01	29.50	26.02	2005-06	32.50
2001-02	30.00	–	2006-07	33.00

[हिन्दी]

स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहरों के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश

2370. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को महानगरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(च) समिति द्वारा रिपोर्ट देने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं। महानगरों को साफ तथा प्रदूषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की है। तथापि, कचरा निपटान के बारे में भारत सरकार सभी राज्य सरकारों तथा अन्य के खिलाफ श्रीमती अलमित्रा एच. पटेल द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) सं. 888/1996 में दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई और बंगलौर महानगरों में सफाई के मुद्दे पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निदेश दिया कि दिल्ली के बारे में वह स्पष्ट उत्तर दे और साथ ही, लैंडफिल और कम्पोस्ट प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका

परिषद् को भूमि का निर्धारण कर उसे आवंटित करने के बारे में अलग से उत्तर दिया जाए।

(ग) उपर्युक्त रिट याचिका (सिविल) के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता नगर निगम के म्यूनिसपल तात्कालीन कमिश्नर की अध्यक्षता में प्रथम श्रेणी शहरों में कचरा निपटान प्रबन्धन के सभी पहलुओं की जांच करने और 30.6.98 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18.1.1998 को एक समिति गठित की थी। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को इस समिति के कार्य में सहायता देने का निदेश दिया गया था।

(घ) उक्त समिति ने 30.6.98 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की तथा अपनी सिफारिशों पर प्रतिपुष्टि/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों, म्यूनिसिपल कमिश्नरों और कचरा प्रबन्धन में संलग्न अन्य के साथ क्षेत्र-वार कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी।

(ङ) और (च) समिति ने अपनी अंतिम (पूर्ण) रिपोर्ट 25.3.99 को तैयार की। समिति की रिपोर्ट में, मार्गों-गलियों में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगाने, स्रोत पर कचरा एकत्र करने घर द्वार पर कचरा संग्रह वर्ष के प्रत्येक दिन सड़कें बुहराने, सड़कों की सफाई के लिए कार्य मानक तय करने, मापदण्ड, सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदान कायम करने, खुले कूड़ाघरों तथा अन्य अस्वास्थ्यकर कूड़ेदानों की समाप्ति, कूड़ा संग्रह सुविधा के अनुरूप कचरे की ढुलाई , जैवीय संडाय वाले कचरे को कम्पोस्ड खाद में बदलने, पुन: प्रयोग योग्य कचरे को पुनर्शोधन उद्योग को सौंपने, अनुपयोगी कचरे को ही वैज्ञानिक विधि से गड्ढे में डालने, अप्रमाणित प्रौद्योगिकियां अपनाने के विरुद्ध चेतावनी, स्थल चयन स्थल विकास और लैंडफिल कार्यों के मापदण्ड तय करने, संस्थायी मजबूती और क्षमता विकास, प्रबन्धन सूचना प्रणाली, वित्तीय, स्वास्थ्य और कानूनी पहलू, जन जागरण अभियान चलाने और कचरा प्रबन्धन के लिए टेक्नालाजी मिशन के सृजन इत्यादि का समावेश है।

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास

2371. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला और बाल विकास विभाग की राष्ट्रीय महिला कोष आई.सी.डी.एस., स्वशक्ति और बालिका स्मृद्धि योजना आदि जैसी योजना/कार्यक्रमों से महिलाओं, विशेषकर महिला सशक्तिकरण वर्ष में, के विकास में योजना-वार किस सीमा तक मदद मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के लिए नवीन कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण, रोजगार व आयोत्पादन, कल्याणकारी व समर्थन सेवाएं जागरूकता पैदा करना तथा महिला संचेतना विषयों से संबंधित हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को स्वतंत्र व स्वावलंबी बनाना है। राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं को आयोत्पादक कार्यकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराने संबंधी सेवाएं प्रदान करता है, आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को अनिवार्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, 'स्व-शक्ति' के तहत महिलाओं के स्व-सहायता दलों को प्रोन्नत किया जाता है तथा सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक बेहतरी का संवर्धन करने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाता है ताकि महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार हो सके; और बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिका के समग्र स्तर को बढ़ाना तथा उसके प्रति पारिवारिक एवं सामुदायिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। महिला सशक्तिकरण वर्ष, 2001 के दौरान विभाग की इन सतत् स्कीमों को बेहतर लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कीम-वार लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	महिला लाभार्थियों की संख्या
1.	राष्ट्रीय महिला कोष	4,08,559*
2.	आई.सी.डी.एस.	54,00,000
3.	स्व-शक्ति	8,795**
4.	बालिका समृद्धि योजना	10,45,000

*वर्ष 1993 में स्थापना के समय से 30 जून, 2001 तक।
**गठित स्व-सहायता समूहों की संख्या।

आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी

2372. **डा. एस. वेणुगोपाल:**
श्री रामानन्द सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सभी राज्यों में आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है जिससे कि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कुछ राज्यों में कमी है।

(ग) आई.पी.एस. के पद, सीधी भर्ती के अलावा प्रोन्नति द्वारा लगातार भरे जा रहे हैं। सीधी भर्ती कोटा में पद, सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अधिकारियों का आवंटन करके भरे जाते हैं और प्रोन्नति कोटा में पद वर्ष-वार चयन सूचियां तैयार करके भरे जाते हैं।

संपदा निदेशालय, सी.पी.डब्ल्यू.डी., डी.डी.ए. और हुडको की लंबित शिकायतें

2373. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपदा निदेशालय, सी.पी.डब्ल्यू.डी., डी.डी.ए. और हुडको के संबंध में आज की तिथि के अनुसार अलग-अलग कोई शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इन शिकायतों पर कार्यवाही में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षा का व्यावसायीकरण

2374. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के विश्व व्यापार संगठन सहित सभी मंचों पर शिक्षा के व्यवसायीकरण किये जाने का पारस्परिक रूप से विरोध करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप समाज पर क्या बुरे प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था में विदेशी पूंजीनिवेश और निजीकरण की अनुमति देने से शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। ई-9 देशों, जिनमें चीन और भारत दोनों सदस्य हैं, की रिसीफ घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को स्वीकार किया गया है कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रादेशिक सरकारों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसायटी की भागीदारी में राष्ट्रीय सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ख) से (घ) शिक्षा के संवर्धन के लिए 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सामाजिक कार्यकर्त्ता समूहों सहित गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है बशर्ते इस संबंध में उपयुक्त प्रबन्धन की व्यवस्था हो। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि शिक्षा के वाणिज्यीकरण के उद्देश्य से स्थापित की जाने वाली संस्थाओं की स्थापना को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। तदनुसार, दाखिले, फीस संरचना, शिक्षकों की भर्ती, संस्थाओं के प्रबन्धन, पाठ्यचर्या का सम्पादन करने, नई संस्थाओं की स्थापना आदि जैसे मामलों सहित विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को नियमित करने के संबंध में राज्य सरकारों के अपने-अपने विनियामक कानून हैं। क्रमशः उच्चतर, तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में मानदण्डों और मानकों के उचित अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् की सांविधिक निकायों के रूप में स्थापना की गई है। इन सभी संगठनों ने अपने से संबंधित शिक्षा क्षेत्र में विस्तृत मानदण्ड, नियम तथा विनियम निर्धारित किए हैं। अतः सरकार शिक्षा में सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी के पक्ष में होते हुए भी इस बात पर सहमत नहीं होगी कि इससे शिक्षा का अवश्य ही वाणिज्यीकरण हो जाएगा। इस भागीदारी से जहां उच्चतर शिक्षा अपेक्षाकृत और अधिक सुलभ होगी वहां उसकी गुणवत्ता के उन्नयन को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

शिक्षा का राष्ट्रीय विकास से अभिन्न सम्बन्ध है और गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा ताकि वित्तीय, भौतिक तथा बौद्धिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। यह वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में और भी आवश्यक है।

[अनुवाद]

कापार्ट द्वारा गुजरात में शुरू की गई परियोजनाएं

2375. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और आज की तिथि के दौरान लोग कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद् (कापार्ट) द्वारा गुजरात में शुरू/स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कापार्ट के माध्यम से स्थान-वार किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या राज्यों की परियोजनाओं के कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कापार्ट के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) 2000-2001 के दौरान तथा आज तक गुजरात में लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के विवरण, इन स्वैच्छिक संगठनों के नाम, स्थितिवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) कपार्ट में लंबित गुजरात राज्य की परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। इन परियोजना प्रस्तावों की डेस्क जांच की औपचारिकता तथा वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन पूरा होते ही इसे विचार हेतु कपार्ट की संबंधित राष्ट्रीय स्थाई समिति/क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण-I

(2000-2001)

(रुपये में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम व पता	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	भारतीय जन संगठन, पुणे, महाराष्ट्र 1184/4 शिवाजी नगर पाडूका चौक, पूणे (कार्य क्षेत्र गुजरात)	जन सहयोग	19,44,000
2.	रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, गांधी राम रोड, जुहू, मुम्बई (कार्य क्षेत्र गुजरात)	जन सहयोग	18,98,799
3.	रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, गांधी राम रोड, जुहू, (कार्य क्षेत्र गुजरात)	जन सहयोग	19,95,938
4.	भाल नाल कंठा प्रायोगिक संघ (गुंडी) ताल विरंगम, जि. अहमदाबाद,	जन सहयोग	6,55,431
5.	विश्व शांति सेवा ट्रस्ट मरियमपुरा, जि. आनन्द	जन सहयोग	23,730
6.	श्रमिक सेवा समिति, ब्लाक सनद, जि. अहमदाबाद	जन सहयोग	1,51,200
7.	मलधारी सेवा संघ, ढोलका, जि. अहमदाबाद	जन सहयोग	2,54,016
8.	जरपन नसरपुर विभाग, कलवानी मंडल, वादीताल, उमरपाड़ा जि. सूरत	जन सहयोग	7,40,859

1	2	3	4
9.	श्री बाल विकास सगन क्षेत्र समिति, पच्छम, ताल ढोलका, जि. अहमदाबाद	जन सहयोग	9,59,559
10.	स्वदेशी जागरण फाउंडेशन, 60 नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली (परियोजना प्रस्ताव बी एम डी अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया)	जन सहयोग	4,56,000
11.	सोशल एक्शन फार रूरल फंड एंड ट्राइबल इन हैबीटेंट्स आफ इंडिया (सारथी) लुनावाड़ा, ता. संतराम पुर, जि. दाहौद	जन सहयोग	5,84,220
12.	भाल नलकांठा प्रायोगिक संघ रामपुरा ताल विरम्गाम जि. अहमदाबाद	जन सहयोग	5,83,047
13.	श्री आर्य सेवा संघ पो. आ. बसपा ताल सामी जि. पाटन	जन सहयोग	6,58,980
14.	समन्वय रिसोर्स सेंटर, पो. आ. केलिया, ताल देवगध बरिया, जि. पंचमहल	जन सहयोग	4,53,145
15.	वन जागृति युवक केन्द्र संगठन, ओल्ड बस स्टैंड, बयाड, जि. साबरकांठा	जन सहयोग	7,51,140
16.	श्री भागवत बा, खादी ग्रामोद्योग सेवा ट्रस्ट ग्रामोद्योग सेवा ट्रस्ट, गबद जि. साबरकांठा	जन सहयोग	6,11,667
17.	चमुंडा निकेतन सुरेन्द्रनगर मोती कथेछी, ताल लिम्बडी, जि. सुरेन्द्र नगर	जन सहयोग	4,02,064
18.	महिला एकता विकास परिषद्, 3 जीवन कला सोसाइटी, वेजलपुर रोड, अहमदाबाद	जन सहयोग	6,31,778
19.	ग्राम्य विकास ट्रस्ट एस टी स्टैंड के सामने, द्वारका, जि. जामनगर	जन सहयोग	5,27,535
20.	अस्मिता संवर्धन ट्रस्ट श्रीनाथगढ़, जि. राजकोट	जन सहयोग	7,25,457
21.	परख ट्रस्ट शिव निवास हिम्मतनगर, साबरकांठा	जन सहयोग	3,41,945
22.	सुरेन्द्रनगर जि. सर्वोदय विकास मंडल, धरशला रोड, जोरावर नगर, जि. सुरेन्द्रनगर	जन सहयोग	12,88,198
23.	श्री वाडियार खादी ग्रामोद्योग संघ, पो. आ. बसपा, तालुका सामित. जि. पाटन	जन सहयोग	4,30,885
24.	श्री आर्य सेवा संघ, जि. पाटन, पो. आ. बसपा ताल सामी, जि. पाटन	जन सहयोग	5,32,944
25.	श्री सरदार केलवानी मंडल, यू.बी. कन्या विद्यालय, सामी, जि. पाटन	जन सहयोग	4,02,016
26.	श्री सरस्वती एजूकेशन ट्रस्ट दोदपुर ताल सामी, जि. पाटन	जन सहयोग	3,93,450
27.	ग्राम सेवा ट्रस्ट, लनवा, पो.आ. लनवा, ता. चनश्मा जि. पाटन	जन सहयोग	4,66,730
28.	इन्साफ खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, पो.आ. बनोड, ता. दसादा, जि. सुरेन्द्रनगर	जन सहयोग	11,45,057
29.	मातृभूमि रेशम खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज ट्रस्ट, जोरावर नगर, ताल वादवन, जि. सुरेन्द्रनगर	जन सहयोग	15,89,280
30.	श्री वाडियार खादी ग्रामोद्योग संघ, पो.आ. बसपा, ताल सामी, जि. पाटन	लाभार्थी संगठन	1,49,000
31.	दहेदाम विकास योजना, पो.आ. देवकरण, ताल देवगांव, जि. अहमदाबाद	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	3,72,750

1	2	3	4
32.	महीति रूरल डेवलपमेंट सेंटर, ढंडुका तालुका, जि. अहमदाबाद	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	4,73,035
33.	पाण्डु निवास डेवलपमेंट एजेंसी, ता. सवाली, जि. बडोदरा	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	3,72,750
34.	सुरुचि शिक्षण वसाहट ट्रस्ट सुरुचि वसाहट पो.बा. सं. 4 बागडोली, जि.सूरत	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	2,79,150
35.	उठान छत्तीस चित्रकूट टवीन्स वस्त्रपुर्त अहमदाबाद	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	6,72,000
36.	सेंट जेवियर नान फार्मल एजूकेशनल सोसाइटी, अहमदाबाद	विनाश प्रबंधन	17,76,000
37.	डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, अहमदाबाद	विनाश प्रबंधन	23,76,000
38.	–वही–	वाटरशेड	8,86,000
30.	अमर भारती गांधीनगर	वाटरशेड	2,00,000
	(2001-2002)		
40.	बनी विकास ट्रस्ट, (गोरे वाली) 206 कामर्शियल सेंटर, पो.आ. गोरे वाली ताल भुज, जि. भुज	जन सहयोग	3,67,040
41.	मानव साधना 136 गांधी आश्रम, अहमदाबाद	जन सहयोग	16,20,300
42.	सुरुचि शिक्षण वसाहट ट्रस्ट, सुरुचि वसाहट पो.बा. सं. 4 बागडोली, जि.सूरत	जन सहयोग	6,12,433
43.	अस्मिता संवर्धन ट्रस्ट श्रीनाथगढ़, जि. रोजकोट	जन सहयोग	6,65,280
44.	प. कच्छ खादी ग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम, कोठारा, जि. कच्छ	जन सहयोग	2,70,000
45.	भिमानी खादी ग्रामोद्योग संघ, तोपरानी संकुल मांडवी जि. कच्छ	जन सहयोग	2,70,000
46.	कच्छ खादी ग्रामोद्योग संघ, ओल्ड स्टेशन रोड, भुज कच्छ	जन सहयोग	2,70,000
47.	भिमानी खादी मंडल, ग्रामोद्योग वाडी, लीलपुर राहपुर, जि. कच्छ	जन सहयोग	2,70,000
48.	श्री कबीर आश्रम, पो.आ. लिम्डी, जि. सुरेन्द्रनगर	जन सहयोग	13,86,000
49.	श्री मंगलम खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, सोनापुर रोड, वधावन, जि. सुरेन्द्रनगर	जन सहयोग	8,31,600
50.	ग्रामीण सेवा ट्रस्ट आर आर होस्पिटल लिंबी, जि. सुरेन्द्रनगर	जन सहयोग	4,39,485
51.	श्री लालन सरस्वती धाम अभिवन हाई स्कूल के पीछे सिद्धपुर, जि. पाटन	जन सहयोग	2,94,604
52.	आनंदी (क्षेत्र नेटवर्किंग और डेवलपमेंट्स)	विनाश प्रबंधन	24,71,150

विवरण-II

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम व पता	योजना का नाम
1	2	3
1.	गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड, अहमदाबाद	आर्टस
2.	श्री गजानंद युवक मंडल, भावनगर-364765	आर्टस
3.	आवानी रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, ताला कडना, जि. पंचमहल	ओ बी
4.	एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सेंटर, अमरेली	ओ आर पी
5.	गुजरात राज्य रचनात्मक कार्यकारी संघ, पंचमहल	ओ आर पी
6.	श्री समाज सेवा ट्रट, अमरेली	ओ आर पी
7.	श्री शिव शक्ति ग्राम विकास संघ सोनार, मेहसाना	पी सी
8.	सामी तालुका खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, मेहसाना	पी सी
9.	दीन बंधु प्रगति युवक मंडल, साबरकांठा	पी सी
10.	श्री बगद सेवा मंडल, साबरकांठा	पी सी
11.	लोक विकास, अहमदाबाद	पी सी
12.	श्री हरसिद्धा महाकाली सेवा संघ, मेहसाना	पी सी
13.	श्री आर्य सेवा संघ, मेहसाना	पी सी
14.	समन्वय रिसोर्स सेंटर, पंचमहल	पी सी
15.	श्री दिव्य ज्योति ग्राम विकास केलवानी मंडल, राजकोट	पी सी
16.	महिला एकता विकास परिषद्, अहमदाबाद	पी सी
17.	श्री अरबुदा खादी ग्रामोद्योग मंडल, साबरकांठा	पी सी
18.	मालपुरा तालुका सरस्वती सेवा संघ, साबरकांठा	पी सी
19.	अस्मिता संवर्धन ट्रस्ट, जि. राजकोट	पी सी
20.	उकेल रचनात्मक ट्रस्ट, अहमदाबाद	पी सी
21.	ग्रामीण राज्य विकास समिति, अहमदाबाद	पी सी
22.	जन विकास संस्था, आनन्द	पी सी
23.	श्री साजानंद सर्वसेवा ट्रस्ट, भुज	पी सी
24.	श्री मोती भाई चौ. फाउंडेशन, मेहसाना	पी सी
25.	इनरेका कॉम्पलेक्स दादियापाड, जि. नर्मदा	पी सी
26.	लोक जागृति युवक मंडल, जि. साबरकांठा	पी सी

1	2	3
27.	चंद्रोदय खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ, अहमदाबाद	पी सी
28.	सृजन सेवा संग बापूनगर, अहमदाबाद	पी सी
29.	श्री ललन सरस्वती धाम दिसपुर, पाटन	पी सी
30.	समन्वय रिसोर्स सेंटर, जि. दाहोड	पी सी
31.	श्री परिश्रम रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, भावनगर	पी सी
32.	श्री भगवती बा खादी ग्रामोद्योग संघ, जि. साबरकांठा	पी सी
33.	लोक कल्याण कर्मोद्धार सोसाइटी, राजकोट	पी सी
34.	श्रमिक विकास संस्थान, भिलोदा	पी सी
35.	बन्नी विकास ट्रस्ट भुज, कच्छ	पी सी
36.	आवानी रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, पंचमहल	पी सी
37.	एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर सेंटर, अमरेली	पी सी
38.	श्री मानव सेवा ट्रस्ट, गांधीनगर	पी सी
39.	श्री अरबुदा खादी ग्रमोद्योग मंडल, साबरकांठा	पी सी
40.	श्री विवेकानन्द रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, कच्छ	पी सी
41.	अखिल भारतीय श्री पूनर्वास हेल्थ एवं एजूकेशन मंडल, बडौदा	पी सी
42.	श्री कबीर आश्रम, पो. आ. लिम्डी, जि. सुरेन्द्रनगर	पी सी
43.	गुजरात राज्य ग्राम सेवा विकास समिति, अहमदाबाद	पी सी
44.	श्री गजानंद युवक मंडल, भावनगर	पी सी
45.	ग्राम विकास सेवा ट्रस्ट, साबरकांठा	पी सी
46.	माहित रूरल डेवलपमेंट सेंटर, अहमदाबाद	पी सी
47.	श्री कंडला तालुका ग्राम सेवा मंडल, अमरेली	पी सी
48.	समन्वय रिसोर्स सेंटर, जि. दाहोड	पी सी
49.	शांति ग्राम निर्माण मंडप, भडुच	पी सी
50.	उत्थान, अहमदाबाद	पी सी
51.	श्री मानव सेवा ट्रस्ट, साबरकांठा	पी सी
52.	सेवा विकास ट्रस्ट, राधनपुर, पाटन	पी सी
53.	महिला एकता विकास परिषद्, अहमदाबाद	पी सी

1	2	3
54.	श्री बाल विकास सगन क्षेत्र समिति, ढोलका	पी सी
55.	सर्वोदय रचनात्मक संघ, अहमदाबाद	पी सी
56.	सौराष्ट्र इक्नामिक डेवलपमेंट सेंटर, जूनागढ़	पी सी
57.	रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इंस्टी., अहमदाबाद	पी सी
58.	मंनका चेरीटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद	पी सी
59.	श्री गनड खादी ग्रामोद्योग संघ, सुरेन्द्रनगर	पी सी
60.	सर्वोदय महिला विकास समिति अंजार, जि. कच्छ	भूकंप राहत एवं पुनर्वास कार्य
61.	पीस, भालवीयनगर, नई दिल्ली	–वही–
62.	श्री मानव सेवा ट्रस्ट जि. नांदेड, महाराष्ट्र	–वही–
63.	लेट उल्लाह मेमोरियल ट्रस्ट नांदेड, महाराष्ट्र	–वही–
64.	श्री आर्य सेवा संघ पाटन, गुजरात	–वही–
65.	इन्साफ खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट जि. सुरेन्द्रनगर, गुजरात	–वही–
66.	मुक्ता नगर इंटरनेशनल फाउंडेशन, मुम्बई, महाराष्ट्र	–वही–
67.	स्वराज खादी ग्रामोद्योग समिति, सुरेन्द्रनगर	–वही–
68.	श्री हलवाड धरागडा ग्राम सेवा मंडल, सुरेन्द्रनगर	–वही–
69.	गौरव रचनात्मक समिति, सुरेन्द्रनगर	–वही–
70.	श्री कोठारिया खादी ग्रामोद्योग मंडल वाधवां, सुरेन्द्रनगर	–वही–
71.	श्री मातृभूमि रेशम खादी ग्रामोद्योग मंडल, सुरेन्द्रनगर	–वही–
72.	श्री नवजीवन खादी ग्रामोद्योग मंडल, प्रांगढ़, सुरेन्द्रनगर	–वही–
73.	श्री हरिकृष्ण खादी ग्रामोद्योग संघ, फुलवाड़ी, सुरेन्द्रनगर	–वही–
74.	श्री समग्र समाज खादी विकास मंडल, वाधवा, सुरेन्द्रनगर	–वही–
75.	श्री सयला तालुका खादी ग्रामोद्योग मंडल, सायला, सुरेन्द्रनगर	–वही–
76.	राष्ट्रीय स्वाभिमान, लोअर ग्राउंड फ्लोर सी-101, नई दिल्ली	–वही–
77.	श्री सुरेन्द्रनगर जि. सर्वोदय विकास मंडल जोरावरनगर, सुरेन्द्रनगर	–वही–
78.	सेंटर फार रूरल केयर आनंद विहार, भावनगर	–वही–
79.	किब्बतुस, शिवनगर, पुणे	–वही–
80.	श्री राष्ट्रीय शल्ला राजकोट, गुजरात	–वही–

1	2	3
81.	गुजरात राज्य ग्राम विकास समिति ढोलका सर्किल, अहमदाबाद	भूकंप राहत एवं पुनर्वास कार्य
82.	उकेल रचनात्मक ट्रस्ट, विरानी रोड, नखतराना, कच्छ	–वही–
83.	कच्छ नव निर्माण अभियान भुज, कच्छ	–वही–
84.	गुजरात रिसर्च आर्गेनाइजेशन युनिटी आफ प्लानिंग (ग्रुप), जि. अहमदाबाद	–वही–
85.	सेंट जेविअर नान फार्मल एजूकेशन सोसाइटी, अहमदाबाद	पी सी के अन्तर्गत विनाश प्रबंधन
86.	श्री कंडला तालुका ग्राम सेवा मंडल, साबरकांठा, गुजरात	–वही–
87.	डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, अहमदाबाद	–वही–
88.	समन्वय रिसोर्स सेंटर, दाहोड, गुजरात	–वही–

राज्यों में भूमि सुधारों को लागू करना *[हिन्दी]*

2376. श्री जी.जे. जावीया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्य भूमि सुधारों को लागू करने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों की केन्द्रीय सहायता रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में प्रविष्टि संख्या-18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल एक सलाहकार और समन्वयक की है। भूमि सुधार कार्यक्रमों में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि/भूदान भूमि/सरकारी बंजरभूमि का वितरण, काश्तकारी सुधार, भूमि जोतों की चकबंदी और अंतरित जनजातीय भूमि वापस दिलाना, आदि जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। अत: अन्तर-राज्यीय तुलना करना संभव नहीं है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने भूमि सुधारों को लागू करने में विफल रहे राज्यों को केन्द्रीय सहायता रोकने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है।

दिल्ली का सौंदर्यीकरण

2377. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली के सौंदर्यीकरण की योजना तत्काल कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को बेघर करने से पूर्व क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें मुआवजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो किन मानदण्डों पर मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में विकास के बुनियादी ढांचे की व्यवस्था है और उसमें जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिये पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने तथा भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के सृजन की परिकल्पना की गई है। इसमें प्राकृतिक रूपरेखाओं के संरक्षण तथा हरियाली, पार्क और खेल मैदानों के विकास पर जोर दिया गया है। तदनुसार विभिन्न स्थानों पर पार्कों और हरित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। यदि कोई क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में विकास

के लिये प्रस्तावित है और वहां पर झुग्गी-झोपड़ी समूह द्वारा अतिक्रमण पाया जाता है, तो उस भूमि से झुग्गी-झोपड़ी परिवारों को हटाकर उन्हें सरकारी नीति के अनुसार अन्यत्र बसाया जाता है।

(ग) और (घ) पात्र झुग्गी-झोपड़ी वासी वैकल्पिक स्थानों पर बसाये जाते हैं। जिन मामलों में भूमि का अधिग्रहण निहित होता है वहां निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

[अनुवाद]

उग्रवादियों की गिरफ्तारी

2378. **श्री पदम सेन चौधरी**
डा. अशोक पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दौरे से पूर्व बम धमाके का षड्यंत्र रचने के लिए कश्मीरी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) 14 जून, 2001 को एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली गई जब श्रीनगर सचिवालय के साथ लगे ब्राड व्यू होटल के नजदीक एक आटो रिक्शा में रखी आई ई डी सामग्री, जिसमें 2 आई ई डी, 1 आई ई डी सर्किट, $1^1/_2$ मीटर लम्बी डेटोनेटर तार, 1 कि.ग्रा. विस्फोटक और एक रिमोट कंट्रोल डिवाईस, जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पैशल आप्रेशन्स ग्रुप द्वारा बरामद की गई और निष्क्रिय कर दी गई। पुलिस स्टेशन शहीदगंज, श्रीनगर में भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 66/2001 के अधीन मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली के आई एस बी टी क्षेत्र से 6 जुलाई, 2001 को हरकत-उल-जेहादी-ए-इस्लामी के दो पाक प्रशिक्षित आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और पुलिस द्वारा उनके कब्ज से 1.9 कि.ग्रा. आर डी एक्स के पेन्सिल टाईमर एक डेटोनेटर, 9 वोल्ट की एक बैटरी और 35000/- रुपये बरामद किए गए। पुलिस स्टेशन कश्मीरी गेट, दिल्ली द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121/121-ए/420/468/474/120-बी/34, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 319 के अधीन मामला दर्ज किया गया है।

[हिन्दी]

देश में अल-क्वैरा की गतिविधियां

2379. श्री भेरूलाल मीणा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना एजेन्सियों ने ओसामा-बिन-लादेन की गिरफ्तारी के बाद देश में अल-क्वैरा नामक अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवादी संगठन द्वारा अपनी शाखाएं फैलाने के बारे में सूचना एकत्र की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को रोकने/नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) भारत में ''अल-कायदा''की गतिविधियों को प्रमाणित करने के लिए कोई पुष्ट रिपोर्टें नहीं हैं। तथापि, नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को बम से जोड़ने के षडयंत्र के संबंध में कतिपय व्यक्तियों की गिरफ्तारी से ओसामा बिन लादेन के एक सहयोगी के इस षडयंत्र में शामिल होने के आरोपी कतिपय व्यक्तियों के साथ संबंध होने की सम्भावना का पता चला है।

(ख) सरकार ने उग्रवादी/आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, समन्वित कार्रवाई द्वारा उग्रवादियों/आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करना, आधुनातम हथियारों और संचार प्रणालियों आदि के साथ पुलिस बलों का आधुनिकीकरण शामिल है। केन्द्रीय सरकार, विभिन्न आतंकवादी/उग्रवादी गुटों से खतरे की आशंकाओं पर गतिविधियों के बारे में भी राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। आवश्यकता पड़ने पर, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात कर सहायता दी जाती है। उग्रवादी/आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा उग्रवादी/आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति सहित प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

विशेषज्ञों का देशान्तरण

2380. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में प्रकाशित मानव विकास संबंधी रिपोर्ट में यह सूचित किया गया है कि भारत को भारतीय विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों के देशान्तरण के कारण प्रतिवर्ष दो बिलियन डालर का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय राजकोष को हो रहे इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट 2001 के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि पेशेवरों के देशांतरण से भारत को प्रति वर्ष 2 बिलियन डालर का वित्तीय नुकसान होता है। ये अनुमान बहुत ही एक पक्षीय हैं और इनमें विदेशों से धन भेजने, बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ पेशेवरों की वापसी, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था को विकसित करने जैसे अनेक संबद्ध पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। भारत में, साफ्टवेयर सेवा के निर्यात में वृद्धि के एक बड़े भाग का श्रेय भारतीय साफ्टवेयर पेशेवरों की गतिशीलता को मिलता है।

सेल द्वारा अर्जित लाभ

2881. **श्री सुनील खां:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में व्याप्त घाटों पर काबू पा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 की प्रथम तिमाही के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संस्थाओं के नाम से पहले 'राष्ट्रीय' शब्द जोड़ना

2382. **श्री रामशकल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं अपने नामों के आगे 'राष्ट्रीय' शब्द जोड़कर लोगों को धोखा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक शैक्षिक संस्थाएं अपने नाम से पूर्व 'इंडियन इंस्टीट्यूट/नेशनल इंस्टीट्यूट' शब्द लगाती रही है। संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 के अंतर्गत यह निषिद्ध है क्योंकि इससे केन्द्र सरकार के संरक्षण का आभास होता है। सक्षम प्राधिकारी को कहा गया है कि वह इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करे और ऐसे नाम वाली किसी सोसायटी या कम्पनी को पंजीकृत नहीं करे तथा पहले से पंजीकृत ऐसे नाम वाली कम्पनियों तथा सोसाइटियों को सलाह दे कि वे अपने नामों को बदल लें।

[अनुवाद]

आई.पी.सी.एल. की बड़ौदा इकाई को आई.ओ.सी. को सौंपना

2383. **श्री लक्ष्मण सेठ:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.पी.सी.एल. की बड़ौदा इकाई इंडियन ऑयल कारपोरेशन को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) और इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) के प्रबन्धन द्वारा आई.पी.सी.एल. के बड़ोदरा काम्पलेक्स आई.ओ.सी. को स्थानान्तरित करने संबंधी क्रियाविधि और मंतव्य तैयार किए जा रहे थे।

सरकारी और नगर निकायों के स्वामित्व वाले विद्यालय

2384. **श्री विजय गोयल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकार और नगर निकायों के स्वामित्व वाले और सहायता प्राप्त विद्यालय अनुवर्ती वर्षों के दौरान दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में खराब परिणाम दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा छात्रों के परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार वर्ष 2000 की उत्तीर्ण प्रतिशतता इस प्रकार है:-

	कक्षा- X	कक्षा- XII
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	77.8	83.1
नवोदय विद्यालय	87.0	83.3
सरकारी विद्यालय	37.9	71.5
सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	54.4	75.3
स्वतंत्र विद्यालय	86.4	84.8

(ख) और (ग) छात्रों की कम उत्तीर्ण प्रतिशतता के संबंध में काफी हद तक राज्य सरकारों की जवाबदेही हैं। तथापि, सेवाकालीन प्रबोधन और प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक प्रौद्योगिकी, प्रयोगशालाओं के माध्यम से बेहतर सहायता सुविधाओं का विस्तार करके, अध्यापन-अध्ययन की विषय वस्तु और प्रक्रिया में सुधार करके शिक्षकों की क्षमताओं में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

साक्षरता कार्यक्रमों हेतु समितियां

2385. **श्री ताराचंद साहू:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर विभिन्न स्तरों पर साक्षरता कार्यक्रमों हेतु समितियां गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समितियों का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) साक्षरता कार्यक्रमों के आरंभ से ही आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर समितियों का पुनर्गठन किया जाता रहा है।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों को आवास आबंटन संबंधी दिशानिर्देश

2386. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को आवास के आवंटन हेतु कोई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिशानिर्देश जारी करने के बाद किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राजनीतिक दलों को दिल्ली में राष्ट्रीय/राज्य स्तर के अध्यक्षों/नेताओं हेतु रिहायशी आवास आवंटित किए गए हैं अथवा सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आवास के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/नेता को रिहायशी आवास आवंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राजनीतिक दलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 'दिल्ली में' रिहायशी आवास आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को सरकारी आवास का आवंटन नियंत्रित करने संबंध में दिनांक 20.7.2000 तथा 4.5.2001 की दिशानिर्देशों की प्रतियां विवरण-I में दी गई हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में राजनीतिक दलों को किए गए आवंटन के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 20.7.2000 के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को एक रिहायशी आवास आवंटित किया जाएगा/रखने की अनुमति होगी, बशर्ते अध्यक्ष के पास दिल्ली में अपना कोई मकान न हो या सरकार द्वारा उसे किसी अन्य हैसियत से आवंटित किया गया हो। तदनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को टाईप-VII बंगलों के आवंटन के लिए स्वीकृति जारी की गई है:-

1. श्री हरकिशन सिंह सुरजीत, महासचिव, सी.पी.आई. (एम) पार्टी
2. श्री के. जेना कृष्णामूर्ति, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, तथा
3. सी.पी.आई. के महासचिव को टाइप-VII के बंगला नं. ए बी-4, पुराना किला रोड को अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।

(ङ) और (च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

सं. 12024/2/96-नीति-II
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजनीतिक दल को सामान्य पूल से सरकारी रिहायशी वास के आवंटन हेतु संशोधित दिशानिर्देश

हस्ताक्षरकर्त्ता को निदेशानुसार यह कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) स्टे 585/94 में दिनांक 23.12.96 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों को सरकारी आवास के आवंटन हेतु परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये जाएं। तदनुसार सरकार द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्त अनुमोदित किए गए:-

(i) राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी गई है उन्हें मू.नि. 45-क के तहत लाइसेंस फीस अर्थात् सामान्य फीस के भुगतान पर अपने कार्यालय प्रयोग हेतु दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवासीय इकाई रखे रहने/आवंटन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

(ii) उक्त आवास तीन वर्ष के अवधि हेतु उपलब्ध कराया जाएगा जिसके दौरान पार्टी किसी सांस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड अर्जित कर लेगी और पार्टी कार्यालय हेतु स्वयं का आवास निर्मित करा लेगी।

(iii) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को एक रिहायशी आवास आबंटित/रखे रहने की अनुमति दी जाएगी, यदि अध्यक्ष के पास दिल्ली में स्वयं का अन्यथा किसी अन्य हैसियत से सरकार द्वारा उन्हें दिया गया आवास नहीं है।

(iv) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर के दलों को भी कार्यालय आवास की सुविधा दी जाएगी बशर्ते कि मंत्रिमंडल की आवास समिति के मतानुसार संसद में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा मामला उसके गुणावगुण आधार पर आवंटन हेतु सी सी ए द्वारा अनुमोदित हो।

(v) किसी अन्य राजनीतिक दल को आवंटित अन्य भवन मंसूख कर दिए गए हैं। तथापि, पार्टी को वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा सरकारी आवास खाली करने के लिए छः माह अथवा वह अवधि जब तक के लिए आवंटन किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो, तक का समय दिया जाएगा।

2. सभी आवंटन अनुभागों से तदनुसार आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।
3. ये मार्गदर्शी सिद्धान्त 22.02.2000 से लागू होंगे।
4. ये आदेश इस निदेशालय के दिनांक 24.10.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12016/2/80-नीति-II (खंड-III) (XVIII) का अधिक्रमण करते हुए जारी किए गए हैं।

हस्ता/-
(महेन्द्र सिंह)
संपदा उप निदेशक

सं. 12/11/2000-सीडीएन-I/नीति-II
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 4 मई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को सरकारी आवास का आवंटन दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में

हस्ताक्षरकर्त्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीडब्ल्यूपी सं. 585/94 में दिनांक 23.12.1996 के निर्देशों के अनुसरण में राजनीतिक दलों को सरकारी आवास का आवंटन करने के लिए सी सी ए के अनुमोदन से संशोधित दिशानिर्देश तैयार किए गए इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर के दलों को कार्यालय आवास की सुविधा भी दी जाएगी। बशर्ते कि आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के विचार में उस दल का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा आवंटन के लिए उनका मामला अपने गुणावगुण के आधार पर सी सी ए द्वारा अनुमोदित हो।

2. सी सी ए ने दिनांक 8.3.2001 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया है और निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए हैं:-

i. राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त केवल उन्हीं दलों को पार्टी कार्यालय के लिए आवास के आवंटन हेतु पात्र समझा जाएगा जिनके संसद के दोनों सदनों में 7 सदस्य हों;

ii. यह आवास केवल वी पी हाऊस में ही उपलब्ध कराया जायेगा;

iii. राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दल को वी पी हाऊस में एक डबल सुइट आवास आवंटित किया जाएगा।

iv. राज्य स्तर के दलों को उक्त आवास तब तक ही मुहैया कराया जायेगा जब तक कि वह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त रहे और उसका संसद में सी सी ए द्वारा यथा निर्धारित प्रतिनिधित्व हो।

3. शिव सेना, तेलगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ए आई ए डी एम के, आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी जिन्होंने पार्टी कार्यालय के लिए आवास हेतु आवेदन किया है और जिनके संसद में 7 या उससे अधिक सदस्य हैं, को उक्त पैरा 2 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के संदर्भ में उप राष्ट्रपति भवन में एक डबल सुइट आवास का आवंटन किया जा सकता है।

4. एल ओ (एम पी) तथा सी डी एन-I अनुभागों से अनुरोध है कि वे तदनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करें।

हस्ता/-
(महेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (संपदा)

विवरण-II

राष्ट्रीय/राज्य स्तर के राजनैतिक दलों को सामान्य पूल आवास का आवंटन करने/आवास रखने की अनुमति देने से संबंधित विवरण

क्र.सं.	दल का नाम	आवास सं. और टाइप
1.	एआईसीसी (आई)	24-अकबर रोड (टाइप viii)
2.	भारती जनता पार्टी	11-अशोक रोड, (टाइप viii)
3.	बहुजन समाज पार्टी	12-जी आर जी रोड, (टाइप vi)
4.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	1- बी डी मार्ग, (टाइप vi)
5.	दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई)	2- तालकटोरा रोड, (टाइप vi)
6.	दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी	14, पं. पंत मार्ग, (टाइप vi)
7.	राष्ट्रीय जनता दल	उप राष्ट्रपति भवन में एक डबल सुइट
8.	ऑल इंडिया अन्ना द्रविण मुन्नेत्र कझगम	उप राष्ट्रपति भवन में एक डबल सुइट
9.	तेलुगु देशम पार्टी	उप राष्ट्रपति भवन में एक डबल सुइट
10.	शिव सेना	उप राष्ट्रपति भवन में एक डबल सुइट

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में समेकित बाल विकास कार्यक्रम

2387. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं विशेषकर मध्य प्रदेश में रीवा, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में, जहां समेकित बाल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं:

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को राज्य के सभी ब्लाकों में कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) मध्य प्रदेश के रीवा, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में आई.सी.डी.एस. परियोजना-स्थलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) परियोजनाओं को चालू करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) और (घ) इस स्कीम को मध्य प्रदेश के सभी विकास खण्डों में कार्यान्वित किया गया है।

विवरण

जिला रीवा	परियोजना स्थल
	1. रायपूर-कर्चू
	2. रीवा
	3. जावा
	4. गंगेव
	5. हनुमाना
	6. माउगंज
	7. नईघरी
	8. सिरमौर
	9. रीवा
	10. तिवन्थर
जिला छतरपुर	11. बड़ामल्हेरा
	12. छतरपुर
	13. गोरीहर
	14. लोन्डी
	15. नवगांव
	16. बीजावर
	17. राजनगर
	18. बक्सवाहा
जिला टीकमगढ	19. पलेरा
	20. निवारी
	21. जतारा
	22. टीकमगढ़
	23. पृथ्वीपुर
	24. बलदेवगढ़

[अनुवाद]

भारत-पुर्तगाल सहयोग

2388. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पुर्तगाल ने महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। भारत गणराज्य सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य सरकार के बीच 3 जुलाई, 2001 को समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों देशों को नीचे लिखे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है:

* समुद्र ऊर्जा
* समुद्र गतिकी और प्रतिरूपण
* समुद्रवैज्ञानिक बहुविधात्मक अध्ययन
* समुद्र प्रेक्षण के लिए सुदूर संवेदन
* पर्यावरणीय गुणवत्ता, प्रदूषण और संदूषण प्रक्रियाएं
* एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन
* समुद्र एवं पारिसंवेदनशील तटीय क्षेत्र
* अन्तर्जल यंत्रीकरण
* अन्तर्जल अन्वेषण, दोहन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुदूर प्रचालनीय और स्वचालित वाहन व प्रणालियां
* समुद्री सजीव व निर्जीव संसाधन
* समुद्र संस्तर खनन।

[हिन्दी]

किराए के मकानों से आपराधिक गतिविधियां

2389. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली समेत देश के विभिन्न भागों में किराए के मकानों से आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) आतंकवादियों और आपराधिक तत्वों द्वारा किराए के मकानों के दुरूपयोग के कुछ दृष्टान्त दिल्ली पुलिस के ध्यान में आए हैं। पुलिस आयुक्त, दिल्ली को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने आदेश जारी किए हैं, जिनके अनुसार मकान मालिक को अपने परिसर को किराये पर देने के बारे में अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करना होगा। अपराधियों को किराये के मकानों से गतिविधियां चलाने से रोकने के लिए पुलिस कार्मिकों को, अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर सत्यापन करने का निदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पेयजल परियोजनाओं हेतु धनराशि का बढ़ाया जाना

2390. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश ने परियोजना आकलनों में संशोधन के कारण पेयजल उपस्थान परियोजनाओं हेतु अपनी भागीदारी में 75 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। 1.4.98 के पहले भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उपमिशन परियोजनाओं के संबंध में बढ़ाई गयी परियोजना लागत के कारण आंध्र प्रदेश, पंजाब और केरल की सरकारों से अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) बढ़ाई गयी परियोजना लागत के कारण आंध्र प्रदेश ने 148.93 करोड़ रु. की, पंजाब सरकार ने 9.02 करोड़ रु. की तथा केरल सरकार ने 7.87 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियों की मांग की हैं।

(ग) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. तथा पी.एम.जी.वाई. के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत निधियां मुहैया कराकर उनकी सहायता करती है। 1.4.1998 से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत उप मिशन परियोजनाएं बनाने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्यों को सौंपी गई है। तथापि, उप मिशन के अंतर्गत 1.4.1998 के पहले की मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के मामले में, परियोजना को मंजूरी देते समय यह स्पष्ट कर दिया

गया था कि भारत सरकार इन परियोजनाओं की बढ़ाई गई लागत को न तो मानेगी और न ही पूरा करेगी। इसलिए 1.4.1998 से पहले के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा स्वीकृत उप मिशन परियोजनाओं के संबंध में बढ़ाई गई लागत के कारण हुए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने में सरकार की असमर्थता के बारे में संबंधित राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में उपरिगामी पुलों के निर्माण में वित्तीय अनियमितताएं

2391. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कितने उपरिगामी पुल हैं और उनके निर्माण की तारीख क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान दिल्ली में उपरिगामी पुलों के निर्माण में कोई वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किस स्तर पर जांच की है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[अनुवाद]

पनधारा विकास हेतु संशोधित दिशानिर्देश

2392. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पनधारा विकास कार्यक्रम के तहत जारी संशोधित दिशानिर्देशों का विभिन्न राज्यों द्वारा उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) संशोधित दिशानिर्देशों के किस हद तक वांछित परिणाम देने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को 1.4.1995 से लागू किया गया है और तबसे उन्हें पूर्णतया कारगर रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वाटरशेड विकास परियोजनाओं को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों के अंतर्गत कार्यान्वित करने के बारे में राज्य सरकारों, परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुधार लाने की दृष्टि से मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित करने हेतु सुझाव भी प्राप्त हुए थे। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों (प्रेषणाधीन) में अधिक लचीलापन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लक्ष्योन्मुखी भूमिका, दो प्रकार के दृष्टिकोण, एग्जिट प्रोटोकॉल तथा परियोजना के कार्यान्वयन और परियोजना पूरी होने के पश्चात् इसके रख-रखाव में अधिक सामुदायिक भागीदारी, आदि की व्यवस्था की गई है।

ग्रामों/शहरों/रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना

2393. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर ग्रामों, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने हेतु सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): चार प्रस्ताव, तीन उत्तर प्रदेश से और एक कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। तथापि ये, राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर गांवों, शहरों रेलवे स्टेशनों के पुन: नामकरण के संबंध में विद्यमान, नीति, दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एस्कॉर्ट सेवा

2394. **श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के विकास सदन स्थिति कार्यालय में आने वाले साधारण आदमी की सहायता के लिए एस्कॉर्ट सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो एस्कॉर्ट सेवा द्वारा किस तरह की सेवा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस सेवा के कब से कार्य शुरू करने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के कार्यालय प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को अपराह्न में जनता के लिए खुले होते हैं जिसमें जनता पहले से समय लिये बिना उच्च अधिकारियों से मिल सकती है। अन्य दिनों में वे पहले से समय लेकर उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं। आम जनता को मौके पर सलाह मशविरा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने स्वागत डेस्क पर अनेक सलाहकारों और सुविधादाताओं की सेवाएं सुलभ करायी हैं।

हाल ही में डी.डी.ए. ने विकास सदन में आने वाली जनता के बेहतर व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सेवा के लिये उन सेवाओं को उन्नत बनाने और सलाहकारों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है। ये सलाहकार दस्तावेज तैयार करने, उन्हें प्रक्रिया समझाने और विभिन्न विषयों/नीतियों पर तत्काल जानकारी देने का मददगार होंगे।

(ग) सेवा पहले ही दी जी रही है। यह निर्णय किया गया है कि यथोचित प्रशिक्षण देकर सलाहकारों/सुविधाकारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए।

स्व-सहायता समूह

2395. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अगले तीन वर्षों के दौरान देश के 14 लाख गांवों में से प्रत्येक में कम से कम एक स्व-सहायता समूह गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय राज्य-वार कितने गांवों में स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने पहले से विद्यमान स्व-सहायता समूहों के संबंध में कुछ तथ्य प्राप्त करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन समूहों के प्रभावी कार्यकरण और प्रशिक्षण के लिए और धन देने की आवश्यकता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ज) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में 23 और 24 जून, 2001 को आयोजित स्व-सहायता समूह आन्दोलन और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि 2004 तक प्रत्येक बसावट में कम से कम एक स्व-सहायता समूह बनाया जाए। अनुमानत: वर्तमान में 1422664 बसावटें हैं। मंत्रालय कार्यरत स्व-सहायता समूहों की संख्या की निगरानी नहीं करता है। स्व-सहायता समूहों की कार्य प्रणाली की निगरानी मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक आवधिक रिपोर्टों के जरिए की जाती है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरूआत से लेकर अब तक बनाए गए स्व सहायता समूह ग्रेड-I और ग्रेड-II उत्तीर्ण और आर्थिक गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान किए गए स्व-सहायता समूहों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। योजना के अंतर्गत आबंटन का 10% प्रशिक्षण निधि के रूप में अलग कर लिया जाता है जिसे उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। समूहों को वित्त पोषित करने में बैंकों से ऋण और योजना के अंतर्गत सब्सिडी शामिल है। आबंटन का 60% आर्थिक गतिविधियों के लिए स्व रोजगारियों को सब्सिडी स्वीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1999-2000				2000-2001				2001-2002			
		बनाए गए समूह	ग्रेड-I	ग्रेड-II	शुरू की गई गतिविधियां	प्रारम्भ से लेकर अब तक बनाए गए समूह	ग्रेड-I	ग्रेड-II	शुरू की गई गतिविधियां	शुरूआत से लेकर अब तक बनाए गए समूह	ग्रेड-I	ग्रेड-II	शुरू की गई गतिविधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	167529	—	—	10423	219943	140198	79189	4123	219943	97730	79896	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरूणाचल प्रदेश	54	—	—	1	59	31	0	56	106	0	0	6
3.	असम	4818	—	—	1152	7489	1513	1221	663	7489	एन आर	1221	एन आर
4.	बिहार	9860	—	—	3128	10010	1678	966	3757	10010	एन आर	966	एन आर
5.	छत्तीसगढ	—	—	—	—	16266	4590	328	877	16308	4782	347	13
6.	गोवा	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	4206	—	—	287	9219	2331	455	655	9352	237	455	21
8.	हरियाणा	712	—	—	260	2105	642	181	171	2369	172	181	4
9.	हिमाचल प्रदेश	1222	—	—	180	2033	810	470	646	2033	एन आर	470	एन आर
10.	जम्मू एवं कश्मीर	एन आर	—	—	एन आर	943	516	12	330	943	एन आर	12	एन आर
11.	झारखंड	—	—	—	—	4291	967	341	957	4291	एन आर	341	एन आर
12.	कर्नाटक	7632	—	—	895	13403	1755	1518	1441	14070	159	1518	65
13.	केरल	6761	—	—	440	19633	4790	1342	756	19933	4916	1381	6
14.	मध्य प्रदेश	19195	—	—	5562	33736	7896	1642	2103	34406	7307	1907	190
15.	महाराष्ट्र	19470	—	—	957	36004	9850	3909	1477	29597	5462	3909	65
16.	मणिपुर	एन आर	—	—	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
17.	मेघालय	एन आर	—	—	एन आर	415	23	63	129	415	0	63	0
18.	मिजोरम	0	—	—	0	168	117	115	106	168	एन आर	115	एन आर
19.	नागालैंड	367	—	—	184	86	एन आर	12	86	86	एन आर	12	एन आर
20.	उड़ीसा	10334	—	—	1011	18706	5358	1940	1169	19347	190	1940	10
21.	पंजाब	561	—	—	72	1223	358	156	176	1235	17	156	0
22.	राजस्थान	635	—	—	67	3326	228	20	32	8389	392	43	1
23.	सिक्किम	17	—	—	5	103	27	5	5	103	एन आर	5	एन आर
24.	तमिलनाडु	18661	—	—	3198	43985	12904	5478	4712	45823	945	5478	21
25.	त्रिपुरा	419	—	—	17	374	50	0	223	374	एन आर	0	एन आर
26.	उत्तर प्रदेश	17389	—	—	173	37466	14114	1407	227	38329	14547	1407	5
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	2598	1014	79	940	2090	570	79	502
28.	प. बंगाल	2481	—	—	1002	7794	2470	407	1235	7839	2057	407	912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अ.व नि. द्वीपसमूह	74	—	—	0	75	32	32	38	75	एन आर	32	एन आर
30.	दा. न. हवेली	एन आर	—	—	एन आर	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन व दीव	एन आर	—	—	एन आर	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	—	—	0	2	0	0	2	2	एन आर	एन आर	एन आर
33.	पांडिचेरी	29	—	—	3	50	—	—	50	50	एन आर	एन आर	एन आर
	जोड़	292426	0	0	29017	491505	214262	101288	27142	495175	139483	102341	2132

एन. आर. = असूचित

पेट्रोरसायन संबंधी कृतिक बल

2396. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए ''द पेट्रोकेमीकल्स विजन 2010 एजवाइजरी ग्रुप'' नामक पेट्रोरसायन संबंधी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ग्रुप ने अभी तक अपनी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्वव्यापी बुनियादी ढांचा और पेट्रोरसायन काम्प्लेक्सों के निर्माण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने तथा स्वदेशी पेट्रोरसायन उद्योग के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) कृतिक बल द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

पंचायतों को सीधे धन दिया जाना

2397. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2001 को ''डेक्कन क्रोनिकल'' में ''सेंटर फॉर डायरेक्ट फंडिग टु पंचायत्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले की यथा तथ्यता क्या है;

(ग) क्या सरकार पंचायतों को सीधे धन दिए जाने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निर्णय को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) जुलाई, 2001 के डेक्कन क्रोनिकल में केन्द्र के शहरी विकास राज्य मंत्री के बयान का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केन्द्र ग्राम पंचायतों को सीधे ही निधियां जारी करने का विचार कर रहा था क्योंकि केन्द्रीय निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से दी जा रही थी। अतः मौजूदा प्रणाली में गांवों का विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं हुआ था और चूंकि केन्द्र सरकार का उद्देश्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना तथा अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन तथा लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं के जरिए करना है।

सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा इंदिरा आवास योजना जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन निधियां जिला ग्रामीण विकास

एजेंसियों/जिला पंचायतों को जारी की जाती हैं। व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के दिशा-निर्देशों में भी निर्दिष्ट है कि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जायेगा।

दिल्ली में पीने के पानी की कमी

2398. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली, विशेष कर दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों में पीने के पानी के बेहद कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिणी दिल्ली और पश्चिम उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली की प्रत्येक कालोनी में प्रतिदिन पानी की कितनी मात्रा की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की दूसरी कालोनियों की तुलना में दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों में पानी की कम मात्रा की आपूर्ति कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दक्षिण दिल्ली सहित दिल्ली में पेयजल की भारी कमी नहीं है। दिल्ली में सभी उपयोगों के लिए 800 मिलियन गैलन दैनिक (एम जी डी) की मांग की तुलना में औसतन लगभग 650 एम जी डी जल की आपूर्ति की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने भूमिगत टैंक और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन बनाकर दिल्ली के सभी भागों में जल के समान वितरण के लिए जल वितरण प्रणाली का युक्तीकरण पहले ही आरंभ कर दिया है। सोनिया विहार में निर्माणाधीन 140 एम जी डी जल शोधन संयंत्र के चालू हो जाने पर, जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हाने की संभावना है।

दिल्ली में वाहनों की चोरी के मामले

2399. श्री भीम दाहाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में वाहनों की चोरी के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक जिलावार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) इनमें से कितने मामलों को हल किया जा चुका है; और

(घ) वाहनों की चोरी के मामलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि संदर्भाधीन अवधि के दौरान सूचित किए गए और हल किए गए इस प्रकार के मामलों की जिले-वार, संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) वाहन चोरों की गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, प्रत्येक जिले में वाहन-चोरी दस्तों का गठन, सीमाओं पर जांच-चौकियों की स्थापना; वाहन चोरी के मामलो में पहले संलिप्त अपराधियों पर निगरानी रखना; वाहन चोरों के संगठित गिरोहों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती ; पार्किंग क्षेत्रों के नजदीक मोटर साईकल गश्त को गहन करना और पड़ोसी राज्यों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना शामिल है।

विवरण

जिला	1998	1999	2000	2001 (30.6.2001 तक)
1	2	3	4	5
उत्तरी	504	476	444	249
उत्तर-पश्चिमी	1452	1394	1336	796
केन्द्रीय	501	525	501	303
नई दिल्ली	496	460	401	167
पूर्वी	556	662	705	402
उत्तर-पूर्वी	557	528	450	259
दक्षिणी	2304	2001	2109	986
दक्षिण-पश्चिमी	878	790	871	370

1	2	3	4	5
पश्चिमी	1278	1214	1194	494
इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	14	10	16	4
अपराध और रेलवे	16	19	16	7
सूचित किए गए मामलों की कुल संख्या	8556	8079	8043	4037
हल किए गए मामलों की कुल संख्या	1351	1845	1672	606

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

2400. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम में कोई क्षेत्रीय योजना तैयार किए जाने की अभिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजना तैयार करने हेतु पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पूर्वोत्तर परिषद् ने गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार कितना व्यय किया है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान आबंटित की गई राशि का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार किए जाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गरीबी उपशमन संबंधी योजना

2401. **श्री वी.एस. शिवकुमार:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी खर्च कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई गरीबी उपशमन संबंधी योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में टी.एस.आर. चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किया जाना

2402. **डा. बलिराम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ टी.एस.आर. मीटर के अनुसार भाड़ा वसूल नहीं करते हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आई.एस.बी.टी. और लगभग सभी अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर यात्रियों से मनमाने भाड़े की मांग करते है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मनमानी को रोकने के लिए क्या व्यवस्था मौजूद हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान (31 जुलाई, 2001 तक), 12561 टी.एस.आर. चालकों पर ज्यादा किराया वूसलने और दुर्व्यवहार के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया।

(ग) और (घ) प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु उठाए गए कदमों में, यातायात पुलिस कर्मियों को विधिवत रूप से अनुमोदित किराया सूची और शिकायत कार्ड का वितरण; विमानपत्तनों, बाजारों रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अस्पतालों पर पूर्वदत्त (प्री पेड) बूथ चलाना; पूरे शहर में यातायात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बढ़ोत्तरी करना; यात्रियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने में समर्थ बनाने हेतु यातायात पुलिस हेल्प लाइन सं. 3378888 शुरू करना; और हेर-फेर किए हुए/दोषपूर्ण मीटरों का पता लगाने हेतु यातायात पुलिस अधिकारियों तथा नाप-तोल विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से छापे मारना चाहिए।

काली-सूची में शामिल किए गए संगठन

2403. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धोखाधड़ी से विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए काली-सूची में शामिल किए गए संगठन कौन-कौन से हैं; और

(ख) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके खिलाफ जांच की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (क) के अंतर्गत निम्नलिखित संगठनों को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से मना किया गया है।

1. अंजुमन नुसरत-अल-इस्लाम
2. कोल्पिंग सोसाइटी नेशनल सेंटर।
3. तिब्बतन कल्चर एंड एजूकेशन फाऊंडेशन
4. अंजुमन हुलामिया एजूकेशन एसोसिएशन।
5. एशियन एंड आर्गेनाइजेशन वेल्फेयर ट्रस्ट।
6. क्राइस्ट हेल्पिंग चिल्ड्रन होम।
7. ओमकारानंदा सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट।
8. महाबोधी सोसाइटी ऑफ इंडिया।
9. एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट।
10. गुड समारिटन ईवेनजीलिकल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन
11. जॉन एब्राहिम मेमोरियल बिथानी होम
12. सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एक्शन (एस ओ डी ए)

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 14 के अंतर्गत पचास संगठनों के लेखों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

अवैध निर्माणों की जांच

2404. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरित कृषि पट्टी और सैनिक फार्म में अवैध निर्माणों की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग ने व्यक्तियों/एसोसिएशनों/संगठनों से विवरण/सूचना आमंत्रित की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड में घाटा

2405. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.), पुणे घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो एच.ए.एल. को कुल कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच.ए.एल. ने अपना घाटा पूरा करने के लिए अपनी कुछ भूमि बेचे जाने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो बेचे जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल कितना है और इस बिक्री से कितनी धनराशि अर्जित होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) इस कंपनी को वर्ष 1993-94 से घाटा हो रहा है और इसे बी.आई.एफ.आर. द्वारा 31.3.1997 को रुग्ण घोषित किया गया है। इस कंपनी को 31.3.2001 तक 166.23 करोड़ रुपए (अनंतिम) का संचित घाटा हुआ। बी.आई.एफ.आर.

द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी द्वारा घाटे के जिन कारणों की पहचान की गई है, वे ऊपरी खर्चों और इनपुट की लागतें बढ़ना, क्षमता का कम उपयोग होना, तकनीक पुरानी होना, भारी नियत लागतें, इसके द्वारा वृहत टाऊनशिप का रख-रखाव, कड़ी प्रतस्पिर्धा तथा पेशेवर प्रबंध की कमी आदि हैं।

(ग) और (घ) कंपनी द्वारा पुनर्वास के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई है और इसमें किए गए प्राक्कलनों के अनुसार लगभग 66 एकड़ भूमि की बिक्री से 40 करोड़ रुपये की राशि जुटाए जाने की उम्मीद है जिसमें से लगभग 6 एकड़ भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित रखी जानी है।

[अनुवाद]

दिल्ली की मैट्रो रेल परियोजना के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रण

2406. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की मैट्रो रेल परियोजना का डिजाइन तैयार करने और निर्माण करने के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और इन्हें आमंत्रित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किन शर्तों पर किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) निर्धारित निबंधन व शर्तें, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) विनिर्देशों और जेबीआईसी (जापान बैंक आफ इंटरनेशनल को-आपरेशन) अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों के तहत परियोजना के विभिन्न घटकों के डिजाइन, संरचना/निर्माण व संस्थापन, परीक्षण व प्रारंभ करने के बारे में हैं।

विवरण

जापान बैंक आफ इंटरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी), जो परियोजना लागत के एक अंश का वित्तपोषण कर रही है, ने अपने द्वारा वित्तपोषित कार्य-मदों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया (आईसीबी प्रोसीजर) अपनाये जो की अपेक्षा की है। अपेक्षित तकनीकी क्षमता, बोली क्षमता, कार्मिक संसाधनों, संयंत्र मशीनरी व उपस्कर की सुलभता और अच्छी माली हालत वाली कंपनियां/सहकार (कंसार्टियां) आईसीबी आधार पर जीबीआईसी-वित्तपोषित कार्य मदों के लिए पूर्व-अर्हता प्राप्त थीं और उन्हें संबंधित कंट्रैक्ट पैकेज के लिए टेन्डर देने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये कम्पनियां/कंसोर्टियां हैं तो विदेशी कम्पनियां किन्तु वे अधिकतर भारतीय सदस्यों से संबद्ध हैं उनकी सूची 1 से 8 तक इस प्रकार हैं:-

इसके अलावा क्रम सं. 9 और 10 दो और भी कंट्रैक्ट पैकेज हैं, जो यद्यपि जेबीआईसी द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं किन्तु उनमें नई टैक्नोलाजी निहित है और वे पैकेज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर विदेशी कंपनियों/कंसोर्टिया को दिए गए हैं:-

क्र. सं.	कंट्रैक्ट पैकेज	पूर्व अर्हता प्राप्त और टैंडर हेतु आमंत्रित कंपनी/कंसोर्टिया	कंपनी/कंसोर्टिया, जिन्हें कार्य सौंपा गया
1	2	3	4
1.	मैट्रो कोरिडोर विश्वविद्यालय-आईएसबीटी खंड के लिए सिविल निर्माण व वातायन और वातानुकूलन की डिजाइन व संरचना कंट्रैक्ट पैकेज एमसी-I ए	i. नैक्सी, स्पेन गैम्मन, इंडिया ii. सैमसंग, कोरिया इरकान iii. इंटरनेशनल, इंडिया हुंडई, कोरिया जेपीआईएल, इंडिया iv. फिलिप होल्जमान एसएसजेवी, इंडिया	कुमागई गुमी कम्पनी लि., जापान स्कान्सका इन्टरनेशनल सिविल इंजिनियरिंग ए बी, स्वीडन

1	2	3	4
		v. इंप्रीगिलो, इटली एनसीसी, स्वीडन इकोन पिलिंग, सिंगापुर vi. डाईविडाग, जर्मनी सिविजू, जापान एल एंड टी लि., इंडिया vii. कुमगई गुमी क. लि., जापान स्कंसका इंटरनेशनल सिविल इंजीनियरिंग एबी, स्वीडन हिन्दुस्तान कंस्ट्र. कं. लि. इंडिया इटोचू कारपोरेशन, जापान	हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी लि., इंडिया इचोचू कारपोरेशन जापान
2.	मैट्रो कोरिडोर (आईएसबीटी केन्द्रीय सचिवालय) के लिए सिविल कार्य का निर्माण व वातायन और वातानुकूलन की डिजाइन व संरचना:- कंट्रैक्ट पैंकेज एमसी । बी	i. नैक्सो, स्पेन गैम्मन, इंडिया ii. सैमसंग, कोरिया इरकॉन iii. इंटरनेशनल, इंडिया फिलिप होल्जमान iv. एसएसजेवी, इंडिया v. इद जुबलिन एजी, जर्मनी काजिमा कारपोरेशन, जापान एफकान्स, इंडिया vi. मितसुबिसी, जापान मारूबेनी, जापान vii. ओबेयासी जापान मैक कोनेल डोवेल, आस्ट्रेलिया इंप्रीगिलो, इटली सेली, इटली viii. एनसीसी, स्वीडन हरक्यूलस, स्वीडन इकोन पिलिंग सिंगापुर डाईकरहोफ इंड विडमान एजी, जर्मनी ix. शिमिजू कारपोरेशन, जापान रारसन एंड टर्बो लि., इंडिया	डाइकरहांफ इंड विडमन ए जी, जर्मनी शिमिजू कारपोरेशन जापान लारसन एंड टर्बो लि. इंडिया सेमसंग कारपोरेशन कोरिया इरकोन इंटरनेशनल लि. इंडिया

1	2	3	4
		कुमगई गुमी क. लि., जापान स्कंसका इंटरनेशनल सिविल इंजीनियरिंग एबी, स्वीडन हिन्दुस्तान कंस्ट्र., कं. लि. इंडिया इटोचू कारपोरेशन, जापान *मद (ii) और (viii) की कंपनियां टैंडर के समय मिल गई।	
3.	मैट्रो तथा रेल कोरिडोरों के लिए रोलिंग स्टाक की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति व प्रारम्भ, कंट्रैक्ट पैकेज आर एस-I	i. सिमेंस एजी, जर्मनी मारूबेनी ii. कारपोरेशन, जापान मितसूबिसी कारपोरेशन, जापान iii. कोरोस, कोरिया मितसूबिसी इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, जापान iv. डाईमलेयर क्रिसलर रेल (एजट्रेंज) इग्लैण्ड हिटैची लि., जापान v. हिटांचू कारपोरेशन जापान एलस्टोम ट्रांसपोर्ट इंडिया लि. इंडिया vi. इलस्टोम ट्रांसपोर्ट एसए, फ्रांस सुमितोमो कारपोरेशन जापान मितसुई एंड कम्पनी, जापान व इंडिया निपोन शार्रियो, जापान बंबार्डियर ट्रांस्पोर्टेशन कोंटीनेंटल यूरोप, बर्लिन भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लि., इंडिया निस्सो इवई कारपोरेशन, जापान	मित्सुबिसी कारपोरेशन, जापान कोरस, कोरिया मित्सुबिसी इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, जापान

1	2	3	4
4.	मैट्रो व रेल कोरिडोर के लिए सिंगनलिंग/ ट्रेन कंट्रोल व संचार व्यवस्था, कंट्रैक्ट पैकेज एसवआईएस-1	i. सिमेंस एजी, जर्मनी मारूंबनी ii. कारपोरेशन, जापान एडट्रेंज, स्वीडन एडट्रेंज, इंडिया फूजीत्सू लि.,जापान iii. इटोचू कारपोरेशन, जापान एलस्टोम ट्रांसपोर्ट लि. इंडिया एलस्टोम ट्रांसपोर्ट एसए, फ्रांस एल्केटेल पुर्तगाल, एस.ए. सुमितोमो कारपोरेशन जापान	एल्सटोम ट्रांसपोर्ट लि., इंडिया एल्सटोम ट्रांसपोर्ट एस ए फ्रांस एल्केटेल पुर्तगाल एस ए सुमितोमो कारपोरेशन जापान
5.	मैट्रो कोरिडोर के लिए ट्रैक्सन पावर पावर वितरण व एससीएडीए सिस्टम, कंट्रैक्ट पैकेज एसवाईएस-2	i. सिमेंस एजी, जर्मनी सिमेंट लिमिटेड, लिमिटेड ii. मारूबेनी कारपोरेशन, जापान इरकोन इन्टरनेशनल इंडिया iii. कोबरा, स्पेन इएलआईओपी, स्पेन मित्सुई एंड कम्पनी, जापान iv. मेडेन्सा कारपोरेशन जापान निपोन डेन्सेतसु, जापान एडट्रेंज, जर्मनी इटोचू कारपोरेशन जापान v. ए बीबी, इंडिया एलस्टोम ट्रांसपोर्ट इंडिया, एलस्टोम ट्रांसपोर्ट, फ्रांस सुमितोमी कारपोरेशन जापान	इरकोन इन्टरनेशनल, इंडिया कोबरा, स्पेन इ एल आई ओ पी, स्पेन
6.	मैट्रो व रेल कोरिडोर के लिए स्वचालित किराया एकत्रण प्रणाली, कंट्रैक्ट पैकेज एसवाईएस 4	i. एल्केटेल सीजीए ट्रांसपोर्ट फ्रांस ii. मारोबेनी कारपोरेशन जापान iii. क्यूबिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम	

1	2	3	4
		iv. इआरजी लिमिटेड आस्ट्रेलिया मोटोरोला आई एन	एल्केटेल सी जी ए ट्रांसपोर्ट, फ्रांस
		v. सी.यू.एस.ए. ओमरान कारपोरेशन जापान	
		vi. इटोचू कारपोरेशन जापान एस्कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एस्कोम ओटोलिका ए जी तोशिबा कारपोरेशन जापान वी एच ई एल, इंडिया निस्सो इवई जापान	
7.	रेल कोरिडोर के लिए ट्रेक्सन विद्युतीकरण हेतु आपूर्ति, संस्थापन परीक्षण व प्रारम्भ करना, विद्युत आपूर्ति, विद्युत संवितरण व एससीएडीए सिस्टम, कंट्रैक्कट पैकेज आरसी-7ए	i. लारसन एंड टर्बो लिमिटेड	
		ii. एलस्टोम ट्रांसपोर्ट लि. इंडिया, एलस्टोम ट्रांसपोर्ट एसए, फ्रांस सुमितोमो कारपोरेशन जापान	
		iii. ए बी बी लिमिटेड इंडिया बेस्ट एंड क्राम्पटन इंजियनिरिंग लिमिटेड, इंडिया	ए बी बी लि., इंडिया बेस्ट एंड क्राम्पटन इंजिनियरिंग लि. इंडिया
		iv. हुम्डई कारपोरेशन कोरिया क्राम्पटन क्रिव लिमिटेड चेन्नई एल जी इन्डस्ट्रीयल सिस्टम कम्पनी लि. कोरिया	
		v. वी एच ई एल, इंडिया एल जी इंजिनियरिंग एंड कन्सट्रक्सन ग्रुप, कोरिया निस्सो इवई कारपोरेशन, जापान	
		vi. इरकोन इन्टरनेशनल लि., इंडिया	

1	2	3	4
8.	रेल कोरिडोर के लिए एस्कलेटर व मशीन-कक्षरहित एल्वेटर की डिजाइन, निर्माण आपूर्ति संस्थापन, जांच व प्रारम्भ करना, कंट्रैक्ट पैकेज, एस वाईएस-5ए	i. मित्सुबिसी कारपोरेशन जापान इ टी ए मेल्को, इंडिया इ टी ए मेल्को, यू.ए.ई. स्कीन्डलर इंडिया प्रा. लि. इंडिया स्कीन्डलर लिफ्ट्स लि. ii. स्वीटजरलैंड स्कीन्डलर आफ्यूगे यू एन डी फेस्ट्रीपन ए जी, आस्ट्रेलिया iii. ओ टी आई एस एलवेटर कम्पनी (इंडिया) लि. इंडिया ओ टी आई एस एलवेटर कम्पनी यू.एस.ए. iv. कोन एलवेटर इंडिया लि. इंडिया कोन कारपोरेशन फिनलैण्ड v. ई सी ई इन्डस्ट्रीज इंडिया तोशिबा कारपोरेशन जापान	कार्य अभी सौंपा जाना है।
.	रेल कोरिडोर के लिए बैलास्ट रहित ट्रैक हेतु, सिस्टम डिजाइन तथा ट्रैक कार्य हेतु व्यापक डिजाइन कंट्रैक्ट पैकेज डीडी-1 सी	i. डी ल्यू कैथर एंड ii. कम्पनी, यू.एस.ए. हैल्क्रो ट्रान्समार्क यू.के. iii. ग्रुप सिस्ट्रा, पेरिस, फ्रांस iv. डीई कन्सल्ट बर्लिन जर्मनी v. ट्रांसिस्टम एसपीए मिलन, इटली vi. जापान, ट्रांसपोर्टेशन कन्सलटैंट्स इन्क टोकियो, जापान vii. एम टी आर कारपोरेशन हांगकांग	ग्रुप सिस्ट्रा, पेरिस, फ्रांस

1	2	3	4
10.	रेल कोरिडोर के लिए बैलास्ट रहित ट्रैक की आपूर्ति, संस्थापन, जांच व प्रारम्भ करना, कंट्रैक्ट पैकेज आरसी-3	i. इरकोन इंटरनेशनल लि. (इंडिया) एम वी एम रेल प्रा. लि. आस्ट्रेलिया ii. टी एस ओ, फ्रांस कालिन्दी रेल निर्माण (इंजिनियर्स) लि. इंडिया iii. कान्टीनेन्टल कंसट्रक्सन लि. क्यूडो ख्यूगं कम्पनी लि. जे. संस इंजिनियरिंग कारपोरेशन लि. कन्सलटैंट्स कम्बाइन्ड लि. iv. हैट कैम्प एंड राहु इंडस्ट्रीज लि.	इरकोन इंटरनेशनल लि. (इंडिया) एम वी एम रेल प्रा. लि. आस्ट्रैलिया

नोट : उपर्युक्त संविदाओं के अलावा, सामान्य परामर्शी सेवाओं के लिए एक और संविदा, एक भारतीय परामर्शी कंपनी के साथ-साथ निम्नलिखित चार विदेश परामर्शी कंपनियों के कंसोर्टियम को सौंपी गई है।

पैसिफिक कंसलटैंट्स इंटरनेशनल, जापान
पारसंस ब्रिंकरहोफ, इंटरनेशनल, यूएसए
जापान रेलवे टैक्निकल, सर्विस, जापान
टोनिची इंजीनियरिंग कंसल्लटैंट्स, जापान
राइट्स (आरआईटीईएस), इंडिया

चूंकि उपर्युक्त कंसोर्टियम को दिल्ली मैट्रो के लिए डिजाइन या संरचना नहीं बनानी है बल्कि केवल परामर्शी सेवाएं मुहैया करानी है, अत: यह कंट्रैक्ट सूची में शामिल नहीं है।

गुजरात में विश्वविद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता

2407. श्री दिन्शा पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाओं की स्थापना और उन्हें बढ़ाए जाने तथा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता मांगते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों सहित मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि भूमि से अनधिकृत/अवैध निर्माणों को हटाया जाना

2408. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 2001 को "द टाइम्स आफ इंडिया" में "रेज डोंट रेज : मेयर देसाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों की यथा तथ्यता क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है;

(घ) यदि नहीं, तो सैनिक फार्मस, दिल्ली में स्थित कृषि भूमि से अनधिकृत/अवैध निर्माणों को हटाए जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम सर्वोत्तम जनहित में कार्य नहीं कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का उत्थान

2409. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के उत्थान के लिए गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त कई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी संगठन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न प्रयोजनों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का उन्नयन भी शामिल है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गैर सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होना, उनकी जांच तथा वित्तीय सहायता देना सतत् प्रक्रियाएं हैं। सामान्यतया इन प्रस्तावों पर ऐसी योजनाओं के प्रावधानों के तहत स्थापित सहायता-अनुदान द्वारा विचार किया जाता है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के उद्देश्य से सामान्यतया इन सहायता अनुदान समितियों की बैठकें समय-समय पर होती रहती है। इन समितियों की सिफारिशों के अनुसार अन्य कदम उठाए जाते हैं।

केन्द्र सरकार पर दिल्ली सरकार की बकाया राशि

2410. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कारणों से केन्द्र सरकार द्वारा एक बड़ी राशि दिल्ली सरकार को देय है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि कुछ वर्षों से बकाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार संसाधनों की कमी के कारण इस बकाया राशि के भुगतान के लिए दबाव डाल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने (i) वी.डी.आई.एस. 97 में अपने शेयर के वितरण (ii) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीशियन एज्यूकेशन प्रोजेक्ट (II) के तहत किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और (iii) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस पर किए गए व्यय के लिए केन्द्रीय करों में उनके हिस्से में 10% कटौती को वापस लेने के लिए कहा है। ये प्रस्ताव अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु विभिन्न अवस्थाओं में पड़े हैं।

दिल्ली में यातायात प्रबंधन संस्थान की स्थापना

2411. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में यातायात प्रबंधन संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने और उसके कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस, स्कूली बच्चों को यातायात नियमों और विनियमों का प्रशिक्षण देने के लिए, पंजाबी बाग, रोशनारा बाग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, प्रगति मैदान और बाल भवन में स्थित पांच यातायात प्रशिक्षण पार्क चला रही है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी निदेशिका

2412. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने ग्रामीण प्रौद्योगिकियों से संबंधित कोई निदेशिका तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के दो भागों अर्थात् भाग-I और भाग-II में एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी की निदेशिका (डी.आर.टी.) प्रकाशित की है।

(ख) ग्रामीण प्रौद्योगिकी निदेशिका के भाग-I (जल, 2001 में प्रकाशित) में 14 विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् कारीगरी प्रौद्योगिकी, इमारत/निर्माण, सिरेमिक उत्पाद, रसायन, कम्पोस्ट/उर्वरक, फसल सुधार/प्रजाति विकास, मशरूम की खेती, ऊर्जा, खाद्य उत्पाद, ज्ञान प्रौद्योगिकी, मशीनरी और उपस्कर, जीवाणुनाशी/कीटाणुनाशी, टिश्यू कल्चर और विविध सहित 100 ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का वर्णन किया गया है।

इस निदेशिका का भाग-II मई, 2001 में प्रकाशित किया गया था। इस भाग में भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे इमारत/निर्माण, रसायन, कम्पोस्ट/उर्वरक, फसल सुधार/प्रजाति विकास, एरोमेटिक पौधों की खेती, ऊर्जा, खाद्य उत्पाद, वनीकरण, जूट और जूट उत्पाद, ज्ञान प्रौद्योगिकी, मशीनरी और उपस्कर, मशरूम कृषि, कटाई-पश्चात् प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण/सफाई और विविध जैसी 100 ग्रामीण प्रौद्योगिकियों की सूची दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए निर्धारित निधियां

2413. **श्री राजो सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार देश की ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर बिहार में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित राशि का कुल बजट में कितना प्रतिशत है; और

(ख) ग्रामीण लोगों को ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति और सजग बनाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए पेयजल और आवास की बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता मुहैया कराता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। इन योजनाओं (बिहार सहित) के लिए आबंटित कुल बजट का राज्य-वार प्रतिशत वितरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक चौमुखी प्रणाली बनाई है जिसमें जागरूकता सृजन, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी तथा सामाजिक लेखा की जवाबदेही शामिल है, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति ग्रामीण लोगों को और अधिक सचेत करने की प्रत्याशा है।

विवरण

2001-2002 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इंदिरा आवास योजना तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का बजट आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.01
3.	असम	6.38
4.	बिहार	10.15
5.	छत्तीसगढ़	1.50
6.	गोवा	0.26
7.	गुजरात	3.00
8.	हरियाणा	0.97
9.	हिमाचल प्रदेश	2.22
10.	जम्मू व कश्मीर	4.76
11.	झारखंड	3.28
12.	कर्नाटक	4.46
13.	केरल	2.84
14.	मध्य प्रदेश	3.99

2		3
.	महाराष्ट्र	6.53
.	मणिपुर	1.23
.	मेघालय	1.14
.	मिजोरम	0.95
.	नागालैंड	1.03
).	उड़ीसा	4.30
.	पंजाब	1.20
).	राजस्थान	6.12
).	सिक्किम	0.61
).	तमिलनाडु	4.07
).	त्रिपुरा	1.36
).	उत्तर प्रदेश	11.52
).	उत्तरांचल	1.11
3	प. बंगाल	6.40
	कुल	100.00

हिन्दी]

कार्बनिक/बायो केमिकल संयंत्र स्थापित करना

2414. **श्री जय प्रकाश:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह ताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कार्बनिक और बायो केमिकल संयंत्रों को त्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्य में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक स्पीड गवर्नर्स

2415. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक स्पीड गवर्नर्स के बिना चलने वाली कितनी बसों को दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किया गया; और

(ख) उन बसों से कितने लोग मारे गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली में चल रही बसों में, इस समय, मौजूदा कानून के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक स्पीड गवर्नर लगाने की कोई अपेक्षा नहीं है। इस यंत्र को लगाने की व्यवहार्यता, सी.डब्ल्यू.पी. i. 906/2000 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के जांचाधीन है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

2416. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अनुसार इसे वार्षिक रिपोर्ट, कार्रवाई रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को प्रति वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(ख) क्या आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान उक्त रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन रिपोर्टों को कब तक सभा-पटल पर रखे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्टें विगत तीन वर्षों के दौरान नीचे विनिर्दिष्ट तारीखों पर संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं:

क्र सं.	वार्षिक रिपोर्ट का वर्ष	जिस तारीख को लोक सभा में प्रस्तुत की गई	जिस तारीख को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई
1.	1994-95	14.12.98	18.12.98
2.	1995-95	23.12.99	12.5.2000
3.	1996-97	19.12.2000	22.12.2000

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्टें ससंद में प्रस्तुत की जानी हैं। वर्ष 1997-98 और 1998-99 हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों सहित वार्षिक रिपोर्टें आयोग से सरकार को प्राप्त हो गयी हैं। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट (लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के बिना) भी प्राप्त हो गई है। इन वार्षिक रिपोर्टों में की गयी सिफारिशें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित हैं। अतः, इन सिफारिशों को सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिया गया है ताकि उनके 'की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें' प्राप्त की जायें।

दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय

2417. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नेटवर्क में विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) इस समय दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं चल रहा है।

(ख) से (घ) दमन व दीव और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से दमन तथा दीव में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रायोजकों ने जिन स्थानों तथा सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव किया था उनका सर्वेक्षण केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा करवाया गया और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। प्रस्तावित स्थानों के आस पास केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है और इस वजह से प्रवेश लेने वाले बच्चों की न्यूनतम संख्या भी निश्चित नहीं है।

'वैल्थ ऑफ इंडिया' परियोजना

2418. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (सी.एस.आई.आर. का संगठक प्रतिष्ठान) ''वैल्थ ऑफ इंडिया'' नामक एक परियोजना चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को किस वर्ष आरंभ किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना में वर्ष-वार कितने वैज्ञानिकों ने कार्य किया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान 'वैल्थ ऑफ इंडिया' से अन्य परियोजनाओं में वर्ष-वार कितने वैज्ञानिकों को लगाया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सक्षम प्राधिकारी की 'वैल्थ ऑफ इंडिया' परियोजना को बंद करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना को वर्ष 1942 में आरम्भ किया गया।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना में कार्यरत और अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित वैज्ञानिकों की संख्या तथा ऐसे स्थानान्तरण के कारणों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	परियोजना के कार्यरत वैज्ञानिकों की संख्या	परियोजना से स्थानांतरित वैज्ञानिकों की संख्या	अभ्युक्ति/कारण
1998-99	20	शून्य	-
1999-2000	19	शून्य	एक वैज्ञानिक सेवानिवृत्त
2000-2001	18	एक	एक वैज्ञानिक अन्यत्र तैनात

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिग आयरन संयंत्र

2419. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत पिग आयरन संयंत्रों के राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान मौजूदा और नये स्थानों पर कुछ और पिग आयरन संयंत्रों की स्थापना की किसी संभावना का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कार्यरत पिग आयरन संयंत्रों के राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं	कम्पनी का नाम	राज्य/संघ राज्य
1	2	3
1.	लेंको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
2.	सातवाहन इस्पात लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
3.	जायसवाल नेक्को लिमिटेड	छत्तीसगढ़
4.	सेसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गोवा
5.	उषा बैल्ट्रोन लिमिटेड	झारखंड
6.	किर्लोस्कर फैरस लिमिटेड	कर्नाटक
7.	कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	कर्नाटक
8.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड	कर्नाटक

1	2	3
9.	कल्याणी फैरस लिमिटेड	कर्नाटक
10	इस्पात मैटालिक्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
11.	उषा इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
12.	आई.डी.सी.ओ.एल. का कलिंगा आयरन वर्क्स	उड़ीसा
13.	साउदर्न आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु
14.	इलैक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
15.	कजरिया आयरन कास्टिंग लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
16.	टाटा मेटालिक्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल

सरकारी आवासों में छज्जों को घेरना

2420. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री दिनांक 19.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4668 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम तल के टाइप-III आवासों के संबंध में परिवर्तन/परिवर्धन की अनुमति प्राप्त मदों में छज्जों को घेरने (कार्यरत आबंटियों के लिए अनुमानित लागत का 10% भुगतान करने पर) को शामिल करने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था;

(ख) टाइप-III आवासों में आबंटी अपने कार्यों को किस सीमा तक दस प्रतिशत का भुगतान करके करवा सकते हैं;

(ग) के.लो.नि.वि. द्वारा तैयार किये गये छज्जों को घेरने की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या विभाग के अनुमानों के अनुसार कार्यों के लिए निर्धारित सीमा के अन्दर ही छज्जों को घेरने का कार्य कराया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है;

(च) यदि नहीं, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत छज्जों को घेरने के कार्य को शामिल करने के क्या कारण हैं;

(छ) सरोजिनी नगर तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में छज्जों को घेरने की मांग कितने आबंटियों ने की है;

(ज) इस प्रकार क्षेत्रवार कितने छज्जे घेरे गये हैं; और

(झ) उक्त क्षेत्रों के आबंटियों में इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) बालकोनियों को अनुमेय सीमा के अन्दर ग्लेजिंग द्वारा ढकने को शामिल करने का निर्णय 27.7.99 को लिया गया था। (विवरण-I)

(ख) टाइप-III क्वार्टरों के लिए परिवर्धन/परिवर्तन की वार्षिक अधिकतम सीमा 4000/- रु. है। इसमें बरामदे को ढ़कना शामिल नहीं है (उपर्युक्त 'क' पर शामिल बालकोनियां भी), जैसा की 30.5.91 के का.ज्ञा. सं. 11014/22/90-निर्माण-3 (विवरण-II द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है)।

(ग) बालकोनियों को ढ़कने की लागत, उस बालकोनी के क्षेत्र पर निर्भर करती है। अनुमानित लागत 750/- रु. प्रति वर्ग मीटर आती है।

(घ) बालकोनियों को ढ़कने की लागत उपर्युक्त 'ग' के अनुसार वार्षिक अधिकतम सीमा से बाहर हो सकती है।

(ङ) और (च) दिनांक 30.5.91 के का.ज्ञा. सं. 11014/22/90-निर्माण-3 में स्पष्ट किया गया है कि आबंटियों के अनुरोध पर लागत का 10% अदा करने पर बालकोनियों/बरामदों को ढ़कने की अनुमति होगी, चाहे यह निर्धारित आर्थिक सीमा के भीतर ही क्यों न हो।

(छ) और (ज) बालकोनियों को ढ़कने के लिए 30 आबंटियों से मांग प्राप्त हुई हैं जो 27.7.99 के बाद मिली है और ये सभी केवल नेताजी नगर से थी।

(झ) रिहायसियों/रेजिडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशनों के साथ आवधिक बैठकों के दौरान उन्हें सरकारी क्वार्टरों के आबंटियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों की सूचना दी जाती है।

विवरण-I

सं. 11014/22/99 निर्माण 3(ii)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27.7.99

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आबंटी के अनुरोध पर सामान्य पूल आवास में किया जाने वाला परिवर्धन/परिवर्तन

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 09.01.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11014/22/90-निर्माण 3 के अनुलग्नक-I का उप पैरा vii की मद सं. 1 (ए) का उल्लेख करने और यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि बरामदे को ढ़कने में बालकोनी की ग्लेजिंग भी इस शर्त पर शामिल होगी कि:-

''बालकोनी में केवल ग्लेजिंग की जाय और कोई अतिरिक्त ईंट या कंक्रीट कार्य (ग्लेजिंग लगाने के लिए बेस सिल के रूप में लगाये जाने के लिए न्यूनतम संभल को छोड़कर) की अनुमति नहीं है। ताकि बालकोनी में अधिभार न हो।''

यह अनुदेश पिछले सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में जारी किए गए हैं और इन्हें 26.7.99 की डायरी संख्या 1265-एफ द्वारा एकीकृत वित्त यूनिट का अनुमोदन प्राप्त है।

हस्ता./-

(लेखन एन. ठक्कर)

डेस्क अधिकारी (डब्ल्यू-III)

विवरण-II

सं. 11014/22/99 निर्माण 3

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

दिनांक 30 मई, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आवंटी के अनुरोध पर सामान्य पूल रिहायशी आवास में बरामदे की ग्लेजिंग

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को संपदा निदेशालय के 10.11.88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/5/88-नीति-III का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि 1.7.87 से पहले आवंटियों के अनुरोध पर उनसे अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क लेकर बरामदे की ग्लेजिंग की जाती थी। तथापि, 1.7.87 से लाइसेंस शुल्क संबंधित आवास को देखते हुए एक समान अनुपात में ली जाती है। बरामदे की ग्लेजिंग के लिए अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क लेना अब अनुमत्य नहीं है और इसे दिनांक 10.11.88 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए निर्धारित वार्षिक आर्थिक अधिकतम सीमा के भीतर ही परिवर्धनों/परिवर्तनों की भांति किया जाता था। चूंकि अधिकांश मकानों में बरामदे की ग्लेजिंग की लागत, विशेष कर टाइप-II, III और IV में वार्षिक अधिकतम सीमा से बहुत अधिक थी, इसलिए इस संबंध में आवंटी के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं था।

2. अब मामले की पुन: जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि आवंटी के अनुरोध पर बरामदे की ग्लेजिंग की लागत का 10% लेकर इसे किया जा सकता है। दिनांक 10.11.88 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आर्थिक सीमा बरामदे की ग्लेजिंग के कार्य पर लागू नहीं होगी।

3. बरामदे की ग्लेजिंग के कारण आवंटियों को उपलब्ध होने वाला अतिरिक्त रिहायशी क्षेत्र सम्पदा निदेशालय के दिनांक 7.8.87 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12035 (1)/85-नीति-II (खण्ड-III) के तहत लाइसेंस शुल्क के फ्लैट रेट के निर्धारण हेतु स्वत: ही विचारणीय होगा।

4. इसे वित्त विभाग (डब्ल्यू एंड ई) के दिनांक 6.5.91 के पत्रांक 687-एफए/91 के तहत सहमति से जारी किया जाता है।

हस्ता./-

(एस. रंगनाथन)

उपसचिव, भारत सरकार

अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाएं

2421. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त राज्य-वार कितनी शैक्षिक संस्थाएं कार्यरत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) इस मंत्रालय में इस प्रकार की सूचना केंद्रीय रूप में नहीं रखी जाती है। राज्य सरकार को अनुदान जारी किया जाता है तथा उसी पर इसे आगे शैक्षिक संस्थाओं को वितरित करने की जिम्मेदारी होती है।

[हिन्दी]

कनवेयर बेल्ट में धोखाधड़ी

2422. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.वी.सी. द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के 21 करोड़ रुपए के कनवेयर बेल्ट आदेश की धोखाधड़ी के मामले की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) सी.वी.सी. ने सूचित किया है कि वह कन्वेयर बैल्ट की खरीद में कथित अनियमितताओं के बारे में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से प्राप्त शिकायत पर विचार कर रहा है। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

भेषज क्षेत्र के संबंध में भारत-ब्राजील सहयोग

2423. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मई, 2001 में ब्राजील के साथ भेषज क्षेत्र में सहयोग से संबंधित कोई वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) मई, 2001 में प्रनमबुको, ब्राजील के गवर्नर की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने रसायन और उर्वरक मंत्री से भेंट की थी। इस शिष्टमंडल ने भारतीय भेषज कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाने में रूचि जाहिर की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्ता (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में घाटा

2424. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अभियन्ताओं की आपराधिक उपेक्षा का पता लगाया है जिसके कारण सरकार को 100 करोड़ रुपये से भी अधिक का विशाल घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनायी गयी कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ङ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की कोक ओवन बैटरियों के समय से पहले खराब हो जाने का मामला अप्रैल, 2001 में सी.बी.आई. को भेजा गया था। सी.बी.आई. ने प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया है। यह जांच अभी आरंभिक चरण

में है। सी.बी.आई. द्वारा जांच के लिए संगत दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। शामिल व्यक्तियों के संबंध में इस चरण पर सी.बी.आई. द्वारा कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है। इस्पात संयंत्र के इंजीनियरों की लापरवाही अथवा अन्यथा के संबंध में तथा समय से पहले ही कोक ओवन बैटरियों के खराब हो जाने के लिए उत्तरदायी है, के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शामिल अधिकारियों की पहचान करने हेतु जांच की जाएगी।

जांच पूरी हो जाने के पश्चात् सरकार उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

राष्ट्रीय महिला संदर्शी योजना (1998-2000)

2425. **डा. वी. सरोजा:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला संदर्शी योजना (1998-2000) ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समर्थित महिला अधिकार आयोग के कार्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्यालय अभी तक स्थापित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा महिला अधिकार आयुक्त का कार्यालय यथाशीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) वर्ष 1998 से 2000 तक की अवधि के लिए वर्ष 1988 में तैयार की गयी राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) में महिलाओं से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में 'महिला अधिकार आयुक्त' के रूप में पदनामित किए जाने वाले एक विशेष प्रभाग की स्थापना की सिफारिश की गयी थी।

(ग) से (ङ) तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31.1.1992 को गठित राष्ट्रीय महिला आयोग को यह अधिदेश दिया गया कि वह अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक कानूनी सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा व अनुवीक्षण करेगा, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगा, महिलाओं से संबंधित संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के साथ उठाएगा तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कानूनों को लागू न करने तथा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से निर्धारित नीति, दिशा-निर्देशों व विनियमों का अनुपालन न किए जाने से संबंधित मुद्दों पर स्व-प्रेरणा से कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना में अनुशंसित महिला अधिकार आयुक्त के कार्यों का काफी हद तक निर्वहन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली पुलिस की वर्दी की बिक्री

2426. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक 27 जून, 2001 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार किंग्सवे कैम्प मार्केट की दुकानों में दिल्ली पुलिस के सिपाही की खाकी वर्दी और अन्य संबद्ध सामग्री जैसे टोपी, बैल्ट, जूते, नाम पट्टिकाएं और लाठियां बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में वर्दियों के दुरूपयोग के कतिपय मामले आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का खाकी वर्दी के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, पुलिस की वर्दी बेचना अपने आप में अपराध नहीं बनता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999 से 2001 (अब तक) दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस वर्दी के दुरूपयोग के चार मामलों का पता लगाया गया है। दो मामलों में, पुलिस की वर्दी पहने हुए व्यक्तियों द्वारा अपराध किया गया जबकि अन्य दो में दोषी लोग छद्म पुलिस कर्मिकों के रूप में पकड़े गए।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने अपने पुलिस कार्मिकों को निदेश दिए हैं कि पुलिस का छद्म रूप धारण करके पुलिस की वर्दी का दुरूपयोग करने वालों को रोकने के लिए उन पर कड़ी नजर रखी जाए और जो उसका दुरूपयोग करते पाए जाएं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

विकास समिति और संयुक्त संयंत्र समितियों को समाप्त करना

2427. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबद्ध विकास समिति और संयुक्त संयंत्र समितियों को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए; और

(घ) सरकार ने इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा

2428. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को सीमित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

नई दिल्ली में बच्चों पर निवेश विषय पर दक्षिण एशिया सम्मेलन

2429. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नयी दिल्ली में बच्चों पर निवेश विषय पर दक्षिण एशिया सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य निष्कर्ष निकले और क्या सुझाव दिये गये;

(ग) क्या सम्मेलन में घटते हुए लिंग अनुपात पर ध्यान दिया गया और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने और स्त्री भ्रूण हत्या पर निषेध लगाने हेतु उपायों की सिफारिश की गयी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस सम्मेलन के निष्कर्षों के प्रकाश में तब से क्या निर्णय लिये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा

2430. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने कितने अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को 'जैड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): अति महत्वपूर्ण संरक्षित व्यक्तियों समेत संक्षरित व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि सुरक्षा श्रेणी, मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर निर्धारित की जाती है, जोकि समय-समय पर बदलती रहती है। 'जैड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानदण्ड विशेष सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आकलित की गई और गृह मंत्रालय की दो समितियों द्वारा मानी गई खतरे की आशंका है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबधी नयी नीति

2431. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नवीनतम विकासों को कृषि और औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में समाहित करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी एक नयी नीति का प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रारूप नीति के बारे में सभी राज्य सरकारों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने उक्त नीति को किस सीमा तक स्वीकार कर लिया है;

(घ) इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) इस नीति को कब तक घोषित कर दिये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विवेकाधीन कोटा

2432. **श्री राधा मोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विवेकाधीन कोटे का ब्यौरा क्या है और यह किन व्यक्तियों को आबंटित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान माननीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की सिफारिशों पर वर्ष-वार कितने विद्यार्थियों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी सिफारिशों को माना नहीं गया और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 2000-2001 से केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये विवेकाधीन कोटा पुन: आरंभ किया गया था जिसके अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों को अपने चुनाव क्षेत्र/राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में दो छात्रों तथा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पूरे देश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में 1000 छात्रों को भर्ती करवा सकने का कोटा दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) द्वारा कोयले का उत्पादन

2433. श्री भर्तृहरि महताब: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) द्वारा कोयले के उत्पादन के लिए खान-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस समय महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) की प्रत्येक खान में अनुमानत: कोयले का कितना भंडार है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान और आज की तिथि तक इस संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य की तुलना में कोयला का कितना उत्पादन हुआ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) द्वारा चालू वर्ष (2001-2002) के लिए कोयला उत्पादन का निश्चित लक्ष्य नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	खान/परियोजना	लक्ष्य (2001-2002) ('000' टन में)
1	2	3
1.	बालन्दा	800
2.	जगन्नाथ	4500

1	2	3
3.	अनंता	6500
4.	भरतपुर	5400
5.	कलिंगा	6000
6.	लिंगराज	5300
7.	हिंगुला	1600
8.	छेदीपाड़ा	100
9.	बेलपहाड़	2450
10.	लखनपुर	4600
11.	लाजकुरा	850
12.	तिलारी	500
13.	समालेश्वरी	3600
14.	बसुंधरा	600
15.	तलचर	190
16.	देउलबेरा	120
17.	नंदिरा	230
18.	खान नं. 1 और 2	260
19.	खान नं. 3	340
20.	खान नं. 4	120
21.	एच.आर.सी.	170
22.	एच.बी.आई.	270
	कुल एम.सी.एल.	44500

(ख) वर्तमान में एम.सी.एल. की प्रत्येक कोलियरी में अनुमानित कोयला भंडारों का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	कोलियरी का नाम	1.4.2001 की स्थिति के अनुसार शेष खनन योग्य भण्डार (मिलियन टन में)
1	2	3
1.	तलचर कोलियरी	10.68
2.	देउलबेरा कोलियरी	1.82
3.	नंदिरा कोलियरी	10.39
4.	बालंदा ओ.सी.पी.	2.808
5.	जगन्नाथ ओ.सी.पी.	6.75
6.	भरतपुर इंक, ई.सी.पी. ओ.सी.पी.	104.08
7.	अनंता ओ.सी.पी. इंक. विस्तार	86.678
8.	कलिंगा ओ.सी.पी.	134.98
9.	लिंगराज ओ.सी.पी.	300.33
10.	हिन्गुला-II ओ.सी.पी.	74.24
11.	छेंटीपाड़ा ओ.सी.पी.	2.56
12.	ओरिएण्ड - I और II कोलियरी	27.78
13.	ओरिएण्ट 3 कोलियरी	55.27
14.	ओरिएण्ट 4 कोलियरी	5.29
15.	एच.आर.सी.	24.34
16.	एच.बी.आई. कोलियरी	9.66
17.	बेलपहाड़ ओ.सी.पी. तथा विस्तार	75.009
18.	लाजकुरा ओ.सी.पी. विस्तार	12.01
19.	लिलारी ओ.सी.पी.	1.07
20.	समलेश्वरी ओ.सी.पी. और विस्तार	72.44
21.	लखनपुर ओ.सी.पी. तथा विस्तार	171.81
22.	बसुन्धरा (ई.)	3.64
	जोड़	1194.635

(ग) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) के वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 (26 जुलाई, 2001 तक) के लिए कोयला उत्पादन के लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है-

(मिलियन टन में)

कम्पनी	2000-2001			2001-2002	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य (26.7.01 तक)	वास्तविक (अनन्तिम) (26.7.01 तक)
एम.सी.एल.	43.00	44.80	44.50	13.06	13.42

अंतर-राज्यीय परिषद् की बैठक

2434. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अंतर-राज्यीय परिषद् की आकस्मिक बैठक बुलाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में विसंगतियों पर चर्चा करना चाहते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) अंतर-राज्यीय परिषद् की बैठक कब तक बुलाये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) अंतर्राज्यीय परिषद् की आकस्मिक बैठक बुलाने के संबंध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई। अन्तर्राज्यीय परिषद् की अगली बैठक के लिए अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई। 20 मई, 2000 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठक में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ चर्चा हुई थी।

दूरवर्ती शिक्षा विश्वविद्यालयों में नामांकन

2435. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय दूरवर्ती शिक्षा विश्वविद्यालयों में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विश्वविद्यालयों ने कितने छात्रों का नामांकन किया; और

(ग) दूरवर्ती शिक्षा पर इन विश्वविद्यालयों द्वारा कितना व्यय किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में कोयला खानें

2436. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में स्थान-वार और खान-वार कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज तक इन खानों के विकास पर सरकार द्वारा खान-वार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार राज्य में अन्य और कोयला खानों को खोजने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वर्तमान में राजस्थान राज्य में कोई प्रचालनशील खान नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में 01.01.2001 तक भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कोयला भंडारों के अन्वेषण के अनुसार राजस्थान में किसी भी कोयला भंडार का पता नहीं लगा है। इसलिए, वर्तमान में राज्य में कोयला खानों के अन्वेषण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमिगत कोयला खानों में आग दुर्घटनाएं

2437. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री बिक्रम केशरी देव:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश की विभिन्न कोयला खानों में गैस-रिसाव तथा भूमिगत खान क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह की आग को बुझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भूमिगत अग्निदहन के कारण कुछ कोयला खानों के प्रबंधन ने अनेक ग्रामवासी परिवारों को अपने घरों को खाली कर देने के नोटिस जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(च) क्या खान क्षेत्र में व्याप्त इस आग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपयोग में ली गई विभिन्न प्रौद्योगिकियां निष्प्रभावी सिद्ध हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में विदेशों से मदद लेने का विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कुछ कोयला सीमों में स्वतः ऊष्मायन की अंतर्निहित विशेषता होती है। यदि इससे प्रारंभिक चरण में ही निपटा न जाए तो आग लग सकती है। इसी प्रकार कोयला खानों से गैसें भी जुड़ी हुई है। सीलबंद क्षेत्र से तथा अन्यथा गैस का रिसाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है। जिससे खनन के दौरान निपटा जाता है। बी.सी.सी.एल. के झरिया कोलफील्ड में विशाल आग वाले क्षेत्र हैं। बी.सी.सी.एल. में आग के फैलाव को धीमा किया गया है पर यह अभी अपेक्षित सीमा तक नहीं है।

(ग) स्थितियों पर निर्भर करते हुए आग को बुझाने के निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं-

(1) घटना स्थल की अग्नि को बुझाना और बुझे कोयले को बाहर निकालना।

(2) दरारों को भरने के लिए भूतल की ब्लैकेटिंग करना तथा भूतल की सीलिंग करना।

(3) सैंड फ्लशिंग।

(4) बोरहोल के रास्ते से भूतल से भूमिगत क्षेत्र में सक्रिय अग्नि जोन में इनर्ट गैस पम्प करना।

(5) ट्रैचिंग।

(6) वाटर पूलिंग।

(7) प्रभावित पैनल को तत्काल सील करना।

(8) अवरोधक पर प्लस्तर करना और/या सीमेंट का कोट लगाना।

(9) अग्नि शमन केन्द्रों को आग से निपटने वाले उपस्करों जैसे वाटर होज अज्वलनशील धूलि, रेत, पोर्टेबल अग्नि शामकों से लैस करना।

(10) बचाव कार्मिकों की मदद से अग्नि क्षेत्र में हवा के आगमन को रोकने के लिए अवरोधक की चिनाई करवाना।

(घ) और (ङ) बी.सी.सी.एल. के प्रबंधन ने समय-समय पर संकटग्रस्त स्थानों में रहने वाले परिवारों को जो भूमिगत अग्नि और गैस रिसाव से पहले से प्रभावित है या प्रभावित होने की संभावना है, उनके जीवन और सम्पत्ति को अवश्यंभावी खतरे और इन क्षेत्रों को खाली करने की आवश्यकता के बारे में नोटिस जारी किये हैं। जिला अधिकारियों को भी समय-समय पर अवगत रखा गया है।

(च) अपनायी जा रही विभिन्न तकनीकें प्रभावी पायी गई है। तथापि समस्या की विपुलता के कारण बी.सी.सी.एल. में अग्नि को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका।

(छ) और (ज) उपर्युक्त (च) को देखते हुए लागू नहीं होता।

केरल के समुद्र तट पर निर्मित सुरक्षा दीवार

2438. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के समुद्र तट पर बनाई गई सुरक्षा-दीवार की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मानसून के मौसम में, राज्य के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र को बार-बार क्षति पहुंचती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त कारण से मकानों और भूमि को होने वाली क्षति से उन्हें बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केरल सरकार की सूचना के अनुसार मार्च, 2000 तक

368.48 किलोमीटर की समुद्री सुरक्षा दीवार का निर्माण और 83.95 किलोमीटर की पुरानी समुद्री दीवार का नवीकरण किया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में 5.825 किलोमीटर नई समुद्री सुरक्षा दीवार तथा 3.947 किलोमीटर पुरानी समुद्री सुरक्षा दीवार का निर्माण किए जाने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय दल आयोग को केरल सरकार से केन्द्रीय सहायता का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 3.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अज़िकोड और इरियाडु के बीच 1880 मीटर लंबी समुद्री दीवार का निर्माण शामिल है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं और इनकी जांच की जा रही है।

केन्द्रीय जल आयोग को 267.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में 78 किलोमीटर की नई समुद्री सुरक्षा दीवार, 58 किलोमीटर का नवीकरण कार्य तथा 23 अदद रोधिकाओं के निर्माण का एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव में कतिपय परिशोधन सुझाए गए हैं। राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निधि

2439. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देशस्थ अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अलग से निधि आबंटित करती है; और

(ख) यदि हां, तो 2000-2001 तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन और पुनर्संरचना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, अध्यापक शिक्षा कालेजों तथा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों के लिए निधियां प्रदान का जाती है। भोपाल, चेन्नई, कोलकाता तथा चंडगीढ़ स्थित चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को भी निधियां प्रदान की जाती है।

(ख) शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन और पुनर्संरचना की योजना के तहत 2000-2001 के दौरान 192.55 करोड़ रु. जारी किए गए थे जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ 220.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। जहां तक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का संबंध है, 2000-2001 के दौरान 15.20 करोड़ रु. जारी किए गए थे तथा चालू वित्तीय वर्ष में उनके लिए 23.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

"इस्को" का पुनरुद्धार

2440. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय लौह तथा इस्पात कम्पनी (आई.आई.एस.सी.ओ.- इस्को) के पुनरुद्धार के लिए किसी योजना की रूपरेखा बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) कंपनी के पुनरुद्धार को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी भावी संभावना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस्को को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने के लिए सेल को अनुमति दे दी थी। तदनुसार, इस प्रकार के संयुक्त उद्यम में अपनी रूचि व्यक्त करने के लिए सेल ने उपयुक्त पार्टियों से बोली आमंत्रित की थी। तीन कंपनियों को छांटा गया है और इस समय उनकी पेशकशों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इच्छुक पार्टियों से प्रत्युत्तर प्राप्त होने में हुए विलम्ब के कारण सेल अभी तक सरकार को कोई पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत नहीं कर सका।

इस्को के पुनरुद्धार के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सेल ने छः माह, अर्थात् 31 जनवरी, 2002 तक, अवधि बढ़ाने के लिए बी.आई.एफ.आर. से अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ स्थित बैलाडीला परियोजना

2441. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ स्थित बैलाडीला परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या बेलाडीला के निकट गोदाम क्षेत्र में एक वाणिज्यिक ढलवां लोहा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना के उद्देश्य क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी) की छत्तीसगढ़ राज्य के बैलाडिला क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं को मजूरी दी गई है। नवीनतम परियोजना, जो इस समय निर्माणाधीन है, यह बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप 10 तथा 11-ए है।

(ख) यहि परियोजना 430.50 करोड़ रुपए जिसमें 18.61 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है, की अनुमानित लागत पर विकसित की जानी है। 50 लाख टन आर ओ एम (हैमेटाइट लौह अयस्क) की निर्धारित उत्पादन क्षमता से निम्नलिखित विक्रेय उत्पादों का उत्पादन किया जाना है।

(i)	(-) 150 (+) 10 एम एम आकार के अयस्क डले	24 लाख टन वार्षिक
(ii)	अयस्क चूरा (-) 10 एम एम	21 लाख टन वार्षिक

(ग) 15 जुलाई, 2002 तक।

(घ) आरंभ में एन.एम.डी.सी. ने जगदलपुर के समीप दिलमिली में बैलाडिला खान से और तत्पश्चात् गीदाम, दांतेवाड़ा में लौह अयस्क अवपंक का उपयोग करके एक वाणिज्यिक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। तथापि, अब यह संयंत्र नागरनर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। नागरनर एन एच रोड 43 (रायपुर-विजयनगरम रोड) पर जगदलपुर से लगभग 16 किलोमीटर है।

(ङ) प्रस्तावित कच्चा लोहा इस्पात संयंत्र इस्पात निर्माण के लिए 3 लाख टन वार्षिक द्रव तप्त धातु (प्रीमियम ग्रेड का कच्चा लोहा) का उत्पादन करने के लिए रोमैल्ट प्रक्रिया पर आधारित है। यह संयंत्र 19.6 लाख टन वार्षिक; स्लौग जिसका सीमेंट संयंत्रों में उपयोग किया जा सकता है, का उत्पादन भी करेगा।

(च) बैलाडिला खान लौह अयस्क अवपंक के बहुत बारीक चूरे का उपयोग करना जिनसे प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग का सम्मेलन

2442. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दो-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में केन्द्र से दृढ़तापूर्वक यह मांग की गई कि आयोग को और शक्ति प्रदान की जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) 'महिलाएं एवं विधि प्रवर्तन' विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं:

(i) महिलाओं को प्रभावित करने वाले दहेज, बलात्कार, भरण-पोषण तथा द्विविवाह जैसे विषयों से सम्बन्धित कुछ कानूनों में संशोधन;

(ii) पुलिस कार्मिकों, अभियोजकों तथा न्यायपालिका में महिला मुद्दों के प्रति संचेतना पैदा करना;

(iii) परिवार न्यायालयों का सुदृढ़ीकरण; और

(iv) न्यायपालिका, अभियोजन तथा पुलिस स्थापनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग से अभी तक वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें सम्मेलन में की गई विस्तृत सिफारिशों का उल्लेख है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में सड़क-दुर्घटनाएं

2443. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यातायात-नियमों का पालन न करने और उतावले ढंग से वाहन चलाने के कारण, दिल्ली की सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या दिल्ली में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कुछ प्रभावी और नवीन उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान आज तक, दिल्ली के पुलिस थानों में सड़क दुर्घटनाओं के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) ऐसे कितने मामलों का निपटारा कर दिया गया, जबकि कितने लंबित पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली की सड़कों पर सूचित किए गए दुर्घटनाओं के मामलों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, गति पर अंकुश लगाने के लिए रडार गनों, अवरोधकों और रेड स्पीड कैमरों का प्रयोग, लालबत्ती पार करने की जांच और लेन अनुशासन लागू करना, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच के लिए अल्कोमीटर का प्रयोग, दुर्घटना के वास्तविक कारण की पहचान करने के लिए सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करना ताकि उपचारी कदम उठाए जा सके, यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए यातायात प्रशिक्षण पार्क स्थापित करना शामिल हैं।

(घ) और (ङ) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष	सूचित किए गए कुल मामले	चालान किए गए कुल मामले	ऐसे मामले जिनका पता नहीं लगा	जांच-पड़ताल के लिए लम्बित पड़े मामले
1999	9550	6694	2822	34
2000	9842	6264	2562	1016
2001 (31.7.2001 तक)	5261	1095	570	3596

[अनुवाद]

बी.सी.सी.एल. के उत्पादन में गिरावट

2444. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक, बी.सी.सी.एल. में कोयले के उत्पादन में कितनी गिरावट आई और इसके लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक बी.सी.सी.एल. में कोयला उत्पादन में आई गिरावट नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)
1998-1999	30.88
1999-2000	18.07
2000-2001	40.40
2001-2002 (अप्रैल-जुलाई) (अनंतिम)	23.01

उत्पादन में गिरावट हेतु प्रमुख कारकों में सामान्य रूप से बिजली फेल हो जाना, भूमि अधिग्रहण की समस्या, वर्षा के कारण खानों में जल भर जाना, विद्युत तथा उपकरणों का बिगड़ जाना, निधियों की कमी तथा प्रतिकूल भू-खनन स्थितियां शामिल हैं।

(ख) स्थितियों में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में, भूमि अधिग्रहण हेतु गांव वासियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर बातचीत करना, बिजली का आपूर्ति में व्यवधान को कम करने के लिए दामोदर घाटी निगम के साथ निकट संपर्क बनाए रखना, अन्य अनुषंगी कंपनियों से अतिरिक्त उपकरणों को एकत्र करना आदि शामिल हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क और केन्द्र

2445. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों तथा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों और केन्द्रों के स्थापनार्थ, वर्तमान में केन्द्र सरकार और विदेशों की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पार्कों और केन्द्रों को स्थापित करने से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार तथा उसकी जानकारी को बढ़ाने में कहां तक सफलता मिली है;

(ङ) इनके योगदान को और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान देशी तथा विदेशी सहयोग के द्वारा पृथक-पृथक, ऐसे कितने पार्क और केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क एवं केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए कोई भी योजना संचालित नहीं करता है। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड (एन.एस.टी.ई.डी.बी.) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्तियों में नवप्रवर्तन एवं उद्यमवृत्ति से जुड़ी मनोवृत्ति का विकास करने की दृष्टि से उत्कृष्ट शैक्षणिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में तथा उनके परिवेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों (एस.टी.ई.पीज.) को बढ़ावा दे रहा है। ये एस.टी.ई.पीज. डी.एस.टी., अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. तथा आई.सी.आई.सी.आई.) राज्य सरकारों एवं मेजबान संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित किए जाते हैं। अब तक 31.7.2001 तक 16 एस टी ई पीज को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। एस टी ई पीज का राज्यवार विवरण-I के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) अनुसन्धान संस्थानों एवं उद्योग जगत के बीच एक अन्तरापृष्ठ उपलब्ध कराने के लिए माइक्रोप्रोपेगेशन टैक्नोलोजी पार्कों (एम.टी.पीज.) तथा पर्यावरण के अनुकूल जैव प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए अवसर प्रदान करने हेतु महिलाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी पार्कों को बढ़ावा दे रहा है। डी.बी.टी. ने दो एम.टी.पीज स्थापित किए हैं जिनमें से एक टाटा इनर्जी रिसर्च इन्सटीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली में तथा दूसरा राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में स्थित है। डी.बी.टी. द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से चेन्नई में एक जैव प्रौद्योगिकी महिला पार्क की स्थापना की गई है।

इन प्रयासों में कोई विदेशी सहभागिता नहीं है।

(घ) और (ङ) एस.टी.ई.पीज. के माध्यम से 750 से अधिक उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया है और लगभग 11,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है। इन पार्कों/केन्द्रों का समुचित विकास एवं वर्धन सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित विभागों के पास समुचित यांत्रिक प्रक्रिया है।

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान स्थापित किए जाने वाले पार्कों/केन्द्रों की संख्या प्रस्तावों की व्यवहार्यता तथा उपलब्ध बजट आबंटनों पर निर्भर करेगी।

विवरण

31.7.2001 की स्थिति के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों (एस.टी.ई.पी.) का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	एस.टी.ई.पी. की संख्या	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1. इंटरनैशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फार मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियलस, हैदराबाद
2.	बिहार	1	1. बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, मेसरा, रांची
3.	हिमाचल प्रदेश	1	1. एच.पी., विश्वविद्यालय, शिमला
4.	कर्नाटक	3	1. एच. जे कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, मैसूर 2. कर्नाटक क्षेत्रीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, सुरथकल 3. बसवेश्वर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भोपाल
5.	मध्य प्रदेश	1	1. मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल
6.	महाराष्ट्र	2	1. पूना विश्वविद्यालय, पुणे 2. जवाहर लाल नेहरू इन्टरप्रेन्योर्स केमिकल पार्क, मुम्बई
7.	पंजाब	2	1. गुरु नानक देव अभियांत्रिकी महाविद्यालय, लुधियाना 2. थापर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला
8.	तमिलनाडु	2	1. क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तिरूचिरापल्ली 2. पी एस जी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयम्बटूर
9	उत्तर प्रदेश	1	1. हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
10.	उत्तरांचल	1	1. रूड़की विश्वविद्यालय रूड़की
11.	पश्चिम बंगाल	1	1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), खड़गपुर
	कुल	16	

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटन

2446. **डा. एस. वेणुगोपाल:**
श्री रामानन्द सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कई नयी योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है, जबकि पूर्व में प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं, विशेषकर 1981 में शुरू की गई "रोहिणी" योजना के तहत अब तक आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज तक, योजना-वार कितने आबंटन किए गए हैं;

(घ) विभिन्न योजनाओं के तहत किए जाने वाले आबंटन के लिए योजना-वार कितने आवेदक अपनी बारी की प्रतीक्षा में है;

(ङ) उक्त योजनाओं के तहत फ्लैट/भूखंड आबंटित न करने के क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन आवदेकों को भूखंड/फ्लैट कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रोहिणी रिहायशी योजना 1981 के तहत, 82384 व्यक्तियों ने प्लाटों के आबंटन के लिए अपना पंजीकरण कराया, जिनमें से अब तक विभिन्न वर्गों के 42,401 पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट आबंटित कर दिए गए हैं। 1686 पंजीकृत व्यक्तियों ने अपनी पंजीकरण रद्द करवा लिए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा फ्लैटों के आबंटन हेतु प्रारंभ की गई अन्य योजनाएं जहां पिछला बकाया अब भी मौजूद है, वे हैं न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-1979, अम्बेडकर आवास योजना 1989 और जनता आवास रजिस्ट्रेशन स्कीम-1996

(ग) ब्यौरा संलग्न है। (विवरण-I)

(घ) ब्यौरा संलग्न है। (विवरण-II)

(ङ) विकसित भूमि और मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट/प्लाट आबंटित नहीं किए जा सके।

(च) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट/प्लाट आबंटित करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

विवरण-I

प्लाटों/फ्लैटों के किए गए आवंटन का योजना-वार ब्यौरा

योजना का नाम	एमआईजी	एलआईजी	जनता/ईडब्ल्यूएस
रोहिणी रिहायशी योजना 1981	11,017	17,487	13,897
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन योजना 1979	40,250	55,677	58,288
अम्बेडकर आवास योजना 1989	3,930	5,007	2,988
जनता हाऊसिंग रजिस्ट्रेशन योजना, 1996	–	–	7,864

विवरण-II

प्लाटों/फ्लैटों के आवंटन के लिए इन्तजार कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों का योजना-वार ब्यौरा

योजना का नाम	एमआईजी	एलआईजी	जनता/ईडब्ल्यूएस
रोहिणी रिहायशी योजना 1981	13,821	20,013	4,463
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन योजना 1979	4,675	12,545	–
अम्बेडकर आवास योजना 1989	2,011	4,211	–
जनता हाऊसिंग रजिस्ट्रेशन योजना, 1996	–	–	12,136

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

2447. **श्री रामदास आठवले:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार पृथक-पृथक, कितने प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान, इन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए जो

योजनाएं शुरू की गई तथा जो लक्ष्य तय किए गए, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इनसे पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार, पृथक-पृथक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री. एम. वैंकय्या नायडू): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 1998-99 से 2001-2002 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या 1999-2000

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण लोगों की सं. (लाख)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.80
3.	असम	92.17
4.	बिहार	376.51
5.	गोवा	0.11
6.	गुजरात	39.80
7.	हरियाणा	11.94
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84
9.	जम्मू व कश्मीर	2.97
10.	कर्नाटक	59.91
11.	केरल	20.97
12.	मध्य प्रदेश	217.32
13.	महाराष्ट्र	125.12
14.	मणिपुर	6.53
15.	मेघालय	7.89
16.	मिजोरम	1.40
17.	नागालैंड	5.21
18.	उड़ीसा	143.69
19.	पंजाब	10.20
20.	राजस्थान	55.06
21.	सिक्किम	2.00
22.	तमिलनाडु	80.51
23.	त्रिपुरा	12.53
24.	उत्तर प्रदेश	412.01
25.	पश्चिम बंगाल	180.11
26.	अंडमान व निकोबार	0.58
27.	चंडीगढ़	0.06
28.	दादर व नगर हवेली	0.30
29.	दमन व दीव	0.01
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.07
31.	लक्षद्वीप	0.03
32.	पांडिचेरी	0.64
	कुल	1932.42

नोट:

1. सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए असम की गरीबी अनुपात का उपयोग किया जाता है।

2. गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए महाराष्ट्र की गरीबी अनुपात और गोवा के खर्च बंटवारे का उपयोग किया जाता है।
3. जम्मू व कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश की गरीबी जम्मू व कश्मीर के खर्च बंटवारे का उपयोग किया जाता है।
4. पांडिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का उपयोग किया जाता है।
5. चण्डीगढ के शहरी और ग्रामीण गरीबी के लिए पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का उपयोग किया जाता है।
6. दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए गरीबी अनुपात और दादर व नगर हवेली के खर्च बंटवारे का उपयोग किया जाता है।
7. दादरा व नगर हवेली के लिए गोवा के गरीबी अनुपात का उपयोग किया जाता है।
8. लक्षद्वीप के लिए केरल की गरीबी अनुपात का उपयोग किया जाता है।
9. राजस्थान के शहरी गरीबी अनुपात को अनंतिम समझा जाए।

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का %

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अनु. जाति का प्रतिशत	कुल अनु. जनजाति का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15.93	6.31
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.47	63.66
3	असम	7.40	12.82
4.	बिहार	14.56	7.66
5.	गोवा	2.08	0.03
6	गुजरात	7.41	14.92
7.	हरियाणा	19.75	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	25.34	4.22
9	जम्मू व कश्मीर	एन.ए.	एन.ए.
10.	कर्नाटक	16.38	4.26
11.	केरल	9.92	1.10
12.	मध्य प्रदेश	14.54	23.27
13.	महाराष्ट्र	11.10	9.27
14.	मणिपुर	2.02	34.41
15.	मेघालय	0.51	85.53
16.	मिजोरम	0.10	94.75
17.	नागालैंड	0.00	87.70
18.	उड़ीसा	16.20	22.21
19.	पंजाब	28.31	0.00
20.	राजस्थान	17.29	12.44
21.	सिक्किम	5.93	22.36
22.	तमिलनाडु	19.18	1.03
23.	त्रिपुरा	16.36	30.95
24.	उत्तर प्रदेश	21.04	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	23.62	5.60
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	9.54
27.	चंडीगढ़	16.51	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	1.97	78.99
29.	दमन व दीव	3.83	11.54
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	19.05	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	93.15
32.	पांडिचेरी	16.25	0.00

एन.ए.: अनुपलब्ध

विवरण-III

1998 से 2000-2001 तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आई.आर.डी.बी.*/एसजीएसवाई# (स्वरोजगारियों की सं.)			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	140880	165190	83084	8524
2.	अरूणाचल प्रदेश	12432	3060	1403	76
3.	असम	47264	17974	12282	एन.आर.
4.	बिहार	176213	106393	125792	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़***	0	0	25423	207
6.	गोवा	895	एन.आर.	23	54
7.	गुजरात	39598	19341	29241	1427
8.	हरियाणा	16743	17348	25853	1047
9.	हिमाचल प्रदेश	7331	8638	11647	एन.आर.
10.	जम्मू व कश्मीर	13992	5835	9302	एन.आर.
11.	झारखंड***	0	0	55038	एन.आर.
12.	कर्नाटक	88007	19184	29026	1094
13.	केरल	39836	29485	37926	1295
14.	मध्य प्रदेश	126617	112118	71823	2002
15.	महाराष्ट्र	145667	87994	87998	4058
16.	मणिपुर	1638	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
17.	मेघालय	4219	741	1671	एन.आर.
18.	मिजोरम	3138	एन.आर.	1352	एन.आर.
19.	नागालैंड	5773	4749	1376	एन.आर.
20.	उड़ीसा	105008	74663	86171	2432
21.	पंजाब	10357	1694	11990	994
22.	राजस्थान	62922	34120	44504	2325
23.	सिक्किम	1937	686	1873	एन.आर.

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	142813	65427	83393	1187
25	त्रिपुरा	18816	8450	14640	एन.आर.
26.	उत्तर प्रदेश	391832	60647	124064	8252
27	उत्तरांचल***	0	0	31555	24252
28.	पश्चिम बंगाल	71134	88826	21230	11435
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	604	795	448	8
30	दादर व नगर हवेली	119	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	दमन व दीव	71	6	6	एन.आर.
32.	लक्षद्वीप	9	3	20	एन.आर.
33.	पांडिचेरी	1317	531	39	एन.आर.
	जोड़	1677182	933868	1030193	70669

\# – दि. 01.04.1999 से कार्यान्वित।

* – दि. 01.04.1999 से बंद।

** – जून, 2001 तक (अनंतिम)।

*** – 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान विद्यमान नहीं।

एन.आर. – सूचित नहीं।

आदिवासियों को शिक्षा देने के लिए विशेष योजना

2448. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासियों को शिक्षा देने के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा जनजातियों की शिक्षा के लिए कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

(1) जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों (अर्थात् अनुसूचित जनजाति महिलाओं की 10% साक्षरता से कम) में शैक्षिक परिसर।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत आदर्श आवासीय स्कूल।

(3) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना।

(4) जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय तथा गैर-आवासीय स्कूलों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्षित कोयला खानों में कोयले के भण्डार

2449. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षित कोयला खानों में विभिन्न उद्योगों के लिए क्षेत्र-वार कितना कोयला भण्डार आवंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन खानों में उत्पादन लागत का अभिनिश्चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो इन खानों में उत्पादन की प्रति टन औसत लागत खान-वार कितनी है; और

(घ) यह लागत, सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में उत्पादन की औसत लागत के मुकाबले कितनी कम है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) गृहीत विद्युत उत्पादन के लिए लौह तथा इस्पात के विनिर्माण और सीमेंट उत्पादन हेतु विभिन्न सार्वजनिक/निजी कंपनियों को, 10.7.2001 की स्थिति के अनुसार, 27 कोयला खनन ब्लाक आवंटित हैं। इन ब्लाकों के संबंध में कोयला भण्डारों, क्षेत्रों के बारे में विवरण संलग्न हैं।

(ख) से (घ) विभिन्न पार्टियों को आवंटित 27 खनन ब्लाकों में से केवल तीन खनन ब्लाकों नामत: तारा (ईस्ट), तारा (वेस्ट) तथा गोरे पालमा IV/1 में ओपनकास्ट पद्धति से उत्पादन शुरू किया गया है। तारा (ईस्ट) तथा तारा (वेस्ट) खनन ब्लाकों का क्रियान्वयन संयुक्त उद्यम कंपनी नामत: बंगाल एमटा कोल माइन्स लि. के द्वारा किया जा रहा है। बंगाल एमटा कोल माइन्स लि. द्वारा क्रियान्वित तारा ब्लाक में ओपनकास्ट पद्धति से उत्पादित कोयले की प्रति टन कीमत वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में क्रमश: 481.76 रु. तथा 494.83 रु. थी तथा जिंदल स्ट्रीपस द्वारा क्रियान्वित गोरे-पालमा IV/1 में उत्पादन की कीमत वर्ष 2000-2001 में 367 रु. थी। सिंगरेली कोलियरीज कंपनी में ओपनकास्ट उत्पादन के प्रति टन औसत लागत वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में क्रमश: 438.16 रु. तथा 475.51 रु. थी। हालांकि कोल इंडिया लि. का वर्ष 2000-01 के लेखा परीक्षित उत्पादन लागत अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, वर्ष 1999-2000 में कोल इंडिया लि. के ओपनकास्ट उत्पादन की प्रति टन औसत लागत 356.80 रु. थी।

विवरण

10.7.2001 की स्थिति के अनुसार आवंटित गृहीत खनन ब्लाकों का ब्यौरा

क्र.सं.	पार्टी का नाम	आवंटित ब्लाक	कोयला क्षेत्र/राज्य	भू-गर्भीय भंडार (मि.ट.)
1	2	3	4	5
1	मेसर्स आरपीजी इंडस्ट्रीज/सीईएससी लि.	सरीसाटोली	रानीगंज (पश्चिम बंगाल)	147.52
2.	मेसर्स कलिंगा पावर	उत्कल-ए	तलचर (उड़ीसा)	304.00
3.	मेसर्स इन्डालको	तलाबीरा-1	आईबी वैली (उड़ीसा)	17.00
4.	मेसर्स डब्ल्यूबीएसईबी	तारा (ईस्ट)	रानीगंज (पश्चिम बंगाल)	84.48
5	मेसर्स सेल	तसरा	झरिया (झारखंड)	285.00
6.	मेसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	तारा (वेस्ट)	रानीगंज (पश्चिम बंगाल)	125.71
7.	मेसर्स तालचर माइनिंग प्रा. लि./वीपीएल	उत्कल-बी1	तलचर (उड़ीसा)	228.14
8.	मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	गोतीतोरिया (ईस्ट)	मोहापानी (मध्य प्रदेश)	5.15
9.	मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	गोतीतोरिया (वेस्ट)	मोहापानी (मध्य प्रदेश)	6.53
10.	मेसर्स जिन्दल स्ट्रीप्स लि.	गोरे-पालमा-4/1	मंद-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	124.00
11.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात लि.	गोरे-पालमा-4/5	मंद-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	126.00
12.	मेसर्स लायड्स मेटल्स एण्ड इंजीनियर्स लि.	तकली-जेना-बेल्लोरा (नार्थ)	वर्धा (महाराष्ट्र)	75.00

1	2	3	4	5
13.	मेसर्स ए.सी.सी.	बिसरार	हसदेव-अरन्द (छत्तीसगढ़)	175.65
14.	मेसर्स सेंट्रल कोलियरीज कंपनी	तकली-जेना बेल्लोरा (साउथ)	वर्धा (महाराष्ट्र)	40.00
15.	मेसर्स जिन्दल पावर लि.	गोरे-पालमा-4/2	मंद-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	123.00
16.	मेसर्स जिन्दल पावर लि.	गोरे-पालमा-4/3	मंद-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	123.00
17.	मेसर्स उत्कल कोल लि.	उत्कल-सी	तलचर (उड़ीसा)	190.00
18.	मेसर्स जयसवाल निको लि.	गोरे-पालमा4/4	मंद-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	125.00
19.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात	उत्कल-बी2	तलचर (उड़ीसा)	106.00
20.	मेसर्स गरूदा क्लेस लि.	उमरिया का पश्चिम (अनंतिम)	कोरिया-रीवा (छत्तीसगढ़)	अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।
21.	मेसर्स जयसवाल निको लि.	चौरीटांड-तिलैय्या (अनंतिम)	पश्चिम बोकारो (झारखंड)	100.00
22.	मेसर्स जयसवाल निको लि.	जोगेश्वर (अनंतिम)	पश्चिम बोकारो (झारखंड)	84.00
23.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	छोतिया (अनंतिम)	हसदेव-अरन्द (छत्तीसगढ़)	60.00
24.	मेसर्स रायपुर अलांयस एण्ड स्टील लि.	गोरे-पालमा-4/7	मंद-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	156.00
25.	मेसर्स बी.एश. इस्पात	मारकी-मंगली	वर्धा (महाराष्ट्र)	34.34
26.	मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि.	उत्कल-डी	तलचर (उड़ीसा)	190.00
27.	मेसर्स पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	पछवाड़ा (अनंतिम-सब-ब्लाकिंग की शर्त पर -सब ब्लाकिंग प्रतीक्षित)	राजमहल (झारखंड)	पछवाड़ा ब्लाक के उप-ब्लाक के संबंध में भण्डार आवंटित किये जाने हैं, अभी इसका अनुमान लगाया जाना है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

2450. **श्री रामानन्द सिंह:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को काफी कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) 2000-2001 के दौरान और आज तक उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(च) उक्त अवधि के दौरान इस आबंटित धनराशि में से प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(छ) योजना के अंतर्गत, राज्य-वार कितने कार्यदिवसों का रोजगार प्रदान किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। चालू वर्ष अर्थात् 2001-2002 के दौरान बजट आकलनों को पिछले वर्ष के स्तर अर्थात् जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 1650 करोड़ रु. पर रखा गया है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई भी निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आबंटन को बढ़ाने की मांग की है ताकि ग्राम स्तर पर सार्थक ढांचों का सृजन किया जा सके। प्रत्येक पंचायत के लिए न्यूनतम आबंटन को 50,000 रु. तक बढ़ाने का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ङ) से (छ) 2000-2001 तथा चालू वर्ष (मई 2001 तक) के दौरान राज्य वार आबंटन रिलीज निधियों का उपयोग तथा सृजित श्रमदिवसों को दर्शाने वाला विवरण-I और II में संलग्न है।

विवरण-I

2000-2001 के दौरान मार्च माह के लिए जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति (अनंतिम)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	माह कोड	1.4.00 को अथशेष	आबंटन			रिलीज			कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की की गई निधियां	कुल उपयोग का %	कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में)
				केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3	1854.75	8727.55	2908.89	11636.45	8224.23	2741.14	10965.37	12820.12	9860.51	76.91	156.37
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	121.82	456.91	152.29	609.19	367.68	122.55	490.23	612.05	428.11	69.95	6.59
3.	असम	3	2487.00	11872.04	3956.95	15828.99	0.00	0.00	0.00	2487.00	1426.61	57.36	132.86
4.	बिहार	2	9146.86	16476.68	5491.27	21967.95	13707.02	4568.55	18275.57	27422.43	17006.30	62.02	184.73
5.	छत्तीसगढ़	3	1023.60	5094.75	1698.25	6793.00	3604.68	1201.44	4806.12	5829.72	5447.73	93.45	68.96
6.	गोवा	3	18.54	128.41	42.80	171.21	128.41	42.80	171.21	189.75	233.16	122.88	2.61
7.	गुजरात	3	467.18	3285.21	1094.56	4380.17	3273.13	1090.93	4364.05	4831.23	4934.81	102.14	46.72
8.	हरियाणा	3	308.86	1932.75	644.18	2576.93	1863.61	621.14	2484.75	2793.61	3380.95	121.02	18.84
9.	हिमाचल प्रदेश	3	303.71	813.95	271.29	1085.24	661.34	220.42	881.76	1185.47	1247.08	105.20	13.89
10.	जम्मू व कश्मीर	2	113.52	1007.38	335.76	1343.14	720.25	240.06	960.31	1073.83	971.08	90.43	10.68
11.	झारखंड	12	8140.57	12113.79	4037.93	16151.72	9644.14	3214.71	12858.85	20999.42	68.81	0.33	113.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	3	3055.19	6590.54	2196.63	8787.17	5165.38	1721.62	6887.00	9942.19	9422.31	94.77	129.95
13.	केरल	3	1184.79	2957.15	985.62	3942.77	2725.50	908.41	3633.91	4818.70	3404.06	70.64	27.93
14.	मध्य प्रदेश	3	5151.47	9397.00	3131.85	12528.85	10574.87	3524.60	14099.47	19250.94	17211.19	89.40	208.44
15.	महाराष्ट्र	3	3616.57	13027.87	4342.19	17370.07	9673.91	3224.31	12898.22	16514.79	17860.22	108.15	316.43
16.	मणिपुर	1	54.68	795.90	265.27	1061.17	530.58	176.84	707.42	762.10	108.36	14.22	1.86
17	मेघालय	3	226.80	891.69	297.20	1188.89	763.61	254.51	1018.12	1244.92	811.86	65.21	11.21
18.	मिजोरम	3	5.20	206.33	68.77	275.10	206.33	68.77	275.10	280.30	330.54	117.92	3.95
19.	नागालैंड	1	19.02	611.66	203.87	815.53	454.48	151.48	605.96	624.98	597.75	95.64	14.17
20.	उड़ीसा	3	3979.97	9982.52	3327.17	13309.70	8971.67	2990.26	11961.93	15941.90	16876.74	105.86	248.51
21.	पंजाब	3	128.64	939.30	313.07	1252.37	901.02	300.31	1201.33	1329.97	1769.91	133.08	12.31
22.	राजस्थान	3	3738.88	5004.41	1667.97	6672.39	4781.45	1593.66	6375.11	10113.99	9945.71	98.34	96.71
23.	सिक्किम	3	0.08	228.45	76.14	304.60	228.45	76.16	304.59	304.67	248.45	81.55	3.80
24.	तमिलनाडु	2	406.35	7717.07	2572.10	10289.17	7716.72	2571.98	10288.70	10695.05	10646.00	99.54	131.19
25.	त्रिपुरा	3	0.00	1437.02	478.96	1915.97	1437.02	478.96	1915.98	1915.98	1908.67	99.62	24.84
26.	उत्तर प्रदेश	3	796.15	1960.17	653.39	2613.56	1513.13	504.38	2017.51	2813.66	3371.60	119.83	10.39
27.	उत्तरांचल	3	12981.88	29503.89	9833.58	39337.47	25274.21	4930.54	30204.75	43186.63	43238.39	100.12	412.59
28.	पश्चिम बंगाल	3	4700.64	11093.58	3697.49	14791.07	9469.13	3156.06	12625.19	17325.83	17628.42	101.75	136.65
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	32.23	84.64	0.00	84.64	54.04	0.00	54.04	86.27	45.03	52.20	0.49
30.	दादर व नगर हवेली	12	3.03	55.87	0.00	58.87	54.23	0.00	54.23	57.26	—	0.00	—
31.	दमन व दीव	3	3.03	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	2	30.21	42.43	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	30.21	26.85	88.88	0.33
33.	पांडिचेरी	3	6.33	86.00	0.00	86.00	66.56	0.00	66.56	72.89	64.13	87.98	0.16
	जोड़		64107.55	164550.00	54745.85	219295.85	132756.77	44252.26	177009.03	241116.57	200521.34	83.16	2547.61

विवरण-II

2000-2001 के दौरान मई माह के लिए जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति (अनंतिम)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	माह कोड	1.4.00 को अथशेष	आबंटन			रिलीज			कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की की गई निधियां	कुल उपयोग का %	कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में)
				केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य निधियां	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	8728.14	2909.38	11637.52	783.09	261.03	1044.12	1044.12	—	0.00	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	195.78	456.91	152.30	609.21	204.66	68.22	272.88	468.66	18.59	3.97	3.02
3.	असम	4	1351.32	11872.04	3957.35	15829.39	0.00	0.00	0.00	1351.32	0.64	0.05	0.01
4.	बिहार	—	—	16477.80	5492.60	21970.40	7811.44	2603.81	10415.25	10415.25	—	0.00	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	3692.75	1230.92	4923.67	1543.90	514.63	2058.53	2058.53	—	0.00	—
6.	गोवा	5	15.80	128.42	42.81	171.23	64.21	21.40	85.61	101.41	0.00	0.00	—
7	गुजरात	5	-103.47	3285.44	1095.15	4380.59	1596.02	532.01	2128.03	2024.56	74.24	3.67	0.48
8.	हरियाणा	5	58.76	1932.88	644.29	2577.17	966.44	322.15	1288.59	1347.35	30.58	2.27	0.21
9.	हिमाचल प्रदेश	5	90.33	814.01	271.34	1085.35	355.65	118.55	474.20	564.53	23.35	4.14	0.20
10.	जम्मू व कश्मीर	—	—	1007.45	335.82	1343.27	434.38	144.79	579.17	579.17	—	0.00	—
11.	झारखंड	—	—	12114.60	4038.20	16152.80	5456.86	1818.95	7275.81	7275.81	—	0.00	—
12.	कर्नाटक	5	520.04	6590.99	2197.00	8787.99	3222.86	1074.29	4297.15	4817.19	201.87	4.19	2.96
13.	केरल	5	1793.87	2957.35	985.78	3943.13	1387.00	462.33	1849.33	3643.20	167.59	4.60	1.27
14.	मध्य प्रदेश	4	2200.12	10799.98	3599.99	14399.97	5399.99	1800.00	7199.99	9400.11	188.68	2.01	5.5
15.	महाराष्ट्र	4	893.00	13028.76	4342.92	17371.68	6143.41	2047.80	8191.21	9084.21	92.91	1.02	1.17
16.	मणिपुर	—	—	795.90	265.30	1061.20	276.54	92.18	368.72	368.72	—	0.00	—
17.	मेघालय	—	—	891.69	297.23	1188.92	445.86	148.62	594.48	594.48	—	0.00	—
18.	मिजोरम	5	4.83	206.33	68.78	275.11	103.17	34.39	137.56	142.39	0.00	0.00	0
19	नागालैंड	—	—	611.66	203.89	815.55	305.83	101.94	407.77	407.00	—	0.00	—
20.	उड़ीसा	5	2054.84	9983.20	3327.73	13310.93	4991.60	1663.87	6655.47	8710.31	748.60	8.59	11.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	पंजाब	5	73.74	939.36	313.12	1252.48	469.68	156.56	626.24	699.98	15.45	2.21	0.14
22.	राजस्थान	5	969.08	5004.75	1668.25	6673.00	2502.38	834.13	3336.51	4305.59	219.80	5.10	2.63
23.	सिक्किम	—	—	228.45	76.15	304.60	114.23	38.08	152.31	152.31	—	0.00	—
24.	तमिलनाडु	—	—	7717.59	2572.53	10290.12	3858.79	1286.26	5145.05	5145.05	—	0.00	—
25.	त्रिपुरा	—	—	1437.02	479.01	1916.03	718.51	239.50	958.01	958.01	—	0.00	—
26.	उत्तर प्रदेश	5	596.69	1960.34	653.45	2613.79	906.49	302.16	1208.65	1805.34	77.57	4.30	—
27.	उत्तरांचल	—	—	29505.85	9835.28	39341.13	14752.93	4917.64	19670.57	19670.57	—	0.00	—
28.	पश्चिम बंगाल	—	—	11094.33	3698.11	14792.44	4918.37	1639.46	6557.83	6557.83	—	0.00	—
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	41.45	84.64	0.00	84.64	11.72	0.00	11.72	53.17	6.00	11.28	0.01
30.	दादर व नगर हवेली	—	—	55.87	0.00	55.87	27.94	0.00	27.94	27.94	—	0.00	—
31.	दमन व दीव	4	3.03	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	—	—	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	—	#DIV/0!	—
33.	पांडिचेरी	—	—	86.00	0.00	86.00	43.00	0.00	43.00	43.00	—	0.00	—
	जोड़		10759.21	164560.00	54754.66	219314.66	69816.95	23244.76	93061.71	103820.92	1865.87	1.80	29.00

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान संबंधी अध्ययनों पर अध्येतावृत्ति

2451. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने भारत-पाकिस्तान संबंधी अध्ययनों पर 27 अध्येतावृत्तियों संस्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनसे संबंधित क्रियाकलापों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत-पाकिस्तान अध्ययन में 27 फैलोशिप शुरू करने के संबंध में परिषद् के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते.

पेयजल परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2452. श्री जी.जे. जावीया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-2001 और चालू वर्ष के दौरान परियोजना-वार और देश-वार पेयजल परियोजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) राज्य-वार तथा परियोजना-वार अभी तक कितनी निधियों का उपयोग किया गया और कितनी निधियों का उपयोग किया जाना बाकी है;

(ग) क्या निधियों का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं हेतु प्राप्त विदेशी सहायता और उसके इस्तेमाल का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। चालू वर्ष के संबंध में राज्यों से व्यय एवं प्रतिपूर्ति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही राज्य सरकारों ने अभी तक ग्रामीण विकास मंत्रालय को निधियों के दुरूपयोग के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा नियमित प्रगति रिपोर्टों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा की जाती है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	विदेशी सहायता (अनंतिम)	
			2000-2001 में प्राप्त	2000-2001 में प्रयुक्त
1	2	3	4	5
	जर्मनी			
1.	राजस्थान	समन्वित जल एवं स्वच्छता परियोजना	5.99	5.99 + 36.88, वर्ष 1999-2000 से संबंधित
2.	पश्चिम बंगाल	जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना	15.10 दिसम्बर, 2000 तक	15.10 दिसम्बर, 2000 तक
	नीदरलैंड			
1.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम जिले में समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति	0.482	0.482
2.	गुजरात	घोघा क्षेत्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	–	42.43 अक्टूबर, 2000 तक
3.	केरल	कुन्द्रा और समीपस्थ पंचायतों को बी.डब्ल्यू.एस.एस.	–	0.53
4.	केरल	पावारती बी.डब्ल्यू.एस.एस.	2.89	3.77
5.	उत्तर प्रदेश	उप परियोजना VI (2 परिशिष्ट)	0.700	0.725
6.	उत्तर प्रदेश	उप परियोजना VIII	5.361	4.18
7.	कर्नाटक	नीदरलैंड से सहायता प्राप्त समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	27.49	6.87

1	2	3	4	5
	डैनिडा			
1.	कर्नाटक	डैनिडा से सहायता प्राप्त ग्रा. पे. आ. एवं स्वच्छता परियोजना	–	3.55
2.	तमिलनाडु	डब्ल्यू.ए.एस.डी.ई.पी.	2.00	3.4609
	फ्रांस			
1.	मणिपुर	कांगचुप जल आपूर्ति	8.32	8.32 (अनुमानित)
2.	मणिपुर	भू-जल, पोसंग बाम	1.48	1.48 (अनुमानित)

बोडो समूहों के साथ वार्ता

2453. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोडो समूहों के साथ 13.7.2001 को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त बैठक में कोई आम सहमति बनी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) बोडो समस्या का स्थायी शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाईगर के बीच चल रही त्रिपक्षीय वार्ता सन्तोषजनक रूप से आगे बढ़ रही है।

निजी एजेंसियों द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना

2454. **श्री लक्ष्मण सेठ:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी एजेंसियों को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की अनुमति देने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सम विश्वविद्यालयों के माध्यम से गैर-सरकारी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसी सहभागिता की निबंधन और शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस विषय संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

अपराध प्रवण क्षेत्रों में सामुदायिक सुरक्षा नीति

2455. **श्री विजय गोयल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कुछ अपराध प्रवण क्षेत्रों में सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल हैं/किन क्षेत्रों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह योजना दिल्ली या देश में पहले भी लागू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी उपलब्धियां क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। तथापि, यह योजना संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कवर करती है और इसका उद्देश्य पुलिस के साथ जनता के संबंधों को बढ़ावा देना है ताकि अपराध के निवारण और नियंत्रण में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। यह योजना, इसके वर्तमान स्वरूप में, दिल्ली में पहली बार शुरू की गयी है और इससे पुलिस और जनता के बीच दूरी को कम करने में मदद मिली है।

[हिन्दी]

सेल की नवरत्न स्थिति बरकरार रखना

2456. **श्री ताराचंद साहू:**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घाटे के बावजूद सेल का मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में भेजने और इसकी नवरत्न स्थिति बहाल रखने संबंधी फैसले को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात पर राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ङ) यदि नही, तो इसको कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार सेल रुग्ण कंपनी नहीं है। अत: इसका मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजने का कोई प्रश्न नहीं है। सेल के नवरत्न के दर्जे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार की जा रही है। इस समय इसको अंतिम रूप देने की निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

संस्थाओं को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

2457. **श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** संस्थाओं को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने के बारे में 27.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 983 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संस्थानों के मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने की मांग वाले अधिकांश प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबे समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर फैसला देने में हुई देरी के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थाओं से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए हाल ही में मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उभरते हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता को आश्वस्त करने वाली नई संस्थाओं को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा देने की व्यवस्था है। सम-विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए विभिन्न संस्थाओं ने आवेदन किया है। इन प्रस्तावों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करना एक सांविधिक प्रक्रिया है जिसके लिए संबंधित संस्थाओं को कई शर्तें पूरी करनी होती है।

विवरण

सम विश्वविद्यालय के दर्जे के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र. सं	संस्थाओं के नाम	प्राप्त होने की तारीख
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	मांटेसरी महिला कलाशाला, विजयवाड़ा	11 अप्रैल, 2000
2.	टाइम्स (गैर सरकारी संगठन), अनन्तपुर	10 मई, 2000

1	2	3
3.	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद	10 जुलाई, 2000
4.	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	20 नवम्बर, 2000
5.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, वारंगल	13 दिसम्बर, 2000
6.	आई.आई.आई.टी., हैदराबाद	फरवरी, 1999
7	इंस्टीच्यूट ऑप चार्टर्ड फाइनेंसल एनालिस्टस ऑफ इंडिया, हैदराबाद	2 मार्च, 2001
8.	भक्न्स इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद	21.6.2001
	असम	
9.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, सिल्चर	13.12.2000
	गुजरात	
10.	अंबानी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नेलॉजी, जामनगर	11 मई, 2000
11.	सरदार वल्लभ भाई क्षेत्रीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कॉलेज, सूरत	4 अक्टूबर, 2000
	हरियाणा	
12.	आर.ई.सी., कुरूक्षेत्र	13.12.2000
13.	श्री बाबा मस्त नाथ संस्था, स्थाल, रोहतक	17.4.2000
	हिमाचल प्रदेश	
14.	आर.ई.सी. हमीरपुर	20.7.2000
	जम्मू और कश्मीर	
15.	आर.ई.सी., श्रीनगर	13.12.2000
16.	सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ बुद्धिस्ट, स्टडीज, लेह, लद्दाख	2 फरवरी, 2001
	झारखंड	
17.	आर.आई.टी. जमशेदपुर	24.11.2000
	कर्नाटक	
18.	कर्नाटक लिगांयत एजूकेशन सोसायटी, बेलगाम	3 अक्तूबर, 2000
19.	कर्नाटक आर.ई.सी., सूरतकल	13.12.2000
20.	कर्नाटक चित्रकला परिषद्, बंगलौर	22.1.1999
21.	सैंट जॉन नेशनल अकादमी ऑफ हैल्थ साइंस, बंगलौर	4 जुलाई, 1994
22.	जे.एस.एस. महाविद्यापीठ, मैसूर	1 मार्च, 2001
23.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांसड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर	13.6.2001

1	2	3
	केरल	
24.	आर.ई.सी., कालीकट	13.12.2000
25.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम्	6 नवम्बर, 1998
26.	केरल कलामंडलम्	27 अगस्त, 1999
27.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ द्रविडियन लिंगविस्टीक, तिरूवनन्तपूरम्	9 जनवरी, 2001
	मध्य प्रदेश	
28.	भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल	15.7.1999
29.	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर	30.5.1996
30.	श्री वैष्णव शैक्षिक एवं धर्मार्थ न्यास, इन्दौर	जुलाई, 1999
31.	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.ई.सी.), भोपाल	13.12.2000
32.	श्री जयनारायण समेकित मानव विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान	15 जून, 2001
	महाराष्ट्र	
33.	मेडिकल ट्रस्ट ऑफ पखारा ट्रस्ट, लोनी	24 मई, 2000
34.	पदमश्री डा. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, मुम्बई	5 अक्तूबर, 2000
35.	विश्वेश्वरया क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, नागपुर	13.12.2000
36.	सीरडी साईं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अहमदनगर	8 फरवरी, 2001
37.	सिमबोसिस, पुणे	13 मार्च, 2001
38.	छत्रपति साहू केन्द्रीय व्यावसाय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एस.आई.बी.ई.आर.), कोल्हापुर	29 मार्च, 2001
39.	कृष्णा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, महाराष्ट्र	26.4.2001
40.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	मई, 2001
41.	भारतीय निर्यात एवं आयात प्रबंध संस्थान	27.3.2000
	उड़ीसा	
42.	उड़ीसा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण न्यास, भुवनेश्वर	22 मई, 2000
43.	राष्ट्रीय सामाजिक कार्य एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	18 अक्तूबर, 2000
44.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला	अगस्त, 1999/जुलाई, 2000
45.	खेन शाह कालेज, कटक	27 मार्च, 1995

1	2	3
	पंजाब	
46.	डा. वी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आर.ई.सी.), जलंधर	13.12.2000
	राजस्थान	
47.	मोदी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, लक्ष्मणगढ़	1 जनवरी, 2001
48.	शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान, सुदर्शन	29 दिसम्बर, 2000
49.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर	13.12.2000
	तमिलनाडु	
50.	करूनया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, कोइम्बटोर	मार्च, 2000
51.	भारत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्ने	अप्रैल, 2000
52.	अमृत शैक्षिक संस्थान, कोयम्बटोर, कोची	19 नवम्बर, 2000
53.	के.जे. अस्पताल—के.जे. अनुसंधान प्रतिष्ठान, चैन्ने	जुलाई, 1994
54.	अय्या बदर जानकी अम्मल कालेज, शिवकाशी	4.6.2001
55.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली	13.12.2000
56.	वल्लीम्मैया सोसाइटी, चैन्ने	16 अक्तूबर, 1998
57.	एम.जी.आर. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्ने	10 मार्च, 2001
58.	श्री वेंकेटेश्वरा इंजीनियरी कालजे, श्रीपेरूम्बुदुर	31.12.1998
59.	पेरियार मान्तियाम्मैया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्ने	10 जुलाई, 2001
60.	राजस दंत कालेज, राजा नगर, तदकानुगुरम	22.5.2001
61.	वेल तकनीकी इंजीनियरी कालेज, चैन्ने	29.6.2001
62.	पेनटासाफ्ट प्रौद्योगिकी लिमिटेड	4.6.2001
	उत्तरांचल	
63.	गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार	3.11.2000
64.	वाइल्ड लाईफ इन्स्टीच्यूट आफ इंडिया, देहरादून	29.5.2000
	उत्तर प्रदेश	
65.	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद	25 अगस्त, 2000
66.	जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा	6 दिसम्बर, 2000
67.	कमला नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीच्यूट, इलाहाबाद	6 फरवरी, 2001

1	2	3
68.	जगतगुरु रामभद्रचार्या विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूटधाम	मार्च, 2001
	पश्चिम बंगाल	
69.	भारतीय सामाजिक कल्याण एवं व्यवसाय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	7 जून, 2000
70.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर	26 अगस्त, 2000
71.	इंजीनियरी एवं प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	30 जनवरी, 2001
72.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता	निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
	नई दिल्ली	
73	दी इन्स्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनीकेशनस इंजीनियर्स	अप्रैल, 2000
74.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	30 अगस्त, 2000
75	अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान	17 नवम्बर, 2000
76	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	7 दिसम्बर, 2000
77	नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नेलॉजी	सितम्बर, 1999, अगस्त, 2000
78.	ए.पी.जे. शिक्षा सोसाइटी, जयसिंह रोड	दिसम्बर, 2000
79.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान	15 जनवरी, 2001
80.	इंडियन ला इन्स्टीच्यूट, नई दिल्ली	2 मार्च, 2001
81	नेशनल काऊंसिल आफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलाजी, नई दिल्ली	6 जुलाई, 2001
82	इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली	27 जुलाई, 2001

सिंगरेनी कोलियरी की बकाया राशि के निपटान हेतु राशि जारी करना

2458. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिये केन्द्र से 500 करोड़ रु. जारी करने का अनुरोध किया है ताकि कामगारों की हड़ताल के कारण बंद हो चुकी सिंगरेनी कोयला क्षेत्र को खोला जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस धनराशि के कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में सड़कों और पनधारा का विकास

2459. श्री वाई.वी. राव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में सड़क निर्माण और पनधारा विकास संबंधी योजनाओं का फैसला केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना बनाते समय राज्य सरकारों से सलाह ली जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क परियोजनाएं कार्यक्रम के तहत जारी किये गये दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। परियोजनायें भारत सरकार से मंजूर कर लिए जाने के पश्चात् राज्य प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

वाटरशेड से संबंधित परियोजनायें तीन कार्यक्रमों अर्थात् समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के तहत कवर की जाती हैं। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के पश्चात् समेकित बंजरभूमि विकास की परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं। जहां तक डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी. का संबंध है वार्षिक बजट आबंटन तथा चल रही वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जिले के निष्पादन के मद्देनजर भारत सरकार मंजूर की जाने वाली नयी परियोजनाओं की संख्या का फैसला करती है। परियोजनाओं के वास्तविक स्थान का निर्धारण राज्य सरकारों के परामर्श से संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला पंचायतों द्वारा किया जाता है।

एशिया प्रशान्त क्षेत्र में शिक्षा का प्रभाव

2460. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया प्रशान्त क्षेत्र में शिक्षा का असर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करने वालों के सम्मुख गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस चुनौती से निपटने हेतु कौन से ठोस कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) दक्षिण एशिया पर एक मानव विकास रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया में विकास के अनुभव की पूर्व एशिया से तुलना की और पाया कि पूर्वी एशियाई देशों के अपेक्षाकृत बेहतर निष्पादन के पीछे अनेक कारणों में से एक कारक प्राथमिक शिक्षा पर उनके द्वारा ध्यान केन्द्रित किया जाना था।

सरकार के हाल के प्रयासों का बल प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर रहा है। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा को 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में जुलाई, 1997 में पेश किया गया था। 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में शिक्षा के लिए आबंटित निधि का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा प्रारंभिक शिक्षा के संवर्धन हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए आबंटित किया गया है।

कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला धोवनशालाओं का निजीकरण

2461. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. का अर्थाभाव के कारण कोयला धोवनशालाओं के निजीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.आई.एल. की कोयला धोवनशालाओं की वर्तमान में क्षमतावार, राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) पर्यावरणीय नियमों के कारण कितनी नई कोयला धोवनशालाओं की जरूरत है और इसमें राज्यवार कितनी लागत आयेगी; और

(ङ) इन धोवनशालाओं के कब तक निजीकरण की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की वाशरियों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कोल इंडिया लि. 19 कोयला वाशरियां प्रचालित करती है तथा वाशरियों की क्षमता निम्नानुसार है-

क्रम.सं.	वाशरी का नाम	क्षमता (मि.टन. प्रतिवर्ष)
1	2	3
	झारखंड राज्य	
1.	दुग्धा-I, बीसीसीएल	1.0

1	2	3
2.	दुग्धा-II, बीसीसीएल	2.0
3.	पाथेरडीह, बीसीसीएल	1.6
4.	लोडना, बीसीसीएल	0.48
5.	सुदामडीह, बीसीसीएल	1.6
6.	मुनीडीह, बीसीसीएल	1.6
7.	बरोरा, बीसीसीएल	0.42
8.	मोहुदा, बीसीसीएल	0.63
9.	मधुबन, बीसीसीएल	2.5
10.	कथारा, सीसीएल	3.0
11.	स्वांग, सीसीएल	0.75
12	राजरप्पा, सीसीएल	3.0
13.	केडला, सीसीएल	2.6
14.	करगली, सीसीएल	2.72
15.	गिडी, सीसीएल	2.5
16.	पिपरवार, सीसीएल	6.5
	मध्य प्रदेश राज्य	
1.	नंदन, डब्ल्यूसीएल	1.2
2.	बीना, एनसीएल	4.5
	पश्चिम बंगाल राज्य	
1.	भोजूडीह, बीसीसीएल	1.7

(घ) ऐसा कोई पर्यावरणीय विनियम नहीं है जो वाशरियों की स्थापना का अभिकल्पन करता हो।

(ङ) कोल इंडिया लि. की वाशरियों का निजीकरण किए जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों में पंचायत चुनाव

2462. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता रोक देने का है, जो पंचायत चुनाव नहीं करा रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु धनराशि को राज्य सरकारों को भेजने की बजाय सीधे जिला पंचायतों को भेजने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक योजनावार कितनी ग्राम पंचायतों को सीधे धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) सुनिश्चित रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 20% निधियां तभी रिलीज की जानी हैं जब संबंधित राज्य में निर्वाचित तथा अधिकार प्राप्त पंचायती राज संस्थायें हों।

(ख) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादर व नगर हवेली के मामले में चालू वर्ष के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत इन राज्यों को प्रोत्साहन राशि जारी नहीं की गई है क्योंकि या तो इन राज्यों ने पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये हैं अथवा पंचायतों को संतोषजनक रूप से अधिकार नहीं सौंपे गए हैं।

(ग) जी, हां। ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं जैसे सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि के अंतर्गत निधियां सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को रिलीज की जाती हैं।

(घ) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना देश भर में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के जरिए ग्राम पंचायतों को आबंटित की जाती हैं।

[अनुवाद]

मंत्रियों के लिये आचार संहिता

2463. श्री भीम दाहाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मंत्रियों के लिये आचार संहिता बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) मंत्रियों के लिए पहले से ही एक आचार संहिता है। इस संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रियों द्वारा परिसम्पत्तियों और देयताओं की घोषणा किए जाने की व्यवस्था है तथा उनके द्वारा उपहार/पुरस्कार स्वीकार करने संबंधी दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। इस संहिता में यह भी अपेक्षित है कि मंत्री, प्रधान मंत्री के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी पत्नी/पति और आश्रितों को भारत में या विदेश में किसी विदेशी सरकार या किसी विदेशी संगठन (वाणिज्यिक संस्थान समेत) में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

कपार्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2464. **श्री रवि प्रकाश शर्मा:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपार्ट द्वारा 2000-2001 के दौरान, और आज की तिथि तक योजनावार और गैर-सरकारी संगठनवार उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को दिये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी संगठनवार इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इनमें से कितने संगठनों को गत दो वर्षों के दौरान काली सूची में डाला गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान तथा आज की तारीख तक कपार्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गैर सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराए गए अनुदानों के योजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कपार्ट में स्वैच्छिक संगठनों को मंजूर की गई परियोजनाओं की निगरानी की तीन स्तरीय प्रणाली है। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात इसकी डेस्क जांच की जाती है और परियोजना की व्यवहार्यता तथा संगठन की क्षमता का पता लगाने के लिए परियोजना का वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना मंजूर होने के बाद निधियों की पहली किस्त जारी की जाती है तथा कपार्ट द्वारा तैयार किए गए पैनल के परियोजना मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा उपर्युक्त समय पर मध्यावधि मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना पूरा होने के बाद परियोजना मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा पूरा हो जाने के बाद का मूल्यांकन किया जाता है।

कुल मिलाकर स्वैच्छिक संगठनों का निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

(घ) से (च) गैर सरकारी संगठनवार इस्तेमाल की गई धनराशि के ब्यौरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दिए गए हैं।

(छ) कपार्ट द्वारा इनमें से किसी भी संगठन को काली सूची में नहीं डाला गया है।

विवरण

(रुपये में)

क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	योजना	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2000-2001				
1.	मयाना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जेवार, बुलंदशहर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	11,56,092	3,06,052	3,06,052
2.	ग्राम विकास समिति, बंकी, बाराबंकी	जनसहयोग	2,23,850	1,19,500	1,19,500

1	2	3	4	5	6
3.	ग्राम विकास समिति, बाराबंकी	जनसहयोग	2,05,920	1,11,760	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
4.	थोंडा विकास समिति, जेवार, गौतमबुद्ध नगर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	1,70,000	1,70,000	1,70,000
5.	देवता खादी ग्रामोद्योग संस्थान, दानकौर, गौतमबुद्ध नगर	जनसहयोग	3,48,700	2,23,700	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
6.	ग्राम विकास एवं समाज कल्याण संस्थान, मुस्करा, हमीर पुर	जनसहयोग	3,71,800	1,81,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
7.	सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलोजीकल रिसर्च एंड एक्सटेंशन, कल्याणपुर, कानपुर	जनसहयोग	1,91,100	1,04,500	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
8.	राजा हुसैन मेमोरियल चैरीटेबल सोसायटी, कानपुर नगर, कानपुर	जनसहयोग	2,15,612	1,05,900	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
9	सर्वोदय सेवा परिषद्, कल्याणपुर, कानपुर	लाभार्थियों का संगठन	1,36,290	65,900	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
10.	अखिल भारतीय रचनात्मक कार्य संस्थान, लखनऊ	जनसहयोग	1,56,500	85,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
11.	संत दरियाव दास स्मारक शिक्षा समिति, सीतापुर, लखनऊ	जनसहयोग	1,76,100	1,76,100	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
12.	नवचेतन हिन्दुपुरा, लखनऊ	जनसहयोग	3,59,000	,3,59,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
13.	नेटवर्क ऑफ इंटरप्रेनरशिप एंड इकोनामिक डेवलपमेंट, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	3,00,775	3,00,775	3,00,775
14.	सोशल एंड लिटरेसी डेवलपमेंट एसोसिएशन, लखनऊ	जनसहयोग	2,77,200	2,77,200	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
15.	नवज्योति सेवा संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ	जनसहयोग	3,98,200	3,98,200	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
16.	पारिजात, बक्शी का तालाब, लखनऊ	जनसहयोग	2,10,500	2,10,500	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
17.	राष्ट्रीय महिला संस्थान, संत कबीर नगर, लखनऊ	जनसहयोग	5,49,500	2,25,700	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
18.	डा. अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति, लखनऊ	जनसहयोग	2,58,750	1,32,750	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5	6
19	युवा मंच, लखनऊ	जनसहयोग	1,53,300	1,53,300	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
20.	शारदा समाजोत्थान एवं शिक्षा समिति, लखनऊ	जनसहयोग	4,41,320	2,20,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
21.	भारतीय महिला एवं बालविकास संस्थान, उन्नाव, लखनऊ	जनसहयोग	6,78,928	4,27,568	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
22.	राजर्षि राणांजय सिंह जनकल्याण समिति लखनऊ	जनसहयोग	4,76,098	2,69,137	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
23.	खुशहाली, गोसाई गंज, लखनऊ	जनसहयोग	2,92,070	1,59,300	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
24.	नारी गागरण सेवा समिति, चिन्हुत, लखनऊ	जनसहयोग	5,79,568	1,94,450	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
25.	आदर्श जन कल्याण एवं शिक्षा समिति, श्रावस्ती, लखनऊ	जनसहयोग	616,589	3,06,469	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
26.	अशोहा वेलफेयर सोसायटी फॉर हेल्थ एंड अवेयरनेस, अशोहा उन्नांव, लखनऊ	जनसहयोग	2,13,400	1,06,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
27.	शक्ति साधना संस्थान सुल्तानपुर सितापुर	जनसहयोग	6,93,451	3,51,520	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
28.	सोसायटी फॉर एडवासंमेंट ऑफ नेशनल गैम्बिट, इलाहाबाद	जनसहयोग	5,36,550	2,48,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
29.	रूरल एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी, इलाहाबाद	लाभार्थियों का संगठन	7,56,250	3,25,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
30.	राष्ट्रीय जन सहयोग आवाम लोक कल्याण संस्थान, नवादा, इलाहाबाद	जनसहयोग	4,44,100	2,79,333	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
31.	जनहित बहुउद्देशीय ग्रामोद्योग संस्थान, कुंभ मेला, इलाहाबाद	जनसहयोग	3,53,600	3,53,600	3,53,600
32.	त्रिलोक पुर ग्रामोद्योग समिति, अम्बेडकर नगर	जनसहयोग	2,38,560	2,38,560	2,38,560
33.	विकास ग्रामोद्योग समिति,	जनसहयोग	8,40,249	6,85,123	6,85,123
34.	पिंकी ग्रामोद्योग संस्थान, अम्बेडकर नगर	जनसहयोग	11,93,500	5,37,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5	6
35.	लोक विकास संस्थान, और्या,	जनसहयोग	2,92,875	2,92,875	2,92,875
36.	ग्रामीण कुटीर उद्योग शिक्षा सदन, चंदौली	जनसहयोग	3,10,400	3,10,400	3,10,400
37.	सहभागी शिक्षण केन्द्र	लाभार्थियों का संगठन	4,00,220	2,15,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
38.	संगम विकास सेवा संस्थान, गोंडा	जनसहयोग	2,28,800	1,25,800	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
39.	जगन्नाथ विद्या मंदिर शिक्षा प्रसार समिति, जालौन	जनसहयोग	1,17,000	1,17,000	1,17,000
40.	सदभावना शिशु एवं महिला समिति मथुरा,	जनसहयोग	1,98,070	1,51,300	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
41.	श्री साईं बाबा सेवा समिति, मिर्जापुर	जनसहयोग	4,67,850	4,67,850	4,67,850
42.	मधु ग्राम विकास संस्थान, मिर्जापुर	जनसहयोग	1,88,500	1,88,500	1,88,500
43.	इंदु शिक्षक एवं समाज कल्याण समिति मिर्जापुर	जनसहयोग	5,15,460	2,69,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
44.	सुल्तानपुर टेक्नोलीजकल इंस्टीट्यूट, सुल्तानपुर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	3,02,920	1,53,460	1,53,460
45.	गौनगंज महिला प्रशिक्षण केन्द्र, सुल्तानपुर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	6,60,200	6,60,200	6,60,200
46.	पी.आई. ग्रामोद्योग सोसायटी, सुल्तानपुर	जनसहयोग	3,35,700	1,79,450	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
47.	नवजीवन सेवा संस्थान, देवरिया	जनसहयोग	7,67,902	7,67,902	7,67,902
48.	भारतीय मानव समाज कल्याण सेवा संस्थान, देवरिया	जनसहयोग	5,80,800	5,38,400	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
49.	जोसफ इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, देवरिया	जनसहयोग	3,94,825	2,01,716	2,01,716
50.	समाधान मानव सेवा संस्थान, देवरिया	लाभार्थियों का संगठन	1,45,750	1,45,750	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
51.	ग्रामोद्योग सेवा समिति, मुजफ्फरनगर	जनसहयोग	1,56,750	95,750	95,750
52.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास परिषद्, मुजफ्फरनगर	जनसहयोग	4,89,500	2,75,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5	6
53.	ग्रामीण विकास संस्थान, सहारनपुर	जनसहयोग	1,52,575	1,52,575	1,52,575
54.	एसोसिएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सहारनपुर	जनसहयोग	3,17,900	2,15,950	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
55.	लोग उद्योग सेवा संस्थान, आजमगढ़	जनसहयोग	5,91,525	3,16,800	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
56.	महिला सेवा संस्थान, बिजनौर	जनसहयोग	2,07,900	1,96,000	1,96,000
57.	काजमपुर खादी ग्रामोद्योग समिति, बिजनौर	जनसहयोग	3,53,100	1,82,100	1,82,100
58.	ग्रामीण विकास एवं कल्याण संस्थान, फैजाबाद	जनसहयोग	2,07,900	1,05,900	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
59.	श्री देवकल प्रसाद मेमोरियल बाल विद्या मंदिर, फैजाबाद	जनसहयोग	4,07,000	2,58,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
60.	राजवंती देवी महिला संस्थान, गाजीपुर	जनसहयोग	5,42,900	5,42,900	5,42,900
61.	जन कल्याण परिसर, गाजीपुर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	2,36,250	1,21,800	1,21,800
62.	भारतीय जन कल्याण एवं प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर	जनसहयोग	3,05,650	1,45,900	1,45,900
63.	मानव सेवा संस्थान, गोरखपुर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	3,68,060	3,68,060	3,68,060
64.	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद्, गोरखपुर	जनसहयोग	1,82,000	1,03,400	1,03,400
65.	जन कल्याण संस्थान, गोरखपुर	जनसहयोग	1,31,580	81,400	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
66.	सर्वांगीण विकास संस्थान, गोरखपुर	जनसहयोग	5,45,200	3,00,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
67.	महिला बाल एवं ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, हरदोई	जनसहयोग	3,20,100	1,82,100	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
68.	भीम राव अम्बेडकर दलित सेवा ग्रामोत्थान जनकल्याण समिति, हरदोई	जनसहयोग	6,57,800	3,63,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5	6
69.	मानव सेवा आश्रम, हरदोई	जनसहयोग	4,08,100	2,32,100	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
70.	भारतीय समाज एवं महिला विकास समिति, हाथरस	जनसहयोग	1,41,900	58,300	58,300
71.	ग्राम उद्योग बाल विद्या निकेतन विकास समिति, झांसी	लाभार्थियों का संगठन	2,55,000	1,32,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
			49,000	49,000	49,000
72.	कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बलिया	लाभार्थियों का संगठन	49,000	37,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
73.	जनता ग्राम विकास संस्थान, बलिया	जनसहयोग	5,55,280	5,55,280	5,55,280
74.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं महिला कल्याण संस्थान, बलिया	लाभार्थियों का संगठन	2,36,400	2,36,400	2,36,400
75.	आदर्श ग्रामीण लोक विकास समिति, फतेहपुर	जनसहयोग	3,80,380	3,80,380	3,80,380
76.	स्वामी धर्मानंद शिक्षा समिति, फतेहपुर	जनसहयोग	2,20,308	2,20,308	2,20,308
77.	सत्या अहिंसा बाल विद्यालय समिति, रायबरेली	जनसहयोग	2,73,000	1,39,000	1,39,000
78.	उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि, वाराणसी	जनसहयोग	3,23,480	3,23,480	3,23,480
79.	श्री सच्चिदानंद शिक्षण संस्थान, वाराणसी	जनसहयोग	4,26,250	2,76,500	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
80.	बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर	वाटरशेड	1,00,000	1,00,000	1,00,000
81.	महिला शिल्प कला केन्द्र, अयोध्या कुंज, आगरा	जनसहयोग	55,31,442	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
82.	हील डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	2,23,450	2,23,450	2,23,450
83.	लोक भारती, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	1,28,400	1,28,400	1,28,400
84.	मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान, देवरिया	लाभार्थियों का संगठन	67,000	67,000	67,000

1	2	3	4	5	6
85.	मानवोदय, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	30,948	30,948	30,948
86.	नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ वालन्टरी एसोसिएशन, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	6,65.500	6,65,600	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
87.	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, इलाहाबाद	लाभार्थियों का संगठन	79,866	79,866	79,866
88.	श्री वि.के.एस. प्रकाशद्वीप प्रतिष्ठान, हमीरपुर	जनसहयोग	2,12,960	2,12,960	2,12,960
89.	शिक्षित युवा सेवा समिति, बासीत	अक्षमता	6,62,600	3,67,050	3,67,050
90.	ओम ग्राम्य विकास सेवा आश्रम, गोरखपुर	लाभार्थियों का संगठन	30,000	30,000	30,000
वर्ष 2001-2002 (31.7.2001 तक)					
1.	एक्सनोरा इनोवेटर्स क्लब, लखनऊ	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	3,30,750	1,27,750	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
2.	निदान सामाजिक संस्थान, लखनऊ	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	1,99,500	1,04,500	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
3.	पर्यावरण संरक्षण संस्थान, कानपुर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	2,23,650	1,13,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
4.	सोलिडिटेरी आफ द नेशन सोसायटी, लखनऊ	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	4,07,250	2,07,250	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
5.	स्वामी धर्मानंद शिक्षा समिति, फतेहपुर	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	2,17,184	1,10,464	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
6.	युवा चेतना केन्द्र, देवरिया	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	3,04,500	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
7.	एसोसिएशन आफ डेवलपमेंट आफ रूरल पीपुल, दिल्ली	लाभार्थियों का संगठन	1,74,870	87,435	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
8.	इंस्टीट्यूट आफ इन्टीग्रेटेड, डेवलपमेंट, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	53,300	29,553	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
9.	श्री विद्यानेश्वर नवगढ़ा पर्यावरण संस्थान, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	6,43,500	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–

1	2	3	4	5	6
10.	सुमाखर इंस्टीट्यूट एप्रोपेट, टेक्नालाजी एंड रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	1,64,175	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
11.	यू.पी. वॉलून्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ	लाभार्थियों का संगठन	47,000	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
12.	अबुसिम ग्रामीण सेवा संस्थान, गाजियाबाद	जनसहयोग	3,67,702	1,75,827	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
13.	आदर्श ग्रामोत्थान शिक्षा प्रसार समिति, कानपुर	जनसहयोग	1,14,400	85,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
14.	आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फरनगर	जनसहयोग	2,25,800	1,20,200	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
15.	अमेठी महिला एवं बाल कल्याण समिति, सुल्तानपुर	जनसहयोग	2,65,628	1,45,239	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
16.	अमृतम सेवा संस्थान, हरदोई	जनसहयोग	2,86,396	1,76,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
17.	अरमान युवा कल्याण समिति, इलाहाबाद	जनसहयोग	2,29,848	1,27,575	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
18.	बाबू राम ग्रामोत्थान संस्थान, हरदोई	जनसहयोग	2,62,768	1,67,200	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
19	बनवासी विकास आश्रम, इलाहाबाद	जनसहयोग	6,93,000	1,54,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
20.	ग्राम विकास सेवा समिति, मिर्जापुर	जनसहयोग	2,00,035	1,54,050	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
21.	ग्रामीण जन चेतना एवं समाजोत्थान, सेवा समिति, लखनऊ	जनसहयोग	2,84,504	1,40,932	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
22.	ग्रामोत्थान सेवा समिति, लखनऊ	जनसहयोग	2,21,100	1,36,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
23.	ह्यूमन एजूकेशनल एंड सोशल ट्रेनिंग इंस्ट्रीट्यूट, गाजीपुर	जनसहयोग	6,99,325	4,53,750	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
24.	इंस्टीट्यूट आफ सोशल हेल्थ वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल सोसायटी, अम्बेडकर नगर	जनसहयोग	2,62,955	1,26,625	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5	6
25.	कमला महिला एवं बाल कल्याण समिति, गाजियाबाद	जनसहयोग	3,75,773	2,12,091	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
26.	विकास पब्लिक स्कूल, ज्योतिबा फूले नगर	जनसहयोग	2,33,034	1,40,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
27	महिला विकास समिति, देवरिया	जनसहयोग	2,42,150	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
28.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, लखनऊ	जनसहयोग	1,,23,200	1,10,800	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
29.	नर नारायण संस्थान, सुल्तानपुर	जनसहयोग	4,21,740	170,200	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
30.	नवजीवन सेवा संस्थान, सुल्तानपुर	जनसहयोग	11,89,872	6,37,371	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
31.	पटेल ग्रामोद्योग विकास प्रतिष्ठान, कानपुर	जनसहयोग	2,12,080	1,05,280	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
32.	पूर्ति संस्थान, गाजीपुर	जनसहयोग	3,00,410	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
33.	प्रकाश सर्वोदय ग्रामीण सेवा संस्थान, मैनपुरी	जनसहयोग	3,31,800	1,80,400	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
34.	प्रतिनिधि समिति, बलिया	जनसहयोग	2,45,500	1,22,750	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
35.	संभावना सभा, बहराईच	जनसहयोग	1,81,280	98,240	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
36.	सर्वोदय सेवा संस्थान, रायबरेली	जनसहयोग	5,69,000	2,64,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
37.	सावित्री देवी सेवा संस्थान, जौनपुर	जनसहयोग	2,42,575	1,45,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
38.	श्री अजीत सिंह, यू.एम. विद्यालय समिति, संत रविदास नगर	जनसहयोग	3,32,592	1,76,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
39.	श्री रामवतार शुक्ला स्मारक ग्रामोद्योग जन सेवा समिति, इलाहाबाद	जनसहयोग	5,72,800	3,00,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5	6
40.	श्री साईं बाबा सेवा समिति, मिर्जापुर	जनसहयोग	5,29,037	2,92,037	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
41.	सुमन टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, ईटा	जनसहयोग	4,73,000	2,50,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
42.	सुरभी सेवा समपरण संस्थान, रायबरेली	जनसहयोग	1,79,480	97,093	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
43.	उत्तर प्रदेश बाल विकास परिषद्, इलाहाबाद	जनसहयोग	4,56,460	2,26,760	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
44.	उत्तरांचल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, दिल्ली	जनसहयोग	4,97,200	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
45.	विमल विकास संस्थान, जौनपुर	जनसहयोग	2,23,105	1,27,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
46.	विमला सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, फैंजाबाद	जनसहयोग	5,86,960	3,12,360	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
47	विशाल साहित्य शिक्षा एवं कला निकेतन लखनऊ	जनसहयोग	3,64,500	1,64,000	प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
48.	यू.पी. वालून्टरी एक्शन नेटवर्क, लखनऊ	कार्यशाला	1,46,850	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–
49.	बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर	वाटरशेड	2,00,000	अभी तक रिलीज नहीं की गई	–

कोयला उद्योग का कार्यक्रम

2465. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्रीमती कान्ति सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1979 की कोयला खनन नीति के अंतर्गत कोयला उद्योग के कार्यकरण का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1979 की कोयला खनन नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ङ) नई नीति को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) कोयला खनन नीति 1979 से, अन्य बातों के साथ-साथ कोकिंग कोयले के खनन तथा भूमिगत खनन के संबंध में

राज्य सरकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

(ग) जी, हां।

(घ) 1979 की नीति के अंतर्गत खनन संकार्य केवल नॉन-कोकिंग कोयले तथा पृथक छोटे पॉकेटों में ओपनकास्ट प्रचालनों तक सीमित थे। आगामी वर्षों में कोयले की मांग एवं आपूर्ति में प्रक्षेपित अंतर के संदर्भ में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी प्राप्त करना भी आवश्यक समझा गया इसलिए इस नीति की समीक्षा की जा रही है।

(ङ) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस मामले में निर्णय के लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं होगा।

लंबित वित्त विधेयक

2466. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये कुछ वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर कर्नाटक के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रपति के विचारार्थ, कर्नाटक से नौ विधेयकों सहित, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा आरक्षित किए गए अट्ठाइस वित्त विधेयकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) विचारार्थ और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे गए राज्य विधानों की तीन कोणों अर्थात, (क) किसी केन्द्रीय कानून के साथ विरोध, (ख) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से विचलन, और (ग) कानूनी और संवैधानिक वैधता से जांच की जाती है। राज्य सरकारों को उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधेयकों के उपबंधों में आशोधन/संशोधन करने की सलाह दी जाती है। शीघ्र निर्णय लेने की दृष्टि से, राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा भी की जाती हैं।

विवरण

31.7.2001 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	प्राप्ति की तारीख	राज्य का नाम	विधेयक का नाम
1	2	3	4
1.	29.6.1999	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1999
2.	11.5.2000	-तदैव-	दंड प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000
3.	27.8.1998	असम	असम कार्यपालक मजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियां) विधेयक, 1998
4.	8.10.1999	बिहार	माध्यस्थम् और सुलह (बिहार संशोधन) विधेयक, 1999
5.	15.5.2001	-तदैव-	बिहार वित्त विधेयक, 2001
6.	13.9.2000	-तदैव-	भारतीय पथकर (बिहार संशोधन) विधेयक, 2000
7.	7.1.2000	हरियाणा	हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 1999
8.	10.7.2001	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित निर्वाह विधेयक, 2001
9.	7.7.1998	कर्नाटक	कर्नाटक स्वदेशी मात्स्यिकी (संरक्षण, विकास और विनियमन) विधेयक, 1996
10.	24.5.1999	-तदैव-	कर्नाटक कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

1	2	3	4
11.	25.6.1999	कर्नाटक	मैसूर तंबाकू कंपनी लिमिटेड (शेयरों का अधिग्रहण) विधेयक, 1998
12.	5.8.1999	-तदैव-	कर्नाटक भूजल (पेयजल के स्रोतों के संरक्षण के लिए विनियमन) विधेयक, 1999
13.	12.6.2000	-तदैव-	कर्नाटक वस्तुओं के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000
14.	19.1.2001	-तदैव-	कर्नाटक वित्तीय संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण विधेयक, 2000
15.	30.1.2001	-तदैव-	कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2000
16.	16.2.2001	-तदैव-	कर्नाटक किराया विधेयक, 1999
17	23.2.2001	-तदैव-	कर्नाटक हिन्दू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ दान विधेयक, 1997
18.	13.5.1999	केरल	केरल अनुदान और पट्टा (अधिकारों का आशोधन) संशोधन विधेयक, 1999
19.	5.3.2001	मेघालय	मेघालय लोकायुक्त और उपलोकायुक्त विधेयक, 2000
20.	24.9.1998	नागालैंड	नागालैंड (भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण तथा उसके स्रोत) संशोधन विधेयक, 1995
21.	14.10.1999	पंजाब	पंजाब नगरपालिका विधेयक, 1999
22.	15.5.2001	-तदैव-	भारतीय टिकट (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2001
23.	5.5.1997	तमिलनाडु	तमिलनाडु विशेष न्यायालय विधेयक, 1997
24.	16.2.2001	-तदैव-	तमिलनाडु राजमार्ग विधेयक, 2001
25.	2.7.1997	पश्चिम बंगाल	बंगाल पब्लिक डिमांड रिकवरी (संशोधन) विधेयक, 1997
26.	25.8.2000	-तदैव-	पश्चिम बंगाल जल स्रोत, संरक्षण, बचाव और विकास (नियंत्रण प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2000
27.	20.3.2001	-तदैव-	दंड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2001
28.	6.7.2001	-तदैव-	पश्चिम बंगाल, थिक्का काश्तकारी (अधिग्रहण और विनियमन) विधेयक, 2001

समेकित बाल विकास योजना

2467. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समेकित बाल विकास योजना का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-सी कमियां जानकारी में आई हैं; और

(ग) उक्त योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी.ए.ई.आर.) को लगभग साठ हजार आँगनवाड़ी केन्द्रों में

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम का राष्ट्रीय मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया था। परिषद् की रिपोर्ट वर्ष 2001 में प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का शिशु मृत्यु-दर (आई.एम.आर.) व प्रसव-पूर्व देखभाल पर एक निश्चित प्रभाव पड़ा है। 67% से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित रूप से पूरक पोषाहार प्रदान कर रहे थे और 75% बच्चों का टीकाकरण कर दिया गया था। रिपोर्ट में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार के प्रावधान में यदा-कदा व्यवधान उत्पन्न होने, किशोरियों के लिए स्कीम का कड़ाई से कार्यान्वयन व प्रबधन न करने का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) मई, 1997 में आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के विस्तार पर लगाई गई रोक को वर्ष 2000 में हटा लिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक 5171 आई.सी.डी.एस. विकास खण्डों में इस स्कीम को अब मंजूरी दे दी गयी है।

(2) प्रबोधन तंत्र के स्थान पर समेकित राज्य रिपोर्टें शुरू की गई हैं, जिनमें अधिक स्पष्ट जानकारी होती है।

(3) स्कीम को सुदृढ़ बनाने के लिए स्कीम के अंतर्गत वित्तीय मानकों में बढ़ोत्तरी की गई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे पूरक पोषण हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान रखें। पूरक पोषण के अंतर्गत पोषाहार में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पोषाहार घटक को भी इसमें शामिल किया गया है।

(4) दवा-किटों की खरीद को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

(5) शैक्षणिक किट शुरू की गई है।

(6) आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के लिए 'उदिशा' नामक विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

संपत्तियों की नीलामी

2468. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 2001 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आक्शन स्केअर फार हंड्रेड प्रापर्टीज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) जिन लोगों पर 10 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है, उनकी संपत्ति की नीलामी में दिल्ली नगर निगम ने कितनी प्रगति की है;

(घ) एम.सी.डी. द्वारा नीलामी हेतु लाई गई 100 संपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) फार्म हाउसों से किस दर पर संपत्ति कर की वसूली की जा रही है;

(च) क्या गृह कर अधिकारी फार्म हाउस मालिकों से उनकी सांठगांठ के कारण कम गृह कर वसूल कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) 1 करोड़ या अधिक की संपत्ति कर के भुगतान में विफल रहे संपत्ति मालिकों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट के अंतर्गत करों का भुगतान न होने पर संपत्तियों की नीलामी का एक कानूनी प्रावधान है। मार्च, 2001 में इस तरह की कार्रवाई के लिए 100 संपत्तियों की पहचान की गई थी जिनमें बकाया कर की राशि 10 लाख रुपए से अधिक थी।

(ग) और (घ) संपत्ति जब्त करने संबंधी सार्वजनिक सूचना का अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इसके प्रत्युत्तर में अनेक संपत्ति मालिकों ने अपने ऊपर देय राशि का पूरी तरह या आंशिक भुगतान किया 10 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि वाली 72 संपत्तियों के खिलाफ बाध्यकर कार्रवाई शुरू की गई थीं जिसके कारण उनके मालिकों ने बकाया राशि का पूरा अथवा आंशिक भुगतान कर दिया। ऐसी 28 संपत्तियों की सूची संलग्न विवरण है जिन पर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि अभी भी बकाया है। संपत्ति कर बकाया राशि के भुगतान के दोषियों की संख्या के आधार पर यह सूची समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है।

(ङ) सम्पत्ति कर अलग-अलग वर्षों के लिए निर्धारित करों की अनुसूचित दरों के अनुसार लगाया जाता है।

(च) दिल्ली नगर निगम की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	संपत्ति सं.	संपत्ति के दर्ज मालिक का नाम
1	2	3
1.	61-सी, कालू सराय	श्री तेज मोहम्मद
2.	ई-32, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II	मैसर्स एयरोप्लेन शू फैक्ट्री
3.	एफ-128, मोहम्मदपुर	श्री करतार सिंह
4.	बी-68/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	मैसर्स केवल कृष्ण बलराज खुराना, श्री बलबीर सिंह (पीपीओ)
5.	सी-156, मायापुरी, फेज-II	मैसर्स चावला पैन कं.
6.	22, जमरुदपुर	श्री दुल्ला राम
7.	ए-31/1, मायापुरी, फेज-I	मैसर्स मदन बाईंडिंग हाउस
8.	प्लाट नं. 2, सीसी नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I	मैसर्स बदरीनाथ आनंद
9.	सी-8, एसएमए, जीटी करनाल रोड	मैसर्स शुभ मैटल्स (प्रा.) लि.
10.	डी-12, एसएमए, जी टी करनाल रोड	श्रीमती कौशल्या देवी जैन
11.	सी-225, मायापुरी, फेज-II	मैसर्स सरदार कारबोनिक गैस कम्पनी
12.	ए-94/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	मैसर्स डीडी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
13.	65, फर्नीचर ब्लाक, कीर्तिनगर	मैसर्स अहूजा ट्रेडर्स
14.	बी-28 (जीआई) वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	मैसर्स न्यू भारत लेस ब्रेड फैक्ट्री
15.	बी-II/99, मोहन को-आप. इंडस्ट्रियल एस्टेट	मैसर्स श्रीकृष्ण स्ट्रिप्स (प्रा.) लि.
16.	ए-1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	मैसर्स जय लक्ष्मी चावला प्लास्टिक कं.
17	बी-28/3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	मैसर्स जोगिन्द्र हौजरी वर्क्स
18.	बी-II/97, मोहन को-आप. इंडस्ट्रियल एस्टेट	मैसर्स सी.भाईलाल एंड सन्स
19.	ए-62 (जीआई) वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	मैसर्स सिंघल हॉजरी वर्क्स
20.	डी-29, एसएमए, जीटी करनाल रोड	मैसर्स स्टार लाइट ट्रेडर्स
21.	ए-21/5, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेस-II	मैसर्स स्वतंत्र भारत इंजीनियरिंग वर्क्स
22.	सी-10/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	मैसर्स मिडलैण्ड ट्रेडर्स
23.	ए-19, वेस्ट एंड	श्री आई.एस. गभीर

1	2	3
24.	ए-118, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया	श्री ओपी बंसल
25.	22 सीसी, मायापुरी	मैसर्स सुदर्शन कुमार एण्ड राजकुमार
26.	ए-14/2, मायापुरी फेस-I	श्रीमती रामा कोहली
27.	बी-23, मायापुरी फेस-I	श्री इन्द्र नारायण हरनारायण
28.	ए-21/28, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेस-II	मैसर्स वीनस इलेक्ट्रॉनिक्स

दिल्ली यातायात पुलिस कर्मियों को पराचिकित्सा प्रशिक्षण

2469. **श्री रामजी मांझी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में यातायात पुलिस कर्मियों को दुर्घटना पीड़ितों को प्राथमिकता चिकित्सा देने के लिए दिये गये पराचिकित्सा प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राथमिकता चिकित्सा की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली में प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं/मौतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश जिप्सियों में या तो दवायें और बैंडेज उपलब्ध नहीं होते हैं या उनका उपयोग नहीं होता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दुर्घटना के शिकार लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के विचार से जुलाई, 2001 में 3 दिन का प्रारम्भिक पराचिकित्सा प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न रैंकों के 166 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) से (च) कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्राथमिक ड्यूटी के अलावा, दिल्ली पुलिस की पुलिस कन्ट्रोल रुम की गाड़ियां दुर्घटना के शिकार लोगों को नजदीकी अस्पतालों में पहुँचा कर उनकी सहायता करती है। इन पी सी आर वैनों को प्राथमिक-चिकित्सा-बक्सों से भी सुसज्जित किया गया है जिन्हें दुर्घटना के शिकार लोगों को लगी चोटों की किस्म को देखते हुए स्टाफ द्वारा उपयोग किया जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां

2470. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): बायोटेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां अधिकतर कृषि, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्रों से संबंधित हैं। उन्नत अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, 61 जैवप्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं 56 जैवसूचना केन्द्रों ने अनुसंधान, विकास एवं देश में जैवप्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को प्रमुख प्रोत्साहन उपलब्ध कराया है। बढ़ी हुई पोषण गुणवत्ता एवं जीवीय तथा अजीवीय प्रतिरोध के साथ उन्नत खेत परीक्षणों के तहत पराजीनी जो विशेषकर कपास, मूंगबीन, सरसों, चावल, आलू, टमाटर, बैंगन आदि फसलों में हैं, का लक्ष्य किसानों के लिए रोपड़ सामग्री के आनुवंशिक वृद्धि करने का है। जैवउर्वरकों एवं जैवनियंत्रक अभिकर्मकों के लिए समेकित पोषण प्रबंध परियोजनाओं ने इन प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर खेत प्रदर्शन एवं नये पैकेजों के माध्यम से देश भर के हजारों किसानों को प्रशिक्षित किया है। एक प्रतिरक्षी माडुलेटरी उपचारात्मक कुष्ठरोग टीके का पहले ही व्यवसायीकरण हो चुका है। एचआईवी, हैपेटाइटिस ए, डेंगू और बहुत सी अन्य बीमारियों के लिए नैदानिक किटें उद्योग को अंतरित की जा चुकी है। पर्यावरण एवं जैवविविधता संरक्षण के लिए जैवप्रौद्योगिकी पैकेजों का पहले ही सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उद्योग को दिया जा चुका है। विभिन्न उद्योगों द्वारा व्यापारीकरण के लिए 28 प्रौद्योगिकी पैकेजों को तैयार किया जा रहा है जिनमें टीके, नैदानिकी, ऊतक संवर्धन पादप, जैवउर्वरक, जैवकीटनाशी और जैवउपचार प्रौद्योगिकियाँ आदि शामिल हैं। विशेषतौर पर 2 सूक्ष्मप्रवर्धन प्रौद्योगिकी पार्कों

और देश में कई सुदृढ़ीकरण एककों की स्थापना के साथ पादप ऊतक संवर्धन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यापार बन गया है। 32 पेटेन्ट आवेदन पत्र दाखिल किए गए हैं जिनमें 5 विदेश में हैं। 2 यू एस पेटेन्ट और 7 भारतीय पेटेन्ट प्रदान किए गए हैं। सामाजिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम जिनमें प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, जैवग्रामों की स्थापना, जैवप्रौद्योगिकी पार्क आदि शामिल हैं ने देश में 52,000 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। आनुवंशिक विकारों वाले रोगियों का पता लगाने में 16 आनुवंशिक परामर्श एककों ने सहायता की है। पादप, पशु और सूक्ष्मजैविक जिनोमिक्स प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। विभाग के स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत बायोलॉजिकल्स और इम्यूनोलॉजिकल्स कारपोरेशन लि. (बिबकॉल) ने अपने स्पष्ट लक्ष्यों के साथ कार्य किया है और उनकी उपलब्धियां मूलभूत अनुसंधान और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। जीवविज्ञान में प्रकाशनों की संख्या और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण रूप में वृद्धि हुई है। विकसित और विकासशील देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने अनुसंधान और उत्पाद विकास में अधिक सुविधाएं प्रदान की हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी बी टी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) ने विज्ञान के इस अग्रणी क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से प्रगति की दिशा में मिलकर काम किया है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण संभावनाओं को समझते हुए कई राज्य सरकारों ने जैवप्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के लिए नई सांस्थानिक अवसंरचनाएं भी स्थापित की हैं।

विभाग की गतिविधियाँ और इसकी उपलब्धियां नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्टों में दी जाती हैं जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। विभाग की वेबसाइटों पर भी सूचना ली जा सकती है:

www.dbtindia.org, www.dbt.india.nic.in and
www.dbtindia.nic.in/ebc.

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष आवास योजना

2471. **श्री अनन्त नायक:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष आवास योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो आवास आवंटन हेतु योजना के अंतर्गत क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) कितने आवास निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है और ये कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(घ) योजना के अंतर्गत कितने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास पंजीकरण स्कीम, 2001" शुरू की है, जो 1.7.2001 से अगले पांच वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। स्कीम 2.7.2001 से 31.8.2001 तक खुली रहेगी। इस स्कीम के अंतर्गत, (1) केन्द्र सरकार (2) दिल्ली सरकार, और (3) केन्द्र सरकार या दिल्ली सरकार के सांविधिक/स्वायत्त निकायों के कर्मचारी फ्लैटों के आबंटन के लिए पात्र हैं। एम आई जी, एल आई जी व जनता श्रेणियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। आवेदक अपनी जरूरत तथा व्यय क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2 : 4 : 4 के अनुपात में एम.आई.जी., एल.आई.जी. और जनता श्रेणियों के 2000 फ्लैटों की आफर की है।

(घ) सेवानिवृत्ति होने वाले उन सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक संख्या, जो स्कीम के अंतर्गत फ्लैट आबंटन हेतु अपना पंजीकरण कराएंगे, 31.8.2001 को स्कीम बंद होने के बाद ही पता चलेगी।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर आये सी.आर.पी.एफ. के कार्मिक

2472. **श्री जय प्रकाश:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और रैंक-वार दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कितने सी.आर.पी.एफ. के कार्मिकों की नियुक्ति की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

रैंक	1998	1999	2000
निरीक्षक	–	2	1
उप निरीक्षक	–	4	–
हैंड कांस्टेबल	–	30	–
हैंड कांस्टेबल (चावक)	2	26	–
कांस्टेबल (कार्य.)	–	226	–

[अनुवाद]

उर्वरकों के लिए भंडारण सुविधाओं की कमी

2473. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों के लिए भंडारण सुविधाओं की सख्त कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादक और आयातक भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण दूरस्थ स्थानों पर अपने उत्पादों को भेजने में हिचक रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेष ध्यान देने और किसानों की तत्काल मांग को पूरा करने हेतु प्रखण्ड (ब्लाक) स्तर पर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में उर्वरकों के भंडारण की सुविधा कुल मिलाकर पर्याप्त है। तथापि, कुछ उर्वरक कम्पनियों को विशेषकर फसल कटाई के पश्चात अस्थायी किस्म की कुछ स्थानीय समस्याएं हो सकती है जब मुख्यत: खाद्यान्नों के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता भी होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) भंडारण में स्थानीय तथा अस्थायी बाधाएं, यदि कोई हों, कृषकों को उर्वरकों की समग्र उपलब्धता और सामयिक आपूर्ति को प्रभावित नहीं कर रही हैं।

सांसदों के पत्रों पर प्रतिक्रिया

2474. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दमन और दीव प्रशासन को सांसद द्वारा भेजे गए पत्रों पर उनके उदासीन रवैये और कभी-कभी उनके द्वारा संदर्भ पत्रों का जवाब नहीं भेजे जाने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सांसदों और जन प्रतिनिधियों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दमण और दीव प्रशासन द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर, अग्रता एवं अति संभव शीघ्रता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तथापि, नीतिगत या अधिक समय लेने वाले ऐसे मामलों, जिनकी विस्तृत जांच की जानी अपेक्षित होती है, के संबंध में सामान्यत: अंतरिम उत्तर भेजा जाता है। संसद सदस्यों के पत्रों का समय पर निपटान करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेशों को, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दोहराया जाता है कि इस प्रकार के पत्रों का उत्तर देने में कोई ढील न हो।

[हिन्दी]

भारत-क्रोएशिया समझौता

2475. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद, स्वापक पदार्थों की तस्करी और अपराधों को रोकने के लिए भारत और क्रोएशिया के बीच समझौता होने के बाद कोई सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) स्वाक पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा क्रोएशिया

गणराज्य की सरकार के बीच 4 मई, 2001 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में संगठित अपराध, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और स्वापक पदार्थों एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए दोनों के बीच सहयोग को सुकर बनाने की बात कही गई है। सहयोग की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। तथापि, समझौते के अंतर्गत अभी तक कोई मुख्य अनुरोध नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सेल में भ्रष्टाचार के मामले

2476. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और इसकी अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितने मामलों की पहचान की गई है;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(ग) तथाकथित भ्रष्टाचार के मामलों में सेल और इसकी अनुषंगी इकाइयों में अपनाये जा रहे प्रक्रिया नियमों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेल संयंत्रों/इकाइयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शुरू किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या और उन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, निम्नानुसार है:

	शुरू किए गए मामलों की संख्या	शामिल कर्मचारियों की संख्या		दंडित किए कर्मचारियों की संख्या			
				बड़ी शास्ति		छोटी शास्ति	
		कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक
1998-1999	209	48	226	18	150	15	43
1999-2000	216	63	200	10	113	19	30
2000-2001	124	115	111	11	16	13	35

(ग) मोटे तौर पर, सेल के कर्मचारियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, कामगार और अन्य कर्मचारी। कामगार संबंधित संयंत्रों/इकाइयों के लिए लागू स्थायी आदेशों के दायरे में आते हैं। ये स्थायी आदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 पर आधारित हैं और त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने के बाद इन्हें कार्यान्वित किया गया है। शेष कर्मचारी, अर्थात् कार्यपालक और सचिवालयीन कर्मचारी, आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1977 (सीडीए), जिसे लोक उद्यम विभाग द्वारा परिचालित मानक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली के आधार पर तैयार किया गया है, के दायरे में आते हैं।

एन.एल.सी. द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजा

2477. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.एल.सी. की खानों द्वारा राज्यवार अब तक कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या प्रभावित सभी व्यक्तियों को मुआवजा/नौकरी प्रदान की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास पर राज्यवार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो आज तक राज्यवार कितने मुकदमें लंबित हैं; और

(ङ) इन लंबित मुकदमों के कब तक निपटान किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) एनएलसी ने, 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार, अपनी खनन, विद्युत तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए तमिलनाडू में 12310.19.5 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की है। राजस्थान राज्य में एनएलसी ने 2708.51 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की है।

(ख) अधिग्रहीत भूमियों के लिए मुआवजे का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। उक्त

अधिनियम के अंतर्गत, छोड़ी गई भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए, प्रभावित परिवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आर्थिक मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, एनएलसी ने एक पुनर्वास कार्य-योजना का अनुमोदन किया है, जिसमें घर छोड़ने वालों के लिए वास्तविक पुनर्वास पैकेज तथा भूमि छोड़ने वालों के लिए एक-एक आर्थिक पुनर्वास पैकेज शामिल हैं, जिसमें स्व-रोजगार प्रशिक्षण, अस्थायी रोजगार, ठेके पर काम आदि की व्यवस्था है।

(ग) तमिलनाडु राज्य में, पुनर्वास प्रक्रिया पर कुल 93.03 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पेरीफेरल विकास स्कीम के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रु. की राशि आवंटित की जाती है। राजस्थान ने 10.82 करोड़ रु. के आर्थिक मुआवजे का भुगतान किया गया है।

(घ) तमिलनाडु राज्य में अदालतों में, अधिक मुआवजे के लिए भूमि अधिग्रहण खुली याचिका के 1916 मामले लंबित हैं। राजस्थान में कोई भी मामला लंबित नहीं है।

(ङ) कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत मुकदमेबाजी लंबी खिंच सकती है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल से कैदियों का फरार होना

2478. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अति सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल से अनेक कैदी फरार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके वर्षवार प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) 1 अगस्त, 1998 से 31 जुलाई, 2001 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय जेल, तिहाड़ से दो कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। 2 अगस्त, 2000 को, एक कैदी सब्जियों को ढोने हेतु इस्तेमाल किए गए वाहन में छुपकर जेल सं. 1 से फरार होने में कामयाब हो गया। उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल सं. 4 का एक और कैदी 8 जून, 2001 को फरार हो गया। उन परिस्थितियों की जांच करने का काम संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सौपा गया है, जिसमें वह फरार होने में कामयाब हुआ।

(घ) जेल सं. 1 से कैदी के फरार होने में, चार अधिकारियों की कथित संलिप्तता के कारण, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गई हैं। द्वितीय मामले के संबंध में, वार्डनों में से एक, जो कि फरार होने में प्रथम दृष्टया संलिप्त पाया गया, को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर व्यापक कार्रवाई के लम्बित होने तक, निलंबित कर दिया गया है।

"कृभको" के समक्ष लंबित योजनाएं

2479. **श्री राजो सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) में अंतिम निर्णय के लिए अनेक योजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कब से लंबित हैं और खर्च की प्रस्तावित धनराशि कितनी है तथा इन योजनाओं पर पृथकत: बढ़ा हुआ व्यय कितना है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लेने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ओमान में इफको तथा ओमान ऑयल कंपनी के साथ कृभको की प्रस्तावित संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना (अनुमानित लागत 960 मिलियन अमरीकी डालर) को सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृभको की प्रस्तावित हाजिरा (चरण-II) उर्वरक विस्तार परियोजना (अनुमानित लागत 1318 करोड़ रुपये) और गोरखपुर उर्वरक परियोजना (अनुमानित लागत 1536 करोड़ रुपये) को सरकार ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा इन परियोजनाओं के निवेश मूल्यांकन की शर्त पर अप्रैल-1999 में "सिद्धांत:" अनुमोदित कर दिया था। पीआईबी द्वारा इन दो यूरिया परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन जुलाई 1999 में किया गया था। जून 2000 में इन परियोजनाओं पर अंतिम निवेश निर्णय लेने हेतु एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और आस्थगित रखा गया था। यह प्रस्ताव परियोजनाओं की व्यवहार्यता, सब्सिडी व्यय में कमी करने हेतु फीडस्टाक के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग को

बढ़ावा देने की वांछनीयता और सीमित मांग आपूर्ति अन्तर भविष्यवाणियों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

पिपवाव, गुजरात में कृभको की प्रस्तावित संयुक्त उद्यम पावर परियोजना (अनुमानित लागत 2141 करोड़ रुपये) के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रथम अवस्था मंजूरी सरकार द्वारा नवम्बर 1999 में प्रदान की गई थी। यह प्रस्ताव सरकार के निवेश अनुमोदन हेतु अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईरान में कृभको की प्रस्तावित संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना (अनुमानित लागत 470 मिलियन करोड़ रुपये) भी निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है। कृभको की प्रस्तावित परियोजना पर बढ़ा हुआ व्यय, यदि कोई है, इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही ज्ञात होगा।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों संबंधी कृतक बल

2480. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं से संबधित कानून की समीक्षा के लिए महिलाओं और बच्चों संबंधी कृतक बल के अंतर्गत दो उप-समूहों का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समूहों द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें दो उप-दलों के गठन और समीक्षा हेतु उन्हें आबंटित कानूनों का उल्लेख किया गया है। उप-दलों का गठन 10 मई, 2001 के आदेश के अनुसार किया गया था।

(ग) उप-दलों ने समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है। उनकी सिफारिशें कार्य बल के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जा रही हैं।

विवरण

महिलाओं और बच्चों पर कार्य बल का उप-दल-I

गठन:

1.	सुश्री निर्मला बुच	अध्यक्ष
2	सुश्री निशिगंधा आर. मोगल	सदस्य
3.	सुश्री प्रभा शंकरनारायणन	सदस्य
4.	सुश्री इंदिरा जयसिंह	सदस्य
5.	सचिव, श्रम मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
7.	सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
8.	सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग	सदस्य
9	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव (डब्ल्यू.डब्ल्यू.), महिला एवं बाल विकास विभाग	संयोजक
11.	उप-सचिव (डब्ल्यू डब्ल्यू), महिला एवं बाल विकास विभाग	सह-संयोजक

समीक्षा हेतु आबंटित कानून

1. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61)
2. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का 32)
3. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19)
4. चलचित्र कर्मी तथा चलचित्र थियेटर कर्मी (नियोजन विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 50)
5. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)
6. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)
7. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)
8. 1976 में यथा-संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)
9. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)
10. विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923 (1923 का 23)
11. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53)
12. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)
13. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)
14. बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69)
15. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8)

महिलाओं और बच्चों पर कार्य बल का उप-दल-II

गठन

1. श्री टी.एन. चतुर्वेदी, संसद सदस्य	अध्यक्ष
2. सुश्री राधा राजन	सदस्य
3. सुश्री पद्मा सेठ	सदस्य
4. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
5. सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6. सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
7. सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग	सदस्य
8. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9. संयुक्त सचिव (डब्ल्यू.डब्ल्यू.), महिला एवं बाल विकास विभाग	संयोजक
10. उप-सचिव (डब्ल्यू.डब्ल्यू.), महिला एवं बाल विकास विभाग	सह-संयोजक

समीक्षा हेतु आबंटित कानून

1. सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3)
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 26)
3. स्त्री-अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60)
4. अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104)
5. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66)
6. भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान।

महिलाओं के लिए आयोग

2481. **श्री आर.एस. पाटिल:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों में परामर्शदात्री प्रकोष्ठ स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेल में खर्च में कटौती

2482. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल ने खर्च कटौती के लिए सरकार के मितव्ययता संबंधी उपायों का पालन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000-2001 के दौरान इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 97 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन करके जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है तथा वर्ष 1999-2000 में हुई 1720 करोड़ रुपये की निवल हानि कम करके 729 करोड़ रुपये तक लाकर अपने निष्पादन में सुधार दर्शाया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सेल ने व्यय में कटौती करने के लिए निम्नलिखित मितोपयोगी उपाय किए हैं:

* सम्पर्क कार्यालयों को कम/बन्द करना।
* यात्रा करने के स्थान पर दूरसंचार सुविधाओं का विवेकपूर्ण उपयोग।
* छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी नकदीकरण सुविधा को आस्थगित करना।
* अन्य प्रशासनिक व्यय में कटौती।
* गहन लागत नियंत्रण अभियान।
* स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को लागू करना।
* कोई नया निवेश प्रस्ताव नहीं।

इन उपायों के फलस्वरूप, 2000-2001 के दौरान सेल ने 525 करोड़ रुपए की बचत की।

[हिन्दी]

समुद्री जल का खारापन दूर करना

2483. **श्री पदम सेन चौधरी:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए समुद्री जल का खारापन दूर करने संबंधी समुद्री जल परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना कब तक शुरू की जाएगी/पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) उक्त परियोजना पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना के पूरा होने पर कितनी मात्रा में समुद्री जल को पीने योग्य बनाये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें

अपने स्वयं के संसाधनों से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित करती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के ग्रामीण पेय घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनकी सहायता करती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन करने की शक्तियाँ राज्यों को सौंपी गई हैं। इसलिए भारत सरकार के पास समुद्री जल के खारेपन को दूर करने की परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं जिससे कि स्वच्छ पेयजल की कमी को पूरा किया जा सके। तथापि, पिछले वर्ष के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण पेयजल के अभाव को झेलते राज्यों को यह सलाह दी गई थी कि लंबी अवधि के उपाय के रूप में, पेट्रोकेमिकल्स, थर्मल पावर इत्यादि जैसे उष्मा सृजक इंडस्ट्रीज जो तटीय क्षेत्रों में स्थित है के अतिरिक्त सृजित उष्मा को खारेपन वाले समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में बदलने वाले संयंत्रों की स्थापना कर उपयोग में लाया जा सकता है। राज्यों को यह सलाह दी गई थी कि जहाँ कोई वैकल्पिक स्रोत मौजूद नहीं है वहां पेयजल मुहैया कराने के लिए इनलैंड ब्रैकिस वाटर, स्मॉल रिभर्स आस्मोसिस या इलेक्टो-डायलेसिस प्लांट स्थापित किया जा सकता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेयजल संसाधन

2484. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पेयजल के पारंपरिक संसाधन के नवीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना से देश के गांवों में पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से पेयजल मुहैया कराने हेतु योजनाएं/परियोजनाएं शुरू करती है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनकी सहायता करती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनाओ/परियोजनाओं की आयोजना, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन करने की शक्तियाँ राज्यों को सौंपी गई हैं। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के उपमिशन तथा पी.एम.जी.वाई. के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत स्रोतों के स्थायित्व के लिए परियोजनाओं/योजनाओं को शुरू करने के प्रावधान किए गए हैं। उपमिशन के अंतर्गत स्रोतों के स्थायित्व तथा गुणवत्ता समस्या को दूर करने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं/योजनाओं पर ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों के 20 प्रतिशत तक की निधियाँ खर्च की जा सकती हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष (2000-2001) में राज्यों से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत उपमिशन गतिविधियों के लिए निर्धारित निधियों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक वर्षा जल एकत्रीकरण ढांचा भी शामिल है, का 25 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए कहा गया है ताकि स्रोतों की स्थायित्व संबंधी योजनाएं/परियोजनाएं शुरू की जा सके। इसके अलावा, पी.एम.जी.वाई.-ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा घटक के लिए आबंटित निधियों का 25 प्रतिशत डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों, अति दोहित डार्क/ग्रे ब्लॉक्स और अन्य जलाभाव/सूखा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में पेयजल स्रोतों का स्थायित्व, भूजल रिचार्ज, वर्षा जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण हेतु परियोजनाओं/योजनाओं पर इस्तेमाल किया जाता है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत स्थायित्व संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं जिसके तहत मौजूदा/पारंपरिक वर्षा जल एकत्रीकरण ढाँचों का उन्नयन, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, पुनबहाली करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त दिशानिर्देशों/प्रावधानों के अनुसार परियोजनाओं के कार्यान्वयन से यह उम्मीद की जाती है कि विशेषकर सूखा प्रभावित और पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी।

[अनुवाद]

कोयले का पता लगाना/उत्पादन

2485. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान कोयले के उत्पादन और पता लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह से प्राप्त कर लिया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोयला मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये वार्षिक कार्यक्रम (2001-02) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से कोयले के उत्पादन और अन्वेषण के लिए किसी लक्ष्य की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

मानवाधिकार आयोग

2486. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानवाधिकार आयोग के 57वें सत्र में महिलाओं और लड़कियों की अवैध खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने में असफल रहने और महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के लिए भारत की आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत को किन-किन अन्य क्षेत्रों में आयोग की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा;

(ग) क्या सरकार ने प्रणाली में सुधार लाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार का महिलाओं की अवैध खरीद फरोख्त और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों के लिए विश्व बैंक की सहायता

2487. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों में पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वित्तीय प्रतिबद्धता क्या है; और

(घ) सिंगरेनी कोयला खानों को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) भाग में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस.सी.सी.एल.) की मौजूदा/प्रचालन कोयला खानों को आधुनिक तथा प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए उठाये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(1) धूल के उत्पादन को कम करने के लिए उपयुक्त खनन के तरीकों को अपनाना।

(2) जल-छिड़काव।

(3) खान में प्रवेश स्थल, कोयला परिवहन सड़कों, कोयला हैन्डलिंग संयंत्रों इत्यादि के आस-पास तथा अन्दर, वृक्षारोपण करना।

(4) भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों खानों के कार्यक्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी करना।

(5) प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त साइज के उपकरणों/तकनोलोजी के चयन द्वारा डीजल की खपत को घटाने के लिए यथासंभव बिजली का उपयोग करना।

(6) खानों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई खानें खोलते समय पर्याप्त पूंजी का प्रावधान करना।

कोयला का पता लगाने और उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2488. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोयले का पता लगाने और उत्पादन में निजी क्षेत्र के अबाधित प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयास से कोयला खानों में संलग्न कामगार प्रभावित होने जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) कोयला खानों के निजीकरण किये जाने के बाद कामगारों के हितों की रक्षा किस प्रकार किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 राज्य सभा में 24.4.2000 को लाया गया है जिसके उद्देश्य है–(1) भारतीय कम्पनियों को गृहीत खनन के मौजूदा प्रतिबंध के बिना देश में कोयले और लिग्नाइट का खनन करने की अनुमति देना। (2) सार्वजनिक निजी-सैक्टर में भारतीय कम्पनियों को देश में कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का अन्वेषण कार्य करने हेतु अनुमति देना।

(ख) से (घ) कोल इंडिया लिमिटेड अथवा इसकी अनुषंगी कपनियों के निजीकरण का मामला वर्तमान में भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

टक्कर मारकर भाग जाने वाले वाहनों से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में दोषसिद्धि

2489. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में टक्कर मारकर भाग जाने वाले वाहनों से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में दोषसिद्धि बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक दिल्ली में टक्कर मारकर भाग जाने वाले वाहनों से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं के कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस हमेशा लोगों के लिए है, इस अवधारणा को वास्तव में साबित करने के लिए मौजूदा जांच प्रणाली को और अधिक सार्थक बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां। श्रीमान्। टक्कर मारकर भाग जाने संबंधी अधिकांश मामलों में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अभाव में और दुर्घटना के शिकार व्यक्ति द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार के मामलों में दोष सिद्ध ठहराना कठिन हो जाता है।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे निम्न प्रकार से है:

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या
1998	3568
1999	3380
2000	3436
2001 (31.7.2001 तक)	1844

(घ) और (ङ) जांच-पड़ताल के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में (1) विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, अंगुलि छाप ब्यूरो से विशेषज्ञों और श्वान दस्तों को अपराध स्थल की जांच के दौरान संबद्ध करना, (2) अपराध को अपराधियों से जोड़ने के लिए जांच के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, (3) अपराध रिकार्ड को एकत्र करने, मिलाने और मिलान करने में आसूचना प्रौद्योगिकी का विस्तृत प्रयोग, (4) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच का नियमित प्रबोधन (5) मामलों की शीघ्रता से जांच करना, (6) जांच अधिकारियों के जांच-कौशल में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना (7) न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए पुलिस मुख्यालयों और जिलों में पृथक प्रकोष्ठ का गठन करना, और (8) मामलों की जांच पड़ताल करने में लापरवाह पाए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करना शामिल है।

उत्तरांचल में तकनीकी संस्थान

2490. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तरांचल में शहावा, विशेषकर देहरादून में कितने तकनीकी संस्थानों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मंजूरी दी गई है और उनके नाम क्या है;

(ख) क्या 2001-2002 के दौरान राज्य में और अधिक तकनीकी संस्थानों को मंजूरी देने संबंधी कोई प्रस्ताव ए.आई.सी.टी.ई. को प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो प्रवेश क्षमता, सामान्य फीस ढांचा और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में उन संस्थाओं को मंजूरी देने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अपनाई गई नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के लिए उत्तरांचल राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2001-02 के लिए उत्तरांचल राज्य में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को कुल 42 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विधिवत निर्धारित विनियमों के आधार पर और वित्तीय व्यवहार्यता, निर्धारित मानकों तथा मानदंडों के अनुसार आधारभूत सुविधाओं जैसे भवन, शिक्षण कक्ष, संकाय आदि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार किया गया। आधारभूत आवश्यकताएं पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम में अलग-अलग होती हैं जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मानकों तथा मानदंडों संबंधी प्रकाशन में उपलब्ध हैं। राज्य स्तरीय शिक्षण शुल्क समितियां विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित करती हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के लिए उत्तरांचल राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों का ब्यौरा

2000-01

इंजीनियरी (डिग्री)

1. प्रौद्योगिकी कालेज,
   गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
   हरिद्वार-249404

2. विज्ञान एवं इन्स्ट्रूमेंटेशन केन्द्र विश्वविद्यालय,
   एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय,
   श्रीनगर

इंजीनियरी (डिप्लोमा)

1. इलैक्ट्रोनिक्स सर्विस एंड कानिया,
   रामनगर, नैनीताल

एम.सी.ए.

1. ग्राफिक ईरा प्रौद्योगिकी संस्थान,
   बैल रोड,
   बाहरवाला ग्रांट
   कलेमेन्ट टाऊन
   देहरादून

एम.बी.ए.

1. डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड एलीमेन्टरी होटेलियरिंग,
   बिड़ला कालेज परिसर,
   एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय,
   श्रीनगर

फार्मेसी

1. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मासूटिकल साइंस,
   एच.एन.एस. गढ़वाल विश्वविद्यालय,
   श्रीनगर

2. सरदार भगवान सिंह स्मारक बायो मेडिकल विज्ञान संस्थान,
   बालावाला,
   देहरादून

3. श्री गुरु राम राय एकादेमी ऑफ फार्मा साइंस,
   पटेल नगर, देहरादून

2001-02

इंजीनियरिंग (डिग्री)

1. ग्राफिक ईरा प्रौद्योगिकी संस्थान,
   देहरादून मसूरी डाईवर्सन रोड,
   पी.ओ. भगवन्तपुर,
   मालसू, देहरादून

एम.सी.ए.

1. देहरादून प्रौद्योगिकी संस्थान,
   देहरादून मसूरी डाईवर्सन रोड,
   पी.ओ. भगवनन्तपुर,
   मालसू, देहरादून

2. गोबिन्द वल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कालेज,
   पौढ़ी गढ़वाल

3. कम्प्यूटर विज्ञान विभाग,
   एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय,
   श्रीनगर

4. प्रबंध अध्ययन अकादमी,
   नन्दी की चौकी,
   प्रेम नगर, देहरादून

5. प्रबंध अध्ययन संस्थान,
   21-हाथीबरखला रोड,
   नई छावनी, देहरादून

अमरनाथ यात्रा

2491. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री अनन्त नायक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अमरनाथ तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो हाल की घटनाओं में कितने तीर्थयात्री मारे गए/घायल हुए;

(ग) अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या सुरक्षा बल घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की पहचान करने/उन्हें पकड़ने में नाकाम रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या शोक संतृप्त परिवारों को कोई राहत राशि वितरित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा हेतु सुरक्षा प्रबंधों को पिछले अनुभव और आतंकवादियों के षडयंत्रों के संबंध में जानकारियों को देखते हुए अनेक उच्चस्तरीय बैठकों के पश्चात प्लान की व्यवस्था के साथ सुदृढ़ किया गया। इस बार यात्रा सुरक्षा हेतु तैनात की गई सुरक्षा बलों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा थी। क्षेत्र प्रभुत्व और यात्रा के मार्ग के साथ-साथ ऊंचे स्थानों पर तैनाती, सड़क खोलने वाली पार्टियां, मार्गरक्षी ड्यूटी, शिविर सुरक्षा, जांच चौकियों में पहुंच नियंत्रण और उन पर तैनाती, तोड़-फोड़ निरोधी जांच के संबंध में विभिन्न बलों और यूनिटों के कार्यात्मक और क्षेत्रीय अधिकार तथा कार्य राज्य सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिए गए थे। यात्रा 2001 हेतु सुरक्षा प्रबंधों के बेहतर समन्वय और योजना के लिए, राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर में एकीकृत मुख्यालय के कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को लेकर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्राइन बोर्ड और संबंधित उप पुलिस महानिरीक्षक तथा ब्रिगेडियरों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करके एक शीर्ष निकाय बनाया गया। यात्रा के लिए सुरक्षा निचले स्तरों पर भी समन्वय ग्रुप गठित किए गए थे।

2 ग्रेनेड फेंके जाने और उसके पश्चात् 21.7.2001 को अमरनाथ जी यात्रा के शेषनाग शिविर के नजदीक एक आतंकवादी द्वारा गोलीबारी करने की एक घटना में 6 तीर्थयात्री मारे गए और 8 घायल हो गए।

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को मार गिराया।

(च) और (छ) प्रत्येक मृत सिविलियन के निकटतम संबंधी को 1.00 लाख रु. की अनुग्रहपूर्वक राहत मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई है। राज्य सरकार को इस धनराशि की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी व्यय अनुदानों के अंतर्गत की जाती है।

फन एंड फूड वीलेज को लाइसेंस

2492. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** फन एंड फूड वीलेज को अनुज्ञप्ति दिए जाने के बारे में 17 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4480 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राधिकरण ने फन एंड फूड वीलेज को भूप्रयोग परिवर्तन की अनुमति दिये बिना लाइसेंस जारी किया था;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलीभगत से नियमों का उल्लंघन करते हुए लाइसेंस जारी किया; और

(ग) यदि हां, तो दोषियों को सजा देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने वर्तमान मामले में लाइसेंस, निर्धारित एजेंसियों, नामत:, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली अग्निशमन सेवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मनोरंजन कर विभाग से "अनापत्ति प्रमाणपत्रों" के प्राप्त करने के पश्चात ही जारी किया। इस मामले में "साँठ-गाँठ" सुझाने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं है क्योंकि ये एजेंसियां दिल्ली पुलिस से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2493. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 26 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 214 जिलों में महत्वाकांक्षी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो वे जिले कौन-कौन से हैं जिनमें यह कार्यक्रम आरंभ किया गया है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यकलापों के लिए राज्य-वार कितना बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) देश के शेष जिलों में इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सरकार ने 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान-प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। अभी तक 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 225 जिलों में प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए 88.50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ख) जहाँ सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना-पूर्व कार्यकलाप शुरू किये गये हैं उन जिलों की एक सूची संलग्न है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लिए 500 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। यह अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को दिया जाएगा।

(घ) 31 मार्च, 2002 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के सभी जिलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलों की सूची (30.7.2001 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों के नाम	जिलों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी	4
असम	धेमाजी, करीमगंज, नलबारी, तिनसुखिया, कामरूप, लखीमपुर, शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, डिब्रूगढ़, कछार, नौगांव, एनसी हिल्स, हैलाकाण्डी	14
अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग, तवांग, तिरप, पश्चिमी कामेंग, पापमपारे, लोअर सुबानसिरी, अपर सुबानसिरी, पश्चिमी सियांग, अपर सियांग, पूर्वी सियांग, दिबांग वेली, लोहित, चांगलांग	13
बिहार	गोपालगंज, कटिहार, माधेपुरा, नवादा, पूर्वी चम्पारन, सिवान, बेगुसराय, जहानाबाद, खगड़िया, मधुबनी, नालन्दा, समस्तीपुर, औरंगाबाद, सहरसा, छपरा	15
गुजरात	पाटन, राजकोट, अहमदाबाद, भरूच, नर्मदा, खेड़ा, आनन्द, सूरत, नवसरी, वलसाद, वड़ोदरा, अमरेली	12
हिमाचल प्रदेश	किन्नौर, शिमला, सोलन, मण्डी	4

1	2	3
हरियाणा	अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रिवाड़ी	11
झारखण्ड	गढ़वा, गिरीडीह, देवधर	3
जम्मू व कश्मीर	अनन्तनाग, कारगिल	2
केरल	कोल्लम, पाठनामथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, एरनकुलम, त्रिसूर, कोझीकोड, कन्नूर	8
कर्नाटक	उत्तरी बंगलौर, दक्षिणी बंगलौर, टुमकुर, चित्रदुर्गा, देवनगरी, शिमोगा, चिकमंगलूर, हासन, कोडागु, दक्षिण कन्नड़, उडुपि, उत्तर कन्नड	12
मध्य प्रदेश	सागर, होशंगाबाद, हरदा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, उज्जैन, नरसिंगपुर, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर	12
मणिपुर	चंदेल, तामेंगलांग, पश्चिमी इम्फाल, पूर्व इम्फाल, उखरूल, सेनापति, विश्नुपुर, थोबाल, चुराचन्दपुर	9
मेघालय	जैन्तिया पहाड़ी, पश्चिमी गारो पहाड़ी, दक्षिणी गारो पहाड़ी, पश्चिमी खासी पहाड़ी	4
मिजोरम	छिम्तुइपुई, एजौल, लुंगले, चम्पाई, कोलासिब, सरछिप, भमित और लोनगल्लै	8
नागालैंड	मोन, तुंसंग, थेक, कोहिमा, वोखा, जन्हेबोतो, कोकोक्चुंग दीमापुर	8
उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, जयपुर, झासुगुडा, केन्द्रपारा, खुर्द, नयागढ़, भदरक, कटक, देवगढ़, गंजाम, जगतसिंहपुर, पुरी, सुन्दरगढ़	14
पंजाब	भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मानसा, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अमृतसर	9
सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	1
तमिलनाडु	तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, कोयम्बटूर, नीलगिरि, तंजोर, नगापट्टिनम तिरूवसर, कन्याकुमारी, टूटीकोरीन, तिरुनेलवेरी, चेन्नई, तिरुधु नगर, इरोदे, दिन्दीगुल, करूर, मदुरई, नामक्कल, सलेम, शिवागंगे, थेनी त्रिमिची, वेल्लौर	22
त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा, धालाई	4
उत्तर प्रदेश	सहारनपुर, अलीगढ़, सीतापुर, औरैया, इटावा, गोरखपुर, इलाहाबाद, बाँदा, वाराणसी, संत रविदास नगर, चन्दौली, कौशम्बी, साहू जी महाराज नगर, महामाया नगर, कानपुर नगर, लखनऊ, पीलीभीत	17
उत्तरांचल	चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, यू.एस. नगर, पौडी	7
पश्चिम बंगाल	हुगली, दार्जिलिंग, नादिया, मिदनापुर, हावड़ा, बर्दवान और उत्तरी 24 परगना	7
दादर और नगर हवेली	दादरा	
पांडिचेरी	पांडिचेरी, कारेकल, महे, यानम	4
		225

अनुवाद]

पूर्वोत्तर में संघर्ष विराम

2494. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किए गए संघर्ष विराम की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) संघर्ष विराम समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) जी, हां। मणिपुर के संसद सदस्यों और विधायकों के फोरम के साथ 8.7.2001 को हुई बैठक में सरकार ने ''विदाऊट टेरीटोरियल लिमिट्स'' सहित एन एस सी एन (आई एम) के साथ हुए संघर्ष विराम की, इसकी समग्रता में, समीक्षा करने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री ने भी पूर्वोत्तर राज्यों के 6 मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल के साथ 27 जुलाई, 2001 को एक बैठक की। पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों और विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संगठनों/एसोसिएशनों के विचारों पर विचार करने के बाद सरकार ने 14 जून, 2001 के संघर्ष विराम से ''विदाऊट टेरीटोरियल लिमिट्स'' शब्दों को हटाने का निर्णय लिया है।

पुराने सचिवालय भवन को सौंपा जाना

2495. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सरकार को कार्यालयों और विधानांगों के संचालन हेतु आई टी ओ स्थित नए भवन सौंपे जाने के पश्चात् दिल्ली में पुराने सचिवालय भवन के पुनरोद्धार और उसे केन्द्र सरकार को सौंपे जाने के मुद्दे को दिल्ली सरकार के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने भवन को केन्द्र को सौंपे जाने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो पुराने सचिवालय भवन को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों के अपने नए परिसर में स्थानांतरण को देखते हुए दिल्ली सरकार को असेम्बली तथा सभापति व उप सभापति कार्यालय परिसरों को छोड़कर, अन्य कार्यालयों द्वारा पुराना सचिवालय भवन में पहले से धारित स्थानों को खाली करके सौंपने के लिए कहा गया है। पुराना सचिवालय भवन केन्द्र सरकार की संपत्ति है और इसे तत्काल ही संघ शासित प्रदेश दिल्ली को सामान्य पूल कार्यालय वास के रूप में तदर्थ आधार पर आबंटित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2496. **श्री जय प्रकाश:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वे जिले कौन-कौन से हैं जहां इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है:

बरेली, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बदायूँ, लखीमपुर, खीरी, पीलीभीत, बस्ती, महाराजगंज, मुरादाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, शाहजहाँपुर, देवरिया, हरदोई, फिरोजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, संतकबीर नगर, ज्योतिवाफूले नगर, श्रावस्ती, रामपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, हमीरपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, फरुखाबाद, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, एटा, बिजनौर, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, झाँसी, जालौन, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, आगरा, मथुरा, बदरोना, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, कन्नौज, महोबा और मैनपुरी।

(ग) जी हाँ। इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक छह माह में संयुक्त समीक्षा मिशन द्वारा की जाती है। संयुक्त समीक्षा मिशन द्वारा अप्रैल-मई 2001 में अंतिम बार इसकी समीक्षा की गई।

(घ) किए गए मुख्य कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं:

(1) 2381 स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। 4308 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण किया गया, 2356 स्कूलों को पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान की गई।

(2) कक्षा उत्तरी I से V के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई।

(3) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का तीसरा दौर और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण का पहला दौर शुरू किया गया है।

(4) सूक्ष्म योजना और सामुदायिक गतिशीलता जैसे कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोटाश का विकल्प

2497. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोटाश का विकल्प ढूंढे जाने हेतु देश में प्रयास/अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पोटाश लिमिटेड ने इस अनुसंधान कार्य हेतु 4.5 करोड़ रुपये का अंशदान किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या धन की अनुपलब्धता के कारण अनुसंधान कार्य प्रभावित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारत में पोटास समृद्ध घुलनशील खनिज और परतें नहीं हैं। अतः भारत में उपयोग किये जा रहे अधिकांश उर्वरक "के" (अर्थात् पोटाश) को आयात किया जाता है। संयंत्रों के लिए "के" स्रोत के रूप में फेल्डस्पार, माइका, ग्लोकोनाइट्स, इलिटिक शेल्स, फ्लाईऐश, स्कोइनाईट आदि जैसे "के" के कुछ स्वदेशी अघुलनशील स्रोतों का चित्रण और मूल्यांकन करने के प्रयास किए गए हैं। तथापि उन स्रोतों के वाणिज्यिक दोहन के लिए इन अध्ययनों से कोई व्यावहारिक सिफारिशें सामने नहीं आ सकी।

(ग) जी, नहीं। तथापि, आई पी एल ने भारतीय पोटाश अनुसंधान संस्थान को उन्नत बनाने हेतु 4.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास पर संसद सदस्यों की कार्यशाला

2498. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन पर संसद सदस्यों की किसी कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यशाला में दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों और कार्यान्वयन हेतु ावित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा):) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में 2 से जून, 2001 को "ग्रामीण औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और ीबी उपशमन नीतियां और मुद्दे" पर कार्यशाला आयोजित की ई थी। इसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के 32 संसद सदस्यों ने ाग लिया था।

(ग) सिफारिश के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिशों की जांच की जा ही है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में 2 से 4 जून, 2001 को 'ग्रामीण औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और गरीबी उपशमन नीति और मुद्दे" पर कार्यशाला की सिफारिशें

नाबार्ड की भूमिका

नाबार्ड को इसके अभियानों को जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर तक बढ़ाना है और नाबार्ड को नाबार्ड की योजनाओं के बारे में ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता लाने का कार्य करना है। नाबार्ड पर हाल ही आयकर लगाने से कृषि के लिए इसकी उधारियों का विस्तार करने के लिए आंतरिक करों को लगाने की शक्ति क्षीण हुई है। इस प्रकार ऐसा महसूस किया गया है कि नाबार्ड को इस कर भार से मुक्त रखा जाएगा। यह भी महसूस किया गया कि नाबार्ड को इसके निजी कार्यक्रमों के बारे में और भी अधिक प्रचार प्रसार स्थानीय भाषा में करना चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि नाबार्ड को प्रजातांत्रिक रूप से स्थापित ग्रामीण संस्थाओं को भागीदार बनाकर गांवों में ढांचागत परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्त पोषण पर विचार करना चाहिए।

सम्मेलन में महसूस किया गया कि नाबार्ड को प्रत्येक भारतीय गांव को यह जानने में समर्थ बनाने के लिए गांवों में जाना चाहिए कि कृषि गतिविधियों और ग्रामीण विकास को वित्त पोषित करने के लिए एक एजेंसी है। कुछ सदस्यों ने महसूस किया है कि नाबार्ड के पुनः वित्त पोषण और वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के द्वारा वित्त पोषित के बीच ब्याज दरों में अन्तर कम किया जाना है। कुछ सदस्यों के उल्लेख किया है कि नाबार्ड किसानों को सीधे ही इस दर पर उधार दे सकता है जिस पर वह पुनः वित्तपोषण के लिए वाणिज्यिक बैंकों से चार्ज करता है। लघु ग्रामीण उद्यमों का वित्तपोषण के बीआईसी के सहयोग से किया जाए। कुछ ने महसूस किया है कि यदि नाबार्ड के लिए गांवों तक पहुंचना असंभव है तो यह कम से कम ब्लाक स्तर तक तो पहुंच सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना

यह सुझाव दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक कार्यात्मक एवं वित्तीय शक्तियां सौंपी जाएं। नाबार्ड तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच अत्यधिक सम्पर्कता के लिए नाबार्ड के एक प्रतिनिधि को जिला परिषद के अधिकार में रखा जाए। गांवों के लिए सुनिश्चित वार्षिक योजना आबंटन को केरल माडल की प्रणाली में अपनाया जाए। पंचायती राज संस्थाओं में दफतरशाही प्रभुत्व के बजाए मामले का निपटारा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली में स्थायी समितियों की एक समान प्रणाली शामिल की जाए। पंचायती राज संस्थाओं, नाबार्ड तथा समुदाय आधारित अन्य संगठनों के बीच नियमित संबंध के लिए एक उचित प्रणाली विकसित की जाए।

क्षमता निर्माण तथा केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पी आर वाई को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए। लोगों को शुरू किये गये कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा विभिन्न योजनाओं के घटकों को जानने के लिए अवसर दिए जाए। शक्तियां बांटते समय पी आर वाई के विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच का मतभेद उभर कर सामने आता है जिसे उचित ढंग से शक्तियों और कार्यों की कतिपय सुपुर्दगी द्वारा कम किया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने महसूस किया है कि पी आर आई में स्तरों की संख्या को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए।

निगरानी

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की आयोजना तथा निगरानी में उचित मध्यस्थताएं आवश्यक हैं। यह महसूस किया गया है कि स्थानीय स्तरों पर सामुदायिक आधारित निगरानी प्रणालियों की आयोजना तथा इसे संवर्धन देने की आवश्यकता है।

माइक्रो वित्त

पर्याप्त तथा समय पर वित्त की व्यवस्था करके तथा स्थानीय एजेंसियों द्वारा उचित बाजारों हेतु सहायता से लघु उद्यमों के संवर्धन को उच्च वरीयता दी जाए। इस संबंध में स्व सहायता समूहों की भूमिका पर बल दिया गया है तथा बेहतर स्व सहायता समूहों को ग्रामीण विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों के अंतर्गत उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जाए। महिलाओं हेतु उपलब्ध अन्य योजनाओं को प्रतिरक्षण, शिशु पोषणाहार, प्राथमिक शिक्षा आदि जैसे स्व सहायता समूहों के अन्य आयामों के अंतर्गत लाया जाना है।

सहकारी ऋण

अधिकांश डी सी बी सही ढंग से काम नहीं कर रही है तथा बेकार हो गई है। किसानों को उनका ऋण प्रति एकड़ 500 रु. एक नगण्य राशि है तथा किसान इससे अपने उत्पादकता स्तर को सुधारने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। यह सुझाव दिया गया है कि नाबार्ड ऐसी बैठकों को मजबूत करने में मदद करें जैसे नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए मूल रूप से बनाया गया है।

ढांचागत सुविधा

बिजली, सड़क, संचार तथा विपणन जैसे कतिपय बुनियादी ढांचागत निवेश ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए विशेष ध्यान तथा पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए। स्वच्छता, सड़क सम्पर्क, स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छ पेयजल तथा शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान तथा बजटीय सहायता दी जानी चाहिए।

महिलाओं को अधिकार देना तथा विकास

ग्रामीण महिलाओं/स्व सहायता समूहों को काफी लाभ मिलेगा अगर प्रौद्योगिकी इक्यूनेटर कुल प्रमुख गांवों में शुरू किये जाते हैं। इसे गैर-सरकारी संगठन की मदद से किया जा सकता है जो महिला समूहों के लिए आवश्यक सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। ऐसे प्रौद्योगिकी इक्यूवेटर अनेक (कर्नाटक के महिला उद्यम संघ) के कैम्पस में भली भांति काम कर रहे हैं तथा इसका ग्रामीण महिलाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है जहां मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस पर भी चर्चा की गई है कि आयोजना के सभी स्तरों पर महिलाओं के अनुकूल बजट बनाया जाए ताकि महिलाओं के विकास के लिए अलग से कतिपय योजना प्रावधान मौजूद हो सकें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनपुट

आधुनिक तरीकों, प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी आधारित इनपुटों को अपनाने हेतु ग्रामीण गरीबों की समर्थता को बढ़ाने की जरूरत है। यह सुझाव दिया गया है कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में जल रिचार्ज परियोजनाओं को भी वित्त पोषित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए प्रौद्योगिकी सुविधा अपनाना अनिवार्य है। गैर-सरकारी संगठनों जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों तथा स्थानीय सरकारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए उचित तंत्र सृजित किया जाएं ताकि प्रौद्योगिकी का सही प्रवाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्षमता बढ़ाना सुनिश्चित हो सकें। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन आधार के उपयोग के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रबंध पैकेज बनाया जाए ताकि किसान, कारीगर, आदि अपने लाभ हेतु इसका उपयोग कर सके। इससे अपने आप ही स्थानीय क्षेत्रों की जरूरतों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी घटकों के विकेन्द्रीकरण में मदद मिलेगी। यह महसूस किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रभावी हस्तांतरण हेतु एक मिशन मोड अपनाया जाना चाहिए। विकसित प्रौद्योगिकियों तथा लोगों की उम्मीदों के बीच के बेमेल को कम करने के लिए किफायती स्वीकार्य तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जाए।

के वी आई सी की भूमिका

खादी तथा अन्य ग्राम उद्योग प्रतियोगी मूल्यों पर प्रतिस्पर्धा में टिके रहने तथा नए बाजारों को तलाशने में चिन्ता का विषय बना हुआ है। यह उल्लेख किया गया था कि एक व्यक्ति हेतु कपड़ा खादी अब एक महंगी वस्तु बन गई है। डिजाइनों को सुधारने तथा नयी विपणन प्रणालियों को ढूंढने की आवश्यकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी जैसे संस्थानों ने बाजार के अनुकूल डिजाइन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। यह उल्लेख किया गया था कि केवीआईसी ने इन दिशाओं में नए प्रयास शुरू किए हैं। सब्सिडी सिनड्रोम धीरे-धीरे आत्मनिर्भर लाभ वाले संस्थान बन गई है।

कृषि उत्पादकता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की किसी विविधता के लिए फार्म फ्रंट पर उत्पादकता सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कुछ ने महसूस किया है कि कृषि को आधुनिकता प्रदान किए बिना 21वीं सदी में लंबी छलांग लगाना संभव नहीं है। एक विशेष कृषि उत्पाद जो प्रत्येक राज्य में एक खास क्षेत्र में प्रमुख होता है को बढ़ाने और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किये जा सकते हैं। एक सम्भावना यह हो सकती है कि एक गांव को उत्पादन की इकाई माना जाए तथा

इसके विकास हेतु सभी संसाधनों को जुटाया जाए। इसका उद्देश्य निर्यात जोन उत्पादन की तरह ही विशेष कृषि जोन को बनाना है। यह एक आदर्श गांव की अवधारणा में फिट बैठता है जहां स्कूल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर सेंटर, हथकरघा सेंटर आदि जैसे महत्वपूर्ण घटक परिभाषित हैं तथा ऐसे अनेक गांव सही तरीके से आपस में जुड़े हुए होंगे। तथापि, कृषि उत्पादकता को सुधारने, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर निर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने, ढांचागत सुविधाओं को सुधारने आदि में सफलता की कुंजी हमारे देश के उन्नत संस्थागत को विकेन्द्रीकृत बनाने की समर्थता में निहित है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारा जा सकें।

बिहार को उर्वरकों की आपूर्ति

2499. **श्री राजो सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक, इंडियन पोटाश लिमिटेड, नेशनल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कृभको और साउदरन पेट्रो-केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बिहार को कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) एवं सदर्न पेट्रो-केमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (स्पिक) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान एवं 2001-2002 के दौरान 1.4.2001 से 30.6.2001 तक बिहार को आपूर्ति किए गए उर्वरकों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान आई.पी.एल., एन.एफ.एल., फैक्ट, कृभको, एवं स्पिक द्वारा बिहार को उर्वरकों को आपूर्ति

(मात्रा मी. टनों में)

आपूर्तिकर्ता का नाम	उत्पाद	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 (1.4.2001 से 30.6.2001)
आईपीएल	म्यूरेक ऑफ पोटाश	8740	21701	25984	5126
	यूरिया	7408	1301	शून्य	शून्य
	अमोनियम सल्फेट	शून्य	1729	3600	303
	डाई-अमोनियम फॉस्फेट	15944	5976	1744	शून्य
एनएफएल	यूरिया	150269	218823	231388	45213
	कैल्सियम. अमोनियम नाइट्रेट	5127	8332	5999	शून्य
फैक्ट	अमोनियम सल्फेट	शून्य	शून्य	4675	शून्य
कृभको	यूरिया	शून्य	29162	13772	6940
स्पिक	म्यूरेक ऑफ पोटाश	7003	10791	9093	शून्य
	डाई-अमोनियम फॉस्फेट	7983	5543	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम

2500. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार-कार्यक्रम का आरंभ करते हुए महिलाओं के कल्याण हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य विशेषकर महाराष्ट्र को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितना धन आबंटित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राज्य सरकारों से इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, राज्य सरकारों ने महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों हेतु उनके राज्यों में कार्यरत कुछ उपक्रमों तथा कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) इस प्रकार के प्रस्ताव 'महिला रोजगार कार्यक्रम' तथा 'प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहायता कार्यक्रम' के अंतर्गत सहायता-अनुदान हेतु प्राप्त हुए हैं।

'महिला रोजगार कार्यक्रम' के अंतर्गत, 3 माह से 1 वर्ष की अवधि वाले विभिन्न पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक व्यवसायों में महिला समूहों को शिक्षित किया जाता है।

'प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहायता कार्यक्रम' के अंतर्गत पारम्परिक व्यवसायों में निर्धन ग्रामीण महिलाओं के कौशलों का विकास किया जाता है तथा इसके पश्चात् इन्हें सहकारी समितियों में संगठित किया जाता है। इन समितियों को लाभकारी आर्थिक व्यवसायों में लगाने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक प्रबंधकीय तथा विपणन संबंधी समर्थन प्रदान किया जाता है।

इन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्मुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(घ) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राशि का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता। प्रस्तावों को उनके गुणावगुणों के आधार पर अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2000-2001 के दौरान 'महिला आर्थिक कार्यक्रम' (नोराड) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत परियोजनाओं, निर्मुक्त की गई राशि तथा लाभान्वित हुई महिलाओं की संख्या

राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख मे)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	91	42	1900	125.74
असम	10	8	450	17.17
दिल्ली	13	24	1550	468.69
गुजरात	18	5	170	56.37
हरियाणा	18	12	590	22.38
जम्मू व कश्मीर	11	11	810	34.04

1	2	3	4	5
कर्नाटक	9	3	3180	102.65
केरल	9	6	500	38.31
मध्य प्रदेश	71	30	1630	79.78
महाराष्ट्र	65	18	1010	48.62
मणिपुर	60	30	1885	33.52
नागालैण्ड	7	3	160	4
उड़ीसा	57	41	1650	54
पंजाब	12	6	1650	121
तमिलनाडु	24	2	110	4.23
उत्तर प्रदेश	84	78	3995	140.84
प. बंगाल	35	19	875	31.48
राजस्थान	12	6	340	11.09
त्रिपुरा	2	1	50	1.09
जोड़	608	345	22505	1395

विवरण II

वर्ष 2000-2001 के दौरान 'महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहायता कार्यक्रम' (स्टेप) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत परियोजनाओं, निर्मुक्त की गई राशि तथा लाभान्वित हुई महिलाओं की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नाम	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	निर्मुक्त की गई राशि (रु. लाखों में)	लाभान्वित महिलाएं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	37.38	600
2.	बिहार	1	20.73	625
3.	कर्नाटक	1	235.12	10000
4.	केरल*	–	4.82	–
5.	मध्य प्रदेश	1	93.54	5400
6.	महाराष्ट्र	1	106.35	9975
7.	मणिपुर	1	24.64	500

1	2	3	4	5
8.	नागालैण्ड	2	32.95	1250
9.	उड़ीसा*	–	245.04	–
10.	त्रिपुरा*	–	95.48	–
11	उत्तर प्रदेश	3	499.79	18800
12.	उत्तरांचल	1	40.43	5400
13.	निपसिड**	–	1.02	–
	कुल	12	1436.39	52550

*यह निर्मुक्त राशि दूसरी किस्त के लिए है। केरल को 1000 लाभार्थियों के लिए 4.82 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए, उड़ीसा को चार मामलों में दूसरी किस्त के रूप मे 21000 लाभार्थियो के लिए 245.04 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए तथा त्रिपुरा को 4200 लाभार्थियों के लिए 95.48 लाख रुपए दिए गए।

**निपसिड को स्टेप के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु 1.02 लाख रुपए दिए गए।

महासागर विकास हेतु अलग से एक आयोग

2501. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महासागर विकास हेतु अलग से एक आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) देश से लगे तीनों समुद्रों के खनिजीय और जैविक संसाधनों को और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने हेतु क्या नवीन कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रस्तावित आयोग के कब तक गठित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सरकार ने समुद्र संपदा के इष्टतम अन्वेषण को बढ़ावा देने, अपतट संसाधनों के विकास और दोहन तथा समुद्री संपदा के परिरक्षण के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य अभिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए महासागर संसाधन आयोग गठित करने की वांछनीयता की जांच करने का निर्णय लिया है।

ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

2502. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूकम्प प्रबंधन में यह प्रणाली किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) ने ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और भूकम्प आने तथा अन्य भूगतिकीय प्रक्रियाओं के कारण हुई भूपटलीय विकृति के अनुवीक्षण के लिए भूगणितीय अध्ययनों का विकास करने के लिए जुलाई 1997 में, महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की। विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की, कि एक व्यापक जी पी एस नेटवर्क, जिसमें स्थानीय जांचों के लिए स्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा क्षेत्र स्टेशन हों, की चरणों में स्थापना की जाए। पहले चरण में स्थायी स्टेशनों की स्थापना हेतु 21 स्थान पहचाने गए जिसमें से देहरादून, ईटानगर, हानले, अल्मोड़ा, लखनऊ, तिरुवनन्तपुरम, भुवनेश्वर,

पुणे तथा कोडाईकनाल पर 9 स्टेशनों की पहले ही स्थापना कर दी गई है। डी एस टी ने स्थानीय भूपटलीय विकृति का अध्ययन करने के लिए विभिन्न संगठनों में कुछ परियोजनाओं की भी सहायता की है।

(ग) भूकम्प के अध्ययनों के लिए जे पी एस मापन अत्यंत मूल्यवान हैं और भूपटलीय गतिविधियों को समझने तथा उच्चतर तन्यता वाले समुन्नत/निर्मुक्त क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। इस प्रकार के मापन भूकम्प की घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं जिससे कि बड़े पैमाने पर पूर्व तैयारी और प्रबंधन हो सकता है।

कोयला संसाधन

2503. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की विभिन्न नई कोयला खानों में प्रारंभिक खनन कार्यकलापों और अन्वेषण कार्य को आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्पादन शुरू करने वाली खानों का स्थानवार, खानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नए कोयला संसाधनों की खोज हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या निजी क्षेत्र को कोयला संसाधनों का पता लगाने और उनका उपयोग करने के लिए लाभांश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हाँ। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नई कोयला खानों का दोहन किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उन नयी खानों का ब्यौरा, जिनमें वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादन किया जायेगा, नीचे दिया गया है:

कम्पनी	कोलफील्ड्स	खान	खान का प्रकार	क्षमता (मि.ट. प्रति वर्ष)	लक्ष्य 2001-02 (मि.ट.)
ई.सी.एल.	रानीगंज	संकरपुर	यू.जी.	0.12	0.03
बी.सी.सी.एल.	झरिया	शताब्दी	ओ.सी.	1.15	0.50
	रानीगंज	दहीबारी/बसन्तिमा	ओ.सी.	1.20	0.36
सी.सी.एल.	वेस्ट बोकारो	टोपा	ओ.सी.	1.20	0.60
डब्ल्यू.सी.एल.	वेस्ट वैली	धुरवासा	ओ.सी.	0.55	0.10
एस.ई.सी.एल.	सी.आई.सी.	अमानन्द	ओ.सी.	1.15	0.05
	सी.आई.सी.	कंचन	ओ.सी.	0.32	0.10

(ग) नये कोयला संसाधनों को क्षेत्रीय तथा प्रोन्नत अन्वेषण के माध्यम से विनिर्दिष्ट तथा स्थापित किया जा रहा है जो कि निरन्तर कार्य कर रहे हैं। रानीगंज, पश्चिम बंगाल में बीरभूम, राजमहल, ईस्ट बोकारो, झारखण्ड में नार्थ तथा साउथ कर्णपुरा, मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में पेच-कन्हान, तावा घाटी, सोहागपुर, सोनाहाट, सिंगरौली, हसदेवरंड, कोरबा, माण्ड-रायगढ़ तथा तापानी रामकोला, महाराष्ट्र में वर्धा घाटी तथा कटोल, उड़ीसा में ईब नदी तथा तलचर और आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी में क्षेत्रीय तथा प्रोन्नत ड्रिलिंग किये जाने की अति कल्पना की गयी है।

(घ) और (ङ) कोई लाभांश नहीं दिया गया है, यद्यपि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत, विद्युत के ग्रहीत उत्पादन, लोहे तथा इस्पात के निर्माण और सीमेन्ट के उत्पादन हेतु निजी उद्यमियों को कोयला ब्लाकों का खनन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रयोजनार्थ निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को आवंटित किए जाने हेतु सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 122 कोयला ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार के कोयला खनन ब्लाकों का आवंटन अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता

में कोयला मंत्रालय में गठित जाँच समिति द्वारा किया जाता है। दिनांक 10.7.2001 की स्थिति के अनुसार गृहीत उपयोग हेतु 27 कोयला खनन ब्लॉकों का आवंटन किया जा चुका है।

आसूचना अभिकरणों का स्तरोन्नयन

2504. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मंत्रियों के समूह ने केन्द्रीय आसूचना अभिकरणों का स्तरोन्नयन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न केन्द्रीय आसूचना अभिकरण समय पर कार्यवाही कर पाने में बेअसर सिद्ध हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है और केन्द्रीय आसूचना अभिकरणों के स्तरोन्नयन से सुरक्षा इत्यादि से संबंधित समस्याओं का समय पर पता लगाने में किस हद तक मदद मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ, सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु अप्रैल, 2000 में स्थापित मंत्रियों के ग्रुप (जी ओ एम) ने देश में आसूचना ढांचे से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की है। मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में सिफारिशों का ब्यौरे देना लोकाहेत में नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा हत्या/अपहरण संबंधी मामलों का निष्पादन

2505. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हमलावरों/हत्यारों/अपहरणकर्ताओं की पहचान न हो पाने के आधार पर कितने मामलों को बंद किया गया है;

(ख) बाकी बचे ऐसे सभी मामलों की गंभीरता और सक्रियतापूर्वक जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिससे उचित परिणाम हासिल किये जा सके;

(ग) अस्पतालों में एम.एल.सी. मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को पुलिस थानों द्वारा कितनी अवधि के भीतर दर्ज किया जाता है; और

(घ) दिल्ली पुलिस की पी.सी.आर. वाहनों द्वारा सरकारी अस्पतालों में लाए गए एम.एल.सी. मामलों को दर्ज करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष	हत्याएं	हत्या की कोशिश	अपहरण
1998	208	55	269
1999	143	41	244
2000	59	39	117
2001 (30.6.2001 तक)	–	4	5

(ख) लम्बित मामलों की सफलतापूर्वक जांच के लिए उठाए गए कदमों में (1) अपराध स्थल की जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों, फिन्गर प्रिन्ट ब्यूरो और श्वासन दस्ते को शामिल करना; (2) अपराध को अपारधियों से जोड़ने के लिए जांच-पड़ताल के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग; (3) अपराध रिकार्ड को इकट्ठा करने, मिलाने और तुलना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना; (4) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल कार्य का नियमित प्रबोधन; (5) मामलों की शीघ्रता से जांच-पड़ताल; और (6) न्यायालय में लम्बित मामलों की प्रगति की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ जिलों में अलग प्रकोष्ठ की स्थापना करना शामिल है।

(ग) और (घ) यदि रिपोर्ट की विषय वस्तु में यह पाया जाता है कि संज्ञेय अपराध किया गया है तो मैडिको लीगल केसों में प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कर ली जाती है। जिन मामलों में संज्ञेय अपराध स्पष्ट नहीं होता है, उनमें चोट और प्रयोग किये गये हथियार के संबंध में डाक्टर का मत प्राप्त होने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। दिल्ली पुलिस की पी.सी.आर. वैनों द्वारा अस्पताल में लाए गए मामलों को दर्ज करने के लिए भी वही मानदण्ड अपनाए जाते हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा अत्याचार

2506. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार से संबंधित लंबित शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसके लंबित होने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे निम्न प्रकार से है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	सिद्ध शिकायतों की संख्या	उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गयी	लम्बित शिकायतें
1999	451	21	35	–
2000	489	27	50	19
2001 (30.6.2001 तक)	167	02	02	5

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1999 में हिरासत में मृत्यु के 2 मामले, वर्ष 2000 में 1 मामला और वर्ष 2001 (30.6.2001 तक) में 2 मामले हुए। कुल मिलाकर, 13 पुलिस कार्मिकों को इन मामलों में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए निलम्बित किया गया है।

(ग) कुछ शिकायतों की जांच, जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की गयी है उनकी शिनाख्त के अभाव में लम्बित पड़ी है। चूककर्ता अधिकारी की शिनाख्त तभी हो सकती है जबकि इन आम शिकायतों की विस्तृत जांच पूरी हो जाय।

[हिन्दी]

राजस्थान की लुनी नदी घाटी योजना

2507. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में भूसंसाधन के अंतर्गत लुनी नदी घाटी विकास योजना स्वीकृति हेतु काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव किस चरण पर लंबित है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) जी, हां। राजस्थान में लोअर लुनी बेसिन में भूमि संसाधनों के प्रस्तावित विकास के वित्तपोषण के लिए उपयुक्त दाता एजेन्सी का पता लगाने के लिए कार्रवाई करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

2508. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:**
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी की गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर दमन और दीव के संदर्भ में तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के प्रथम चरण में राज्य-वार क्या प्रगति की गई है;

(घ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में कोई बाधाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना का विरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) 2000-2001 के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत सभी 28 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2435 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई थी। राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार रिलीजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्यों से 220.15 करोड़ रुपये के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र में 35.31 लाख रु. की राशि का उपयोग किया गया। अधिकांश राज्यों में टेंडरों का काम पूरा हो गया है/पूरा हो रहा है तथा इसके बाद तत्काल ही काम शुरू किया जाएगा।

पी एम जी एस वाई, एक नया कार्यक्रम दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था तथा तेजी से गति पकड़ रहा है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

2000-2001 में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्य/संघ क्षेत्रवार रिलीजें दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	195.00
2.	बिहार	149.00
3.	छत्तीसगढ़	92.41
4.	गोआ	5.00
5.	गुजरात	59.81
6.	हरियाणा	25.18
7.	हिमाचल प्रदेश	60.00
8.	जम्मू व कश्मीर	20.00
9.	झारखंड	110.05
10.	कर्नाटक	100.57
11.	केरल	19.71
12.	मध्य प्रदेश	217.64
13.	महाराष्ट्र	130.21
14.	उड़ीसा	179.70
15.	पंजाब	24.66
16.	राजस्थान	140.09
17.	तमिलनाडु	99.25
18.	उत्तर प्रदेश	321.11
19.	उत्तरांचल	60.63
20.	पश्चिम बंगाल	135.00
21.	अंडमान व निकोबार समूह	10.59
22.	दादर व नागर हवेली	0
23.	दमन व दीव	5.00
24.	दिल्ली	0
25.	लक्षद्वीप	0
26.	पांडिचेरी	5.00
पूर्वोत्तर राज्य		
27.	अरुणाचल प्रदेश	40.95
28.	असम	75.00
29.	मणिपुर	40.00
30.	मेघालय	34.95
31.	मिजोरम	19.93
32.	नागालैंड	19.75
33.	सिक्किम	13.16
34.	त्रिपुरा	24.75
	कुल	2435.00

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में आई.एस.आई. की गतिविधियां

2509. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "राइजिंग आई.एस.आई. एक्टिविटिज इन यू.पी. पांज सेक्यूरिटी रिस्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में एस.आई.एम.आई. और आई.एस.आई. की गतिविधियां जोरों पर हैं और इनसे देश की सुरक्षा को खतरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) देश में, हाल ही में, आतंकवादी हिंसा के कई मामलों के संबंध में हुई गिरफ्तारियों से हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों के सिमी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ संबंधों का पता चला है.

कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि केन्द्र सरकार, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। मामले में कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व इस प्रकार के सुझावों की उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में, संबंधित राज्य सरकारों तथा एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके ध्यानपूर्वक जांच की जाती है।

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज योजना

2510. **श्रीमती कैलाशो देवी:**
श्री बिक्रम केशरी देव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काम के बदले अनाज योजना का विस्तार कुछ अन्य राज्यों में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह योजना पूर्णत: केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है;

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना के तहत राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है;

(ङ) आज तक राज्य-वार खाद्यान्नों की कितनी मात्रा निशुल्क आबंटित की गई है;

(च) क्या इस योजना के तहत खाद्यान्नों की शत-प्रतिशत खरीद हो रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 2000-01 में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरांचल अर्थात सूखे से प्रभावित राज्यों में ई.ए.एस. के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के जरिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम को एक सामान्य योजना बनाया गया तथा लागू किया गया ताकि बाढ़, चक्रवात तथा भूकम्प जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया जा सके। कार्यक्रम को पहले 30 जून, 2001 को समाप्त होना था किन्तु अब इसे 30 सितम्बर, 2001 तक बढ़ा दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त तथा मुफ्त खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा मुहैया कराती है ताकि प्रभावित राज्य जरूरतमंद ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने में सक्षम हो सके। इसे किसी अन्य राज्य में कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के बाद लागू किया जा सकता है जो उल्लिखित इन प्राकृतिक आपदाओं में से किसी से भी प्रभावित है।

(ङ) से (ज) इन राज्यों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित, उठाए गए खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 26.7.2001 तक 19.17 लाख टन से आबंटन की तुलना में लगभग 14.07 लाख

टन खाद्यान्न उठाए गए जो राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों को हाल ही में जारी किए 2.71 लाख टन सहित खाद्यान्नों के कुल आबंटन का 74% है जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी उठाया जाना है।

विवरण

2000-01 तथा 2001-02 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न तथा उठाए गए खाद्यान्न

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आबंटित खाद्यान्न (मात्रा मीट्रिक टन में) (2000-01 के दौरान)			आवंटित खाद्यान्न (मात्रा मीट्रिक टन में) (2000-01 के दौरान)				आज तक आवंटित कुल खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	खरीदा गया/उठाया गया खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)			
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	*धान	कुल	कालम 5+9	चावल	धान	गेहूं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	छत्तीसगढ	0	207000	207000	0	100000	298507	398507	605507	207000	298507	0	505507
2.	गुजरात	70000	20000	90000	46515	11590	0	581.05	148105	19185		69621	88806
3.	हिमाचल प्रदेश	–	11549	11549	0	0	0	0	11549	7286	0	0	7286
4.	मध्य प्रदेश	43000	20079	63079	115965	34035	0	150000	213079	39095		12846	162941
5.	महाराष्ट्र	8000	2000	10000	32000	8000	0	40000	50000	5110	0	14368	19478
6.	उड़ीसा	20000	80000	100000	0	50000	0	50000	150000	131815	0	14617	146432
7.	राजस्थान	118145	0	118145	621360	0	0	621360	739505	0	0	477441	477441
	कुल	259145	340628	599773	815840	203625	298507	1317972	1917745	409491	298507	699893	1407891

*राज्य सरकार के आग्रह पर छत्तीसगढ़ राज्य को 2,00,000 टन चावल के बदले 298507 टन धान आवंटित किया गया था।

[अनुवाद]

दोषसिद्धि की दर

2511. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा हाल में किए गए अध्ययन से देश में अपराध संबंधी न्याय प्रणाली पर अभ्यारोपण करते हुए निराशाजनक दोषसिद्धि दर का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख बातें क्या है;

(ग) इस स्थिति के लिए किन कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में किन-किन उपायों पर विचार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक अपराध विवरणियों के आधार पर अपराधों की सूचना एकत्रित, संकलित करता है और ''क्राइम इन इंडिया'' शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस वार्षिक रिपोर्ट में आपराधिक न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों के आंकड़े भी दिए जाते हैं। वर्ष 1995 से 1999 तक भारतीय दंड संहिता अपराध की राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार दोषसिद्धि दर बताते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार का यह मत है कि आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार के लिए आपराधिक न्यायालयों में अत्यधिक

लम्बित मामलों को निपटाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए आगामी पांच वर्षों में 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। जांच-पड़ताल के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत के विधि आयोग ने ''जांच-पड़ताल'' को ''कानून और व्यवस्था'' और अन्य विविध ड्यूटियों से अलग करने की सिफारिश की है। आयोग ने सिफारिश की है कि प्रभावशाली जांच-पड़तालों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की एजेंसी में अधिकारियों के पदानुक्रम को पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभियोजन के स्तर को सुधारने के लिए, 9 मई, 1994 को राज्य सभा में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 पेश किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार को अभियोजन निदेशालय स्थापित करने की शक्ति देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में नई धारा 25 ए शामिल करने का प्रस्ताव है। अभियोजन निदेशालय राज्यों में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

बहुत से मामलों में विचारण के दौरान गवाह अपने बयान से मुकर भी जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए विधि आयोग ने आगे और धारा 164(1) (ए) को जोड़ने की सिफारिश की है जिसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाता है:

> ''प्रत्येक जांच अधिकारी जांच-पड़ताल के दौरान तभी तात्विक साक्षियों को नजदीकी मजिस्ट्रेट को भेजेगा और मजिस्ट्रेट, शपथ पर उनके बयान दर्ज करेगा, यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर मामले को संज्ञान में लेने की शक्ति प्राप्त है, तो वह इस प्रकार के बयानों को, उसे प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ अपने पास रखेगा और धारा 173 के तहत आगे पुलिस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगा। यदि वह संज्ञान में लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है तो वह शपथ पर रिकार्ड किए गए इस प्रकार के बयानों को मामले को संज्ञान में लेने के लिए प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को भेजेगा।''

इन सिफारिशों की राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर जांच की जा रही है और इसलिए इस मामले में समय-सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

1995 से 1999 के दौरान भारतीय दंड संहिता अपराध मामलों की दोषसिद्धि प्रतिशतता

(राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	35.4	33.6	37.3	37.4	35.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.1	52.1	46.6	31.7	45.6
3.	असम	27.6	22.4	22.6	23.9	28.9
4.	बिहार	25.4	28.6	26.2	20.5	19.1
5.	गोवा	36.3	21.1	23.9	18.9	21.3
6.	गुजरात	40.7	35.9	35.0	24.0	33.0
7.	हरियाणा	46.9	43.7	37.0	29.1	30.0
8.	हिमाचल प्रदेश	27.0	32.9	29.1	32.1	28.0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	42.8	39.0	36.0	41.7	41.4
10.	कर्नाटक	30.1	19.0	15.8	20.8	27.9
11.	केरल	25.2	28.7	32.5	41.1	38.2

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	50.4	50.9	47.0	48.3	47.2
13.	महाराष्ट्र	32.9	18.8	18.1	16.3	15.7
14.	मणिपुर	आंकड़े उपलब्ध नहीं	15.4	उपलब्ध नहीं	11.1	27.3
15.	मेघालय	55.9	63.5	56.5	47.4	43.1
16.	मिजोरम	94.4	85.9	93.9	92.9	93.6
17.	नागालैंड	68.0	77.4	82.8	64.8	90.3
18.	उड़ीसा	13.4	14.5	11.8	13.5	15.0
19.	पंजाब	37.7	44.0	37.0	38.1	40.4
20.	राजस्थान	52.5	48.9	50.8	50.5	51.2
21.	सिक्किम	74.3	72.7	73.1	66.8	62.1
22.	तमिलनाडु	68.3	63.6	64.0	64.3	65.4
23.	त्रिपुरा	9.1	18.3	10.1	4.0	23.2
24.	उत्तर प्रदेश	49.5	50.7	51.4	52.2	50.4
25.	पश्चिम बंगाल	20.3	15.2	21.9	16.8	16.3
	कुल (राज्य)	41.9	37.8	38.1	37.3	39.9
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	56.0	26.3	64.7	67.1	28.8
27.	चंडीगढ़	49.0	53.2	61.1	59.9	57.6
28.	दादर एवं नगर हवेली	14.9	25.7	27.3	28.7	30.2
29.	दमन एवं द्वीव	30.8	14.3	19.8	25.2	25.9
30.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	47.5	32.5	38.0	37.4	32.4
31.	लक्षद्वीप	50.0	50.0	33.3	38.5	14.3
32.	पांडिचेरी	78.6	90.4	92.6	68.9	86.0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	48.2	39.6	46.2	39.4	35.3
	कुल (अखिल भारत)	42.1	37.8	38.2	37.4	39.6

स्रोत: भारत में अपराध

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी/भुखमरी

2512. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और भुखमरी के मद्देनजर गरीबी उपशमन कार्यक्रम प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन जिलों में ऐसा अध्ययन कराया गया है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन लोगों की जीवनदशा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कुछेक चुनिंदा जिलों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन करवाया गया है।

(ख) और (ग) 1998-99 के दौरान, 9 राज्यों के 12 जिलों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन करवाया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। उन राज्यों तथा जिलों के नाम, जहां अध्ययन करवाया गया था, निम्नानुसार है:

राज्य	जिले
बिहार	सीतामढ़ी, छपरा, जहानाबाद और दुमका
केरल	इडुक्की
पंजाब	जालंधर
महाराष्ट्र	औरंगाबाद
राजस्थान	जैसलमेर
कर्नाटक	मैसूर
उत्तर प्रदेश	गोंडा
मणिपुर	सेनापति
मेघालय	तूरा

अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्षों से यह पता चलता है कि कई समस्याओं के बावजूद, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों ने निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ा है। सभी स्टेकहोल्डरों ने यह जानकारी दी थी कि विशेष रूप से सड़क, जल स्रोत, विद्यालय जैसे आवश्यक भवन इत्यादि जैसी सामुदयिक परिसंपत्तियों के सृजन के कारण थोड़ा-थोड़ा करके ही सभी गांवों में काफी प्रगति हुई है। आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य तथा अन्य पारिवारिक खर्चों में वृद्धि की भी रिपोर्टें मिली थी। कई मामलों में, अतिरिक्त आय को बच्चों की शिक्षा में इस्तेमाल किया गया था। परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए सहायता पाने वाले अधिकांश लोग योजनाओं से संभावित आय प्राप्त कर रहे थे। गांवों में लक्षित समूह सामान्यत: बेहतर ढंग से जीवन यापन कर रहे थे जिससे यह पता चलता है कि विगत में ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में इन कार्यक्रमों का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

(घ) सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, वाटरशेड विकास और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जैसे प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया है। ताकि ग्रामीण गरीबों पर बेहतर ध्यान किया जा सके और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र

2513. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली के कार्यकलापों का भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से वित्तपोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र को वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या इन निधियों का अंकेक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो उक्त निधियों के दुरुपयोग यदि कोई हों, को रोकने हेतु वर्तमान साधन क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, (आई सी जी ई बी) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक स्वायत्त केन्द्र है जिसे विदेश मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा भारत में अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठनों की तरह सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत सरकार एवं आई.सी.जी.ई.बी. के बीच एक मुख्यालय करार भी है जिसके तहत नई दिल्ली में केन्द्र की सीट से संबंधित विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग एक नोडल अभिकरण है जो केन्द्र को मेजबान देश के योगदान एवं सरकार के साथ अन्य संपर्कों के लिए जिम्मेवार है।

(ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार द्वारा आई.सी.जी.ई.बी. जिसके नई दिल्ली और ट्रिस्टी, इटली में दो घटक हैं को पिछले तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई निधि निम्न प्रकार से हैं:

(लाख रुपए में)

वर्ष	मेजबान देश का अंशदान	परियोजना सहायता (केवल विशेष अनुबंध के अंतर्गत)	कुल
1998-1999	500	5.48	505.48
1999-2000	500	3.91	503.91
	*119	–	119.00
2000-2001	500	–	500.00

*मुख्यालय समझौते के अनुसार पी 3 सुविधा और वातानुकूलन के लिए एक मुश्त अनुदान।

(ग) से (ङ) जी हां। आई.सी.जी.ई.बी. की निधियों की बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा आवधिक रूप से चयनित सक्षम सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से लेखा परीक्षित किए जाते हैं जो चयनित लेखा परीक्षा प्राधिकरण है।

सबको प्राथमिक शिक्षा

2514. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्री राम प्रसाद सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस आयोग के विचारार्थ विषय तथा वित्तीय शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने 2.1.2001 के संकल्प द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन-मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वतंत्र और स्वायत्त स्कंध होगा जिसे अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा से संबद्ध सभी मालमों के लिए एक नोडल निकाय होगा। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की एक शासी परिषद और एक कार्यकारी समिति होगी। शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे:

(1) भारत के प्रधानमंत्री-अध्यक्ष

(2) मानव संसाधन विकास मंत्री-उपाध्यक्ष

(3) वित्त मंत्री-भारत सरकार

(4) उपाध्यक्ष-योजना आयोग

(5) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(6) प्रमुख राष्ट्रीय दलों के छह वरिष्ठ स्तरीय नेता

(7) तीन संसद सदस्य (लोक सभा से दो, राज्य सभा से एक)

(8) छह राज्यों के प्रारंभिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी शिक्षा मंत्री

(9) शिक्षकों तथा शिक्षक संघों के छह प्रतिनिधि

(10) शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में से पांच व्यक्ति

(11) शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से छह व्यक्ति

(12) महिला संगठनों से तीन व्यक्ति

(13) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तीन व्यक्ति

निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:-

(1) सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

(2) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

(3) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

(4) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

(5) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(6) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(7) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन, सदस्य सचिव

सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की एक कार्यकारी समिति ोगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) मानव संसाधन विकास मंत्री-अध्यक्ष

(2) सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग-उपाध्यक्ष

(3) निदेशक, रा.शै.अ.प. परिषद्

(4) निदेशक, नीपा

(5) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(6) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

(7) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

(8) वित्तीय सलाहकर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(9) प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग

(10) सात गैर सरकारी अधिकारी, जिसमें शिक्षक, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए शिक्षाविद् शामिल होंगे।

(11) राज्यों के चार शिक्षा सचिव

(12) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन-सदस्य सचिव

यह परिषद भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए शीर्षस्थ नीति निर्धारक निकाय होगी। संसद द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान की सीमा में परिषद को उसकी उपयोगिता के लिए पूर्ण स्वायत्ता होगी।

राज्यपालों के नियंत्रण में सरकारी मशीनरी

2515. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र रिपोर्ट देने के लिए राज्यपालों/उपराज्यपालों को कोई स्वतंत्र मशीनरी उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यपालों/उपराज्यपालों को किसी तरह की रिपोर्ट देने के लिए राज्य मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) यह सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्यों की सरकारें भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार चलायी जाएं। राष्ट्रपति के आंख और कान के रूप में प्रत्येक राज्यपाल/उपराज्यपाल, राज्य प्रशासन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपने विवेक और सूचना के सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग करते हुए स्थिति के बारे में अपने आंकलन, के साथ केन्द्र सरकार को सावधिक रिपोर्टें भेजते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

2516. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में आयोजित स्थायी समिति की बैठकों में यह स्वीकार किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रत्येक प्रकोष्ठ में प्रकाश में आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इन मामलों में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार को खत्म करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को पुनर्गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को पुनर्गठित किए जाने की योजना के कब तक पूरा होने और कार्यान्वित होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) अनधिकृत निर्माणों और स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार के बीच मिलीभगत का मामला स्थायी समिति की हाल ही में हुई बैठक में दिया गया था। सरकार निवारक तथा पस्पिालन उपायों, दोनों, के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की जरूरत और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की जरूरत पर जोर देती रही है।

डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आर्थिक अपराध विंग, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस और ए.सी.बी., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 31 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इस अवधि के दौरान 285 अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न विभागीय त्रुटियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 148 अधिकारियों पर बड़ी शास्ति (मेजर पैनल्टी) और 228 अधिकारियों पर छोटी शास्ति (माईनर पैनल्टी) लगायी गयी।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रशासनिक पुनर्संरचना पर विचार किया जा रहा है ताकि प्राधिकरण को ज्यादा परिणाम मूलक बनाया जा सके।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा पंचायती राज लागू करना

2517. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने संसद द्वारा यथा पारित और संशोधित पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर पंचायती राज का ढांचा तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है; और

(ङ) ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर राज्य, नव सृजित छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा सभी राज्यों ने संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुरूप राज्य पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास समितियां बनाई हैं जबकि हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास समितियां (वी डी सीज) बनाई हैं जो ग्राम पंचायतों के समानांतर निकाय प्रतीत होते हैं। केन्द्र इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश तथा हरियाणा की राज्य सरकारों के साथ पत्राचार कर रही है।

(ङ) 11 जुलाई, 2001 को नई दिल्ली में सम्पन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया गया है कि अगर किसी समांतर निकाय का गठन करना पड़ा है तो वे पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

[अनुवाद]

बच्चों के लिए डे-केयर केन्द्र

2518. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार दिन में बच्चों की देखभाल करने वाले कितने केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे केन्द्रों की आदर्श संख्या पर कोई सर्वेक्षण किया गया है जो कि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने में प्रभावी सिद्ध हो सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का सम्पूर्ण देश में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में इस वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्तमान में, सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे दिवस देखभाल केन्द्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिशु गृहों की संख्या
1	2	3
.	आंध्र प्रदेश	1814
.	अरुणाचल प्रदेश	106
.	असम	280
.	बिहार (झारखण्ड सहित)	303
.	दिल्ली	239
.	गोवा	39
7.	गुजरात	922
8.	हरियाणा	540
9.	हिमाचल प्रदेश	542
10.	जम्मू व कश्मीर	153
11.	कर्नाटक	715
12.	केरल	663
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	1473
14.	महाराष्ट्र	1441
15.	मणिपुर	269
16.	मेघालय	179
17.	मिजोरम	151
18.	नागालैंड	49
19.	उड़ीसा	819
20.	पंजाब	181
21.	राजस्थान	424
22.	सिक्किम	134
23.	तमिलनाडु	1176
24.	त्रिपुरा	174
25.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	1029
26.	पश्चिम बंगाल	829
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	92
28.	चण्डीगढ़	42
29.	दादर एवं नगर हवेली	13
30.	दमन एवं दीव	4
31.	लक्षद्वीप	14
32.	पांडिचेरी	116
	कुल	14,925

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3893/2001]

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 की धारा 7क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248(अ) जो 9 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुई थी तथा जिसमें 29 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3894/2001]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2001 का संख्या 7)-थल सेना और आयुध निर्माणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3895/2001]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2001 की संख्या 8)-वायु सेना और नौसेना।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3896/2001]

(तीन) भारत के नियंत्रक-लेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2001 की संख्या 10) (अप्रत्यक्ष कर-सीमा-शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3897/2001]

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1999-2000 के विनियोग लेखाओं—संघ सरकार, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3898/2001]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (इक्विटी पूंजी) संशोधन विनियम, 2001 जो 18 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 370(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3899/2001]

(2) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3900/2001]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): मैं कर्नाटक एंटीवायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमि. तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3901/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित मोहरयान (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुकरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय रेल कंपनी (निरसन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपी बैठक में पारित रेल कंपनी (सिविल कार्रवाइयों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) निरसन विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(5) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(6) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 6 गस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(7) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) निरसन विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त 2001 को अपनी बैठक में यथापारित निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं:

1. मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2001
2. भारतीय रेल कंपनी (निरसन) विधेयक, 2001
3. रेल कंपनी (सिविल कार्रवाईयों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) निरसन विधेयक, 2001
4. प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2001
5. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2001
6. पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन (निरसन) विधेयक, 2001

अपराह्न 12.03 बजे

गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति

उनासीवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2000 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का उनासीवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

[अनुवाद]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2000 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखती हूँ।

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखर वार्ता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 11 पर चर्चा करेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मामला उठाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए, तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बात सुनने के बाद अपना भाषण प्रारंभ करें।

अध्यक्ष महोदय: सिंधिया जी, प्रधान मंत्री जी के उत्तर के बाद।

श्री माधवराव सिंधिया: नहीं, अध्यक्ष महोदय, उनके उत्तर से पूर्व ही इस मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कल शाम को मैं उपस्थित नहीं था। मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि पार्लियामेंट में वाद-विवाद का स्तर सदैव बरकरार रहे और उसका स्तर कभी नीचे न गिरे।

कल सम्माननीय विदेश मंत्री महोदय ने अपने भाषण में, मेरे भाषण, मेरे प्रस्तुतीकरण पर कोई टिप्पणी की, जिस पर मुझे कुछ आपत्ति है। आज के इंडियन एक्सप्रैस में लिखा है कि-

[अनुवाद]

जसवंत सिंह ने माधवराव सिंधिया की बात पर आपत्ति जतायी जिन्होंने वाद-विवाद के दौरान विदेश मंत्री के द्वारा कश्मीरी आतंकवादियों को अनुरक्षण करते हुए कंधार जाने के दृश्य को अपमानजनक बताया।

[हिन्दी]

उन्होंने मुझे बहुत बड़ी गाली दे दी।"

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उन्होंने मेरे बैकग्राउंड पर भी कुछ टिप्पणी की। मैंने जो अपने भाषण में कहा, वह मैंने व्यक्तिगत रूप से जसवन्त सिंह जी के विरुद्ध नहीं कहा। मैं तो आनरेबल फारेन एफेयर्स मिनिस्टर की बात कह रहा था।

जहां तक आज का सवाल है, मापदंड आम मतदाता है, आम जनता है और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे नौ बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और मुझे राज्य सभा के माध्यम से पार्लियामैंट में प्रवेश नहीं करना पड़ता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखकर पता करूंगा कि यह उसमें सम्मिलित है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: मैंने भाषण में जो कहा, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ *...(व्यवधान)* मैंने अपने भाषण में यह कहा था:

[अनुवाद]

"यद्यपि सरकार ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की, आपने हमारे माननीय विदेश मंत्री को आतंकवादियों को अनुरक्षण कर ले जाने तथा उन्हें स्वतंत्र करने के लिए कंधार भेजा। यह कितना अभूतपूर्व दृश्य था। हमने अविश्वास से अपना सिर झुका लिया और फिर माननीय विदेश मंत्री ने तालिबान की प्रशंसा की।"

[हिन्दी]

आपने जो गाली का शब्द इस्तेमाल किया, मेरी इंटैन्शन कभी नहीं थी कि मैं कोई गाली दूं। गाली शब्द कभी पार्लियामैंट में इस्तेमाल हो, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय विदेश मंत्री के सामने यही प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मुझे बड़ा खेद है कि इस शब्द का इस्तेमाल मेरे भाषण पर टिप्पणी करते समय किया गया। मेरी कभी इंटैन्शन नहीं रही है, भविष्य में भी कभी नहीं रहेगी कि किसी भी माननीय व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से कोई गाली दूं। यह शब्द मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा और इस तरह की बातें भी नहीं निकलेंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप रिकार्ड देख लें और अगर यह शब्द रिकार्ड में होगा तो

[अनुवाद]

कृपया इसे हटा दें। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। यह भाषण के वास्तविक पाठ को देखे बिना उप-नेता के ऊपर आरोप लगाने का कोई तरीका नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे कार्यवाही-वृत्तांत देखने दें।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): मैं मंत्री हूँ पर मैं इस सभा का सदस्य नहीं हूं। मैं इस मुद्दे से अपने आपको जोड़ नहीं रहा हूं पर मुझे एक अनुरोध करना है। माननीय सदस्य ने राज्य सभा का उल्लेख किया है। राज्य सभा का गठन भारत के संविधान द्वारा किया गया है; कई पूर्व प्रधानमंत्री भी राज्य सभा से निर्वाचित हुए हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे हमारी भावनाओं को भी समझें।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं अपनी वह टिप्पणी वापस लेता हूँ *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय विदेश मंत्री को अपने कहे के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कार्यवाही-वृत्तांत देखने दें और यह पता करने दें कि यह शब्द उसमें है या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें देखना होगा कि कार्यवाही-वृत्तांत में क्या है। कृपया इस बात को समझें।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, उन्होंने 'गाली' शब्द का प्रयोग किया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं कार्यवाही-वृत्तांत को नहीं देख लूं। मैं इस बारे में कुछ कैसे कह सकता हूँ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: इससे साबित होता है कि अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की शालीनता उनमें नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में अब कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर की हालत पर पहले बहस होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को रिप्लाई के बाद, जीरो आवर में उठा सकते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या लगभग तीस थी। जो सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे, वे भी चर्चा में रुचि रखते थे और जहां थे, वहीं से चर्चा को देखने का प्रयास कर रहे थे, सुनने का प्रयास कर रहे थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, चर्चा का आरम्भ श्री माधव राव सिंधिया ने किया। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह गलत है। एक अखबार ने छाप दिया, आप उसी को पढ़ते हैं। सारे अखबार पढ़ते तो पता चल जाता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरा मतलब है कि कांग्रेस की ओर से चर्चा शुरू की। वैसे मुलायम सिंह जी ने चर्चा का आरम्भ किया था और कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं, लेकिन मैं माधवराव जी के भाषण से शुरू करना चाहता हूं, इसलिए कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोले। उनका पहला पैरा, पहला परिच्छेद मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "आगरा शिखर वार्ता ने पूरे देश को भ्रम में डाल दिया। यह और भी तकलीफदेह है कि यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री, सरकार तथा माननीय विदेश मंत्री भी भ्रम में दिखे। वे इस दुविधा को दूर नहीं कर पाए कि यह शिखर वार्ता सफल रही या असफल रही।"

[हिन्दी]

उनके अनुसार सभी असमंजस में हैं, सारा देश भ्रम में है और वे स्वयं भ्रम में हैं, इसका भी उन्होंने परिचय दिया। उस वार्ता के संबंध में मतभेद हो सकते हैं। जिस उद्देश्य से वार्ता आयोजित की गई थी, वह कहां तक प्राप्त हुआ, लेकिन यह कहना कि सारा देश असमंजस में है, सरकार भ्रम में है, यह ठीक नहीं है। यह देश के साथ और सदन के साथ न्याय करना नहीं है। जिन परिस्थितियों में वार्ता हुई, उनसे सभी परिचित हैं।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यह प्रश्न उठाया गया है कि आपने तैयारी नहीं की थी। इससे पहले लाहौर में एक वार्ता हुई थी, वह वार्ता हमारे दोनों देशों के संबंध में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उस वार्ता के बाद कारगिल में क्या हुआ, यह एक अलग परिच्छेद है। हम दोनों को जोड़ें, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब लाहौर घोषणा की बात सारी दुनिया कहती है, हम भी उसका उल्लेख करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों की जो कड़ी है, उसमें लाहौर वार्ता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उस वार्ता के बाद में जो अंतिम घोषणा की गई थी, उसमें आतंकवाद की निन्दा की गई थी। किसी भी प्रकार का आतंकवाद, किसी भी रूप में चलने वाला आतंकवाद, यह आलोचना का विषय था, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि उस समय भी छुटपुट घटनाएं हो रही थीं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसने सारी तस्वीर बदल दी है। हम पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सके कि अक्रास दि बोर्डर टैरेरिज्म का उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर उसे स्वतंत्रता की लड़ाई की संज्ञा दे दी। यह हमारे लिए सर्वथा अप्रत्याशित था और उसी समय से वार्ता का वातावरण बिगड़ा।

बार-बार उनसे कहा गया है कि आतंकवाद से समस्याएं हल नहीं होंगी। आतंकवाद दोहरा हथियार है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो आतंकवाद से प्रेरित हैं। जो वहां की सरकार के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। यहां तक कि जनरल मुशर्रफ को कहना पड़ा कि अगर मेरा बस चले तो इस तरह के आतंकवाद को मैं गोली से मार दूं। आतंकवाद उनके लिए भी समस्या बन रहा है। इसलिए आतंकवाद को किसी रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। आतंकवाद न तो आजादी की लड़ाई है और न उसे जेहाद कहा जा सकता है, लेकिन कठिनाई यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है। कभी मित्रता का वातावरण बनता है, कभी युद्ध होता है, कभी युद्ध विराम होता है। यह सिलसिला पिछले 50 साल से चल रहा है। लेकिन हमारी नीति रही है कि हम पड़ौसियों के साथ अपने संबंध सुधारें, कमजोरी से नहीं।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के जो पत्रकार आये थे, उनमें से कुछ यह कहते सुने गए कि कश्मीर की घाटी हमारी झोली में पके हुए फल की तरह से गिरने वाली है। हिन्दुस्तान की फौज थक गई है। हिन्दुस्ता परेशान हो गया है और इसलिए अब कश्मीर में हिन्दुस्तान अपने हितों की रक्षा के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करेगा। किस प्रकार यह भ्रम पैदा हुआ, किस तरह से ये खबरें फैलीं। प्रतिनिधिमंडल आते-जाते रहते हैं। कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय हैं। लेकिन इस तरह के प्रचार ने हो सकता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी प्रभावित किया हो। अब किसी के मन में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, भारत सशक्त है, उसकी सेनाएं किसी भी आक्रमण का और किसी भी आंतरिक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गलत समझा है। अगर इसके आधार पर उन्होंने अपनी नीति बनाई, रणनीति बनाई, तो इसमें विफल होना बिल्कुल निश्चित था। हम कभी आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर को तो हम अटूट अंग कहते हैं। मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा कि आपके लिए जम्मू कश्मीर जमीन का टुकड़ा हो सकता है। जम्मू तो वे मुश्किल से कहते थे, लद्दाख छोड़ देते थे, कश्मीर पर ध्यान केन्द्रित कर रहे थे और कहते थे कि कश्मीर का जब तक हल नहीं होगा, तब तक हमारे संबंध सुधरेंगे नहीं। कश्मीर पर भारत हमेशा से बातचीत करने के लिए तैयार रहा है।

'शिमला समझौते' में भी हमने माना था कि जम्मू-कश्मीर के ऊपर आगे बातचीत होगी। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और शिखर सम्मेलन में भी कश्मीर के साथ जम्मू-कश्मीर के सवाल को लेकर काफी बातचीत हुई मगर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को हमने कहा कि अगर आप जम्मू-कश्मीर पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं तो फिर जम्मू-कश्मीर के सारे इतिहास को देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपने आक्रमण किया था, किस तरह से जम्मू-कश्मीर की जनता को अपनी इच्छा के अनुसार भारत से मिलने से रोका था, किस तरह से कबाइलियों ने हमला किया। पाकिस्तान जब जम्मू-कश्मीर की बात करता है तो हथियारों की सोचता है और मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। मैं सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर उस समय कबाईली हमला नहीं करते तो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास आज है, वह भी न होता। वार्ता का आधार कहां था? इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए मैंने उनसे बार-बार कहा कि आइए और उन विषयों को लेकर संबंध सुधारें।

हमने उन्हें एजेंडा दिया। दो बार हमने एजेंडा दिया, कांफीडेंस बिल्डिंग मैजर्स का ऐलान किया जो एकतरफा था। हमने कहा कि हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप केवल कश्मीर की रट मत लगाइए। कश्मीर पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का मामला उलझा हुआ है। आपके लिए कश्मीर जमीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए कश्मीर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। किस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यह आजादी की लड़ाई नहीं है, यह आतंकवाद का नग्न प्रदर्शन है और इसके चलते, स्थिति में परिवर्तन होना मुश्किल है। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान अपने रवैये पर पुनर्विचार करेगा। मुझे विश्वास है कि वह अपना दृष्टिकोण बदलेगा। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। मेरे लिए पड़ौसी देशों के साथ मित्रता

एक संकल्प का विषय है। 1977 में जब मैं विदेश मंत्री बना था तब भी मैंने प्रयास किया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, लोगों के आने-जाने में आसानी हो, वीजा और पासपोर्ट के नियम सरल किये जायें लेकिन बाद में हिंसा का रास्ता पकड़ा गया। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी इस बात को अनुभव किया है और उन्होंने लिखा है: आयाज अमीर 'डॉन' से संबंधित हैं। उनके लेख का एक अंश मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> ''यह पूर्ण सत्य है कि जेहाद एक शब्द जिसका यहां बहुत हल्के तौर पर उपयोग किया जा रहा है का कश्मीर में कोई भविष्य नहीं है। वहां पर बहाए गए खून और की गयी कुर्बानियों को देखते हुए यह कहना कटु कथन है पर दुर्भाग्य से यह सही है। विद्रोह को जारी रखने से भारत में रक्त बह सकता है जैसाकि इसने पहले भी दशकों से इस काम को विश्वसनीय परिणामों के साथ किया है। भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है और घाटी को अव्यवस्थित कर रखा है। पर यह राज्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकता। इतना पिछले 53 वर्षों के इतिहास से स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो पकिस्तानी सेना पूर्ण युद्ध से प्राप्त नहीं कर सकी, उसे जेहादी मारो और भागो की रणनीति से प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते।''

[हिन्दी]

यह पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है। पाकिस्तान, काश्मीर को प्रारम्भ से ही शस्त्रों से लेने का प्रयास करता रहा है। अब उसने देखा कि सेना के बल पर कश्मीर को पाना संभव नहीं है, तो उसने प्रौक्सी-वार का तरीका अपनाया है। आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। देश के भीतर उपद्रव हों, इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये तरीके पाकिस्तान के रास्ते को सफल नहीं बनाएंगे। हम शांति का लगातार प्रयास करते रहेंगे। एक प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर लाहौर के बाद सत्ता परिवर्तन न होता, तो जो कुछ वहां समझौता हुआ था, उसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंध बढ़ते और काश्मीर पर बातचीत जारी रहती। मुझे कश्मीर के एक बड़े नेता ने कहा था—53 सालों में जो मामला तय नहीं हुआ, वह इतनी जल्दी तय नहीं होगा। बड़ी सच्चाई से उन्होंने कहा—हम काश्मीर की मांग छोड़ेंगे नहीं और हम जानते हैं, आप काश्मीर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अच्छा यह है कि कश्मीर पर हम बातचीत करते रहें, मगर संबंध बढ़ायें, संबंध सुधारें, अगर लड़ना है तो गरीबी से, बीमारी से, बेकारी से। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है और हम ऐसे संघर्ष में फंसे हैं, जिसका निकट भविष्य में निपटारा दिखाई नहीं देता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने रास्ता बदला। मुझे याद है श्रीमती गांधी ने कहा था, जब बैठक समाप्त हो रही थी, आप शिमला और लाहौर को ध्यान में रखिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को शिमला पसन्द नहीं आया था। शिमला का नाम भी शायद उनके मुंह में गलत स्वाद पैदा करता था। उन्होंने शिमला और लाहौर को छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। जब संयुक्त घोषणा-पत्र तैयार हो रहा था, उनका प्रयास था, इसमें शिमला न आए, इसमें लाहौर का भी उल्लेख न हो। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। भारत लगातार पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करता रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई हुई है। लड़ाई में पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने दिल्ली में कहा था, युद्ध से यह मामला हल नहीं हो सकता है। बातचीत से हल होगा, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने कश्मीर में उपद्रव करने का, काश्मीर को हथियाने का एक नये युद्ध का तरीका निकाला है और उस युद्ध के तरीके से भारत एक बार बात हमारी मान लेगा।

जो बातें वन-टू-वन में हुई, उन सब पर प्रकाश डालना नहीं चाहता हूं। वे बातें एक दूसरे को विश्वास में लेकर हुई थी। लेकिन मैंने देखा कि काश्मीर के अलावा और किसी मामले में उनकी रुचि नहीं थी।

हमने कांफीडेंस बिल्डिंग्स मेजर्स ऐलान किया था, आप अगर उसे देखेंगे तो वह भारत और पाकिस्तान के संबंधों को समावेश करने वाला एक दस्तावेज है। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। चर्चा में यह आवाज उठी थी कि जब पाकिस्तान एजेंडे पर बात करने के लिए तैयार नहीं था तो आपने बातचीत तोड़ क्यों नहीं दी। इस तरह बातचीत न शुरू की जाती है, न तोड़ी जाती है। बातचीत तोड़ कैसे सकते थे और जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी किसी की यह राय नहीं थी कि वे एजेंडे पर सहमत नहीं हो रहे हैं। आप आगरा वार्ता को स्थगित कर दीजिए लेकिन बातचीत का भविष्य खतरे में पड़ गया, फिर भी कुछ मुद्दों पर सहमति हुई है और हम उसे आगे बढ़ाएंगे। बातचीत का सिलसिला चलेगा लेकिन बातचीत दृढ़ता के आधार पर होगी, देश की अखंडता को सुरक्षित रखते हुए होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वार्ता के पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार को जो समर्थन मिला, उसके लिए मैं सभी सदस्यों और दलों का आभारी हूं। सम्मेलन की समाप्ति के बाद भी जो बैठक हुई थी उसमें भी स्वर रचनात्मक था, लेकिन अब उस स्वर में थोड़ा सा अंतर आया है, शायद यह राजनीति का पुट है। शायद चुनाव निकट आ रहे हैं, उसका परिणाम है, लेकिन मैं आलोचना का स्वागत करता हूं।

महोदय, कश्मीर का सवाल ऐसा है जिस पर हम सबको मिल कर एक राय बनानी है और दुनिया को यह बताना है कि हमारे मतभेद लोकतांत्रिक हैं। यह मतभेद राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की अस्मिता को लेकर नहीं हैं। मणिशंकर जी ने कहा कि वह

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपको शिखर सम्मेलनों का अनुभव नहीं हैं, उन्हें अनुभव है। मैं उनके अनुभव को कम करके नहीं आंकना चाहता, लेकिन उनकी पार्टी उनके अनुभव का ज्यादा लाभ नहीं उठा रही है। जब कभी हम कांग्रेस पार्टी को वार्ता के लिए निमंत्रण देते हैं और सोचते हैं कि मणिशंकर जी से कुछ मुलाकात होगी, दो-दो चोचें लड़ेंगी तो वह वहां नदारद होते हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उन्हें अपने में शामिल नहीं करता। इसके पीछे भी कोई कंफ्यूजन हो सकता है। मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम भविष्य में उनकी और सेवाएं लेना चाहेंगे। वह अनुभवी हैं। जब वह कराची में काम करते थे तब से मैं उन्हें जानता हूं। उन्होंने कहा कि हां, यह मांग हुई थी कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू की जाए। शिखर वार्ता शुरू की जाए यह मांग हुई थी, आप शिखर पर चढ़ जाएं, यह मांग नहीं हुई थी। बातचीत तो हो रही थी और बातचीत टूटी, कारगिल के बाद टूटी। सत्ता परिवर्तन हुआ, आफिसरों के स्तर पर मिलना पर्याप्त नहीं था। यह जरूरी था कि जिसके हाथ में पाकिस्तान में सत्ता आ गई है उनका सोचने का तरीका क्या है। वह सचमुच में क्या चाहते हैं। हम मित्रता की बात कर रहे हैं। मित्रता की बात का हमें कितना जवाब मिलेगा, सही जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। एजेंडा बनाया जाए, उसे लागू किया जाए। इस पर हम लगातार जोर देते रहे। वह एक प्वाइंट का एजेंडा लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कश्मीर का मामला इतना सरल नहीं है। वह आगरा से शुरू करना चाहते थे, हमने कहा कि ताशकंद से यह मामला शुरू है।

कभी हमने वार्ता से इंकार नहीं किया। लेकिन कभी भी हमने डर कर वार्ता नहीं की और कभी हमने प्रचार के लिए वार्ता नहीं की। हम जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करने के लिए अभी भी तैयार हैं लेकिन आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा, क्रॉस बोर्डर टैरेरिज्म से हाथ धोने पड़ेंगे। अब फिर आतंकवाद अपना विराट और वीभत्स रूप प्रकट कर रहा है। डोडा में जो कुछ हुआ, क्या यह आजादी की लड़ाई है? मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान अगर चाहे तो इन घटनाओं को रोक सकता है और उसे रोकना चाहिए। यह एक कसौटी है। हम मित्रता चाहते हैं यह इसकी कसौटी है।

श्री मुलायम सिंह यादव: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जो वे दबाए हुए हैं उसके बारे में आपने क्या कहा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं उसी पर आने वाला था। आप आगे क्या कहने वाले हैं, इसका मैं अंदाज लगा लेता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप कवि के साथ ज्योतिषी भी हैं, बहुत अच्छी बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा कि अगर आप कश्मीर का मामला उठाएंगे तो हमें उसके पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा। एक-तिहाई कश्मीर जबरदस्ती आपके कब्जे में है। आपने एक हिस्सा चीन को दे दिया और जो हिस्सा आपके पास है उसमें लोकतंत्र नहीं है। आप लोगों की राय जानने की बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान में लोगों की राय कहां जानी गयी, जब आपने सत्ता संभाली। इस तरह की खुली बातों की वे आशा नहीं करते थे। यह अच्छा था कि ये बातें मित्रता के वातावरण में हुई। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कूटनीति में सब कुछ संभव हो सकता है और जो असंभव दिखाई देता है उसको भी हम संभव करके दिखाएंगे। बिना अपने हितों की बलि चढ़ाए हम पाकिस्तान से अपने संबंध सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे। इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है। लोग चाहते थे कि हम बातचीत करें। खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते थे कि हम बातचीत के लिए जहां कहें और जिस समय कहें आने के लिए तैयार हैं। देश के भीतर भी आवाजें उठ रही थीं कि बात तो करो। आप उनकी बात मत मानो लेकिन बात तो करो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। छोटे देशों में यह प्रचार किया गया कि भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है इसलिए वह अड़ा हुआ है कि हम बात नहीं करेंगे। हमने जब बात न करने का फैसला किया तो उस समय सही फैसला था। कारगिल के तत्काल बाद बातचीत का कोई वातावरण नहीं था। कारगिल में पाकिस्तान परास्त हुआ। *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): क्या अभी वातावरण है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं। मैंने उन्हें यह भी बताया कि ताशकंद समझौते से कश्मीर का उल्लेख किया जा रहा है। आपने बात क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि यही तो मेरी शिकायत है। जो नेता थे वे कश्मीर पर जोर नहीं देते थे। अब मैं आया हूं तो मैं जोर दूंगा। मैंने कहा कि जोर दोगे तो बातचीत की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कश्मीर का मामला इतना आसान नहीं है। यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तान उसी के आधार पर बना है लेकिन पाकिस्तान बन गया तो हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान अब भारत को आगे तोड़ने का प्रयास न करे। हम इस प्रयास को सफल भी होने नहीं देंगे। कश्मीर के बारे में कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने फैसला किया। पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं हुए।

जो गुलाम कश्मीर है, उसकी जनता की आवाज नहीं है। अभी वहां चुनाव हुए थे लेकिन बाद में वहां की सत्ता एक सेनापति को सौंप दी गई। चीन को एक हिस्सा दे दिया। किस

अधिकार से दिया? कहा गया, नहीं, अगर हमारा आपका समझौता हो गया तो चीन से हम वह हिस्सा वापस ले लेंगे। मैंने कहा कि इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सच्चाई को पहचानिये, यथार्थ को पहचानिये और उन्माद की बात छोड़ दीजिए। आतंक का सहारा मत लीजिए। भारत बड़ा देश है और वह उदार नीतियां अपनाता आ रहा है और आगे भी अपनायेगा। लेकिन उदारता का मतलब यह नहीं कि हम अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा नहीं करें। हम यह रक्षा करेंगे और रक्षा करते हुए हम संबंध सुधारने का रास्ता निकालेंगे। इस काम में हमें सारे सदन का समर्थन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रचार को लेकर बातें हुई हैं कि ठीक तरह से प्रचार नहीं हुआ। जिस तरह का प्रचार विरोधी कर रहे थे, मेरा मतलब पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से है, उस तरह के प्रचार की तरीका हम लोग नहीं अपना सकते थे लेकिन अब लगता है कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया के कारण कूटनीति में भी थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। शिखर सम्मेलन की एक मर्यादा है, उसमें काम करने का एक ढंग होता है जिसमें कदम-कदम पर वक्तव्य नहीं दिये जाते। समाचार-पत्रों को बात लीक कर दी जाये, ऐसा नहीं होता। हम पाकिस्तान के साथ सम्मेलन में गये थे। लाहौर में भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन यहां ऐसा लगा कि प्रचार को भी आक्रमण का हथियार बनाया जा रहा है। इसका असर हमारी जनता पर ठीक नहीं हुआ। लोगों ने समझा कि हम बोलते नहीं। मैंने जनरल मुशर्रफ की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल को वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने कहा कि हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकेंगे और आतंकवाद को दवाने की हमारी क्षमता को कोई कम न आंके। वे सुन रहे थे। वे नोट्स ले रहे थे लेकिन हमने उसी समय प्रेस को नहीं बताया। हमने कहा कि इन्हें सोचने का मौका दीजिए। मर्यादा का पालन होना चाहिए। हमने दृढ़ता दिखाई और दृढ़ता के साथ शालीनता भी दिखाई। हमने सारी वार्ता में मर्यादा का पालन किया। उसका हमें घाटा भी हुआ जसके लिए हम भविष्य में उपयुक्त कदम उठाएंगे। लेकिन इसके कारण हमारा प्रयास विफल हुआ, यह कहने का कोई अर्थ नहीं। समझ-बूझ बढ़ी है। कुछ मुद्दों पर आगे बातचीत चलेगी। कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन हमने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। उसके साथ-साथ पाकिस्तान को मेल बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान का रवैया बदलेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था .....

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बुलाऊंगा। आप बैठ जायें। श्री मदन लाल खुराना।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सी.एन.जी. बसों के कारण दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के अंदर एक क्राइसिस आ गया है।

आज हालत यह है कि दिल्ली के अंदर जितनी बसें हैं उनका 50 परसेन्ट यूटीलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो स्कूटर वाले और तिपहिये वाहन हैं, वे छः घंटे से लेकर 12 घंटे तक लाइनों में लगे रहते हैं। जो बस वाले हैं वे 12 घंटे से लेकर 36 घंटे तक लाइनों में लगे रहते हैं। इसके कारण वाहनों का पूरा यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले पश्चिमी दिल्ली में एक सी.एन.जी. बस में आ लगी है जिसमें पांच लोग घायल हो गये हैं। उसके कारण एक संकट का वातावरण पैदा हो गया है। अभी भूरे लाल कमेटी बैठाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बद बैठी थी। उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें दो बातें बहुत डेन्जरस हैं। उसमें प्रथम यह है कि केवल सी.एन.जी. बसें ही यहां चल सकती हैं, उसी को प्राथमिकता दी गई है और दूसरा यह कहा गया है कि डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएं। दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें पूरी तरह से सी.एन.जी. बसों को चलाया जाता हो, बहुत कम सी.एन.जी. बसें होती हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मेरा निवेदन है कि दस तारीख को दिल्ली के स्कूटर और टैक्सी वालों ने पूरी हड़ताल का ऐलान किया है। उस दिन दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स राजघाट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हैं। मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की है कि आप जो अपना एफीडेविट दे रहे हैं, वह ठीक दे रहे हैं। भारत सरकार ने इस बारे में जो एक्शन सोचा है वह ठीक सोचा है। मेरा कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके अनुकूल फैसला करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लॉ डिपार्टमैन्ट की राय लेकर कोई आर्डीनेन्स जारी करके ट्रांसपोर्टर्स को न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, इसी विषय पर आपने भी सूचना दी है; आप भी श्री मदन लाल खुराना के साथ शामिल हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): सर, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि इस संबंध में मंत्री जी कुछ वक्तव्य दें। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, बिहार में मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड मं राहत सामग्री के वितरण में धांधली के चलते वहां पुलिस फायरिंग में आठ बेगुनाह मारे गये हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.47 बजे

(इस समय श्री रघुनाथ झा, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.48 बजे

(इस समय श्री रघुनाथ झा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपको भी बुलायेंगे। अभी मैंने रघुनाथ झा को बुलाया है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, बिहार के औराई प्रखंड में लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। वे लोग राशन और राहत सामग्री लेने के लिए आये थे। *...(व्यवधान)* वहां गोलियां चलाई गई हैं और यह वहां की सरकार ने चलाई हैं। *...(व्यवधान)* लोगों को राहत के नाम पर कुछ नहीं दिया गया बल्कि उन पर गोलियां चलाई गई *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.49 बजे

(इस समय श्री सुदीप बंद्योपाध्याय तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप मिनिस्टर को रिप्लाई देने दीजिए, हम आपको भी बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री को श्री मदन लाल खुराना द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय को जवाब देने का मौका नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

हम आपको भी बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब स्टेटमैन्ट दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, बिहार में घोर अन्याय हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुनाथ झा आप बैठिए, हम आपको भी बुलायेंगे। हमारे पास लिस्ट है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुलायम सिंह जी बोलेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, बिहार में हत्याएं हो रही हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास लिस्ट है, हम सबको बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी बोल रहा हूँ। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के कथन के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री चौबे, मंत्री जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): अध्यक्ष जी, श्री मदन लाल खुराना और विजय गोयल जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि यह सारे सदन की भावनाएं हैं। शुक्रवार को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर जो भावनाएं हैं, वह व्यक्त करेंगे और दिल्ली की जनता की कठिनाइयाँ न बढ़ें, इस प्रकार का काम हम करेंगे इसका मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपको बुलाएंगे अगर आप बैठेंगे। ऐसे हाउस कैसे चलेगा? रोज़ ऐसा करना ठीक नहीं है। आप लोग रोज क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नाम कैसे पुकार सकता हूँ, वे अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, एक मिनट आप बैठिए। पहले श्री रघुनाथ झा बोलेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों द्वारा राहत के मुद्दे पर प्रदर्शन करने के कारण वहां के पुलिस थाने ने अंधाधुंध फायरिंग की और 35 राउंड गोलियां चलाईं जिसमें एक दर्जन लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस घटना की जांच कराए और गृह मंत्री महोदय, सदन में आकर बयान दें और सारी स्थिति को स्पष्ट करें। जो मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और जो वहां लाखों लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं, उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है, मेरा निवेदन है कि बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पहले भी बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमें एक पूर्व विधायक मारा गया और बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में भी गोली चलाकर लोगों को मारने का काम किया है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी सारे तथ्यों की जांच करें और इस पर अपना बयान सदन में दें और तथ्यों से सदन को अवगत कराएं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, श्रीमती रेनु कुमारी, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री राम जीवन सिंह, श्री लाल मुनि चौबे, प्रो. दुखा भगत और श्री ब्रह्मानन्द मंडल। सभी माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा द्वारा उठाए गये मुद्दे के साथ शामिल हो गए हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.58 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्य, स्टेट सब्जैक्ट पर कर रहे हैं। आप केन्द्र सरकार से संबंधित बात नहीं कर रहे हैं। जो भी बात कर रहे हैं वह राज्यों के बारे में। मैं क्या करूं। सभी सदस्य राज्यों की बात सदन में कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार कुछ कहना चाहती है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की भावनाओं को संबंधित मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.59 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का विषय है। फिर भी मैंने आपको अनुमति दी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने बिहार को बाढ़ राहत के अंतर्गत एक पैसा भी सहायता के रूप में नहीं दिया जबकि उड़ीसा राज्य को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बिहार में भी बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से माननीय गृह मंत्री जी को अवगत करवा दूंगा और इसमें जो भी आवश्यक कदम होगा, उनके द्वारा उठाया जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सबने इस मामले में नोटिस दिया है। मैंने सबको बुलाया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह, श्रीमती रेनु कुमारी, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री रामजीवन सिंह, श्री लाल मुनी चौबे, प्रो. दुखा भगत और श्री ब्रह्मानन्द मंडल का भी नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.02 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने के लिए बुलाया है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर दो मिनट पर पुन: समवेत हुई

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री श्री जसवन्त सिंह वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री रघुराज सिंह शाक्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जबलपुर में केन्द्रीय आयुध डिपो में गोला-बारूद भंडार में दुर्घटना

[अनुवाद]

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर के गोला-बारूद तकनीकी क्षेत्र में स्थित प्रयोगशाला में 6 अगस्त, 2001 को करीब अपराह्न 2.30 बजे गोला-बारूद से संबंधित छोटी सी दुर्घटना हुई थी। *...(व्यवधान)*

बेकार गोला-बारूद में जिसे निपटान से पूर्व तोड़ा जा रहा था, आग लग गई जिसके परिणामस्वरूप उस दाहक बेकार गोला-बारूद में से कुछ में आग लग गई जिसमें छर्रे थे *...(व्यवधान)* बेकार गोला-बारूद को तोड़ने के काम में इतनी जोखिम होती है। इसीलिए यह काम प्रयोगशाला में किया जाता है। *...(व्यवधान)*

इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। आग केवल गोला-बारूद प्रयोगशाला में ही रही। आधे घंटे में इस पर काबू पा लिया गया था। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की मोबाइल फोन सेवा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): सभापति महोदय, एम.टी.एन.एल. द्वारा सांसदों एवं उपभोक्ताओं को दिए गए मोबाइल

फोन अत्यन्त घटिया एवं महंगे साबित हुए। एम.टी.एन.एल. के मोबाइल फोन घाटे में जा रहे हैं। इसकी शुरुआत चलन से ही यह कई जगह सर्वाधिक महंगा होने के कारण अधिकतर उपभोक्ताओं ने तो लिया नहीं और जिन्होंने लिया भी तो वापस कर दिया एवं कर रहे हैं। इसमें एम.टी.एन.एल. को घाटा हुआ या नहीं, परन्तु उपभोक्ताओं में अत्यन्त असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मोबाइल फोन सेवा को दुरुस्त किया जाये एवं उपभोक्ताओं के नुकसान की भरपाई की जाये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): मुजफ्फरनगर के मामले पर मुलायम सिंह यादव जी को बोलने नहीं दिया गया। *...(व्यवधान)* वहां जान-बूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन्होंने मस्जिद को तोड़ा। *...(व्यवधान)* ये मुजफ्फरनगर में दंगा करा रहे हैं। यह गड़बड़ नहीं चल सकती। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): ये दंगा कराने वाले लोग हैं और हमें बोलने भी नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अनिल कश्यप को छुड़ाने के लिए इन्होंने दबाव डाला है। इन्होंने उसको छुड़ाने के लिए दंगा कराया है। *...(व्यवधान)*

नियम 377 के अधीन मामले–*जारी*

(दो) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" प्राय: ग्रामीण क्षेत्र से निगड़ीत है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को हो, इसलिए इस योजना के जो टेंडर निकलवाने हैं वह ग्रामीण क्षेत्र से निगड़ीत लाइसेंस होल्डर कांट्रेक्टर/शिक्षित बेरोजगार अभियंता जिनकी लागत रुपए 5,00,000 तक है, उन्हें काम देने हेतु इस योजना के टेंडर राज्य की राजधानी की बजाय जिला स्तर पर डी.एस.आर. रेट (जिला मुख्य निर्धारण) के मुताबिक निकालें तो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लाइसेंस होल्डर अभियंता को काम तथा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को मजदूरी का काम मिलेगा।

मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के टेंडर निकलवाने हेतु जो नीति नियम बनवाएं हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन करके, जिला स्तर पर इस योजना के टेंडर फाइनल किए जाएं, ऐसे नियम बनवाए जाएं। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के ठेकेदार भी उसमें हिस्सा ले सकेंगे और यह ग्रामीण क्षेत्र में साझेदारी का एक उदाहरण होगा। ग्रामीण क्षेत्र को लाभकारी निर्णय हेतु मैं यह अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया उन्हें अपने-अपने स्थान पर जाने को कहिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। पहले वे अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। कृपया अपने स्थान पर चले जाइए। श्री मुलायम सिंह यादव, यह क्या मामला है? मुझे बताइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुजफ्फरनगर के माननीय संसद सदस्य श्री सईदुज्जमा 'शून्य काल' के दौरान मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाने के लिए अध्यक्षपीठ का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे *...(व्यवधान)* उन्होंने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। श्री मुलायम सिंह यादव भी इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। कृपया उन्हें अनुमति दीजिए ताकि वे अपने विचारों से अवगत करा सकें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी नियम 377 के अधीन मामले चल रहे हैं। अब दो बज रहे हैं। आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं पड़ रही। कृपया अपने सभी सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर जाने को कहिए। कृपया मुझे बताइए कि मामला क्या है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, इस तरह से हाउस नहीं चलेगा *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07 बजे

(इस समय श्री रघुराज सिंह शाक्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह 'शून्य काल' नहीं है। अभी नियम 377 के अधीन मामले चल रहे हैं। मैं आपको मौका दूंगा।

..(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री मुलायम सिंह यादव अपना वक्तव्य पहले दे सकते हैं। तत्पश्चात् उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य श्री सईदुज्जमा को बोलने की अनुमति दी जाएगी *..(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का संसद सदस्य हूं। मुझे मौका दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)* मैंने पहले ही नोटिस दे दिया है।

अपराह्न 2.08 बजे

(इस समय श्री सईदुज्जमा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

सभापति महोदय: अभी शून्य काल नहीं है। हम नियम 377 के अधीन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक असाधारण विषय है। में श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने के लिए उन्हें बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.08$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री सईदुज्जमा आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

सभापति महोदय: वह जो कहना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपने श्री मुलायम सिंह यादव को पहले बुलाया है। मैं आपके विनिर्णय का समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव के बारे उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित संसद सदस्य को मौका दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, आपने इसी मामले के संबंध में नियम 377 के अधीन सूचना दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: यह बहुत गंभीर सवाल है *...(व्यवधान)* पहले नोटिस स्वीकार किया जाता है, बाद में कहा जाता है कि नोटिस नहीं है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको मौका दूंगा। आपने दूसरा नोटिस दिया है। मैं आपकी भी बात सुनूंगा। कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, क्या मैं उस मुद्दे को लूं जिसे आप नियम 377 के अधीन मामलों के पश्चात् उठाना चाहते थे?

नियम 377 के अधीन मामले–*जारी*

(तीन) राजस्थान के अलवर जिले में श्रम न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. जसवन्तसिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, अलवर राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर बहुत से लघु, मध्यम तथा भारी उद्योग हैं। हाल में ही दिल्ली से बहुत से लघु उद्योग अलवर में स्थानांतरित हुए हैं। अलवर एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां श्रमिक अशान्ति, श्रमिक-विवाद तथा श्रम समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। श्रमिकों को अपनी समस्याओं के निवारण हेतु भरतपुर जाना पड़ता है क्योंकि अलवर जिले में लेबर कोर्ट नहीं है, इसलिए श्रमिकों को बार-बार भरतपुर जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि अलवर जिले में लेबर कोर्ट की स्थापना की जाए ताकि श्रमिकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके।

(चार) राजस्थान में रामेश्वर घाट में इंदिरा नहर परियोजना के निर्माण के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, लगातार तीसरी बार देश के उत्तर पश्चिम के अधिकांश भाग में सूखे के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। राज्य सरकार पेयजल व्यवस्था करने में भी सक्षम नहीं रही। सूखे से निपटने के लिए वर्षा जल का प्रबंधन करना अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थान में चम्बल, बनास एवं मोरेल नदी का जल बह कर समुद्र में चला जाता है। यदि इस जल का एक चौथाई भाग रोक दिया जाये तो राजस्थान प्रान्त कभी भी सूखे के कारण परेशानी में नहीं पड़ेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में चम्बल और बनास दोनों नदियों का प्रवाह

अनेक स्थानों पर रोकने योग्य है। सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर घाट पर इंदिरा जलोस्थान योजना का सर्वे पूर्ण हो चुका है। यह योजना स्वीकृत होने से एक लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकती है और दौसा, जयपुर जैसे बड़े शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रामेश्वर घाट पर इंदिरा केनाल योजना को शीघ्र स्वीकृत करने का कष्ट करें, साथ ही छोटी-बड़ी नदियों में जो जल बह कर समुद्र में चला जाता है, उन पर छोटे-छोटे बांध एवं ऐनी कट बनाकर राजस्थान को सरसब्ज व हरा-भरा बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाये।

(पांच) आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र में फल अनुसंधान केन्द्रों का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एन. वेंकटस्वामी (तिरुपति): सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, अनंतपुर, कुडप्पा और कुरनूल जिलों से मिलकर बना रायलसीमा सूखा प्रवण क्षेत्र है। इस क्षेत्र के कृषकों को आर्थिक सहायता देने हेतु तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी ने 1935 में कुडप्पा जिले में कोडूर में अनंतराजूपेट में क्षेत्रीय फल अनुसंधान गृह की शुरुआत की थी। इस संस्थान के कारण लाखों किसानों का गुजारा हो रहा है जबकि वर्षा बहुत कम है।

धन की कमी के कारण इस संस्थान की दुर्दशा हो गई है।

कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस संस्थान-फल अनुसंधान गृह (आर ए आर एस), अनंत राजूपेट, कोडूर, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश को अगली योजना में सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ सब-ट्रोपिकल हॉर्टीकल्चर, रहमानखेड़ा, ककोड़ी, लखनऊ की दक्षिण शाखा अथवा इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐरिड फ्रूट रिसर्च स्टेशन, बीकानेर, राजस्थान की दक्षिण शाखा बनाकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ले लें।

इस प्राचीनतम फल अनुसंधान संस्थान का कायाकल्प करने का यही एकमात्र तरीका है ताकि संस्थान में बहुमूल्य जर्मप्लाज्म और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश तथा समस्त दक्षिणी राज्यों के किसानों को बचाया जा सके।

(छह) देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): हमारे देश में जल की उपलब्धता की स्थिति भविष्य में अत्यंत नाजुक और चिन्ताजनक है। विभिन्न शोध एजेंसियों द्वारा विशेषत: हाल ही में टाटा इनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययनों में जोर दिया गया है कि यदि अविलम्ब उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए तो विशेषरूप से देश के उत्तरी क्षेत्र में जल की अत्यधिक कमी हो सकती है। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि सन् 2047 तक आबादी में आधा बिलियन की वृद्धि होने के बावजूद जल की उपलब्धता प्रतिवर्ष 1068 बिलियन घन मीटर प्रतिवर्ष पर स्थिर हो जाएगी। अध्ययन में जल के संबंध में एक और चिन्ताजनक पहलू यह बताया गया है कि योजना आयोग के आकलन के अनुसार कृषि कार्य में जल संसाधन का 95 प्रतिशत प्रयोग किया जा रहा है। फिर भी कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा अल्पसिंचित रह जाता है। इससे संकेत मिलता है कि अधिकांश जल धनी किसानों द्वारा नकदी फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे भी बुरा यह है कि सस्ती बिजली का लाभ मिलने से ये भूगर्भजल का अत्यधिक दोहन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है जिससे पारम्परिक फसलों के उत्पादन में कमी आती है। जब तक सरकार दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ इस समस्या से नहीं निपटेगी, देश में शीघ्र ही जल का अभाव और अकाल होगा।

(सात) तटीय विनिमय जोन कोड विशेष रूप से कर्नाटक के उदुपी जिले में इस कोड की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): केन्द्र सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र संहिता के अंतर्गत विनियमों को लागू करने का प्रस्ताव किया है जिसके अनुसार 500 मीटर की परिधि में संवेदनशील क्षेत्र को सी.आर.जेड.-1, सी.आर.जेड.-2 और सी.आर.जेड.-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा उस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और विकासात्मक स्थिति के आधार पर किया गया है। प्रस्तावित सी.आर.जेड. संहिता के माध्यम से अधिसूचित सी.आर.जेड. क्षेत्र के अंतर्गत विकास को सीमित और कम करने का प्रयास किया गया है।

मेरे जिला उदुपी में बहुत लम्बा तटीय क्षेत्र है। पारंपरिक मछुवारों की बस्तियों के अलावा, वहां मंदिर परिसर, पर्यटक स्थल, तटीय सैरगाह, विद्यालय, उद्योग आदि हैं। ये लंबे समय से विद्यमान हैं।

स्थानीय निवासियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा इस योजना पर विचार कर उसे अनुमोदित किया और उसका कार्यान्वयन बिना किसी प्रयास के किया जा रहा है। तटीय क्षेत्र में अनुचित तरीके से हाई टाइड लाइन निर्धारित किए जाने के कारण गांव और पंचायत स्तर पर प्रवर्तन तंत्र के लिए

समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि उन्हें अधिसूचनाएं और व्याख्यात्मक टिप्पणियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायतें, जो अपने क्षेत्र में ट्रेड और बिल्डिंग लाइसेंस देते हैं, ऐसी अधिसूचनाओं और उसके आशय से अनभिज्ञ हैं। अतः, मैं केन्द्र से आग्रह करता हूं कि इस पूरे मामले की समीक्षा की जाए तथा एक कार्यसाधक और जन-अनुकूल योजना तैयार की जाए।

(आठ) आंध्र प्रदेश में कृष्णा बेसिन में अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए राज्य की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी: केन्द्र सरकार ने कृष्णा नदी के फालतू जल का उपयोग करने के लिए आंध्र प्रदेश में तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जो इस प्रकार है: कृष्णा बेसिन में पुलीचिन्तला, श्री सैलम में दाहिने किनारे पर नहर और भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और इस निर्णय के विरुद्ध राज्य का विरोध दर्ज किया है।

महोदय, कर्नाटक के लिए यह बहुत ही चिंतनीय विषय है और मैं केन्द्र से आग्रह करता हूं कि वह इन परियोजनाओं को स्वीकृति न दे क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है और इसके फलस्वरूप कर्नाटक राज्य को नुकसान होगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश की इन सिंचाई परियोजनाओं को दी गई स्वीकृति संबंधी अपने निर्णय की समीक्षा करे।

(नौ) पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज की गाद निकाले जाने की आवश्यकता

श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर): गंगा नदी पर बने फरक्का बैराज के प्रतिस्रोत और अनुप्रवाह में लगातार गाद जमा होने के कारण बैराज के अस्तित्व के लिए अत्यधिक समस्या पैदा हो गई है क्योंकि बैराज के प्रतिस्रोत में छिछला पानी वाला क्षेत्र बन गया है। इससे बैराज के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। फरक्का बैराज के अनुप्रवाह पर स्थिति इतनी गंभीर है कि चूंकि नदी के दो-तिहाई भाग में गाद जमा हो गई है, अतः गंगा नदी का पानी अत्यधिक वेग के साथ संकरे जलमार्ग से होकर ही जाता है जिसके परिणामस्वरूप नदी के दाहिने किनारे पर भूमि का कटाव हो रहा है।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बैराज के प्रतिस्रोत में नये छिछले पानी वाले क्षेत्र से गाद निकालने का कार्य शुरू कराया जाए तथा कोलकाता-इलाहाबाद जलमार्ग पर नौवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए और प्रवाह के मध्य भाग के साथ-साथ अनुप्रवाह पर नदी के जल का मार्ग बनाया जाए ताकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भूमि कटाव की गंभीर समस्या से बचा जा सके।

(दस) आंध्र प्रदेश में आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, देश के कुछ क्षेत्र सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। ये क्षेत्र पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियों के निशाने पर हैं। जम्मू एवं कश्मीर, मंबई, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के अन्य स्थानों पर आतंकवादियों के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें हाल ही में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों की हत्या, रेलगाड़ियों/सरकारी भवनों को बम-विस्फोट से उड़ाने की घटनाएं हुई हैं। आर.डी.एक्स. पकड़े जाने के मामलों की भी सूचनाएं मिली हैं। आई.एस.आई. आंध्र प्रदेश तथा अन्य स्थानों के असंतुष्ट युवाओं को पाकिस्तान में प्रशिक्षण देने हेतु उनकी भर्ती कर रहा है। तमिलनाडु और केरल के आतंकवादी हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश के अन्य स्थानों में पनाह लेने हेतु प्रायः जाते रहते हैं।

ये सभी घटनाएं अत्यंत गंभीर हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से दस करोड़ रुपये ए.के.-47, नाईट विजन गोगल्स, संचार उपकरण आदि जैसे आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए जारी करने को कहा है ताकि आतंकवादी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार के इस निवेदन को स्वीकार करे तथा नवीनतम उपकरणों की खरीद के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई करे।

(ग्यारह) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में पेयजल योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, स्वतंत्रता के 54 वर्षों के बाद भी भारत में कुछ राज्य अभी पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। समस्या के कारण बहुत गंभीर हैं और एक के बाद एक केन्द्र सरकारें इस समस्या को सुलझाने में असफल रही हैं। एक वर्ष के केन्द्रीय बजट में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 2010 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इस वर्ष संपूर्ण तमिलनाडु राज्य में बहुत कम वर्षा हुई और

वह विशेष कर वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को जल की जटिल समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय बजट में किए गए आबंटन के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तमिलनाडु में कार्यक्रम पर अभी तक खर्च की गई निधि और पेयजल आपूर्ति में अभी तक प्राप्त उपलब्धियों के बारे में सूचित करे।

मैं पुन: अनुरोध करता हूँ कि पेयजल योजनाएं युद्ध स्तर पर तमिलनाडु में बनाई जानी और कार्यान्वित की जानी चाहिए।

(बारह) तमिलनाडु में तेनकासी और मदुरै के बीच राजमार्ग पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. मुरुगेसन (तेनकासी): महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी वृहद नगर निगम, तिरूनेलवेली और सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल 'कोर्टालम' के मध्य स्थित है। सभी क्षेत्रों के लोग तेनकासी बार-बार आते हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी है। तेनकासी में स्थित एक अस्पताल और बस स्टैण्ड तेनकासी शहर के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। चूंकि यह बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है और बस पड़ाव है, तेनकासी के लोग उचित उपचार के लिए और आसपास के शहरों में परिवहन के लिए अक्सर जाते हैं। इस राजमार्ग पर भारी यातायात के कारण इस मार्ग पर रेल फाटक अक्सर बंद हो जाता है। अधिकारियों का एक दल पहले ही इस स्थान का दौरा कर चुका है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फिर भी इस मामले में कोई कार्यवाही होती नहीं दिखाई दे रही है।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे अनुरोध पर विचार करें और तेनकासी तथा मदुरई के बीच राजमार्ग पर तेनकासी में उपरिपुल के निर्माण हेतु आवश्यक आदेश जारी करें।

(तेरह) देश के विभिन्न भागों में कतिपय अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी संगठनों द्वारा दिए जा रहे कथित शस्त्र प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य भागों में कतिपय अल्पसंख्यक विरोधी संगठनों द्वारा कथित तौर पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार आग्नेय अस्त्रों, आदि में प्रशिक्षण का उद्देश्य आई.एस.आई. की ताकतों से लड़ना, हिन्दू विरोधी ताकतों को चुनौती देना, उन लोगों पर नजर रखना जिनके संबंध खाड़ी के देशों से हैं और इसी तरह के उद्देश्य हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का प्रशिक्षण बहुत आपत्तिजनक है और इसमें सांप्रदायिक शांति, सौहार्द तथा मित्रता के संदर्भ में गंभीर परिणाम अंतर्निहित है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाएं और इन संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, सामान्यत: कोई व्यक्ति क्रम उलट-पलट नहीं कर सकता। आज, एक असाधारण स्थिति में मैं अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अधीन नियम में छूट देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): परंतु मुजफ्फरनगर के ही मामले में हमारी बात भी सुनिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सामान्यत: शून्य काल को नियम 377 के अधीन मामलों की तुलना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने नोटिसें दे दी हैं। हमें भी उसी विषय पर अपनी बात रखनी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: दी गई सभी नोटिसों पर अभी विचार नहीं किया जा सकता है। केवल श्री मुलायम सिंह यादव को ही बोलने की अनुमति है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, यह सिर्फ आज के लिए ही है। इसके पश्चात्, यह कोई पूर्व उदाहरण नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनतावाला: महोदय, यदि आप मुझे इस विषय पर बोलने नहीं देंगे, तो यह अनुचित होगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उस मामले में, मैं शून्य काल को ही जारी रखूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इसी कारण से मैंने उनका अनुरोध मान लिया।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: उस पर कल विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): उन्हें बोलने दिया जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, श्री बनातवाला, मैं आपका अनुरोध मान लेता हूं। आप भी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आपके सामने एक गंभीर मामला रख रहा हूं। तारीख 2 अगस्त को अनिल कश्यप और उसके साथी ने मुसलमानों को आपत्तिजनक गालियां देते हुए अपमानित किया और धमकी भरे पत्र भी लिखे। पोस्टर छपवाकर मस्जिद में फैंके गये जिसे पुलिस ने पकड़ा। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद उसने यह भी स्वीकार किया कि 21 जून को मस्जिद में उसने आग लगाई थी। साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने एक मुसलमान की हत्या की। उसके बाद एक मजार के सचिव को घायल किया। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो जबरदस्ती पुलिस से छीनने की कोशिश की गई थी। जब पुलिस से नहीं छीन सके। उसने कहा कि हत्यारा है, दंगा कराना चाहता है तो बाजार बंद करने के लिए एक संगठन के लोग, एक दल के लोग निकल पड़े।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): किस दल के लोग?

श्री मुलायम सिंह यादव: अभी बताऊंगा।

श्री विजय गोयल: आप सारी कहानी सुना देंगे और बाद में हमारा नाम ले देंगे। यह बात गलत है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री विजय गोयल, मैंने केवल उन्हें अनुमति दी है। इस संबंध में और किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: मुझे चेयरमैन ने अलाउ किया है और तभी बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय गोयल: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: कौन सा व्यवस्था का प्रश्न? कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वे एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: वह एक व्यक्ति की हत्या में शामिल था यह उसने स्वीकार किया। इसके बाद भाजपा और संघ परिवार के लोग उस व्यक्ति को पुलिस से जबरदस्ती छुड़ाने के लिए गये। लेकिन जिला पुलिस ने छोड़ने से इन्कार कर दिया। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: आप इन्हें अलाऊ क्यों कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* यह संसद है, हम इसे उत्तर प्रदेश का चुनाव का अखाड़ा नहीं बनने देंगे *...(व्यवधान)* आप संसद में किसी की पीड़ा कह सकते हैं, इसे चुनाव का अखाड़ा नहीं बना सकते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने सभा की भावदशा जानने के पश्चात् उन्हें बोलने की अनुमति दी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: जब उसे नहीं छोड़ा तो उसके खिलाफ इन्होंने बाजार बंद कराया और हिंदुओं की दुकानों को बंद कराने पहुंचे, उन्होंने दुकानें बंद करने से मना कर दिया *...(व्यवधान)* इसके बाद भाजपा के लोगों ने हिन्दुओं के साथ मार-पीट की।

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में सौहार्द का वातावरण खराब हो रहा है। *...(व्यवधान)* वहां जो अमन-चैन कायम है, उसे ये लोग बिगाड़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप अब जीरो ऑवर क्यों अलाऊ कर रहे हैं। *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: एक वरिष्ठ सदस्य ने अपने विचार व्यक्त करने हेतु मेरी अनुमति मांगी थी। मैंने उन्हें अनुमति दे दी। मैंने पहले ही कहा है कि यह एक असाधारण मामला है और यह कोई पूर्व उदाहरण नहीं बनने जा रहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने अपनी अवशिष्ट शक्तियों के तहत नियमों में आज छूट देते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। मैंने पहले ही कहा है कि यह एक असाधारण मामला है और यह कोई पूर्व उदाहरण नहीं बनने जा रहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने अपनी अवशिष्ट शक्तियों के तहत नियमों में आज छूट देते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दी।

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, यह 'शून्य काल' नहीं है। हमें अब नियमित कार्य आरंभ करना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। *.(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उसके बाद उन्हें हिंदुओं ने खदेड़ दिया। आगे इन्हें एक मुस्लिम मिला, ये उसे मारने लगे, वह जान बचाकर भागा। *...(व्यवधान)* उसके बाद इन्होंने मुसलमानों के घरों को जलाया और लूटपाट की, वहां पुलिस ने फायरिंग की जिससे दो लोग घायल हुए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप यह नहीं चाहते कि अध्यक्षपीठ स्वतंत्र रूप से कार्य करे?

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.33 बजे

(इस समय, श्री जी.एम. बनातवाला आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री सईदुज्जमा, आप एक पंक्ति में अपना विचार व्यक्त करना चाहते थे। क्या आपने विचार व्यक्त कर लिया है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं सभा की निर्विघ्न कार्यवाही चलाना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.34 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जब मैंने श्री मुलायम सिंह यादव का नाम पुकारा था कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें, तो उस समय आपने कोई आपत्ति नहीं की। अब आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: सभापति महोदय, इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अब तक ऐसी दस घटनाएं ये लोग वहां दंगा कराने के इरादे से कर चुके हैं। वहां की जनता इनके खिलाफ हो गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, ऑर्डर पेपर के अनुसार, मध्याह्न भोजन के पश्चात् हमें नियमित कार्य करना है। नियमित कार्य शुरू करने की अपेक्षा, यदि 'शून्य काल' आरंभ होता है तो इसके समाप्त होने के समय निश्चित नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि नियम 377 के अधीन विचार व्यक्त किए जाने के पश्चात् जो कुछ कहा गया है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए तथा हमें नियमित कार्य करना चाहिए। वे इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.35 बजे

(इस समय श्री जी.एम. बनातवाला तथा श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैंने आपको अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव कोई विचार व्यक्त करना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि नियम 377 के अधीन मामलों को उस पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब, ऐसा हो गया है। सदस्य सदन के बीच में आ गए। सभापति क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि सभा की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से चलती रहे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह शून्य काल नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: वे इसका जिक्र करना चाहते थे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: आप कल बोलिये। अभी क्या दुनिया डूब रही है, शाम को? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अध्यक्ष को नियमों में छूट देने की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसा सभा की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से चलने देने के लिए किया गया। परंतु सदस्य सदन के बीच में आ गए।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: आपको अध्यक्षपीठ की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अपने वचन की मर्यादा बनाए रखिए।

सभापति महोदय: आप एक पंक्ति में विचार व्यक्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे अपने वचन पर टिके रहना है।

...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल: महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह शून्य काल नहीं है।

सभापति महोदय: यह शून्य काल नहीं है। मैं उन्हें ऐसा विचार व्यक्त करने को नहीं कह रहा हूं जिससे ऐसा लगे कि यह शून्य काल है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह तो केवल एक उल्लेख है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप श्री बनातवाला को बोलने क्यों देना चाहते हैं और मुझे क्यों नहीं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं स्थगन नहीं चाहता था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे नियमों की जानकारी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि सदस्य सदन के बीच में आते हैं तो सभापति के पास उस पर ध्यान देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह कोई पूर्व दृष्टांत नहीं है। श्री बनातवाला, अब आप इसे केवल एक पंक्ति में कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप पर्याप्त विचार व्यक्त कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब, आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: वे कल अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल: आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते? *...(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या व्यवहार करने का यही तरीका है? आप एक पंक्ति में अपनी बात रखना चाहते थे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने पर्याप्त समय दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला: वहां मुजफ्फरनगर में मस्जिद में आग लगा दी गई; मस्जिद में हैंडबिल डाले गए *...(व्यवधान)* मजार पर तनाजा और पुलिस से झगड़ा किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई *...(व्यवधान)* मेरी मांग है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी मुजफ्फरनगर जाए और वहां के हालात को देखे कि क्या डिसक्रिमिनेशन है। *...(व्यवधान)* वहां बहुत डिसक्रिमिनेशन हुआ है। इसलिए वहां एक पार्लियामेंट्री कमेटी जानी चाहिए और जांच होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनात वाला (पोनानी): وہاں مظفر نگر میں مسجد میں آگ لگادی گئی۔ مسجد میں ہینڈ بل ڈالے گئے مزار پر تنازعہ اور پولیس سے جھگڑا کیا گیا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ...(مداخلت) / ...(مداخلت) میری مانگ ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی مظفر نگر جائے اور وہاں کے حالات کو دیکھے کہ کیا ڈسکریمینیشن ہے۔ ...(مداخلت) وہاں بہت ڈسکریمینیشن ہوا ہے۔ اسلئے وہاں ایک پالیمنٹری کمیٹی جانی چاہیے اور جانچ ہونی چاہیے ...(مداخلت)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब, श्री बसुदेव आचार्य बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, प्रमोद महाजन जी इस पर सरकार की तरफ से बोलें तो अच्छा रहेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। अन्यथा, मुझे पूरी कार्यवाही को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव ने जो कहा है वह कार्यवाही-वृत्तांत में है और यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो उसे निकाल देना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी घटना हुई और सरकार चुप बैठी है। सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बुलाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इससे बचने के लिए, मैंने नियमों में ढील दी और आपको अनुमति दी अन्यथा मुझे इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: सभापति महोदय, मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि जो मारे गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, प्रमोद महाजन जी यहां बैठे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि वे इस पर कुछ जवाब दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपके नेता के पूरे कथन को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आप इसे सभा के समक्ष रखना चाहते थे, मैंने आपको अनुमति दी और आपने अपनी बात कह दी। अब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या सभा में अपनी बात कहने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या सभा का विचार है कि सभी बातें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दी जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। मैंने आपको अवसर दे दिया। यदि आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करते तो मेरे पास इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह प्रक्रिया नहीं है। मैंने पहले ही आपके नेता को बोलने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): सभापति महोदय, क्या मुलायम सिंह जी का अपनी पार्टी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, आप अपनी बात कहना चाहते थे और मैंने आपको अवसर दिया। अब कृपया अपने सदस्यों से उनका स्थान ग्रहण करने को कहें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है और यह सही है कि *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सर, यहां उठाए जाने वाले सभी मामले गंभीर हैं। जब मुलायम सिंह जी को अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है, तो हमें भी अपनी बात कहने दी जाए। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। सदन को सुचारू रूप से चलाना ट्रेजरी बैंचेज की जिम्मेदारी है। आपकी तरफ के लोगों को *...(व्यवधान)* वहां दंगा करने वाले लोग पकड़े गए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह, मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य कैसे कर सकता हूँ?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। अन्यथा मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: सभापति जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी दोषी पाए जाएं, उन्हें सजा मिले और जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह, मैं सरकार को तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब हम सांविधिक संकल्प पर चर्चा करेंगे— श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, आप सभा में शान्ति करवायें। मैं कैसे बोल सकता हूँ? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहते थे। मैंने आपको एक अवसर दिया था। आप अपना वक्तव्य देने के बाद बाहर चले गये। वे सभी खड़े हैं। मैं क्या कर सकता हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति महोदय, यह गंभीर मामला है *...(व्यवधान)* वह उस दारा सिंह का साथी है, जिसने उड़ीसा में हत्याएं कीं और इसने भी एक मुसलमान की हत्या करना स्वीकार किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, आपने अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया है। श्री बनातवाला, आपने भी अपना वक्तव्य दे दिया है। यह कार्यवाही सारांश में है। सबने अपना-अपना वक्तव्य दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: यह दंगा कराने वाली सरकार है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.47 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बनातवाला जी, आप बोल चुके हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, संसदीय समिति की मुजफ्फरनगर जाने की मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां भेदभाव हो रहा है। सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। अत: मैं इस समय इस सभा से बाहर जाने के लिए बाध्य हूं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.48 बजे

(इस समय, श्री जी.एम. बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न 2.48$^{1}/_{2}$ बजे

खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 मई 2001 को प्रख्यापित खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह अध्यादेश 22 मई, 2001 को प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश के प्रख्यापन का मुख्य उद्देश्य उस अवरोध को हटाना था, जो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम को अधिनियमित किए जाने के समय से था। यह अधिनियम 1963 में अधिनियमित किया गया था। इस अवरोध को हटाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के पास अब अत्यधिक बफर स्टॉक है। यह बफर स्टॉक 50 मिलियन टन खाद्यान्न से अधिक है। यह बफर स्टॉक निरंतर बढ़ रहा है। एक वर्ष पूर्व यह 43 मिलियन टन खाद्यान्न था। एक वर्ष के भीतर, बफर स्टाक में 10 से 12 मिलियन टन खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी हो गई।

महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय खाद्य निगम को खरीद और बफर स्टॉक को बनाये रखने के लिए भी धन की आवश्यकता है।

किन्तु वर्तमान अधिनियम के अनुसार भारतीय खाद्य निगम अपनी प्रदत्त पूंजी अर्थात् 2,294.50 करोड़ रुपये के दस गुणा से ज्यादा उधार नहीं ले सकता है। यदि यह संशोधन विधान अधिनियमित हो जाता है तो भारतीय खाद्य निगम आवश्यक खाद्यान्न खरीदने और खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा है, जो उनके पास है को बनाये रखने के लिए, 2000 करोड़ रुपये से अधिक का उधार ले सकेगा।

एक वर्ष पूर्व, हमने एक आशंका व्यक्त की थी कि भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा रखे गये बफर स्टॉक में वृद्धि होगी। यह मुख्य रूप से खाद्यान्नों, चावल और गेहूं के मूल्य के कारण है, जिसमें दो वर्ष पूर्व निर्धनता की रेखा से ऊपर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के साथ ही निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए बढ़ोत्तरी की गई थी। यद्यपि मात्रा को 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम कर दिया गया है, परंतु खरीद क्या है? कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनकी खरीद केवल 20 से 30 प्रतिशत है। यह मुख्य रूप से खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि के कारण है। हमारी आशंका है कि सरकार यह संशोधन विधान ला रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज सहायता को कम करना है, जो अब तक भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर दे रही है, ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त कर सके।

महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम बंगलादेश को खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे हैं। खाद्यान्न का वह मूल्य क्या है जिस पर बंगलादेश और अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है? यह उस मूल्य से कम है जिस पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यहां उपलब्ध है। बंगलादेश और अन्य देशों को जहां हम निर्यात कर रहे हैं, वे गेहूं तथा चावल जैसे खाद्यान्न हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तुलना में सस्ती दरों पर प्राप्त कर रहे हैं। यह इस कारण से है कि बफर स्टॉक बढ़ रहा है। अब यह 53 मिलियन टन से अधिक है। इस बफर स्टॉक के रख-रखाव में, भारत सरकार को 4000 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च करना पड़ता है। राजसहायता भ्रामक है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

भारत सरकार जो कुछ प्रदान कर रही है वह केवल बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए है। इस आशय के साथ नहीं कि लोगों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न मिले।

बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने संकेत दिया था कि खाद्यान्न की खरीद के साथ-साथ वितरण भी राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की योजना और कार्यक्रम क्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम को जारी रखना चाहती है। यदि खरीद और वितरण राज्य सरकारों को सौंपा जाता है, तो भारतीय खाद्य निगम की भूमिका क्या होगी? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय खाद्य निगम को राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से 22000 करोड़ रुपये से भी अधिक उधार लेने में सक्षम बनाने के लिए धारा 27 में संशोधन किया जा रहा है। यह मुख्यत: इस कारण है कि भारत सरकार राजसहायता पर खर्च नहीं करना चाहती।

खाद्य पर राज सहायता केवल यहां भारत में ही नहीं दी जाती है। मैंने देखा है कि तीसरे विश्व के लगभग सभी देशों में खाद्य पर राजसहायता उससे कहीं अधिक है जो भारत सरकार आज खर्च कर रही है। श्रीलंका और मैक्सिको जैसे छोटे देश उससे कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं, जो हम राजसहायता पर खर्च कर रहे हैं।

इस अध्यादेश को जारी करने की तत्काल आवश्यकता क्या थी? यह संशोधन विधेयक पिछले सत्र में क्यों नहीं लाया गया? सत्र के सत्रावसान के पन्द्रह से बीस दिनों बाद, यह अध्यादेश लाया गया है। मैं इस अध्यादेश की तत्काल आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि बफर स्टॉक 1988 से लगातार बढ़ा है। 1988 से बफर स्टॉक 40 बिलियन से 45 मिलियन टन तक बढ़ा और उसके पश्चात् 50 मिलियन, 53 मिलियन तथा 54 मिलियन टन तक बढ़ा। भारत सरकार ने यह क्यों नहीं महसूस किया कि भारतीय खाद्य निगम को राष्ट्रीयकृत बैंकों से धन उधार लेने में सक्षम बनाने के लिए इस धारा में संशोधन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: कृपया आप समाप्त करें। आपको इस वाद-विवाद के अंत में उत्तर देने का भी अधिकार है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं इस अध्यादेश को लाने की तत्काल आवश्यकता नहीं समझता। कोई अध्यादेश केवल तभी लाया जाता है जब कोई तत्काल आवश्यकता हो। भारत सरकार के लिए अचानक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी कि वह यह समझ कि कोई अध्यादेश लाया जाना था, कि इस अध्यादेश के बिना आसमान टूट पड़ेगा। भारत सरकार को अध्यादेश जारी करने की बजाए विधान लाने के लिए मानसून सत्र शुरू होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूँ, किन्तु चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम को मजबूत किया जाना चाहिए। वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, किन्तु उठाई कम क्यों है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी उठाई नहीं बढ़ाई गई है? मध्याह्न भोजन योजनाओं के मामले में भी समस्या है। मैं कुछ राज्यों के बारे में जानता हूँ जहां चावल मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नि:शुल्क दिया गया है। अंतोदय योजना की स्थिति क्या है? उसमें उठाई को प्रतिशतता क्या है? यह काफी पहले घोषित की गई थी। कितने राज्यों ने इस योजना को लागू करना शुरू कर दिया है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सस्ती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने संबंधी स्थिति क्या है? उठाई की प्रतिशतता क्या है? बफर स्टाक क्यों बढ़ रहा है?

अपराह्न 3.00 बजे

सरकार को गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्नों के मूल्य कम क्यों करने पड़े? जब हमने गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए भी खाद्यान्न के मूल्य न बढ़ाने का सुझाव दिया था, तो भारत सरकार ने हमारे सुझाव को नहीं माना। तब एक वर्ष के पश्चात, भारत सरकार को खाद्यान्नों का मूल्य 30 प्रतिशत तक कम करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बफर स्टॉक में वृद्धि के कारण ऐसा किया गया था।

महोदय, मैं इस अध्यादेश को लाने का विरोध करता हूँ। मैं इस अध्यादेश को लाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। वह नियमित विधान ला सकते थे।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, अब आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान कर रही है।

सभापति महोदय: आप अचानक खड़े होकर और बोल नहीं सकते। यह क्या है? आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि आप किस नियम के अंतर्गत बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: बसुदेव आचार्य जी ने मूल प्रश्न उठाया है कि इस आर्डिनेंस की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है।

अपराह्न 3.02 बजे

[श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन* हुए]

मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि फूड कॉरपोरेशन एक्ट के सैक्शन 27 के मुताबिक जितना स्टॉक हमारे पास होता है, उसके अगेंस्ट हमारी लिमिट बनती है कि इतना धन हमें प्रोक्योरमेंट करने के लिए उपलब्ध होता है और उसमें एक कंडीशन यह है कि पेड-अप कैपिटल के दस गुना से अधिक हम बैंकों से धन प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं ले सकते। 16.4.2001 को हमारा पेड-अप कैपिटल 2294.50 करोड़ था। उसका सीधा सा अर्थ यह था कि हम पिछले सीजन की प्रोक्योरमेंट के लिए 22945 रुपये ले सकते थे। इससे अधिक की आवश्यकता होती तो हमें धन उपलब्ध न होता। पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन से पहले जब सारे हिसाब का अनुमान लगाया गया तो ऐसा लगा कि हमें कुल मिलाकर लगभग 19 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा जिसमें फूड कॉरपोरेशन को जो प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा वह 463 लाख टन होगा। इस प्रोक्योरमेंट के समय धन की अदायगी के साथ-साथ जो पिछला स्टॉक राज्यों के पास पड़ा होता है, वह भी हमें लेना होता है। उसकी भी अदायगी करनी होती है और तब अनुमान यह लगा कि हमें प्रोक्योरमेंट की सारी प्रोसैस को पूरा करने के लिए 27,500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन उस समय के एक्ट की जो बाध्यता थी, उसके मुताबिक 22,945 रुपये का ही उपयोग कर सकते थे। यह सारी स्थिति जब सामने आई तो क्योंकि उस समय सत्र नहीं था, इसलिए 22 मई को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा।

मैं बसुदेव आचार्य जी को बताना चाहूंगा कि आर्डिनेंस जारी करने का परिणाम क्या हुआ कि आपने यह कहा कि आर्डिनेंस जारी नहीं करते तो हैवन फॉल न करते, बिल्कुल न करते लेकिन प्रोक्योरमेंट रुक जाती। किसान को धन की अदायगी न होती और जिन प्रदेशों में हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, वहां क्या स्थिति होती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। अप्रैल 2001 को 27,160 रुपये का हमारा स्टॉक था। हमने एक्चुअल बॉइंग 21,000 करोड़ रुपये की की। मई में 23,000 करोड़ रुपये की की। जून में 26,656 करोड़ रुपये की थी। उस समय इससे पहले आर्डिनेंस जारी किया था। यदि आर्डिनेंस जारी न करते तो 22,000 करोड़ रुपये से अधिक हमारी लिमिट नहीं थी। हम किसान को अदायगी न करते।

इसके बाद जुलाई 2001 में हमें 27 हजार करोड़ रुपए की एक्चुअल बॉइंग करनी पड़ी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि हमने आर्डीनेंस जारी न किया होता, दो दिन ऐसे बीच में आए थे कि जहां अदायगी करनी कठिन हो गई। प्रदेशों में परेशानी हो गई। मुख्य मंत्रियों के एकदम टेलीफोन आने लगे। आर्डीनेंस की पहले व्यवस्था कर ली थी इसलिए तुरंत आर्डीनेंस जारी हुआ और हम प्रोक्योरमेंट की सारी प्रक्रिया को पूरा कर सके। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आपको जनवरी में मालूम नहीं हुआ था कि ऐसा होगा। *...(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार: हमें मालूम था, इसलिए आर्डीनेंस की व्यवस्था पहले कर दी थी।

श्री बसुदेव आचार्य: आप बिल ला सकते थे, उसे पास करवा सकते थे।

श्री शांता कुमार: सभापति जी, इस परिस्थिति में हमें आर्डीनेंस जारी करना पड़ा और आर्डीनेंस जारी करने के कारण ही हम प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को कम्पलीट कर पाए। यदि आर्डीनेंस जारी न होता तो 22 हजार करोड़ रुपये से आगे पांच हजार करोड़ रुपए की अदायगी हम न कर पाते और किसानों को अदायगी न होती तो कितनी परेशानी होती। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं।

महोदय, आदरणीय सदस्य ने दो-तीन बातें और कही हैं, मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इतने भंडार क्यों इकट्ठे हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार किसानों के हित में सारी बातों पर विचार करके ठीक, उचित मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है और उस अच्छी आकर्षित मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण किसान अधिक से अधिक सरकार को देना चाहता है, सरकार खरीद रही है। हमारा भंडार इसलिए बढ़ा, क्योंकि हमारे किसान के हित की नीति के कारण प्रोक्योरमेंट की राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। 1998-99 में व्हीट का प्रोक्योरमेंट केवल 126 लाख टन था, जो 2001 में बढ़ कर 214 लाख टन हो गया। प्रोक्योरमेंट बढ़ी है तो हमारा भंडार भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से राइस 125 लाख टन से बढ़ कर पिछले वर्ष 202 लाख टन हो गया। इसलिए भंडार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिक प्रोक्योरमेंट की किसान के हित में हमारी नीतियां हैं। उस प्रोक्योरमेंट के कारण हमारे भंडार बढ़े हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार की मंशा सब्सिडी घटाने की है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गरीबों के हित में सब्सिडी घटाने का नहीं बल्कि बढ़ाने का हमारा निश्चय है और हमने सब्सिडी बढ़ाई है।

[श्री शांता कुमार]

इस समय कुल 13 हजार करोड़ की सब्सिडी फूड पर है। जिसमें केवल फूड सब्सिडी जो उपभोक्ता को है वह लगभग 7000 करोड़ की है। सब्सिडी घटाने की सरकार की कोई नीयत नहीं है। आपने कहा कि हम एक्सपोर्ट कम भाव पर कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि 1996-97 और 1998 में लगभग 30 लाख टन इम्पोर्ट हुआ, क्योंकि ओजीएल में था। इम्पोर्ट हम रोक नहीं सकते, बैन नहीं कर सकते। इधर किसान ज्यादा पैदावार कर रहा था, भंडार भरे थे और सस्ता गेहूं इम्पोर्ट हो रहा था। इस सरकार ने निर्णय किया, ड्यटी लगाई और आज गेहूं, चीनी और चावल का इम्पोर्ट बिल्कुल बंद है, लेकिन जब हमारे पास उत्पादन बहुत अधिक हो गया तो यह निर्णय किया गया कि हम विश्व बाजार में जाकर एक्सपोर्ट करें।

महोदय, जब हमने दुनिया के बाजार में जाकर एक्सपोर्ट करना है तो हमारे बताए हुए भाव के मुताबिक नहीं होगा, हम टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। दुनिया के बाजार में क्या भाव है, उसी के मुताबिक हमें एक्सपोर्ट करना है और दुनिया में जो भाव है उस पर विचार करके हमने एक्सपोर्ट करने का निर्णय किया। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि पहले ही साल हमने निर्णय किया कि एक्सपोर्ट करेंगे। इस समय 31 लाख टन गेहूं भारत एक्सपोर्ट कर चुका है। कहां तो इम्पोर्ट होता था और आज एक्सपोर्ट हो रहा है, यह खुशी की बात है। आपने रेट्स के बारे में कहा। जहां तक भाव का संबंध है हम जो 36 करोड़ लोग गरीबी की रखा से नीचे रहते हैं उन्हें चार रुपए 15 पैसे किलो गेहूं देते हैं। चावल पांच रुपए 65 पैसे किलो देते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप बाहर कितने पैसे में भेज रहे हैं?

श्री शांता कुमार: हम बंगाल की सरकार को चार रुपए 15 पैसे में देते हैं।

आगे वे क्या भाव देते हैं वह भाव आप कोलकाता से ले लीजिए। ...*(व्यवधान)* मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि एक्सपोर्ट में क्या भाव होगा यह दुनिया में क्या भाव है यह हिसाब रखकर तय करना पड़ता है। उसके लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनी है जो तय करती है लेकिन निर्देश यह है कि जो भाव होगा वह बीपीएल रेट से कम नहीं होगा।

एक बात इन्होंने और कही है कि एफसीआई चलेगी या नहीं चलेगी। सभापति जी, एफसीआई इस देश में फूड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और किसानों की सहायता करने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। उसके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वह रहेगी और हर प्रकार से अपना काम करेगी। आपने पूछा है कि हमने राज्यों को कहा है कि वे डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट करें। सभापति जी, भारत सरकार का सुझाव है कि राज्य आगे आएं क्योंकि बहुत से राज्यों में किसान उत्पादन कर रहा है और वह भी चाहता है कि उसके अन्न को भी सरकार खरीदे। जब दो-तीन प्रदेश करते थे तो केन्द्र की एजेंसी को करना सरल काम था। मैं आदरणीय आचार्य जी से कहूंगा कि वे मेरी बात पर ध्यान दें। हम हजारों-करोड़ रुपया इस सारी व्यवस्था पर खर्च कर रहे हैं लेकिन गरीब प्रदेशों के गरीब किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। भारत सरकार यह चाहती है कि राज्य आगे आएं और इसमें हमारा हाथ बटाएं। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में यदि राज्य आगे आएंगे तो सभी राज्यों में प्रोक्यूरमेंट हो सकेगी और इकोनोमिक कॉस्ट कम होगी। आज यूपी, मध्य प्रदेश और बंगाल में डिसेंट्रालाइज प्रोक्यूरमेंट होती है। इन तीन प्रदेशों में एक्सपैरीमेंट सफल हुआ है। बंगाल की सरकार को भी डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट में हमसे कोई शिकायत नहीं है और तीनों प्रदेशों में 140 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। मेरा सुझाव सारे राज्य की सरकारों से है। इससे पूरे प्रदेशों में प्रोक्यूरमेंट होगा और गरीब प्रदेशों के गरीब किसानों को फायदा होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि दो हजार करोड़ रुपये की बचत होगी जब डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट होगी। यह प्रस्ताव हमने दिया है और राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। अभी तक सारे राज्य माने नहीं हैं, बातचीत कर रहे हैं और जितनी सहमति बनेगी, उस पर बात होगी। ...*(व्यवधान)*

एक बात और कही गयी है कि ऑफ-टेक क्यों नहीं हो रहा है? सरकार की योजनाओं के मुताबिक गांव के गरीब आदमी के पास, झोंपड़ी तक सस्ता अनाज पहुंचना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं कि वह पूरा नहीं पहुंच रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार कितना अन्न देना चाहती है। बीपीएल में 160 लाख टन, एपीएल में 114 लाख टन, मिड-डे मील में 24 लाख टन हम एलोकेट करते हैं। कुल मिलाकर 303 लाख टन अनाज आम गरीब आदमी के लिए सस्ते भाव पर हम देना चाहते हैं। ऑफ-टेक कितना है तो यह केवल 43 प्रतिशत है। मैं राज्य सरकारों से बार-बार कह रहा हूं, मुख्यमंत्रियों को लिख रहा हूं कि यह ऑफ-टेक शत-प्रतिशत क्यों नहीं होती है। यह 100 प्रतिशत होनी चाहिए। आज प्रेस में, अखबार में एक बात कही जा रही है कि सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं और गरीब लोग भूखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं और केन्द्र सरकार दिल खोलकर देना चाहती है। हम 303 लाख टन अनाज देना चाहते हैं, राज्य सरकारें उठाती क्यों नहीं हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट रिस्पौंसिबिल्टी है। हमारे जिम्मे प्क्योर करना, स्टोर करना और राज्य सरकार को देना काम है। मैंने मुख्यमंत्रियों को कहा है कि इन कामों में से कोई काम करें और हमें बताएं, हम सुधार करने को तैयार हैं लेकिन जो 4 लाख 60 हजार राशन की दुकानें हैं, उन दुकानों की 303 लाख टन

अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे गोदाम भरे हैं, हम दिल खोलकर देना चाहते हैं, अनाज की कमी नहीं है। इसके बाद भी यदि कहीं भूख है, किसी झोंपड़ी में भूख का दर्द है तो वह अनाज की कमी के कारण नहीं है, इंतजाम की कमी के कारण है और वह इंतजाम राज्य सरकारों को करना है। राज्य सरकारें पूरा सहयोग दें तो कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं आ सकती है। इस कारण हमें यह अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम इसे नहीं लाते तो प्रक्योरमेंट रुक जाता। इस कानून में हम यह कर रहे हैं कि स्टॉक के अगेनस्ट फूड कारपोरेशन को अनाज लेना है। तजुर्बे ने हमें बता दिया। यदि यह अध्यादेश नहीं लाते तो प्रक्योरमैंट की पूरी प्रक्रिया हमें करनी पड़ती। मेरा निवेदन है कि इसे पास करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 मई, 2001 को प्रख्यापित खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन अस्वीकृत करती है।"

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): सभापति जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया। जैसा आचार्य जी ने प्रश्न उठाया कि इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी? मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद उसमें अब कहने के लिए शेष कुछ नहीं बचा। *...(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि गेहूं खेतों में तैयार था लेकिन बाजार में गेहूं की कीमत बहुत कम थी। अगर सरकार उस समय गेहूं खरीदने की पहल नहीं करती तो शायद इस देश के लाखों करोड़ों किसानों को नुकसान होता है और उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। जैसे अखबारों में आ रहा है कि गेहूं सड़ रहा है। गेहूं खेतों और खलिहानों में सड़ता तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते। उस समय एक विचित्र परिस्थिति थी चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो। तमाम प्रदेशों में गेहूं खेतों में तैयार था लेकिन बाजार में गेहूं की कीमत बहुत कम थी। उस कीमत पर अगर किसान गेहूं बेचता तो उसे लागत मूल्य मिलने वाला नहीं था। उस समय सरकार ने पहल की और उसे निर्धारित रकम से अधिक पैसे देने की आवश्यकता पड़ी। जब अधिक पैसे देने की आवश्यकता हुई तो अध्यादेश लाकर सरकार ने जो पहल की, उससे करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। किसानों ने इस बार आगे बढ़ कर सरकार द्वारा निर्धारित क्रय केन्द्रों में गेहूं बेचा। इतना ही नहीं पिछले सत्र में भी धान की खरीद भारत सरकार के माध्यम से हुई थी। धान और गेहूं की खरीद जब से एफसीआई भारत सरकार के माध्यम से करने लगा है तब से ऐसी स्थिति आई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बार केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया है। इससे बाजार में गेहूं के भाव ऊंचे हो गए। जहां सरकार साढ़े 600 या 610 रुपए क्विंटल में उसे खरीद रही थी वहीं बाजार में 560-575 रुपए क्विंटल में वह बिकने लगा। बाजार में अंतर आया। परिणाम यह हुआ कि जो खरीद सरकार द्वारा हो सकी उसे सरकार ने खरीदा, जो नहीं खरीदा जा सका उसे किसानों को बाजार में गेहूं बेचने का मौका मिला और उन्हें अच्छा पैसा मिला। ऐसा करके किसानों के साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ। यदि ऐसा नहीं होता तो किसानों को बड़ी दिक्कत होती। मैं मानता हूं कि किसानों से खरीदे गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह कीमत नहीं मिल सकती जिस कीमत पर उसे खरीदा गया है। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है और वहां जगह बनानी है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि इसके पहले हम गेहूं खरीदते थे। हमें अच्छी तरह से याद है।

जब अमरीका से पी.एल.-480 के तहत गेहूं खरीदा जाता था, उसे आदमी तो क्या जानवर भी खाना पसंद नहीं करते थे। मैं भारत के किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने भुखमरी और अन्न की कमी का सामना करने के लिए कमर कस ली है और आज देश में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। न केवल हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी बंगला देश जैसे गरीब देशों को अपना गेहूं बेच सकते हैं या दे सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बी.पी.एल. के लिए पीडीएस के तहत गेहूं और चावल देने की बात है, आज वह अनाज जिस कीमत पर उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह वह कीमत है जिसको गरीब आदमी वहन कर सकता है और उसे खरीद सकता है। वृद्ध और गरीब लोगों को मुफ्त चावल और गेहूं देने के लिए अन्नपूर्णा योजना बनाई गई है। इस योजना से उन्हें काफी लाभ हो सकता है। उन गरीब लोगों को अनाज देने के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने ढंग से कहा है। अगर प्रदेश इस अन्न को खरीदने की दिशा में पहल करते और हर प्रदेश इस अनाज को खरीदता, वह खरीद में आगे आता तो

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

सबसे बड़ी सुविधा यह हो जाती कि आज जो गेहूं वे नहीं उठा रहे हैं, उसकी आवश्यकता न होती और इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उसमें भाड़ा लगता है और उस राज्य को किराया देना पड़ता है। वे यह भाड़ा देने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एफ.सी.आई. के भंडारण दूर-दूर जगहों पर हैं, यदि हर न्याय पंचायत में भंडारण होता तो गेहूं और चावल वहीं होता और उसे उठाकर लाने की जरूरत न होती। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि जब रेलवे या रोड द्वारा ढुलाई होती है तो रास्ते से गेहूं और चावल गायब हो जाते हैं और भाड़े पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि तीन राज्यों ने पहल की और इस तरह से 141 करोड़ रुपये की बचत हुई। अगर पूरे देश के सभी राज्यों ने पहल की होती तो निश्चित तौर पर बचत हुई होती। इस भुखमरी की हालत में वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए गोदाम वहीं होता। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने निर्णय किया है कि जो निजी क्षेत्र में गोदाम बनाना चाहते हैं, नाबार्ड उन्हें कर्ज देने के लिए तैयार है। इस तरह की पहल होनी चाहिये क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में जहां अनाज उत्पादन की है, वहीं अनाज भंडारण, वितरण और विपणन की भी है। अब कृषि उत्पादन की दिक्कत नहीं है क्योंकि किसान ने इस मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर ली है लेकिन भंडारण, वितरण, विपणन के मोर्चे पर किसान मार खा रहा है। इसका कारण यह है कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने जिस प्रकार से मन बनाया है इसका विकेन्द्रीकरण किया जाये और विकास खंड केन्द्रों पर, न्याय पंचायत स्तर पर इसी तरह से गोदामों का निर्माण हो तो राज्य वहीं अनाज खरीद कर भंडारण कर सकता है। इससे वितरण प्रणाली और आसान बनाई जा सकती है। ढुलाई पर जो अतिरिक्त खर्च होता है, उसमें बचत की जा सकती है। अनाज पहले किसानों से खरीद कर गोदामों में डाला जाता है, फिर वहां से उठाकर दुकानों पर डाला जाता है। इससे सरकार को परिवहन का दोहरा खर्च वहन करना पड़ता है।

सभापति महोदय, एफ.सी.आई. ने एक और जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उसने न केवल गेहूं, चावल बल्कि बाकी कृषि उत्पादों के लिए भंडारण, परिवहन और वितरण की बात अपने कार्य क्षेत्र में शामिल की। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि न केवल गेहूं, चावल का सवाल है बल्कि देश में करोड़ों रुपये की सब्जियां सड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था जिसमें बताया गया कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 33 हजार करोड़ रुपये की सब्जियां सड़ जाती हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि सब्जी उत्पाद में देश के छोटे काश्त के लोग लगे रहते हैं। वे 4-5 बीघे की जमीन में थोड़ी पूंजी से सब्जियां उगाते हैं। उनका छोटा दायरा होता है। अगर उनका उत्पाद तुरंत न बिके तो दूसरे दिन सड़ जाता है।

लेकिन आज तक हम सब्जियों और फलों के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। इसमें पहल होनी चाहिए। अगर सब्जियों और फलों के भंडारण में सरकार रुचि लेगी, जिस तरह से खाद्य निगम का संकल्प दिखाई पड़ रहा है, अगर इस दिशा में पहल होगी तो मैं समझता हूं कि जो किसान आज गेहूं और चावल के उत्पादन में लगा हुआ है, वह उससे हटकर सब्जियों और फलों के उत्पादन में लगेगा। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में लगेगा। जिससे उसकी आमदनी बढ़ सकती है, नकदी आमदनी बढ़ सकती है। गेहूं, चावल तीन महीने में तैयार होते हैं, लेकिन सब्जियों और फलों का उत्पादन समय-समय पर होता रहता है। इससे उसकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था नहीं है। आश्चर्य हैं आप इसी समय देखें पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में आलू पैदा हो रहा है, लेकिन वह वहां मुश्किल से दो रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन दिल्ली में वह किस भाव बिक रहा है। चूंकि उसके परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है। यदि परिवहन की उचित व्यवस्था होती तो उत्तरांचल का आलू सस्ती दर पर दिल्ली के लोगों को भी मिलता और आलू उत्पादक को अच्छी कीमत भी मिलती। लेकिन इस तरफ पिछले पचास वर्षों में ध्यान नहीं दिया गया है। यह सरकार धन्यवाद की पात्र है कि कम से कम इसने इस संबंध में सोचा तो कि हमें इधर भी पहल करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि खाद्य मंत्री जी इधर विशेष ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, जहां तक अनाज के सड़ने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत पुराना कृषि प्रधान देश है। हमने कृषि के क्षेत्र में कोई अभी कदम नहीं रखा है। हमारी कृषि का बहुत पुराना इतिहास है। अगर हम भण्डारण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करे और इसी क्रम में इसे क्षेत्र पंचायतों तथा गांव पंचायतों तक पहुंचाएं और गांव का उत्पादन गांव में ही रखने की व्यवस्था हो जाए तो गांव में अन्न नहीं सड़ेगा।

सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें कुछ मुख्य मंत्रियों ने राय दी थी कि अन्न बैंक बनाये जाने चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव था। अगर गांव-गांव में अन्न बैंक बनाये जाएं और वहां का उत्पाद वहीं रखने की व्यवस्था हो जो और सरकार उसमें मदद करे, नाबार्ड उसमें मदद करे तो किसानों को बहुत फायदा होगा। जब किसान की फसल तैयार होती है तो वह उसे घर में रखने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उस उत्पाद

के विरुद्ध उसने कर्जा लिया होता है, एडवान्स लिया होता है। वह उसे तत्काल बेचना चाहता है और बेचकर उस काम को पूरा करना चाहता है। अगर उसे कहीं से उसके उत्पादन की तुलना में पैसा मिलने की उम्मीद होती तो वह अन्न बैंक में उसे दे देता और उसके बदले उसे पैसा मिलता रहता। उसके सामने यह दिक्कत नहीं आती। उसी किसान की समय पर जब फसल तैयार होती है तो वह उसे औने-पौने भाव पर बेचने के लिए मजबूर होता है। लेकिन तीन महीने के बाद जब वह भुखमरी का शिकार होता है तो वहीं किसान पी.डी.एस. की दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए लाइनों में खड़ा रहता है। यह खरीदने और बेचने के बीच जो असंतुलन है, इसे दूर करने का प्रयास खाद्य निगम कर रहा है। ऐसे संदेश मिल रहे हैं। इस तरफ और ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली को सुधारने के लिए खाद्य निगम काम कर रहा है और इस दृष्टि से परिवहन और भंडारण पर जो खर्च हो रहा है, परिवहन और भंडारण के खर्च में असंतुलन के कारण बिचौलिये लाभ उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग 15000 हजार करोड़ रुपये के गेहूं की खरीद हुई है। यह एक रिकार्ड खरीद हुई है। इससे पहले इतनी खरीद कभी नहीं हुई, जितनी इस बार हुई है। इसमें अगर हम इसकी व्यापक और उचित व्यवस्था राज्य स्तर पर कर पाते और पंचायत स्तर पर खरीद की व्यवस्था की गई होती तो बिचौलियों को कोई फायदा नहीं होता। बिचौलियों को कब फायदा होता है जब खरीद केन्द्र पर व्यवस्था उचित न हो। उसके विकेन्द्रीकरण में राज्य जितनी रुचि लेंगे, जिले जितनी रुचि लेंगे, पंचायतें जितनी रुचि लेंगे, क्षेत्र पंचायतें जितनी रुचि लेंगी, उतना ही हम बिचौलियों को विस्थापित कर सकेंगे। बिचौलियों के कारण धन का जो अपव्यय होता है, उसे हम रोक सकेंगे। इस प्रणाली में सुधार लाकर हम देश के कृषि उत्पादकों को उचित कीमत दे सकेंगे, वहीं हम देश में भुखमरी का सामना भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया है और वितरण प्रणाली जो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली थी, जिसके कारण किसानों का उत्पाद पड़ा रहता था, उसे कोई खरीदने वाला नहीं होता था, उन्हें उसका उचित मूल्य दिलाने और भूमिहीनों और गरीब लोगों को उचित मूल्य पर अन्न उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया है उसके लिए वह सर्वथा बधाई के पात्र हैं।

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक 2001 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, हमने भी प्रख्यापन के प्रतिस्थापन के बारे में संवैधानिक संकल्प का प्रस्ताव किया था। लेकिन मेरे अनुसार यह व्यापक विधेयक नहीं है। खाद्य निगम में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें एक छोटे संशोधन से हटाया नहीं जा सकेगा। माननीय मंत्री को चीजों को सही करने के लिए अनियमितताओं के बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए था।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि भारतीय खाद्य निगम की प्रदत्त पूंजी 22.940 करोड़ रुपये है। भारतीय खाद्य निगम ने कोई आरक्षित निधि नहीं बनाई है जिसे उन्हें विद्यमान अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत बनानी चाहिए। अब सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा रिजर्व बैंक से ऋण लेने के लिए यह संशोधन लाई है। अधिकतम उधार आरक्षित निधि का दस गुणा हो सकेगी। किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक कोई आरक्षित निधि नहीं बनाई है। इसलिए जब तक वह इस धारा को पूरा नहीं कर लेता। रिजर्व बैंक से किसी प्रयोजनार्थ ऋण नहीं ले सकता। इस प्रकार यह विधेयक निगम की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन 1998 से दुगुना हो गया है, क्योंकि हमारे किसानों ने अधिकाधिक उत्पादन करने में अधिक रुचि ली है। इस सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बफर बढ़ रहा है। अत: वृद्धि के अनुसार निधियां प्रदान करनी चाहिए। किंतु पिछले तीन वर्षों से सरकार चुप है और वह ऋण लेने के लिए अध्यादेश के जरिए यह विधान लाई है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम की कई समस्याएं हैं, जो इस विधेयक के द्वारा सरकार द्वारा नहीं सुलझायी जा सकती।

इसके अलावा, इस समय देश भर में खास कर कर्नाटक में गोदामों की भारी कमी है। कर्नाटक में पर्याप्त गोदाम नहीं है और भंडारण खुले में पड़े हैं। वर्षा से बचाव का कोई साधन है। कई बार खाद्यान्न खराब हो जाता है और यह उपभोग के लायक नहीं रह जाता।

जब तक उनके पास उत्कृष्ट भण्डारण सुविधा नहीं है, उनकी खरीद बेकार है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरित खाद्य पदार्थ कुछ मामलों में मानवीय उपभोग के लिए उचित नहीं थे। यदि वहां अनियमिततायें अथवा कमियां है, तो निगम को वित्तीय शक्तियां देने का क्या औचित्य है। इस मुद्दे की केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए।

इसके अलावा, यहां अन्य बहुत-सी समस्याएं हैं। वहां कर्मचारियों की समस्याएं है। भण्डारण की समस्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है। वहां परिवहन सुविधायें नहीं है। ऐसी समस्याओं और अनियमितताओं को 20-25 वर्षों से सुलझाया नहीं गया है। अत: यह विधान लाना

[श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा]

अनुचित है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पूर्ण संतोषजनक कार्य हेतु निगम के लिए एक व्यापक विधेयक लायें।

श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का यह अवसर मुझे दिए जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सरकार जो संशोधन करना चाहती है वह बहुत ही साधारण हैं। ये भारतीय खाद्य निगम को अधिक उधार लेने की क्षमता प्रदान करने के लिए हैं। वास्तव में, इस संशोधन पर आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान स्थिति कई वर्षों से पैदा की गई है और भा.खा.नि. को इस तरह उधार लेने की शक्तियां होनी चाहिए। अन्यथा निधियों की कमी के कारण वे अपना व्यवसाय करने में कठिनाई का सामना करेंगे।

भा.खा.नि. की समस्या यह है कि उनके पास स्वयं की पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहीं है। उनके पास अभी जितनी भण्डारण क्षमता है, वह सरकार की नीति के कारण लगभग पूरी है। खाद्यान्नों की उठाई बहुत ही कम हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते मुझे विभिन्न भागों में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डागार निगम के गोदामों का दौरा करने का अवसर मिला था। मैंने पाया कि लगभग सभी गोदाम, अपनी क्षमतानुसार पूरे भरे हुये थे। राज्य सरकारों को आबंटित मात्रा उठाई नहीं गई है। इसका एक मुख्य कारण है। वह कारण है खाद्य पदार्थों जैसे चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि। एक समय ऐसा था, जब ए पी एल चावल का मूल्य सात रुपए से दस रुपए था। उस समय, वहां यह समस्या नहीं थी। यह समस्या एपीएल चावल के मूल्य में 10 रुपए से अधिक वृद्धि होने पर पैदा हुई। कुछ राज्यों में मूल्य 13 रुपये से 14 रुपए था। इस स्टॉक को निकालने के लिए सरकार ने एक और नीति ढूंढ ली है। केवल इस स्टॉक को निकालने के लिए उन्होंने नीलामी की व्यवस्था की। नीलामी के माध्यम से निकालने के अर्थ हैं कि चावल का मूल्य बीपीएस चावल से कम है। अत:, यह इसी तरह चल रहा है।

समय बीतने के कारण और गोदामों के पुराने होने के कारण चावल और गेहूं की गुणवत्ता ख़राब हो गई है। कुछ खाद्यान्न इतने खराब हो गये हैं कि वे मानवीय उपभोग के लिए उचित नहीं है। भा.खा.नि. के गोदामों में एक चिह्न है, जो दर्शाता है कि यह किस वर्ष में खरीदा गया, इत्यादि। जब यह नीलामी के लिए जाता है, तो वे चिह्न में इस तरह परिवर्तन कर देते हैं कि अच्छी किस्म के खाद्यान्न नीलामी में चले जाते हैं और घटिया किस्म के खाद्यान्न, जो कई बार मानवीय उपभोग के लिए उचित नहीं होते हैं, राशन की दुकानों पर चले जाते हैं। नीलाम किया गया चावल, व्यापारियों के पास जाता है। इससे केवल व्यापारियों को सहायता मिलती है। यह सरकार केवल व्यापारियों को सहायता करने में रुचि रखती है। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को देखना चाहिये कि भा.खा.नि. अपना स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निकाले। चावल और गेहूं के मूल्यों के उपभोक्ताओं की पहुंच में लाना चाहिए। सरकार को एपीएल और बीपीएल उपभोक्ताओं विशेषरूप से बीपीएल उपभोक्ताओं के प्रति व्यक्ति उपभोग, जो बहुत कम है, को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

पूर्वोत्तर में लोगों का मुख्य भोजन चावल है। उनमें से अधिकतर चावल खाने वाले हैं। वे दिन में तीन बार खाते हैं। बीपीएल परिवारों को आबंटित खाद्यान्न अब पर्याप्त नहीं है। खुले बाजार में बिकने वाले खाद्यान्न उनकी पहुंच में नहीं है। अत: जब वह खरीद करने की स्थिति में होते हैं। वे बाहर से चावल खरीदते हैं। अन्यथा वे भूखे रहते हैं। अत: खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि की जानी चाहिए। मैं सरकार से बीपीएल परिवारों की खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि से पहले, राशन की दुकानें अच्छी चल रही थीं। कुछ राशन की दुकानें लाभ भी कमा रही थीं। किन्तु मूल्यों में वृद्धि के बाद वे केवल बीपीएल परिवारों के लिए निहित खाद्यान्नों को ही बेच पाती है। लगभग सभी राशन की दुकानें निजी पक्षों द्वारा चलाई जाती हैं। अब उनमें से अधिकतर दुकानें बंद हो गई है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं। वे केवल बीपीएल परिवारों के लिए निहित खाद्यान्न, चीनी इत्यादि ही बेच पाते हैं। राशन की दुकानें इन अल्प मदों से नहीं चल सकती। निजी व्यापारी राशन की दुकानों के बंद होने का लाभ उठाते हैं और लाभ कमाते हैं।

भा.खा.नि. के पास लगभग सभी राज्यों, जोनों और स्थानों पर स्टॉक रखने के लिए अपनी भण्डारण क्षमता है। इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ किराये के गोदाम भी हैं। पूर्वोत्तर में, लगभग सभी राज्यों में गोदाम निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्य काफी लम्बे समय से चल रहा है। कुछ गोदामों से संबंधित निर्माण कार्य गत दस वर्षों और उसके माफिक समय से चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि एक भी गोदाम निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ है। कई कारणों से, इनको पूरा करने में अधिक समय लगा है ...*(व्यवधान)*

महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भा.खा.नि. की अपने स्वयं की भण्डारण क्षमता बनाने में रुचि नहीं है। स्टॉक में कमी के कारण स्टोर कीपर और कर्मचारियों को कुछ मामलों में समस्याओं का

सामना करना पड़ रहा है। पहले ढुलाई के दौरान नुकसान और कम वजन संबंधी मामलों का प्रतिशत अधिक था किन्तु आजकल यह कम है। जहां कहीं भी कमी होती है, उसकी वसूली स्टोर कीपर और स्टोर के प्रभारी से की जाती है। इस तरह कुछ कर्मचारी. जो स्टोर के प्रभारी है, कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी सेल्वा गनपति जी ने बोलना है, आप इनके बाद बोलेंगे। वे सबसे पीछे बैठे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दिये।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): माननीय सभापति महोदय, भारतीय खाद्य निगम से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए स्वराज का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जो भूखे ही सो जाते हैं। अब मैं अपने देश में खाद्यान्नों की खाद्य स्टॉक स्थिति को लेता हूं। भा.खा.नि. के पास आज की स्थिति के अनुसार 60 मिलियन टन स्टॉक है, जबकि लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण की शिकार है।

एक अन्य चौंका देने वाली बात पांच वर्ष से कम आयु के कमजोर बच्चों के प्रतिशत से संबंधित है। यह देश में सबसे अधिक है। यह 53 प्रतिशत है। बंगलादेश के मामले में यह 56 प्रतिशत है। जिस जल्दबाजी से सरकार यह अध्यादेश लाई है, वह सन्देहपूर्ण है और इस पर सही परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया जाना चाहिए। यह तब आगे लाया गया, जब कोई अत्यावश्यकता नहीं थी। अध्यादेश की घोषणा से केवल 20 दिन पूर्व संसद का सत्र चल रहा था।

सरकार अभी भी इस समय अध्यादेश लाने के लिए तैयार नहीं थीं, जिसका सामान्य सा कारण यह है कि सरकार जो कुछ भी धांधली करना चाहती है, वो ऐसे ही करना चाहेंगे। अत: हम अध्यादेश के समय का विरोध करते हैं। कारण यह है कि सरकार की कोई स्पष्ट खाद्यान्न नीति नहीं है। इसका दो मुख्य कारणों से विरोध किया जाता है। पहला, वे खाद्यान्नों के बिक्री मूल्यों को घटाना नहीं चाहते। इसके बजाय दो वर्ष पूर्व बिक्री मूल्य में वृद्धि की गई थी। अत: खाद्यान्नों की उठाई कम थी। दूसरा वे न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए विवशता बता कर अब विरोध कर रहे हैं। ये दो समस्याएं परस्पर विरोधी हैं।

एक और मुद्दा यह है कि कृषि क्षेत्र, डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत विश्व व्यापार के लिए खोला जा रहा है। बाजार मूल्य घट रहा है। अत:, निर्धनता की रेखा से ऊपर जीवनापन करने वाले लोगों द्वारा खरीद लगभग शून्य है।

इन बातों पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि ऐसा संशोधन लाए जाने का कोई औचित्य है। पहले ही, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 60 मिलियन टन. खाद्यान्न उपलब्ध है। इस खाद्यान्न को कोई नहीं उठा रहा है। इन परिस्थितियों में, यदि सीमा हटाई भी जाए तो किस उद्देश्य से? इस संबंध में अधिकतम सीमा यह थी कि भा.खा. निगम, बैंकों और बाहरी संस्थाओं से अपनी प्रदत्त पूंजी का दस गुणा उधार ले सकता है। यदि वह सीमा हटा ली जाए, तो भा.खा.नि. को बाहर बाजार से जितनी चाहे, उतनी राशि उधार लेने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। 60 मिलियन टन का बफर स्टॉक रहने के बावजूद, सरकार इसका वितरण नहीं कर पा रही है। इसका क्या कारण है? सरकार किसी प्रकार 'अन्न योजना' जैसे कार्यक्रम अथवा गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम अथवा खाद्यान्न के मुफ्त वितरण अथवा माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर सभी प्रकार की लाभकर और आकर्षक योजनाएं तैयार कर रही है। परंतु सरकार अब तक निरंतर एकत्र हो रहे इस बढ़ते स्टॉक को खत्म नहीं कर पाई है।

अब, यदि सीमा हटाई जाए तो अधिक से अधिक खरीद होगी। सरकार के समक्ष एक और गठजोड़ वाली सरकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिसका सरकार को सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? श्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य से ऊंचे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद हेतु सरकार पर वस्तुत: दबाव डाला था। इसका अनुसरण करते हुए सरकार के सहयोगी दल, अकाली दल, ने पंजाब से दबाव डाला था। इसे देखकर, श्री नीतीश कुमार ने बिहार से खाद्यान्न की खरीद किए जाने संबंधी इच्छा व्यक्त की थी। ऐसा ही एक अन्य सहयोगी दल ने उड़ीसा में किया। खाद्यान्न स्टॉक बढ़ता जा रहा है। जब तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद के संबंध में आपकी कोई स्पष्ट नीति न हो तथा भारतीय खाद्य निगम का विकेन्द्रीकरण हो रहा हो या कुछ भी किया जा रहा हो, सरकार इस मामले विशेष में किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है।

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन रिपोर्टों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें कहा गया है कि अपने देश से इराक को आपूर्ति किए गए गेहूं की किस्म अच्छी नहीं थी। इस बारे में जांच भी कराई गई है। यदि ऐसी स्थिति है, यदि सरकार सही तरह से निर्यात नहीं कर पा रही है, यदि सरकार एकत्र हुए खाद्यान्न को गोदामों से उठाने की स्थिति में सुधार नहीं ला पा रही है, यदि सरकार खरीद को कम नहीं कर पा रही है और यदि सरकार बाजार मूल्य को कम करने में समर्थ नहीं है, तो सरकार किस प्रकार इस समस्या का समाधान करने जा रही है?

एक ओर, सरकार के पास अत्यधिक बफर स्टॉक है। दूसरी ओर, सरकार इस तरह की समस्या का सामना कर रही है जिसे मैंने स्पष्ट कर दिया है।

इसलिए, सरकार के लिए यही समय है जब वह खाद्यान्न के संबंध में एक स्पष्ट, व्यापक नीति तैयार करे।

महोदय, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि अक्तूबर महीने में खरीफ उत्पादन के भण्डारण हेतु अब कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। यदि यही स्थिति है तो सरकार खाद्यान्न का भंडारण किस स्थान पर करने जा रही है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो केन्द्र के सहयोग से स्वयं खाद्यान्न खरीद करने हेतु आगे आए हैं। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की क्या नीति है।

महोदय, गोदामों में भंडारण की स्थिति खराब है जैसाकि श्री चिन्मयानन्द स्वामी अभी बता रहे थे। वहां गोदाम में रखा खाद्यान्न चाहे गेहूं हो अथवा चावल हो या कोई अन्य अनाज हो, बिल्कुल भी उपभोग के लायक नहीं है। पहले की सरकार के समय तमिलनाडु राज्य में ऐसा हुआ है। मैं यहां आकड़े उद्धृत करना चाहता हूं और ये आंकड़े खतरनाक हैं। लगभग एक लाख मीट्रिक टन चावल उपभोक्ताओं को जारी नहीं किया गया। इसलिए, वर्तमान सरकार को आम जनता के बीच खाद्यान्न के इस स्टॉक का वितरण बंद करना होगा जो उपयोग के लायक नहीं है। लगभग एक लाख मीट्रिक टन चावल को घटिया, सड़ा हुआ आदि जारी न किया जा सकने लायक बताया गया। *...(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): सभापति महोदय, मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। यह जारी किए जाने लायक नहीं था जैसाकि वे कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, मैं इस प्रकार की बाधाओं के समक्ष नहीं झुक रहा हूं। मैं एक सही मुद्दा उठा रहा हूं और भारत सरकार को यह जानकारी दे रहा हूं कि एक लाख मैट्रिक टन चावल तमिलनाडु में जारी किए जाने लायक स्थिति में नहीं था तथा तमिलनाडु सरकार, वर्तमान में जिसके प्रधान डा. 'पुरात्वी थलैवी' हैं, ने जनता के लिए इस चावल को जारी करना बंद कर दिया है और सतर्कता जांच का आदेश दिया है। दोषी को सजा दी जाएगी; इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

महोदय, अब माननीय मंत्री महोदय ने पंजाब में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं जहां दो करोड़ रुपये की कीमत का खाद्यान्न भंडार हटाकर सड़ी हुई सामग्री गोदाम में रख दी गई। ऐसी गतिविधियां चल रही थीं तथा सरकार को इन गतिविधियों को रोकना पड़ा। अतः, सरकार को इस स्थिति का सामना करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करनी होगी। इस प्रकार के संशोधनों और उपायों से कोई परिणाम कभी हासिल नहीं होगा। अतः, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, मैं खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं। इसे कुछ महीने पहले जारी एक अध्यादेश के फलस्वरूप लाया गया है।

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के पूरे नाम का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कि यह दर्शाया गया है कि खाद्यान्न संबंधी व्यापार के उद्देश्य से एक निगम स्थापित किया जाएगा। यह पहली बात है जिसका इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अब, भारतीय खाद्य निगम न सिर्फ खाद्यान्न संबंधी व्यापार कार्य कर रहा है बल्कि लाखों उत्पीड़ित लोगों, उपेक्षित और भूखे लोगों के सुख सुविधाओं की भी देख:भाल कर रही है। श्री अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, अनेक कल्याणकारी उपायों पर विचार किया गया है और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो अथवा लक्षित सार्वजनिक वितरण पणाली हो या 'अन्नपूर्णा' अथवा 'अन्त्योदय' और काम के बदले अन्न संबंधी विभिन्न कार्यक्रम हों या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और अनेक अन्य कार्यक्रम हों। इसके लिए विचार यह है कि राज्यों और अन्य ऐसे कार्यकर्ताओं को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न दिए जाएं जो विभिन्न लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के इच्छुक हों और इस कार्य में अत्यंत रुचि ले रहे हों। इन सब कल्याणकारी उपायों के कारण, स्वाभाविक रूप से संपूर्ण भार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर पड़ता है।

अपराह्न 4.00 बजे

माननीय मंत्री महोदय श्री शान्ता कुमार पर दबाव है। वे उदार भाव से इस दबाव को झेलते रहे हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि यह अच्छा है कि वे भारत के लोगों के बारे में कई तरह से सोच

रहे हैं। एक बार जब भारतीय खाद्य निगम का कार्य अत्यधिक बढ़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से, नगद लेन-देन भी बढ़ जाता है। परंतु नगद और ऋण संबंधी पहले की सीमा 2200 और कुछ करोड़ रुपये के आस-पास थी। लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति के बारे में इतने कारकों पर ध्यान देते हुए स्वभावतः नगद लेन-देन बढ़ ही जाता है।

माननीय मंत्री महोदय ने अत्यंत संक्षिप्त रूप में, नगद राशि हेतु आवश्यकताएं दर्शाते हुए तथ्य प्रस्तुत किए हैं। 30,000 करोड़ रुपए जैसी किसी राशि की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय खाद्य निगम के पास नगद राशि और इन सब चीजों की कमी नहीं है। इसी वजह से पहले अध्यादेश लाया गया और बाद में विधेयक लाया गया। अनेक ऐसे कारक रहे हैं जो अब यहा स्पष्ट हो रहे हैं। भा.खा. निगम का कार्य, जैसा कि देश की खाद्य नीति में दर्शाया गया है, यह सुनिश्चित करना रहा है कि किसान को खाद्यान्न की मुसीबत में की गई बिक्री के कारण कष्ट उठाना न पड़े।

दूसरे, खाद्यान्न ऐसे लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और ऐसे लोग जिन्हें भोजन की आवश्यकता है। इन दोनों मामलों को सरकार की दोहरी नीति में दर्शाया गया है। इन दोनों कारकों को सुनिश्चित करने के लिए भा.खा.नि. एक अच्छा कार्य करती है। जब तक भा.खा.नि. खाद्यान्न की खरीद न करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

अब, मूल्य स्तर के बारे में कुछ आलोचना की गयी है। कोई समिति मूल्य निर्धारित करती है तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य का निर्धारण समय-समय पर किया जाता है। इन अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए तथा उसके आधार पर, गरीबी रेखा से नीचे का मूल्य तय किया जाता है तथा खाद्यान्न राज्यों और अन्य एजेंसियों को दिए जा रहे हैं। यह एक अलग मामला है कि राज्यों द्वारा खाद्यान्न उठाया जाना आशा या आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा है।

अपराह्न 4.03 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

उदाहरण के लिए, उड़ीसा में, करीब 659 लाख टन खाद्यान्न उठाया जाना था। राज्य सरकार ने मुश्किल से 100 लाख टन खाद्यान्न ही उठाया है। अन्य राज्य सरकारें भी इस कार्य में पीछे हैं। कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि उनके पास परिवहन संबंधी लागत का विवरण उपलब्ध नहीं है। परंतु यह खेद का विषय है कि भा.खा.नि. द्वारा उड़ीसा सहित पांच राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण काम के बदले अनाज, कार्यक्रम लागू कर पांच लाख टन खाद्यान्न दिया गया। वे पांच लाख टन खाद्यान्न को पूरी तरह नही उठाया गया है। अतः किसे दोष दिया जाए? जिन राज्य से यह अपेक्षा थी कि वे खाद्यान्न उठाएंगे, उन्हें ही दोषी ठहराया जाए।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह सोचने का समय आ गया है कि राज्य उस खाद्यान्न को लेने की पहल करें जो उन्हें केन्द्र सरकार ने कभी निःशुल्क तो कभी उदारतापूर्वक दिया है। इसीलिए नगदी प्रवाह के उचित ढंग से बढ़ने की आवश्यकता है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं भा.खा.नि. के कार्यकरण पर चर्चा करूंगा। माननीय मंत्री जी के प्रति पूर्ण नम्रता का भाव रखते हुए कह रहा हूं कि भा.खा.नि. के कार्यकरण का एक पिटा-पिटाया और ऊबाऊ ढर्रा बन गया है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। माननीय मंत्री जी इस भारी कूड़े को साफ करने का प्रयास करते रहे हैं। तभी तो उन्हें भा.खा.नि. के कार्यकरण पर इस अत्यंत कठोर जकड़ का पता लगा है। भा.खा.नि. पर इस भयावह जकड़ पर विचार करने तथा इसे उचित ढंग से ठीक करने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पहली समस्या है, भा.खा.नि. में यूनियनबाजी। मंत्रीजी ने कृपापूर्वक प्रत्येक राज्य में परामर्शदात्री समिति गठित करके भा.खा.नि. के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की है।

मंत्री जी ने मुझे उड़ीसा भा.खा.नि. परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त करके मेरा सम्मान किया है। मैंने जो पहली बैठक बुलाई, उससे मुझे कई बातों का ज्ञान हुआ जिन्हें भा.खा.नि. को सही रास्ते पर लाने से पूर्व ठीक किया जाना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा था, भा.खा.नि. के कार्यकरण पर यूनियनबाजी की जोरदार पकड़ है, सर्वप्रथम इस यूनियनबाजी को दूर किया जाए। जब तक यह यूनियनबाजी समाप्त नहीं होती, तब तक भा.खा.नि. का कार्यकरण बहुत मुश्किल होगा तथा खाद्यान्न का मूल्य भी बढ़ रहा है क्योंकि परिवहन की लागत बढ़ रही है। यूनियन में कुछ श्रमिक तो आयकरदाता हैं और वे भा.खा.नि. के प्राधिकारियों का कोई आदेश, तर्क या अनुदेश नहीं मानते।

दूसरी समस्या परिवहन घाटे की है। मैं इन बातों को विस्तार से नहीं बता रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभापति महोदय समय की कमी के बारे में सोच रहे हैं। परिवहन घाटा है, भंडारण घाटा है जो चूहों आदि द्वारा अन्न खाए जाने से हो सकता है, कुछ सूख भी हो सकती है क्योंकि नम खाद्यान्न खरीदा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, इस अत्यंत दुरुह स्थिति का पहला

[श्री अनादि साहू]

भाग तो यूनियनबाजी है और दूसरा भाग भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता निरीक्षक है। भा.खा.नि. द्वारा लिए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता का निर्धारण करने में उसे उचित ढंग से कार्य करना चाहिए, उसे खाद्यान्न में नमी आदि सभी बातों पर विचार करना चाहिए। जब बात खाद्यान्न भंडार की आती है, मुझे नहीं पता उस गोदाम में ही कितनी सूख हो जाएगी।

तीसरा भाग है, राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकारियों, भा.खा.नि. के प्राधिकारियों और चावल मिल वालों के संबंध। मिलवालों से लेबी का चावल लिया जा रहा है तथा कुछ राज्यों में यह 50% है और कुछ में 75%। ये सब के सब मिलीभगत करके भा.खा.नि. को बड़ी चालाकी से चूना लगा रहे हैं। उड़ीसा भा.खा.नि. परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता है कि मिल वाले, भा.खा.नि. के प्राधिकारी तथा राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकारी गोदाम में रखे जाने वाले चावल के हर ट्रक पर 2000 से 3000 रुपए तक लेते हैं।

इस समय मेरा सुझाव है कि भा.खा.नि. चावल स्वयं ही खरीदकर उसकी मिलिंग का काम भी स्वयं ही करने के बारे में क्यों नहीं सोचता जिससे कि पैसे के दुरुपयोग का कम से कम एक स्थान तो कम हो। जैसे आप मुझे घूर रहे हैं, मुझे और आगे बोलने की सम्भावना नहीं दिख रही, मैं विधेयक का समर्थन करके अपना भाषण समाप्त करता हूं किंतु माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी की बीसवीं शताब्दी के एक सशक्त कवि डब्ल्यू.एच.ऑडेन की कविता का अंश सुना रहा हूं। कवितांश निम्नवत है:

"ऑल आई हैव इज ए वॉयस
टु अनडू द फोल्डेड लाई,
एंड द लाई ऑफ अथॉरिटी,
हूज़ बिल्डिंग्स ग्रोप द स्काई।"

और यही स्थिति भारतीय खाद्य निगम की है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): माननीय सभापति महोदय, खाद्य निगम संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, इसकी मेरिट्स पर मेरा विरोध नहीं है। शांता कुमार जी, जो अब केन्द्र सरकार में मंत्री हैं, वह कभी राज्य सरकार के मुख्य मंत्री थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको अनुभव की कमी नहीं थी, आपने थोड़े दिन के बीच में आर्डीनेंस क्यों किया? सत्र चल रहा था, आपको अनुमान नहीं था कि सारे देश में किसानों ने क्या किया। किसानों ने पैदावार ज्यादा की, इसमें आपका क्या श्रेय है, या आपके कृषि विभाग का क्या श्रेय है। डीजल और खाद के दाम आपने बढ़ा दिये, तब भी किसान ने इतनी पैदावार की कि आप उसे खरीद नहीं सके। जब आप यह बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो आपने कहा था कि आप सिर्फ 43 प्रतिशत गेहूं और चावल राज्यों को दे पाए हैं। क्या आप अपनी अक्षमता पर सोने से पहले विचार नहीं करते हैं कि आप और आपका विभाग कितना अक्षम है। अभी हमारे उड़ीसा के माननीय साथी बोल रहे थे कि उड़ीसा में परामर्श समितियां बनाई हैं और क्या उनमें आपने सांसदों को रखा है और उसकी बैठक कभी हुई है या नहीं। उत्तर देते समय आप इस बात को हमें अवश्य बताएं। आपका विभाग बड़ा अक्षम विभाग है। आपके केन्द्रीय मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार में किसानों का गल्ला खरीदा ही नहीं गया है, इसके बारे में बताएं कि आपका क्या उत्तर है? पंजाब और हरियाणा की तरह बिहार में बाजार नहीं है जहां किसान अपना गल्ला ले जाएं और बेचें। क्या आपने वहां कोई बिक्री केन्द्र खोला है और आप कितना गल्ला बिहार से उठा सके, यह हमें बताएं। आपने सिर्फ एक लाइन का आर्डिनेंस किया है कि हमारे पास पूंजी का अभाव है और हम गल्ला खरीदना चाहते हैं। हम पूंजी बाहर से लेंगे और उसकी परमीशन हमें चाहिए और आपने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करा दिया। संसद का सत्र तो बार-बार चलता है और क्या आपको अनुभव नहीं था जो पहले दिन आप एक लाइन बनाकर नहीं लाए जो आज लाए हैं। हो सकता है कि इस सत्र के बाद फिर दूसरी क्लॉज के लिए आर्डिनेंस आपको कराना पड़े।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप संसद को इग्नोर करने का प्रयास मत कीजिए और आर्डिनेंस के द्वारा सत्ता चलाने का काम मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देना चाहता हूं कि आप ऐसा मत कीजिए।

प्रधान मंत्री जी ने अन्नपूर्णा योजना लागू की तो यह सारे हिन्दुस्तान में लागू क्यों नहीं की गयी और क्यों गल्ला नहीं उठा। माननीय स्वामी जी भाषण देकर चले गये हैं, मैं उनसे जानना चाहता था कि उत्तरांचल के गोदामों में जो गल्ला पड़ा हुआ है क्या उसको कोई आदमी खा सकता है। आप कहते हैं कि हम जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को गल्ला देते हैं। मैं पटना के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर जो रीजनल मैनेजर रहता है और मैनेजिंग डायरेक्टर खाद्य निगम का जो है, क्या आपने उसके बारे में पता किया है। जब उसके पास जन-वितरण प्रणाली का दुकानदार जाता है तो माल उठाने के लिए वह कितना रुपया बांध देता है कि उसको इतना रुपया चाहिए। आप परेशान हैं कि आपका गल्ला सिर्फ 43 प्रतिशत ही उठता है। आप इस पर भी निगरानी कीजिए।

आपका गोदाम जम्मू में है, दानापुर में है, मुगामा में है। जरा उन गोदामों का आप एक बार निरीक्षण तो करा लीजिए। हम तो कांग्रेस के एमपी हैं, हम पर तो आपको विश्वास नहीं होगा। आपके दल के जो माननीय सदस्य बिहार के हैं, उन्हें भेजकर बात करिए। संजय पासवान जी नवादा से चुन कर आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनके यहां गोदामों में गल्ला है? वहां सारा गल्ला बाहर पड़ा है। गोदामों के ऊपर कोई छत नहीं है। उसे केवल बोरे से या तिरपाल से ढका गया है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि गल्ले की क्या स्थिति होगी? मैं समझता हूं कि आप जरूर किसान होंगे। कोई किसान इस तरह से गल्ला अपने घर में नहीं रखता। उसके लिए ठीक से जगह बनानी पड़ती है, कोठी बनानी पड़ती है, तभी गल्ला रहता है और किसान उसका उपयोग कर सकता है, उसे खाने में ला सकता है। आज चावल और गेहूं सड़ रहा है। आपने फीगर्स दे दी कि हम 303 लाख टन अनाज देना चाहते हैं। क्या आपने अनाज रखे बोरों का कभी नाप-तोल किया है? आपके पदाधिकारी हर बोरे में से 5-7 किलो गेहूं या चावल निकाल कर रख लेते हैं और पूछने पर कहते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसे तोलना नहीं है, इसे ऐसे उठाकर ले जाओ।

सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली गांवों में चल रही हैं। गरीब आदमी को वजन में कम अनाज दिया जाता है। इससे उसे घाटा होता है। आप व्यावहारिकता की तरफ नहीं देखते हैं। आपके पास गल्ला रखने के लिए जगह नहीं है। क्या गोदाम बनाने का आपके पास प्रपोजल है? हमारे उत्तरांचल के साथी कह रहे थे कि गोदाम बनाने की बड़ी व्यवस्था हो गई है। आप हमें बताएं कि जब से आपने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है, तब से कितने गोदाम बनाए हैं? *...(व्यवधान)* यह विषय बहुत गम्भीर है। हम किसान हैं और गांवों से आते हैं।

सभापति महोदय: मैं जानता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है लेकिन समय कम है। पौने पांच बजे इस विधेयक को पारित करना है। अगर समय सीमा नहीं होती तो मैं आपको नहीं टोकता।

श्री राजो सिंह: आप जिस तरह से यह अध्यादेश लाए, मैं उसे लेकर इसका विरोध कर रहा हूं। बिहार में भारतीय खाद्य निगम है। बिहार के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना कर वहां की जांच कराएं। खाद्य मंत्रालय के सैक्रेटरी को वहां मत भेजें। आपके मंत्रालय की जो परामर्शदात्री समिति है, उसे किसी स्थान का उद्घाटन करने के लिए ले जाइए। बिहार के माननीय सदस्य आपको स्थल अध्ययन करके बताएंगे कि बोरे में कितना चावल और गेहूं कम पाया गया। हमारे यहां यही कठिनाई है। इस कारण वहां से गल्ला नहीं उठता। क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि आपने बाहर जो गल्ला भेजा उसे क्यों वापस कर दिया? क्या आपने इस पर कोई सोच-विचार किया? आज आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतना गल्ला बाहर भेजा। क्या आपने किसानों को बढ़िया बीज बांटा? बीज कृषि विभाग देता है, पानी सिंचाई विभाग देता है और खाद खाद मंत्रालय देता है लेकिन आप क्या करते हैं? जो गल्ला पैदा करता है, उसे आप सही मूल्य भी नहीं देते हैं। समय आने वाला है, आप इस पर विचार करिए। बिहार और असम में कोई मंडी नहीं है। आप वहां बिक्री केन्द्र ठीक से खोल दीजिए और अपने सेल्स मैन को बैठा दीजिए। आप निश्चित तौर पर बिहार सरकार के साथ मिल कर इसकी निगरानी करिए। तभी कोई अच्छी व्यवस्था हो सकती है अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने रुपया लेने की ठीक व्यवस्था की है लेकिन मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह सहयोग करें। पौने पांच बजे इस विधेयक को पारित करना है और मंत्री महोदय को इसका उत्तर भी देना है। सभी माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, आज समय की मांग है कि एफ.सी.आई. का कार्यभार इतना बढ़ गया है कि जो उसके लिए समय सीमा लगायी थी कि वह दस गुना से ज्यादा लोन नहीं ले सकता, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। संसद के एक एक्ट के द्वारा 1964 में एफ.सी.आई. बना। उस समय उसके सामने तीन मुख्य बातें थीं। सबसे पहली किसानों के हितों की रक्षा करना ताकि उन्हें ठीक मूल्य मिल सकें। एफ.सी.आई. ने अपने उस धर्म को बखूबी निभाया है।

सभापति महोदय, पिछले दिनों जब पंजाब, हरियाणा तथा दूसरे प्रदेशों में किसानों का धान पिटने लगा तो एफ.सी.आई. ने किसानों की सहायता की और उसका धान खरीदा। दूसरी तरफ हमारे विरोधियों ने एन.डी.ए. सरकार के विरुद्ध यह भ्रामक प्रचार किया कि सरकार गेहूं के मूल्य 60 रुपये प्रति क्विंटल कम कर रही है जबकि वास्तविकता यह है कि उसने गेहूं के मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर इसे 610 रुपये कर दिया जिसे एफ.सी.आई. ने खरीदा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आप उन दिनों की याद करिये जब कोई भारतीय नेता विदेशों में जाता था तो अखबारों में कार्टून छपते थे।

[श्री रतन लाल कटारिया]

अल्लाह के नाम पर दे दे इंटरनेशनल फकीर आये हैं, अनाज मागने के लिए आये हैं। आज श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी इस सरकार ने अनाज उत्पादन में इतना बड़ा रिकार्ड कायम किया है कि जहां हम पहले विदेशों से अनाज मंगाया करते थे, आज वहीं हम 20 लाख टन अनाज निर्यात कर रहे हैं।

सभापति जी, एफ.सी.आई. ने अपने कार्यकाल में न केवल नये नये कीर्तिमान बनाये बल्कि देश के अंदर जब-जब सूखा और अकाल पड़ा, उसने सराहनीय कार्य किया। साथ ही पी.डी.एस. के जरिये एफ.सी.आई. ने देश के हर कोने में हर व्यक्ति को पेट भर अनाज मिले, इसके लिए व्यवस्था की। इस योजना के अंतर्गत सरकार 13,670 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। इससे देश की एक-तिहाई जनसंख्या को लाभ मिला है।

सभापति जी, आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अनाज के सरप्लस की है। इस देश में पहले अनाज से संबंधित दूसरी समस्यायें थी लेकिन आज यह सरप्लस की समस्या हमारे सामने आ गई है। जहां एफ.सी.आई. ने देश के किसानों को सहारा दिया तो दूसरी तरफ किसानों ने रिकार्ड अनाज उत्पादन किया जिससे खाद्यान्न भंडार भरे पड़े हैं।

देश की आजादी के बाद यह पहला समय आया है कि आज हमारा बफर स्टाक 58 हजार करोड़ का हो गया है और माल हमारे गोदामों में पडा है। साढ़े 45 मिलियन टन के लगभग आज हमारा स्टाक है। जहां आज हम अपने किसानों और गरीबों को इस बिल के माध्यम से राहत देने के लिए एफ.सी.आई. की सीमा बढ़ा रहे हैं, वहीं पिछले कुछ वर्षों में एफ.सी.आई. की वर्किंग में कुछ कमियां आई, जो श्री नरसिंहराव जी के शासनकाल में उजागर हुई और जो गेहूं घोटाले के नाम से प्रख्यात रहीं।

सभापति महोदय, आज हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए कई बार ब्यूरोक्रेसी, ट्रेड यूनियन एफ.सी.आई. की कार्य प्रणाली में अड़ंगे लगाती रही है। आज इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जहां आप टैक्स पेयर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपये की किसानों से खरीद कर रहे हैं, वहीं पर ये शिकायतें भी कई बार सुनने को मिलती हैं कि जो पेमेन्ट एफ.सी.आई. ने की, वह पेमेन्ट आगे किसानों तक नहीं पहुंची। इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। क्योंकि कई बार इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि बीच में मिडिलमैन किसान बनकर आये और वास्तविक लाभ किसान को नहीं पहुंचा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मुझे हरियाणा प्रदेश में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का चेयरमैन बनने का मौका मिला था। उस समय मैं आस्ट्रेलिया का लॉजिस्टिक सिस्टम देखने के लिए गया था कि किस प्रकार वहां एक प्रतिशत भी गेहूं नहीं सड़ता। उसमें चूहे आदि नहीं लगते और उसकी डैमेज नहीं होती। वहां गेहूं की डैमेज जीरो परसेन्ट के लगभग है। उन्होंने वहां बड़े-बड़े डोम बनाये हुए हैं, जिसके कारण वहां साफ-सुथरा गेहूं मिलता है। आज हमें इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज हमने टारगेट रखा है कि हमारा पचास लाख टन गेहूं विदेश में जाना चाहिए, इसके लिए हमें पूरा वक्त मिलना चाहिए। लेकिन जहां हमने क्वान्टिटी बढ़ाई है, वहीं हमें क्वालिटी की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। ताकि हमारे गेहूं को बाहर के देश बड़े चाव से उठायें, जिससे हम न केवल अपने किसानों का भला कर सकें, बल्कि अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा कर सकें। आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, भारतीय खाद्य निगम द्वारा उधार लेने पर लगे अवरोध को दूर करने के लिए पहले सरकार अध्यादेश लाई और अब संशोधन विधेयक सदन में लाई है।

मान्यवर, भारतीय खाद्य निगम का गठन जिस उद्देश्य से किया गया आज भारतीय खाद्य निगम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। माननीय मंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय हम लोग स्कूलों में पढ़ रहे थे और तब से लेकर आज तक इनकी ईमानदारी पर मुझे किसी तरह का शको-शुबहा नहीं है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी की ईमानदारी का जरा भी असर भारतीय खाद्य निगम पर परिलक्षित नहीं हो रहा है और आज भी भारतीय खाद्य निगम जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उससे किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम के लिए आप जो संशोधन विधेयक लाए हैं, इससे देश के किसानों को कितना फायदा होगा यह निश्चित तौर पर आपको विचार करना होगा।

अपराह्न 4.31 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने देश के किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 510 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 610 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप मंगाकर देखें कि सीधे भारतीय खाद्य

निगम ने उत्तर प्रदेश और बिहार में कितना धान किसानों से खरीदा है तो असलियत उजागर हो जाएगी। मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों को बिचौलियों के हाथ अपना धान 350 रुपये प्रति क्विंटल में बेचना पड़ा। आपने प्रयास भी किया था, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गए थे, वहां आपने उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक भी बुलाई, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई, खाद्य निगम की भी बैठक बुलाई लेकिन आपके अथक प्रयासों के बावजूद किसान को वास्तविक लाभ नहीं हुआ। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के पास हमारा किसान धान लेकर जा रहा था तो उनसे यह कहा गया कि धान मानक के अनुसार नहीं है। जरा भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकानों पर बेचे गए चावल और गेहू का नमूना लीजिए और किसान के घर में जो धान और गेहूं पैदा हो रहा है, उसका नमूना लीजिए तो मैं दावे से कहता हूं कि आप पाएंगे कि पीडीएस के अंतर्गत चावल और गेहूं जो आपकी दुकानों में बेचा जा रहा है, उससे कम से कम पांच गुना अच्छा चावल अगर किसान के घर में नहीं निकले तो मैं संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब हमारा धान खरीदने की बारी आती है तो कहते हैं कि मानक के अनुसार नहीं है और वही धान जब बिचौलियों के माध्यम से कमीशनखोरी के माध्यम से आ जाता है, उसमें कूड़ा-करकट मिलाकर आ जाता है तो वह मानक के अनुसार हो जाता है, यह मानदंड बदलने होंगे।

अभी भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के वरिष्ठ सांसद बोल रहे थे कि भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत मजदूर उद्दंड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं इसे भी आपको देखना चाहिए। जब उन मजदूरों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी रीबैगिंग कराकर चोरी करने का काम करेंगे तो उन मजदूरों को अनुशासन की परिधि में कतिपय आप नहीं रख सकते। वही मजदूर चोरी का माध्यम बन रहा है, उनसे रीबैगिंग करा रहे हैं और जब वह जानते हैं कि कितना घपला हमारे अधिकारी करा रहे हैं तो वे अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। आप सीधे मजदूरों से संवाद कीजिए, आप असलियत से वाकिफ हो जाएंगे और अचानक मौके पर निरीक्षण करें तो स्थिति आपके सामने आ जाएगी। अब गेहूं का उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि देश में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। रिकार्ड उत्पादन आपकी मेहरबानी से नहीं हुआ है, किसान से अथक परिश्रम और ईमानदारी से यह हुआ है। किसान ने अपनी मेहनत से देश की आज़ादी के बाद इस देश को अनाज के मामले में ही आत्मनिर्भर नहीं बनाया बल्कि इतना अधिक अनाज पैदा करना शुरू कर दिया कि हम दूसरे देशों को भी अनाज की आपूर्ति करने लगे। लेकिन क्या कारण है कि आपके भंडारित गेहूं को ईराक ने भी वापस भेजने का काम किया है। यह आपकी भंडारण व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिह्न लगता है। निश्चित ही आपकी भंडारण प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इस संबंध में रचनात्मक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के पास आंकड़े हैं। एक विकास खंड में एक पीडीएस स्कीम में कितने राशन की आवश्यकता एक महीने में है, अगर उसी विकास खंड के अंतर्गत उसके भंडारण की व्यवस्था कर लें जितना उस विकास खंड के अंतर्गत साल भर में अनाज की आवश्यकता है तो जो लिफ्टिंग (ढुलाई) में पैसा खर्च हो रहा है, जो मिसहैन्डिलिंग हो रही है, उस पर निश्चित तौर पर रोक लगेगी और वह रुपया हम बचाने का काम करेंगे।

गेहूं का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने 610 रुपया गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। आप उत्तर प्रदेश और बिहार में लाइए तो किसान 475 रुपए से 525 रुपए में अपना गेहूं बिचौलियों के हाथ देने को मजबूर है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसके अनाज की और कहां खरीद हो रही है, उसे देखें, यह मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं यहां पंजाब और हरियाणा का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि वहां पूर्व में एक रीजनल मैनेजर श्री सर्वेश कौशल थे। जो गल्ला आपने खरीदा, उसी को उन्होंने जब व्यापारियों के हाथ बेचा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके खरीद मूल्य से पौने दो सौ करोड़ रुपए कम कर उन्होंने बेचा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके खरीद मूल्य से पौने दो सौ करोड़ रुपये कम पर उन्होंने बेचा। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मैंने सात बार प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और माननीय मंत्री जी आपको भी मैंने कई पत्र लिखे, तब कहीं जाकर उनके द्वारा किए गए घपले की जांच के लिए सी.बी.आई. इन्क्वायरी बैठी, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। जिस व्यक्ति के खिलाफ डाक्यूमेंट्री एवीडेंस है यदि उसको भी आप सजा नहीं दे पाएं और इतना समय जांच में लग जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रष्टाचारियों को शीघ्र दंडित करने का काम कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के गेहूं और धान की खरीद की सुनिश्चित व्यवस्था कीजिए। आज मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जितना अनाज है वह या तो प्रभावशाली लोगों का है या हमारे जैसे राजनीतिज्ञों का है या बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया है। आम किसान का गेहूं और धान नहीं खरीदा गया है। मैं विनम्रतापूर्वक

[कुंवर अखिलेश सिंह]

निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आम किसान का गेहूं और धान खरीदकर आप भंडारण नहीं करेंगे, तब तक देश के किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रयास आपने विगत वर्ष किया, उसी प्रयास को और आगे बढ़ाएं और आम किसान को लाभ पहुंचाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 22 मई, 2001 को प्रख्यापित खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को प्रतिस्थापित करने वाला यह खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 स्वागत योग्य है। अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मूलत: खाद्य निगम एक तो उपभोक्ता और दूसरे उत्पादक के हित संरक्षण के लिए बना था। जहां खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता उपभोक्ता के हित में हैं तो समय से खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य का संरक्षण उत्पादक के हित में है। यह कोई गुप्त बात नहीं है कि वर्ष 1964 में खाद्य निगम बनने के पश्चात इन वर्षों में ये अपनी प्राथमिकताओं से भटक गए हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल उत्पादक को कई बार निगम का उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे सामने ऐसी विरोधाभासी स्थिति है कि एक ओर तो गोदाम भरे पड़े हैं और दूसरी ओर गरीब परेशान हैं। यह बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। कहीं-कहीं भा.खा.नि. के पूरे संचालन में आयोजना बेमेल है। जब तक इस भटके हुए संचालन को ठीक नहीं किया जाता, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के ही हितों का संरक्षण नहीं हो सकेगा।

व्यवहार में, हमने अनेक बार देखा है कि भा.खा.नि. निर्णय लेने में विलम्ब कर देता है जिससे उत्पादक को हानि होती है।

महोदय, जब तक भा.खा.नि. किसी किस्म के बारे में निर्णय लेता है कि यह उत्तम किस्म है या आम किस्म, तब तक उत्पादकों का अधिकांश खाद्यान्न व्यापारियों के पास चला जाता है। जब भा.खा.नि. इस निर्णय की घोषणा करता है तो व्यापारी इसका लाभ उठाते हैं।

महोदय, ऐसा कई बार हुआ है। हम इस सरकार को समर्थन देने वाली तेलुगू देशम पार्टी के सदस्यों को यह मांग करने के लिए संसद में धरने पर बैठना पड़ा था कि भा.खा.नि. अपने निर्णय की घोषणा शीघ्र करे और उत्पादक को राहत दी जाए। यह हालत है। भा.खा.नि. को सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। विलम्ब होने से किसानों को नुकसान होता है। किसानों के हितों का संरक्षण हम सबके लिए सर्वोपरि है। किंतु भा.खा.नि. के अधिकांश कामों में इसकी कमी है।

महोदय, इस मौके पर मैं बताना चाहूंगा कि गतवर्ष भा.खा.नि. ने 70 लाख टन चावल के अतिरिक्त दस लाख टन धान खरीदने का वायदा किया था। धान नहीं खरीदा गया है। अंतत: कह दिया गया कि इस धान को राज्य सरकारें स्वयं खरीद सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खरीद के काम के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो केवल भा.खा.नि. के पास हैं। कोई राज्य सरकार रातों-रात विशेषज्ञ नहीं ला सकती। इसीलिए हमने केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि खाद्यान्न खरीद के काम का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है तथा राज्य सरकारें भी खाद्यान्न खरीद का काम कर सकती है। यह बहुत फायदे का काम नहीं होता। खाद्यान्न खरीद का काम भा.खा.नि. और केन्द्र सरकार को ही करना चाहिए तथा इस काम का विकेन्द्रीकरण करने में कोई समझदारी नहीं है जिससे कि राज्य सरकारों को इस काम के लिए विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी। यह केवल इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञता हासिल करने की बात नहीं है, इससे तो भण्डारण सुविधाएं भी बनानी पड़ेंगी और इससे वित्तीय भार भी पड़ेगा।

महोदय, इस विधेयक में प्रदत्त शेयर पूंजी की सीमा दस गुना तक बढ़ाने के लिए सभा की अनुमति मांगी गई है जो अंतत: 22,000 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी। मैं नहीं समझता कि इसकी अनुमति देने में इस सभा को कोई कठिनाई होगी। किंतु प्रश्न यह है कि देश में बफर स्टॉक की कुल कितनी आवश्यकता है? आज भा.खा.नि. के पास लगभग 60 मिलियन टन खाद्यान्न है। बहुत सा खाद्यान्न आ रहा है किंतु आमद के हिसाब से निकासी नहीं है। गड़बड़ कहां है? हम कुल खरीद कार्य का तालमेल कुल निकासी से कैसे करेंगे?

महोदय, कुछ महीनों में खरीफ मौसम की खरीद शुरू हो जाएगी। फिर हमें और खरीद करनी पड़ेगी। गोदाम क्षमता केवल 30 मिलियन टन है। इसमें भा.खा.नि. के गोदामों की 15 मिलियन टन की क्षमता भी शामिल है तथा इतनी ही क्षमता अन्य एजेंसियों से किराए पर लिए गए गोदामों की है। इसलिए दोनों को मिलाकर 30 मिलियन टन भण्डारण क्षमता के गोदाम हैं।

इतना ही खाद्यान्न खुले प्लेटफार्मों पर पड़ा है। स्थिति यह है कि 30 मिलियन टन खाद्यान्न भंडार गोदामों में है और 30 मिलियन टन खाद्यान्न भंडार खुले प्लेटफार्मों पर पड़ा है इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न की भारी क्षति हो रही है। तीन लाख टन

खाद्यान्न सड़ रहा है। यह पांच वर्ष से भी अधिक समय से गोदामों में पड़ा है। यह मानव ही नहीं पशुओं के लिए भी खाने के मतलब का नहीं है। माननीय मंत्री को सभा को बताना होगा कि सरकार कैसे और क्यों इस स्टॉक को निपटान नहीं कर सकी तथा इसे गोदामों में सड़ने के लिए कैसे छोड़ दिया गया। यदि सरकार अब भी इसे समुद्र में फेंकने का निर्णय ले ले तो कम से कम इससे गोदाम तो खाली हो जाएंगे।

हैंडलिंग और भण्डारण क्षति तथा स्थापना लागत किए गए व्यय का बडा हिस्सा होती है। 1997-98 में 7,500 करोड़ रुपए की राजसहायता दी गई थी। अब यह बढ़कर 12,042 करोड़ रुपए हो गई है। यह और बढ़ेगी। यह पैसा कहां गया? हो सकता है थोड़ा गलत हो, लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भण्डारण और हैंडलिंग पर खर्च हो रहा है। अब इस संशोधन के माध्यम से स्टॉक खरीदने के लिए 22,900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि विभिन्न एजेंसियों से लेने की अनुमति मांगी जा रही है, इसके पश्चात भी स्टॉक का निपटान समय से नहीं होने वाला। एक बार और यह पैसा भी यूं ही खप जाएगा। सम्भावना है कि आगामी दो-तीन वर्षों में खाद्यान्न खरीद, हैंडलिंग और भंडारण क्षति, स्थापना लागत में ही इसे व्यय किया जाएगा। हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि यदि यह सरकार एक बार पुनः इस सभा के समक्ष सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करे क्योंकि प्रचालन हेतु अधिक धन की आवश्यकता है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को सभा के समक्ष एक योजना रखनी चाहिए कि वह कुल खरीद और कुल निपटान के बीच के बढ़ते हुए अन्तर के कैसे बराबर करने जा रही है। जब तक इस अन्तर को कम नहीं किया जाता, जब तक भंडार का निपटान नहीं किया जाता तब तक यह संगठन भारी भरकम खर्च का जरिया बना रहेगा और संगठन में भ्रष्टाचार बना रहेगा। यह रहस्य नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई अवसरों पर इस पर सभा में चर्चा की गई थी। कई अवसरों पर यह बात अधिकारियों की जानकारी में लायी गयी थी कि भारतीय खाद्य निगम भ्रष्टाचार का स्रोत है। कहीं पर तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये जाने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप निर्धन किसान नुकसान उठा रहे हैं। खरीद और वितरण के बीच के अन्तर को कैसे सबसे बेहतर ढंग से कम कर सकते हैं, यह देखने के लिए इस विशेष पहलू पर ही विचार किया जाना चाहिए।

अन्ततः हम आंध्र प्रदेशवासियों ने कई अवसरों पर इस आशय के अभ्यावेदन दिये हैं कि मंत्रालय को समय पर निर्णय लेकर उनकी समय पर घोषणा करनी चाहिए। गत वर्ष अथवा उससे पहले वर्ष में 2067, 2077, 5293, 5204 किस्में, जो पहले अच्छी किस्में मानी जाती थीं, उन्हें अब सामान्य किस्म के रूप में अवनत कर दिया गया।

अतः, उन्हें अन्य अच्छी किस्मों के बराबर मूल्य प्रदान नहीं किया जा रहा है। निर्धन किसानों को ऐसा भ्रम है कि चूंकि ये अच्छी किस्में मानी जायेंगी, इसलिए वे यही किस्में उगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: मैं अपनी बात अब तुरंत पूरी कर रहा हूं।

सम्मिश्रण, जिसकी पहले 13 प्रतिशत तक अनुमति थी, को प्रत्येक अवसर पर सभी राज्यों में एक समान किया जाना चाहिए। 13 प्रतिशत तक सम्मिश्रण की अनुमति देने का मानक बार-बार परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार इन किस्मों की घोषणा समय पर की जानी चाहिए ताकि किसानों को पूरी तरह से जानकारी हो जाए कि किसे अच्छी किस्म माना गया है और किसे सामान्य किस्म माना गया है और वे तदनुसार अपनी फसल पैदा करेंगे।

महोदय मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने एफ.सी.आई. के संशोधन विधेयक में उधार लेने का अवरोध हटाने के लिए, किसानों की दुहाई दी है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हम यह आर्डिनेंस लेकर आए हैं। इसी देश में खेती कर रहा किसान आत्महत्या कर रहा है और मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि किसानों के नाम पर इन्हें उधार लेने की छूट दी जाए। लोग कहते हैं कि हम विरोधी दल के हैं इसलिए कड़ा बोलते हैं। लेकिन इस बारे में संसद की स्थायी समिति क्या कहती है, यह भी देख लें। उसके चेयरमैन एन.डी.ए. के ही हैं। समिति कहती है कि भारतीय खाद्य निगम की 31.3.2000 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राधिकृत पूंजी 2500 करोड़ रुपए थी। भारतीय खाद्य निगम में प्रदत्त पूंजी 2278.6 करोड़ रुपए थी, जो निगम की कार्य पूंजी सरकार द्वारा दी गई उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई। भारतीय स्टेट बैंक ने नकद साख सुविधा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुविधा से उसकी प्रदत्त पूंजी को दस गुना तक स्वीकृत किया। भारतीय खाद्य निगम का बैंक ओवर ड्राफ्ट 1999-2000 में 15985 करोड़ रुपए से बढ़ कर 2000-01 में 25167 करोड़ रुपए हो गया। 2001-02 में

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इसके बढ़ कर 30202 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा साख लेने पर ब्याजे 1996-97 में 1299 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2290 करोड़ रुपए हो गया है, जिसके आगामी वर्षों में और बढ़ने की सम्भावना है। समिति का विचार है कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के फालतू भंडार के कारण आर्थिक तंगी की ओर बढ़ रहा है। प्रतिदिन ब्याज 6 करोड़ 27 लाख रुपए के लगभग आता है। सरप्लस अनाज रखने का खर्चा 18 करोड़ रुपए रोज आता है। इस तरह दोनों को मिलाकर कुल 24 करोड़ रुपए का बोझ लगभग प्रतिदिन सरकार के निकम्मेपन, अदूरदर्शिता, अज्ञानता और गरीब विरोधी नीतियों के चलते देश पर पड़ रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उधार पर आवरण को हटाने के लिए जो यह बिल लाए हैं, यह इसी के विषय में है।

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): समिति की दूसरी सिफारिश भी पढ़ें, खाली आंकड़े ही बता रहे हैं, सही भी बताएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वही पढ़ रहा हूं। समिति का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवरण को हटाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जो कि आ गया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार को इस प्रकार के तौर-तरीके ढूंढने चाहिए, जिनसे भारतीय खाद्य निगम का उधार और ब्याज कम हो। उधार पर आवरण को कम करने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इससे वित्तीय अनुशासनहीनता पैदा न हो।

माननीय मंत्री जी, ढाई महीने इस रिपोर्ट को हो गये हैं। मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि जब हम सरकार को गिराने लगें तो आप बचाइए लेकिन वाजिब बात आपको बोलनी चाहिए। वोट के समय वोट डालिए कि सरकार की जय हो लेकिन किसान का क्षय हो, ऐसा मत बोलिए। यह समिति की रिपोर्ट है। *...(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: इस रिपोर्ट के खिलाफ यह नहीं है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: रिपोर्ट को पढ़ने का काम नहीं हुआ। इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने रिपोर्ट को ताक पर रख दिया, पढ़ने का काम नहीं किया और आर्डिनेंस लागू कर दिया? पृष्ठ 85 में कहा गया है कि बिहार में चावल का उत्पादन लगभग 77.41 लाख टन है, धान के रूप में 123.85 लाख टन है जबकि खरीद .05 लाख टन है-.05 से मतलब 5000 टन है जो कि नगण्य है। अनादि साहू जी कह रहे थे कि उड़ीसा में उत्पादन 51 लाख टन है और खरीद लगभग चार लाख टन है। गेहूं के मामले में उत्पादन और खरीद का यह ढांचा रहा है। समिति यह महसूस करती है कि बिहार में गेहूं के 42 लाख टन उत्पादन के बावजूद एफसीआई द्वारा गेहूं की खरीद नहीं किया जाना अन्य राज्यों की तुलना में साफ अन्याय है। अब हम कितना बोले? समिति का कहा हुआ सुनिए। यह प्रतीत होता है कि एमएसपी देने के नाम पर सरकार केवल कुछ राज्यों के किसानों के हित को देख रही है, भेदभाव भी सरकार कर रही है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। सरकार द्वारा अन्य राज्यों में कम खरीद होने के कारणों में यह बताया गया कि सरकार पंजाब की भांति अन्य राज्यों में ढांचा और सुविधा प्रदान नहीं करती। समिति का विचार है कि कुछ राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि के साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। इन राज्यों के साथ कठोर व्यवहार ही नहीं दुश्मनी वाला व्यवहार किया जा रहा है। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि अन्य राज्यों के किसान, खास तौर से बिहार के साथ इस प्रकार का भेदभाव यानी दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। अब समिति को इन्हें जेल में डालने की पॉवर नहीं है, इसीलिए समिति लिख देती है। जो सरकार संवेदनशील होती है, वह समिति की रिपोर्ट पढ़ती है, उस पर अमल करती है और उसे लागू करती है, लेकिन मैं किसानों के हक की बात कहता हूं कि इस पर एक समान नीति बनाई जाये। यदि आवश्यक हो तो अन्य राज्यों में ढांचा जैसे पंजाब के मामले में किया गया, उपलब्ध कराये जाये ताकि आगामी रबी के मौसम के दौरान गेहूं की खरीद प्रभावित न हो। एमएसपी की घोषणा का लाभ सभी राज्यों के जरूरतमंद किसानों को समान रूप से मिल जाये अन्यथा एमएसपी की घोषणा का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): आप समिति की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या भाषण कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यदि आपको भाषण सुनने का मन है तो मैं भाषण किये देता हूं। *...(व्यवधान)* पीडीएस जो देश में लागू थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैस करिए। उधर एड्रैस करके नहीं बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इनका भाषण सुनने का मन था तो मैं बता रहा हूं। पांच राज्यों में मक्का का उत्पादन होता है। बिहार में भी कम नहीं होता। प्रोक्योरमेंट 16 लाख टन चार राज्यों में किया गया, लेकिन बिहार में क्यों नहीं किया गया? यह सरकार इस पर निरुत्तर है, सरकार जवाब नहीं दे सकती। समिति ने लिखा है कि बिहार के साथ दोहरा मापदंड और भेदभाव हो रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं के मामले में सरकार तैयारी करे। गेहूं के प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से कहती है, लेकिन केन्द्र सरकार जिम्मेदारी राज्य सरकार पर फैंक नहीं सकती है। किसान के साथ इस प्रकार का अन्याय होगा, तो देश नहीं चल सकता है। देश डूब जाएगा। इसलिए मैं देशहित में कहना चाहता हूं। किसानों को जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए एफसीआई का गठन किया गया था। इन्होंने कहा कि सब्सिडी घटायेंगे, लेकिन गरीबों के साथ गला काटने का काम हुआ है। देश में 16 करोड़ परिवारों में से 10 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर है और 6 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं। दस करोड़ परिवार, जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं, उनके लिए कहा कि 9 रुपए प्रति किलो गेहूं देंगे। सरकारी दुकान सस्ते गल्ले की दुकान है या महंगे गल्ले की दुकान है। बाजार में पांच से सात रुपए प्रति किलो गेहूं मिल रहा है, लेकिन एपीएल के लिए 9 रुपये प्रति किलो भाव रखा गया। हम लोगों ने इसका विरोध किया, तो पचास पैसे कम यानि 8.50 रुपये प्रति किलो भाव कर दिया। जब इस भाव पर नहीं बिका, तो 6.10 रुपये प्रति किलो का भाव कर दिया। बाजार भाव से ऊपर भाव पर माल नहीं बिक सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को 2.50 रुपए प्रति किलो देने की बात थी, उसका भाव 7.50 रुपये प्रति किलो भी नहीं, 6.00 रुपए भी नहीं, 4.50 रुपए प्रति किलो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की दिया। वहां भी नहीं हुआ, तो विदेशों में पहले कहा 4.15 रुपये किलो, फिर 4.30 रुपये की दर से देने की बात हुई और दावा किया कि सब्सिडी घटाने के लिए कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ऐसा लगता है, विदेशों के लिए सब्सिडी का प्रावधान कर रहे हैं। यह एक घोटाला है। ईरान ने सामान लौटाया, इंडोनेशिया, मलेशिया ने कितना लौटाया, ये बतायें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: हमने पहले ही समय बर्बाद कर दिया है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

इतने सीनियर मेम्बर होते हुए भी आप ऐसे करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका अधिकतर भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री भनसिंह भौरा को दो मिनट और कांग्रेस पार्टी को छह मिनट दिये जायेंगे। बाकी सभी पार्टियों ने अपना समय बिता दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप समता पार्टी का टाइम दूसरे को देंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: समता पार्टी का और गवर्नमेंट का सब का मिला कर इतना टाइम है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, आप इस तरह हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। आप समता पार्टी का टाइम क्यों काट रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप समता पार्टी का समय क्यों समाप्त कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बीजेपी, जेडी, डीएमके, लोक जन शक्ति, समता पार्टी आदि ये सारे के सारे एक हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: सारे हम नहीं जानते हैं। समता पार्टी का अगर एक मिनट का भी टाइम है तो आप अलग से दीजिए। *...(व्यवधान)* अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इसी प्रकार से हल्ला करते रहेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह मेरा निर्णय नहीं है। रूलिंग पार्टी का एक ब्लाक है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: रूलिंग ब्लाक आप बनाइए।* *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह गवर्नमेंट ने बनाया है, हमने नहीं बनाया।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप आर्गु करेंगे तो आपके आर्गुमेंट का जवाब हम नहीं दे सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो हम भी आपकी बात नहीं मान सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप कार्यवाही कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। यह सारा डिवाइड करके गवर्नमेंट ने किया है, मैंने नहीं किया है। समता पार्टी रूलिंग पार्टी में है, इसलिए इनका और आपका साथ मिला हुआ समय है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप रूलिंग पार्टी में अलग-अलग पार्टी का नाम बुलाइए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह हमें मालूम नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: ...* *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप सीमा से बहुत बाहर जा रहे हैं। मैं इसे सहन नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारी पार्टी के साथ अन्याय किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): वह इस तरह से अध्यक्षपीठ के प्रति अनादर नहीं दर्शा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको मालूम होना चाहिए कि दो घंटे टाइम की अलाटमेंट हुई है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारा एक मिनट का भी टाइम है तो वह हमें मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप हमारा टाइम दूसरों को क्यों दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

समता पार्टी के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष जी, आपने अभी कहा कि जो भी एनडीए पार्टनर्स हैं, एलाइज पार्टीज हैं उनको एक साथ क्लब कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने बार-बार आपसे रिक्वैस्ट की है और माननीय सदस्य की भावना को मैं समझता हूं। आप जो कह रहे हैं वह भी सही है लेकिन माननीय सदस्य का कहना है कि जो एलाइज पार्टियां हैं, ऐसी परिपाटी रही है कि दो मिनट भी समय मिले तो उनको दिया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इतना ही कहा कि जो एलोटेड टाइम है उसके अनुसार मैंने जाना है, आप जरा शांति से रहें तो आपको एक-आध मिनट मिल सकता है लेकिन अधिकारस्वरूप नहीं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): डिप्टी स्पीकर साहब। जो आर्डिनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से लाया गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हआ हूं। मैं आंकड़ों में नहीं जाता। मिनिस्टर साहब ने बोलते हुए कहा कि हमने पंजाब के लिए यह किया, वह किया। पंजाब का जो पैडी का प्रोक्यूरमेंट हुआ तो क्या आपको पता है कि दो महीने लोगों को ट्रांसपोर्ट्स बंद करानी पड़ीं, रेलें बंद करानी पड़ी और फिर यहां पर बादल साहब आये और साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया इन्होंने सैक्शन किया। वह कहां गया पता नहीं। वह ठंडे बस्ते में चला गया। आपने पूछा नहीं कि वह किसानों को मिला है या नहीं मिला है। पंजाब में सबको इस बारे में पता है। मुझे लगता है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो करोड़ों रुपया बांट रहे हैं वह आपके यहां से जो रुपया जाता है किसी न किसी स्कीम में और वह संगत दर्शन में बांट रहे हैं इलेक्शन के लिए। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

जो एफसीआई है मैं उसके फुल करप्शन ऑफ इंडिया कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। वह नीचे से ऊपर तक करप्शन से भरा हुआ है। यहां पर मुलाजिमों के साथ जो सलूक किया जाता है वह आप सबको पता ही है। फूड कारपोरेशन के ऑफिस के सामने लोग धरने और भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं और आज भी 6 तारीख से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑफिसर लोग तो ऐश करते हैं और नीचे के मुलाजिमों पर एक्शन लिया जाता है। वहां पर कोई नीति नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बात हो गयी तो मुलाजिम को पकड़ लो।

पंजाब में कुछ गोदामों में गेहूं 10-10 साल से पड़ा हुआ है और वह खाने के योग्य नहीं है और अब वह गेहूं कहां जाएगा, इसका भी पता नहीं है। जो माल बाहर जाता है वह आधा जाता है और रेल-मिलकर आफिसर्स माल खा जाते हैं। इसका आपको पता नहीं है। आप ईमानदार हों लेकिन आपके नीचे वाले सब करप्ट हो जाएं तो आपकी ईमानदारी कहां जाएगी। आप ईमानदार रहो और अफसरों को खाने दो तो यह अच्छी बात नहीं है। आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए।

जहां तक पंजाब में एफसीआई के वर्करों का सवाल है तो आपको पता होगा कि एक यूनियन ने करोड़ों रुपये देकर पल्लेदार को रैगूलर करा लिया है लेकिन बहुत से दूसरे पल्लेदार रैगूलर नहीं हुए हैं। जिन्होंने पैसा दे दिया, वे रैगूलर हो गये, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, वे रैगूलर नहीं हुए। वे आपसे टाइम लेना चाहते हैं। हमारे पास फोन करते हैं कि मिनिस्टर साहब से टाइम ले लो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है।

हमेशा उनको धरने और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा समय उन लोगों को दीजिए जो इससे एफेक्टिड होते हैं। आपने स्कीम्स बनाई हैं और वे अच्छी हैं। वे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एक करोड़ फैमिलीज को सस्ती दर पर अनाज दे दिया जाएगा। क्या ऐसी एक करोड़ फैमिलीज ही हैं? देश के 40 परसैंट लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर उन लोगों को दे दिया तो क्या हुआ? यदि इसका फायदा देना है तो सब लोगों को दें और उन तक सस्ती दर पर अनाज पहुंचाना चाहिए। एफसीआई और वहां के पदाधिकारी मिल कर करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं। आप इसे देखें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सब चीजें देख कर इसे अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपका महकमा सभी लोगों को साथ लेकर चले जिससे वे गरीब लोगों के काम आए। आफ एफसीआई को वाईंड अप कर रहे हैं। यदि इसे वाईंड अप कर दिया तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं करूंगा। इस बिल में सबस्टैंशियल प्रावीजन हैं।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

इसका यह उद्देश्य है कि क्रैडिट लिमिट को समाप्त किया जाए जिससे भारतीय खाद्य निगम द्वारा उधार लेने पर लगे सारे अवरोध समाप्त हो सकें। बिल छोटा सा है लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे स्थिति क्यों आई? मैं यदि डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लम्बा हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आपका संकेत ही काफी है। मैं इससे पहले बैठने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यदि मैं बीपीएल, फूड सिक्योरिटी या स्टोरेज पर बोलूंगा तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी। इसके साथ कई सवाल जुड़े हैं। यह बिल खास परपज के लिए लाया गया है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से स्वीकृति के लिए जो प्रदत्त पूंजी है, उसे दस गुना तक स्वीकृत करने की बात थी, अब उस लिमिट उठाने की इसमें बात है। भारतीय खाद्य निगम जो भी उधार लेगा, उनमें आ रहे सारे अवरोधों को इस बिल द्वारा समाप्त किया गया है। यह स्थिति इस बिल की है। अध्यादेश जारी करने की स्थिति क्यों बनी, मैं इस सवाल को यहीं छोड़ देना चाहता हूं। क्रैडिट लिमिट के बाद भी ओवर ड्राफ्ट 1999-2000 में 15985 करोड़ रुपये हो गया था। वह 2000-2001 में 25168 करोड़ रुपए हो गया। एफसीआई द्वारा नकद उधार लेने पर ब्याज 1996-97 में 1299 करोड़ रुपए था। वह आज 2000-2001 में बढ़ कर 2299 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2001-2002 तक वह और बढ़ जाने की सम्भावना है। इसके कई कारण हैं। मूल कारण एक्सैस स्टोरेज है। यह एफसीआई के नियंत्रण से बाहर हो गया है। एक्सैस स्टोरेज को एफसीआई कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है।

यह आज नाकामयाब क्यों हो रहा है? एफ.सी.आई. की अपनी सीमा है। सरकार की पालिसी मैटर्स में फैसला लेने की अपनी लिमिट्स हैं। एफ.सी.आई. को अनाज का परिचालन करना है जो एफ.आई.एफ.ओ. के सिद्धांत के आधार पर करना होगा। यानी फर्स्ट इन, जो अनाज पहले आया उसे पहले आउट करो ताकि एक्सैस न बना रहे और जो बाद में आये उसे बाद में आउट करो। इससे स्टोरेज कास्ट कितनी बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. द्वारा एफ.आई.एफ.ओ. के जरिये काम नहीं किया जा रहा है। इसका ग्रास नैग्लीजेंस हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को पिछले वर्ष 1500 करोड़ रुपये से 2500 करोड़ रुपये कैपिटल अथोराइज करनी पड़ी और इस गरीब देश में एफ.सी.आई. को प्रतिदिन 6 करोड़ 27 लाख रुपये पर ब्याज देना पड़ता है। यह ब्याज और ज्यादा बढ़ेगा जब लिमिट लोन अवरोध नहीं रहेगा। आज यह बिल पारित हो गया, यह अवरोध समाप्त हो गया और ब्याज बढ़ता रहेगा। इसके फाइनेंशियल इनडिस्पलिन का दरवाजा खुल जायेगा। इसको रोका नहीं जा सकता। पहले लोन लिमिट 22 हजार 945 करोड़ रुपये था, उसे समाप्त करना है। इसका क्या तरीका है? इसमें एफ.सी.आई. का कमिटमेंट होना चाहिए। सरकार को भी चाहिये कि जब तक औफ टेक नहीं बढ़ाया जायेगा, लिफ्टिंग अनाज नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस अवरोध के हटने से किसानों के हित या प्रोक्योरमेंट में बी.पी.एल. का हो सकेगा। माननीय मंत्री जी एक प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि तत्काल जरूरत पड़ जाती है। चारों तरफ से पौलिटिकल प्रैशर आ जाता है तो इस डैमोक्रेटिक सिस्टम में ध्यान दिया जाता है। यदि इस बात को आधार बनाकर नीति बनायेंगे तो भविष्य में कई फाइनेंशियल इनडिस्पलिन पैदा होंगी जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष जी, देश में यू.टी.आई. वगैरह में हुई फाइनेंसियल इर्रेगुलर्टीज पर चर्चा हो रही है। ऐसा खतरा कहीं एफ.सी.आई. पर न आ जायें? मैं इस सवाल को यहीं छोड़ देता हूं और केवल यही कहूंगा कि एफ.सी.आई. को अनलिमिटेड लोन लेने के लिए छूट मिल जायेगी। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक हित के मामले पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सदन को यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, आपको मुद्दा उठाने के लिए पहले नोटिस सबमिट करना होता है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष जी, अभी अभी दो घंटे पहले बिहार में 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इससे बड़ा सार्वजनिक हित का मुद्दा और क्या हो सकता है? बिहार के खगड़िया जिले के बिलदौर थाना अंतर्गत 14 लोगों को कत्ल कर दिया गया। कल 12 लोगों को जान से मार दिया गया था। जिन लोगों का आज कत्ल कर दिया गया, उनकी लाश मिल गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार कश्मीर का मुद्दा है, उससे कहीं बढ़कर बिहार का मुद्दा है। कश्मीर के लिए सेना जा सकती है लेकिन बिहार के लिए नहीं जा सकती?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसे संसद में उठाने के लिए नियम हैं। आप कल नोटिस दे दीजिए और कल इसे उठाइये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आप नियम बता रहे हैं, वहां गोलियां चल रही है। मैं चेयर को इसकी जानकारी दे रहा हूं। हमें और कोई दूसरी आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जानकारी दे दी, हमने ले ली।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को कोई जानकारी नहीं है। वहां राज्य सरकार कुछ नहीं करे, केन्द्र सरकार को जानकारी नहीं है और बिहार में लोग मरते जाएं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको कहा कि यहां मामला उठाने के लिए नियम है। उस नियम के अंतर्गत आप उठाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सर, हिन्दुस्तान के लोग मर जाएं और हम नियम खोजते रहें। आखिर किस नियम के तहत वहां गोलियां चल रही हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इसलिए आपको कहा कि नियम के मुताबिक आप कल नोटिस दे दीजिए और जीरो ऑवर में इसे उठाइए। यहां होम मिनिस्टर होंगे या उनके दूसरे मिनिस्टर होंगे। उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी और सरकार उसके बारे में सोचेगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सर, यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है या नहीं। बिहार में इतनी बड़ी घटना घट रही है, इन्हें किसी बात की जानकारी है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अभी यह मैटर उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: पिछले दिनों वहां काफी लोग मारे गए हैं। वहां लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने आपको कहा कि यहां मामला उठाने का नियम है। नियम के मुताबिक आप कल उठाइए। आप ऐसे नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्द]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मिनिस्टर से जाकर मिल लीजिए

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पप्पू यादव, आपको सभा में कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: हम बिहार में नहीं बोल सकते, सदन में नहीं बोल सकते *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सदन में बोलने के लिए कुछ नियम हैं, उनके मुताबिक आप बोल सकते हैं। आप ऐसे ही खड़े होकर बोल रहे हैं। आपऐसा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें, श्री पप्पू यादव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: कल मंत्री जी क्या करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको वह गारंटी नहीं दे सकता। आपको यह मुद्दा कल उठाना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हमें चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): उपाध्यक्ष महोदय, जब देश अपनी घरेलू खाद्य-पदार्थों संबंधी समस्याओं को सुलझाने की स्थिति में नहीं था, जब देश को विदेशों से खाद्यान्न मांगने पड़ते थे और जब उस समय पी एल 480 निधियां एक समस्या बन गई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि हम अब कभी भी खाद्य पदार्थों के लिए भीख नहीं मांगेंगे। इस प्रकार हमारे सभी अनुसंधान संस्थानों और सभी घरेलू क्षमताओं को एकजुट करने के बाद हरित क्रान्ति आई।

हरित क्रान्ति आई और आज हम अत्यधिक खाद्य उपज की समस्या का सामना कर रहे हैं? यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि आज जब देश में इतना अधिक खाद्यान्न है कि गोदामों में समा नहीं सके, फिर भी अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां खाद्यान्न पहुंचते ही नहीं अथवा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णत: अस्त-व्यस्त हो चुकी है और वे गोदामों में सड़ रहे खाद्यान्नों को भी नहीं उठा पा रहे हैं। यह एक त्रासदी है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण समय पर सरकार ने राजसहायता समाप्त करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति को कम करना उचित समय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऊंची दरों के कारण लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी खाद्यान्न नहीं खरीद पा रहे हैं। अत: हमारी विडंबना है कि हमारे पास ढेर सारा खाद्यान्न है पर उसे खरीदने अथवा खाने के लिए कोई नहीं है और सर्वोपरि हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में, हमारे एक मंत्री हैं जो मुद्दे के प्रति काफी संवेदनशील हैं, किन्तु मुझे पता है कि वे कितने असहाय है। जब कभी भी हम उनके पास समस्या लेकर जाते हैं, तो उन्होंने उसे सुलझाने का प्रयत्न किया है, किन्तु उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वे उस ओर बैठे एक बड़े तंत्र का एक हिस्सा हैं।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। यदि खाद्यान्न है तो सरकार की कोई नीति भी होगी कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। क्या आज और गोदाम बनाये जा रहे हैं? आपातकालीन आधार पर क्या किया जा रहा है? नये भंडार आने वाले हैं और वे बाढ़ और बारिश से सड़ने वाले हैं क्योंकि उनके भण्डारण की सुविधा नहीं है; उनके गोदामों में जो है, वह या तो चूहे खा रहे हैं अथवा वह घटिया हो रहा है। आज कोई भी आयात बाजार हमारे खाद्यान्न स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र प्रणाली में बेचने में असमर्थ है। हम सरकार से कार्य के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम, बच्चों के लिए दिन का भोजन योजना शुरू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह खाद्यान्न उन क्षेत्रों में जायें, जहां गरीबी और भूख है तथा मूलभूत पोषण की कमी है, इसके लिए हम सरकार से बार बार आग्रह करते रहे हैं, किन्तु सरकार असंवेदनशील लगती है। लगता है कि सरकार के पास नीति वक्तव्यों को छोड़कर कोई भी कार्ययोजना नहीं है और आधारभूत स्तर पर कोई भी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जाती है।

महोदय, विकेन्द्रित खाद्यान्न खरीद प्रणाली आरम्भ की गई थी और हमारे कई राज्य इस बारे में काफी खुश थे। खाद्यान्न उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीदे गये थे, किन्तु जब भुगतान की बात आई, जो केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा खरीद के लिए दिये गये अग्रिम के लिए देना था तो धन अभी तक नहीं आया है। राज्यों को बड़ी धनराशियां देय हैं। उनको रखने के लिए वहां कोई गोदाम नहीं है और केन्द्र सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। यह वास्तव में एक गम्भीर स्थिति है और मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दरों को घटाने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी, ताकि निर्धन लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न खरीद सकें।

हम बीपीएल और एपीएल की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अधिकतर राज्यों में बीपीएल सर्वेक्षण अभी पूरे नहीं हुये हैं। बीपीएल परिवारों की कोई सूची नहीं है, किन्तु नीतिगत वक्तव्यों में प्रत्येक व्यक्ति को बीपीएल, एपीएल इत्यादि के बारे में बताया जा रहा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कोई लिस्ट ही नहीं है, स्टेट्स में अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। हम लोगों ने बहुत जगह पूछा है, है ही नहीं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी को आधारभूत स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय मैं यहां केवल एक उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चीनी के भारी भंडार पड़े हुए हैं; एक कारखाने में ही 3,60,000 क्विंटल चीनी रखी है। उन्हें इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उठाने के लिए लाइसेंस और कोटे की आवश्यकता है। कोटा बहुत कम है। कारखाना चीनी के बोरों से भरा है। चीनी का चलान नहीं हो रहा है और अभी भी देश में ऐसे हजारों स्थान है, जहां चीनी नहीं है। हम इसे कहां बेचें? ऐसा कहा जाता है कि हमारी किस्म निर्यात के लायक नहीं है और मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं है। अत: चीनी कारखानों का क्या होगा? दूसरी ओर, हम इसका आयात कर रहे हैं, हमने चीनी आने की अनुमति दी है, हमने खाद्यान्न आने की अनुमति दी है, और आज हमारे समक्ष विधेयक है। पशुधन आयात (संशोधन) विधेयक, 2001 जो आदेश पत्र में सूचीबद्ध है।

[हिन्दी]

मैंने पूछा क्या गोमाता को भी बाहर से लाकर पूजा करनी शुरू करेंगे? देशी-विदेशी की बात करते हैं। अभी विदेशी गाय को भी मंगा रहे हैं। उसकी भी पूजा होगी देश में?

[अनुवाद]

यह क्या हो रहा है? सभी चीजों का आयात किया जा रहा है और हमारे किसान प्रचुरता के बावजूद आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर रही हूँ कि विकेन्द्रीकृत प्रापण और गोदामों के निर्माण को व्यापक कार्यक्रम के आधार पर राज्यों को बकाया धनराशि जारी कर दी जाए। वे बेरोजगार युवकों को जिम्मेदारी लेने की अनुमति दें, उन्हें बैंक ऋण दें, भंडारण सुविधाओं में सुधार करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी चूहों आदि, पानी तथा अन्य समस्याओं से समुचित बचाव किया जाये, जो भंडारित खाद्यान्न को नष्ट कर रहे हैं।

तीसरे, कृपया यह देखें कि काम के बदले अनाज और मध्याह्न का भोजन योजनाओं को तत्काल शुरू किया जाये। आपके शासनकाल में केवल व्यापारियों और रोलिंग मिल के मालिकों को फायदा पहंचा है क्योंकि आपने वह राजसहायता हटा दी। आपने 960 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदा और स्टाक से छुटकारा पाने के लिए उसे 650 रु. प्रति क्विंटल की दर से रोलिंग मिलों को बेच दिया। पर आपने वह राजसहायता गरीबो को देने से मना कर दिया जो उनका और उनके बच्चों का पेट भर सकती थी यदि वह राजसहायता जारी रखी जाती। आपके पास राजसहायता के लिए धन नहीं था। पर आपने इसे रोलिंग मिलों को बेच दिया क्योंकि आप इसका भंडारण नहीं कर सके। यह आपके सरकार और इसकी नीतियों का विरोधाभास है।

इसलिए, मैं आपसे इसके लिए अनुरोध कर रही हूँ कि चाहे भले ही आपके भंडार में चीनी हो, अपनी नीतियों की समीक्षा करें, कोटा तथा खरीद की कुल मात्रा को बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि चीनी मिलें बन्द नहीं हों। ये किसानों की सहकारिताएं हैं। उनके पास गन्ने की खरीद हेतु किसानों को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। किसान कहां जायेंगे? गन्ने की फसल उगायी गयी और उसे मिलों तक लाया गया पर किसानों को पैसा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर रही हूँ कि यह संकट का समय है। कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति है। खाने को भोजन नहीं है। कई जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है। हमारे राज्य में सूखे की भयावह स्थिति है। इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ है। बुवाई नहीं हो पाई है आपके पास जो खाद्यान्न हैं उन्हें किसानों और आम लोगों को दें ताकि संकट-काल समाप्त हो सके। काम के बदले भोजन इसका एकमात्र हल है। हमने ऐसा पहले भी किया है। मैं मंत्री महोदय से अनुकूल उत्तर की अपेक्षा करती हूं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का, आलोचना के लिए और रचनात्मक सुझाव देने के लिए, आभारी हूं। कुछ पाइंट्स है जिनके ऊपर मैं अपनी बात उनके सामने रखना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कैपेसिटी के बारे में कहा है, चिन्ता व्यक्त की है कि अक्तूबर आ रहा है और हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, वह हम कैसे करेंगे? मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के पास अपनी कैपेसिटी 343 लाख टन की है तथा स्टेट एजेंसी की कैपेसिटी 210 लाख टन की है। यह ठीक है कि हमें बाहर भी अन्न रखना पड़ता है, लेकिन जो अनाज बाहर रखा जाता है, वह कवर करके, ढक कर के, ठीक प्रकार से रखा जाता है।

[श्री शान्ता कुमार]

उपाध्यक्ष महोदय, अब समस्या यह है कि अक्तूबर में हमें जो और प्रोक्योरमेंट करनी है, उसकी व्यवस्था हमने की है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था हमने कर ली है और वह इस तरीके से की गई है कि इन दिनों में हमारा जो इश्यू आफ स्टाक होगा, उसकी 8 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी हमारे यहां होगी। हमने 50 लाख टन की कैपेसिटी के लिए प्रदेशों को सात साल की गारंटी दे दी है। प्रदेश अपने यहां भिन्न-भिन्न स्थानों पर कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आंध्र प्रदेश को 8 लाख टन, पंजाब को 41 लाख टन, हरियाणा को 8 लाख टन, उत्तर प्रदेश को 5 लाख टन की कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए सात साल की गारंटी दे दी है। प्रदेशों ने हमसे जो सात साल की गारंटी मांगी, वह हमने उन्हें दे दी है। वे अपने यहां प्राइवेट सैक्टर में कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रकार से 50 लाख टन की क्षमता प्रदेश क्रिएट कर रहे हैं। जहां-जहां से स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही हैं, वहां-वहां हम सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने लगभग 140 लाख टन अतिरिक्त कैपेसिटी का प्रबंध कर लिया है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अक्तूबर में जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा, उसको रखने का पूरा-पूरा प्रबंध किया गया है और किसी भी प्रकार की कमी वहां नहीं आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बाकी बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, मैं उनका उत्तर संक्षेप में देना चाहता हूं। क्वालिटी के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं-कही क्वालिटी के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। हमने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और राज्य सरकारों को कहा है कि वे ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, प्लीज बैठिए। आप तभी मंत्री जी से कुछ जान सकते हैं जब वे यील्ड करने को तैयार हों। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। चूंकि वे यील्ड ही नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके द्वारा कहा हुआ कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शान्ता कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, हमने राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे गोदामों से जब अन्न दिया जाता है तब वे देखकर लें और किसी गोदाम पर कहीं भी यह मालूम हो कि वहां घटिया किस्म का अन्न दिया जा रहा है, तो हमने कहा कि घटिया अन्न राज्य सरकारें बिल्कुल न लें और हमें शिकायत करें। यदि किसी राशन की दुकान पर अन्न ठीक नहीं है, तो वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब राज्य सरकारें हमारे गोदामों से अन्न लेती हैं, तो वहां से बिल्कुल ठीक क्वालिटी का अन्न दिया जाता है। मैंने मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी यह स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे अन्न गोदामों से एक प्रतिशत भी घटिया अन्न हो, तो राज्य सरकारें हमारे गोदामों से अन्न न लें।

वे हमको शिकायत करें, हम उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं, किसी राशन की दुकान पर घटिया अनाज नहीं होना चाहिए। अब इस किस्म की शिकायतें नहीं आ रही हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में हम पूरी-पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं और जो बिल्कुल खाने योग्य, ठीक प्रकार का अन्न है, वही पी.डी.एस. में दिया जाएगा, इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, हो सकता है उनके ऐसे निर्देश हों पर वास्तविक स्थिति भिन्न है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस, यदि माननीय मंत्री सहमत हैं तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री महोदय, क्या आप सहमत हैं?

श्री शांता कमार: जी नहीं।

[हिन्दी]

क्वांटिटी की बात कही गई है। बिलो पावर्टी लाइन के 36 करोड़ लोगों को पहले 10 किलो प्रति परिवार अनाज दिया जाता था, पिछले साल उसे बढ़ा कर 20 किलो प्रति परिवार कर दिया गया और इस बार 10 जुलाई से वह बढ़ा कर 25 किलो प्रति परिवार कर दिया गया है। जहां तक आपने क्वांटिटी की बात कही है, सरकार ने उस क्वांटिटी को निरंतर बढ़ाने की कोशिश की है। फिर आपने भाव के बारे में कहा है। 36 करोड़ लोगों को जो अन्न दिया जाता है, वह 4.15 रुपये, 5.65 रुपये, पांच करोड़ लोगों को, जो अति गरीब हैं, 25 किलो प्रति परिवार दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल देने का सरकार ने निर्णय किया है। ...*(व्यवधान)*

एक और बात कही गई है कि इराक से हमारा अन्न वापिस आया। यह सचमुच चिन्ता का विषय है, मैं आपकी चिन्ता में शामिल हूं लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा 31 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट हुआ है। किसी और देश से कहीं पर रिजैक्ट नहीं हुआ, केवल इराक से हुआ और वह भी सरकार ने नहीं भेजा, सरकार एक्सपोर्ट नहीं करती, ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक ने सात एक्सपोर्टर्स को आर्डर दिया। उन्होंने भेजा। इंटरनैशनल स्टैन्डर्ड के मुताबित दो प्रतिशत फॉरेन मैटर हो सकता है लेकिन उस दो प्रतिशत की जो डैफिनेशन थी, वह इराक की बिल्कुल अलग थी। अंतर्राष्ट्रीय कोडैक्स जो स्टैन्डर्ड हैं, उसके मुताबिक टू परसैंट फॉरेन

मैटर इज ऐलाउड। उस दो प्रतिशत में डेढ़ प्रतिशत और्गेनिक और आधा प्रतिशत इनआर्गेनिक हो सकता है लेकिन इराक ने बाद में कहा कि हमारी स्पैसीफिकेशन के मुताबिक जीरो प्रतिशत इनआर्गेनिक होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रिजैक्ट किया। केवल हमारा रिजैक्ट नहीं किया, अन्य देशों का भी रिजैक्ट किया और हमारा प्राइवेट एक्सपोर्टर्स का जो रिजैक्ट हुआ, वह इराक से रिजैक्ट हुआ और अन्य देशों में वहीं पर वह चला गया। किसी और देश में रिजैक्शन नहीं हुआ है लेकिन हमने एक्सपोर्टर्स को बुला कर कहा कि यह भी रिजैक्ट क्यों हो। हमने कहा कि वहां क्लीन करने की फैसीलिटी लगाइए और इराक से कहा कि जब तक उनके मुताबिक सफाई और स्टैन्डर्ड नहीं हो जाता तब तक वहां एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इराक को हमने कहा है कि आपने जो अपने आर्डर दिए हैं, उनमें समय एक्सटैंड कर दीजिए। हमने एक्सपोर्टर्स को कहा है और वहां पर व्यवस्था हो गई है। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे बताया कि पूरा प्रबंध कर लिया गया है और इराक की स्पैसीफिकेशन के मुताबिक साफ करके नमूना इराक भेज दिया गया है। इराक के लोगों को यहां बुलाया है कि वे देखें ताकि वह एक्सपोर्ट भी शुरू हो। लेकिन इंटरनैशनल स्टैन्डर्ड के मुताबिक हमारा 31 लाख टन गेहूं अन्य देशों ने स्वीकार किया है, किसी ने कहीं शिकायत नहीं की, किसी ने कहीं उसे रिजैक्ट नहीं किया।

फूड कार्पोरेशन में कमियां, भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप यहां लगाए गए। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले हैं। लेकिन वह मेरे आने के बाद ही शुरू हुए, इस सरकार के बाद शुरू हुए, यह आरोप नहीं लगाना चाहिए और यह भ्रष्टाचार का मामला किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हम सबका सांझा मामला है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जहां-जहां से शिकायत आ रही है, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं और बड़ी सख्ती के साथ एक्शन ले रहे हैं। सी.बी.आई. को सात मामले दे दिए गए हैं, दो पर प्रोसीक्यूशन सैंक्शन दे दी गई है, 7 पर सी.बी.आई. जांच कर रही है। यह अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित मामले हैं, और भी जहां-जहां सी.बी.आई. के अलावा कुछ मामले आये हैं, क्रिमिनल केसेज रजिस्टर करके हम पूरी जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जांच भी करवाई गई है। इस साल एक जनवरी से 30 जून तक के बीच 755 मामले विभागीय कार्रवाई द्वारा पूरे किये गये, जिसमें से नौ लोगों को सेवा से, नौकरी से निकाल दिया गया, 21 का रैंक घटाया गया, 191 का वेतन घटाया गया, 75 मामलों में इन्क्रीमेंट रोके हैं, 200 मामलों में रिकवरी की गई है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जहां गड़बड़ के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको हम हर प्रकार से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार के बारे में आपने कहा है, आप इसके बारे में मुझे स्पेसिफिक पूर्ण जानकारी दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कोई दोषी अपराधी हैं, उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जायेगा। सरकार करप्शन के बारे में बिल्कुल गलत काम नहीं करना चाहती। एक बात आपने कही कि राज्यों को हम अन्न कम दे रहे हैं। मामला बिल्कुल उल्टा है, राज्यों को हम जितना दे रहे हैं, वह राज्य उठा नहीं रहे हैं। आदरणीय मार्गरेट आल्वा जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि गरीबों को अन्न मिलना चाहिए, मिड डे मील में मिलना चाहिए। मिड डे मील के अन्दर हम 24 लाख टन अनाज बिल्कुल मुफ्त देते हैं, लेकिन राज्य उठाते नहीं है। अगर राज्य नहीं उठायें, आगे न बांटें तो इसमें हमारा क्या कसूर है। मैंने आपसे निवेदन किया कि 303 लाख टन अनाज हम इन सारी स्कीम्स के अन्दर या तो मुफ्त देना चाहते हैं या हाईली सब्सीडाइज्ड रेट्स पर देना चाहते हैं, लेकिन राज्य पूरा नहीं उठा रहे हैं। उठता कितना है, 303 में से केवल 130 लाख टन, 170 लाख टन अनाज, जो भारत सरकार गरीबों को देना चाहती है, प्रदेश की सरकारें उठा नहीं रही हैं। उसके लिए आप हमारी आलोचना करने के बजाय अपनी-अपनी प्रदेशों की राज्य सरकारों को पूछें, हम बार-बार कह रहे हैं कि यह अन्न उठाइये। जहां तक सूखा राहत का सवाल है, सूखाग्रस्त प्रदेशों के अन्दर बिल्कुल मुफ्त हमने 18.19 लाख टन अनाज दिया है।

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): माननीय मंत्री, महोदय क्या आप एक मिनट के लिए सुनेंगे? क्या आप सभी को जानकारी देंगे कि कौन-कौन से राज्य खाद्यान्न नहीं उठा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे मान नहीं रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: यह पहला मौका है कि फूड फॉर वर्क के लिए 18 लाख टन अनाज हमने फूड फॉर वर्क के लिए दिया है और उसमें से 13 लाख टन अनाज उठा है। आपने फूड फॉर वर्क के बारे में जो बात कही, एक साल पहले *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: क्या आप सभा को बता सकते हैं कि वे कौन से राज्य हैं जो खाद्यान्न नहीं उठा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, वे यह जानकारी चाहते हैं कि वे कान से राज्य हैं जो खाद्यान्न उठा नहीं रहे हैं। क्या आपके पास यह जानकारी है।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: उपाध्यक्ष जी, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। मेरी आदत है, मैं बिल्कुल ध्यान से आपकी बात सुनता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाये। यह टोकी-टाकी मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। सूखाग्रस्त प्रदेशों को ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: सिम्पल बात है कि कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं?

श्री शांता कुमार: मैं आपको स्टेटवाइज इन्फोर्मेशन दे दूंगा, लेकिन टोटल लिफ्टिंग मैंने आपको बता दी है। पूरे प्रदेशों की सूची मैं आपको दे दूंगा। आदरणीय मार्गरेट आल्वा जी ने इस बात को कहा, हम भी इस बात को समझते हैं कि हमारे पास अगर अन्न है तो कहीं पर किसी को परेशानी न हो। एक साल हो गया, हमने निर्णय किया है, सभी प्रदेश सरकारों को कहा है, कोई प्रदेश सरकार कहीं पर भी फूड फॉर वर्क की योजना शुरू करे तो हम 50 परसेंट कास्ट पर अन्न देने के लिए तैयार हैं। कोई प्रदेश सरकार अभी तक इसके लिए आगे नहीं आई है। हम चाहते हैं कि फूड फॉर वर्क के काम सभी जगह शुरू हों, लेकिन उसके लिए प्रदेश की सरकारों को आगे आना चाहिए। प्रदेशों की सरकारें फूड फॉर वर्क में जितना अन्न चाहें, हम बी.पी.एल. रेट पर देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: आप इसे मुफ्त क्यों नहीं देते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): थोड़ा सा यह बता दें कि कौन सी राज्य सरकार आपके आदेश का अनुपालन नहीं कर रही हैं?

श्री शांता कुमार: आदेश का प्रश्न नहीं है, टोटल ऑफटेक की बात मैंने कही है, मैने आंकड़े आपके सामने रखे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने कहा है कि वे सभी सदस्यों को यह सूचना देने जा रहे हैं कि वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने खाद्यान्न नहीं उठाया है।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: बिहार के मित्र मुझसे बात कह रहे हैं कि मिड डे मील के अन्दर बिल्कुल मुफ्त चाहिए। बिहार सरकार को हम अन्न देना चाहते हैं, वह भी बिहार सरकार नहीं उठाती है, इसमें केन्द्र सरकार क्या करे। एक बात मैं प्रोक्योरमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में प्रोक्योर करते हैं, वहां 30 और 70 के रेशों से प्रोक्योरमेंट होती है। पंजाब और हरियाणा में हम 30 प्रतिशत प्रोक्योर करते हैं, शेष 70 प्रतिशत वहां की सरकारें करती हैं। अगर कोई राज्य सरकार 70 प्रतिशत प्रोक्योर करने को तैयार है तो हम भी 30 प्रतिशत प्रोक्योर करने को तैयार हैं। ...*(व्यवधान)* प्रोक्योरमेंट का मामला भी मिलाजुला मामला है। यह संयुक्त जिम्मेदारी है। केवल हम वहां जाकर प्रोक्योर करें, यह उचित नहीं है। राज्य सरकार को इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, प्रबंध करना होगा। जहां-जहां भी राज्य सरकारें ऐसा करेंगी, वहां-वहां हम प्रोक्योरमेंट करने को तैयार हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल उठाया था कि इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी, क्यों नहीं रेग्यूलर बिल लाया गया, उसके बारे में मंत्री जी का कहना था कि दस गुना लोन लेने की सीलिंग थी, उसको नहीं हटाते तो प्रोक्योरमेंट नहीं होती। यह आपको मई के महीने में ही क्यों मालूम हुआ? हर साल कितनी प्रोक्योरमेंट होगी, यह तो मालूम होता है। पिछले साल कितनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना लोन लेना पड़ा, इस साल कितनी प्रोक्योरमैंट होगी, यह भी पहले से प्लान किया होगा। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं इसके बारे में सोचा गया? क्यों नहीं रेग्यूलर बिल लाया गया, इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

मेरा दूसरा सवाल था कि सीलिंग हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? 22,000 करोड़ रुपए की करीब-करीब सीलिंग थी, उससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते, उसका कुछ कारण था। अब कोई सीलिंग नहीं है। इस साल 27,000 करोड़ रुपए लोन ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा बफर स्टाक बहुत ज्यादा हो रहा है। बफर स्टाक 18 मिलियन टन से ज्यादा होना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे गोदामों की इतनी ही क्षमता है। लेकिन अभी 55 मिलियन टन बफर स्टाक है। यह हर साल बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आफटेक नहीं हो रहा है। राज्यों को बोलते हैं तो वे माल उठाते नहीं हैं। वे कहां से उठाएंगे, आपने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए दाम जो

बढ़ा दिए और मात्रा भी बढ़ा दी। जब आपने दाम और मात्रा बढ़ाई थी तो हमने उसी समय कहा था कि आप जो दाम बढ़ा रहे हैं और दस किलो से 20 किलोग्राम कर रहे हैं, इतना अन्न खरीदने की क्षमता भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगो में होनी चाहिए। इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी और आपने कहा था कि हम दस किलोग्राम से 20 किलोग्राम कर रहे हैं। आपने मात्रा दोगुनी की, उसके बावजूद भी आफटेक ज्यादा नहीं हुआ। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की और जो शार्टेज होती है। सब मिलाकर जो इकॉनामी कॉस्ट है, यह कॉस्ट जो होगी, वह गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को देनी पड़ेगी और आप बाहर सस्ते दाम पर बेच रहे हैं। हमारे देश की आबादी को जिस भाव से बेच रहे हैं, उससे कम भाव से विदेश में बेच रहे हो और उधर रिजेक्ट हो रहा है। ईरान और ईराक से रिजेक्ट हो रहा है। *...(व्यवधान)* अखबार में आया है। हम सस्ते भाव से क्यों बाहर बेचें? जैसा इंटरनेशनल प्राइस होगा, ऐसा ही हम करेंगे। *...(व्यवधान)* हमारे देश के बफरस्टॉक को घटाना है तो गरीबी रेखा के ऊपर आबादी के लिए भी आपने प्राइस पहले बढ़ा दिया और एक साल के बाद घटाया। पहले क्यों बढ़ाया और उसके बाद घटाया? उस समय आपने कहा था कि पूरी इकोनॉमी कॉस्ट को घटा दिया है। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को पूरा देना पड़ेगा तो सब्सिडी देने के मायने क्या हैं? सब्सिडी फिर किसके लिए है? सब्सिडी आप घटा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही सिर्फ सब्सिडी है।

[अनुवाद]

मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।

[हिन्दी]

फारवर्ड कंट्रीज में जहां पर फूड के ऊपर सब्सिडी नहीं है, हमसे छोटे-छोटे देश सब्सिडी पर खर्च करते हैं, हमारे देश में जो सब्सिडी दे रहे हो, उसको भी घटा रहे हो, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने सस्ते दरों पर उन्हें गेहूं की आपूर्ति की है।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): सब पैसा सब्सिडी के ऊपर दे देंगे तो फिर डैवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: गरीबी रेखा के नीचे चालीस फीसदी, पैंतीस फीसदी आबादी रहेगी तो फिर कैसे होगा और फूड हमारे गोदामों में सड़ेगा और चेयरमैन सुझाव देगा कि इतने मिलियन टन समुद्र में फेंक दो? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य आप उनसे सीधे बात क्यों कर रहे हैं? कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हम कहना चाहते हैं कि इस तरह के आर्डिनेंस की कोई जरूरत नहीं थी। रैगुलर बिल ले आते और जो सैक्शन 27 में जो इनैबलिंग प्रोविजन है।

[अनुवाद]

वह भारतीय खाद्य निगम के प्रचालन के लिए पर्याप्त है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मत विभाजन करा दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 मई, 2001 को प्रख्यापित खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए.सी जोस: महोदय, माननीय मंत्री ने वायदा किया है कि वे हमें उन राज्यों की सूची भेजेंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा 'मध्याह्न भोजन योजना' के अंतर्गत दिये जा रहे खाद्यान्न को नहीं उठा रहे हैं।

श्री शांता कुमार: मैं भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री की यह बात रिकार्ड में आ गयी है कि वे इसे सभी माननीय सदस्यों को भेजेंगे।

अब सभा 8 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 8 अगस्त, 2001/17 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।